राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

मंगलवार,

28 फरवरी, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: डा. जसवन्त सिंह यादव।

जयपुर में संचालित रोगीवाहन सेवा 108 हेतु पदस्थापित चिकित्सक

1. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड), **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) व **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में मरीजों को आपातकालीन सेवा देने वाली एम्बुलेंस 108 सेवा कब से प्रारम्भ की गई एवं उक्त सेवान्तर्गत वर्तमान में कितने वाहन संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एम्बुलेंस वाहन में चिकित्सा सुविधा हेतु कौन-कौन से उपकरण, दवाइयां किस कम्पनी से खरीदी जाती हैं? उक्त कम्पनी को सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कुल कितना भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2011 में उक्त वाहनों द्वारा कुल कितने मरीज लाए गये व कितने ट्रिप किये गये? उक्त एम्बुलेंस में चिकित्सा सुविधा हेतु कितना स्टाफ स्वीकृत है और उक्त स्टाफ किन-किन अधिकारियों के अधीन कार्य करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त वाहनों हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित है? यदि हां, तो किस-किस को कितना-कितना तथा क्या उक्त वाहन लक्ष्य पूर्ण कर रहे हैं?

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(5) क्या यह भी सही है कि जयपुर में कार्यरत 400 वाहनों हेतु एक ही डाक्टर पदस्थापित किया हुआ है? यदि हां, तो वाहनों की निगरानी/दवाइयां किस प्रकार उपलब्ध कराई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) : (1) राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा 20 सितम्बर, 2008 को प्रारम्भ की गई। वर्तमान में कुल 464 एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त एम्बुलेंस में चिकित्सा सुविधा हेतु खरीदे जाने वाले उपकरण एवं दवाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

चिकित्सा सुविधा हेतु परिशिष्ट-ब में वर्णित दवाइयां एवं उपकरण सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा ही क्रय की जाती हैं जिनका पुर्नभरण एनआरएचएम द्वारा प्रति माह किया जाता है। एनआरएचएम द्वारा उक्त मदों में क्रय के विस्तृत बिल एवं वाउचर प्रस्तुत नहीं करके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते थे जिनके आधार पर एनआरएचएम द्वारा पुनर्भरण सेवा प्रदाता कम्पनी को किया जाता था। इसलिए ईएमआरआई समय की सेवा अवधि के कम्पनीवार भुगतान के विवरण उपलब्ध नहीं हैं। ईएमआरआई द्वारा उक्त मदों में किये गये माहवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है। वर्तमान सेवा प्रदाता कम्पनी जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड, उक्त उपकरण जिन कम्पनियों से क्रय करती है उनकी सूची एवं उक्त कम्पनियों को गत तीन वर्षों में किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 2011 में उक्त वाहनों द्वारा कुल 723125 मरीज लाये गये तथा किये गये ट्रिप का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

सेवा प्रदाता कम्पनी चिकित्सा हैल्थ केयर लिमिटेड द्वारा वर्ष 2011 में अपने भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में 541568 ट्रिप करना दर्शाया गया है। सेवा प्रदाता कम्पनी जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड मुम्बई द्वारा प्रत्येक एम्बुलेंस में चिकित्सा सुविधा हेतु जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड के साथ हुए समझौते के अनुसार न्यूनतम एक ई.एम.टी. (नर्स ग्रेड-2) एवं एक पायलट (वाहन चालक) 24x7 डयूटी के लिये उपलब्ध रहना आवश्यक है। उक्त स्टाफ मैसर्स जिकित्जा

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

हैल्थ केयर लिमिटेड के अधिकारियों (कलस्टर लीडर, असिस्टेंट आपरेशन मैनेजर, मैनेजर आपरेशंस एवं रीजनल बिजनिस हैड राजस्थान) के अधीन कार्य करता है जिनके नाम सहित विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। न्यूनतम औसत 5 ट्रिप प्रति एम्बुलेंस प्रति दिन। उक्त वाहन प्रारम्भ से अक्टूबर 2011 तक टारगेट पूर्ण नहीं कर रहे हैं। माहवार विवरण परिशिष्ट-ल पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी नहीं। जयपुर जिले में 31 एम्बुलेंस तैनात है। राज्य में तैनात सभी 464 एम्बुलेंस बैसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस हैं जिनमें डाक्टर के पदस्थापन का प्रावधान नहीं है। प्रत्येक एम्बुलेंस में फर्स्ट-एड एवं मरीजों/घायलों को निकटतम अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एक ईएमटी (इमरजेंसी मैनेजमेंट टैक्निशियन एवं एक पायलट(वाहन चालक) का प्रावधान है। मैसर्स चिकित्सा हैल्थ केयर लिमिटेड द्वारा प्रत्येक हैल्थ केयर लिमिटेड द्वारा प्रत्येक एम्बुलेंस में 24x7 सेवा के लिए ईएमटी एवं पायलट पदस्थापित हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): माननीय अध्यक्ष जी, 108 एम्बुलेंस 2008 में वसुन्धराजी के शासन काल में चलाई गयीं और सोच यह थी कि मरीजों की जान बचाई जा सके, लाचार को अस्पताल पहुंचाया जा सके, पीड़ित को मदद मिल सके, लेकिन जो उद्देश्य था, यह सरकार आने के बाद उस उद्देश्य से भटक गई और मरीजों की सेवा करने के बजाए भ्रष्टाचार की सेवा होने लगी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आप सवाल पूछ रहे हैं? (व्यवधान) आपके समय में चार एम्बुलेंस थीं सिर्फ चार। अभी 464 हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जब तक अध्यक्ष जी को कोई बात नहीं बताउंगा कि मैं क्यों पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो चार्ज लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार का चार्ज लगा रहे हैं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप बैठिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप सबूतों के आधार पर बात करो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप पहले मुझे बोलने तो दीजिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): चार एम्बुलेंस चलती थीं, सिर्फ चार, आपके टाइम में। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): पहले आप बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखिये। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछिये। (व्यवधान) कृपया शांति रखिये। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): अध्यक्षजी, एक ऐसा सवाल जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सप्लीमेंट्री पूछिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): तभी तो मैंने पूछा, पहले आपकी नालेज में तो लाऊं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सब नालेज में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप चुप रहिये। इसमें आपका लेना-देना नहीं है। (व्यवधान) आप सीधा सप्लीमेंट्री पूछिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): मैं सीधा सप्लीमेंट्री ही पूछ रहा हूं। मुझे मंत्री जी आपके माध्यम से दो-चार सवालों के जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: केवल दो सप्लीमेंट्री पूछिये, और भी दो माननीय सदस्य हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): पाइंट पूछ रहा हूं, क...

श्री अध्यक्ष: क-ख नहीं, आप तो सवाल करिये। (व्यवधान) आप एक में क, ख, ग मत लगाइये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): एकाध बार तो लाटरी निकलती है, उसमें आपका संरक्षण...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पूछिये तो सही।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): पूछने दोगे तब न।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अलाउ कर रहा हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): आज इस जिकित्जा कम्पनी के पास जो 108 एम्बुलेंस संचालन करने का ठेका दे रखा है, करार कर रखा है, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, पहले ईएमआर कम्पनी थी उसका ठेका क्यों निरस्त किया? क्या इस कम्पनी को इसलिए दिया गया कि इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं? पहली कम्पनी में 8 हजार रुपये का व्यय आता था, इस कम्पनी को करीबन साढ़े नौ हजार के लगभग,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

95899...(व्यवधान) पहले 80 हजार था उसके बाद में 95899 प्रति महीना पर इस कम्पनी को ठेका दिया गया, क्या यह टेण्डर खुले रूप में विज्ञापित किया गया था? इसके अन्दर कितनी कम्पनियां और शामिल हुई हैं? क्या इसकी जो शर्तें थीं, जो फारमेट पहले दिन तैयार हुआ था उस फारमेट के आधार पर इसका सारा चल रहा है? किसी भी एम्बुलेंस को ले लो, किसी में गैस नहीं है, किसी में टायर नहीं है, किसी में सामान नहीं है, किसी का इंजन ठीक नहीं है जबकि आधा घंटा, बीस मिनट, तीस मिनट का करार हुआ। अखबारों में छपता है कि एम्बुलेंस 108...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): सवाल तभी तो पूछूं, पहले पूरी बात मंत्रीजी को समझा तो दूं। (व्यवधान) 108 अगर 10 किलोमीटर जाती है तो पता लगा कि दो घंटे में पहुंची, सारे करार में किसी भी उसमें खरा नहीं उतर रही। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि मरीजों को आपातकालीन सेवा देने वाली एम्बुलेंस को संचालित करने वाली एजेंसी के साथ सेवा शर्तों या दरों में परिवर्तन किया गया? पहली कम्पनी के लिये सेवाएं टाइट थीं...

श्री अध्यक्ष: ठीक है तो उसका जवाब देंगे न मंत्रीजी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): यदि हां तो इसके क्या कारण रहे? इसके क्या कारण रहे, क्या इस कम्पनी में हकीकत में कांग्रेस के परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं?

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बैठिये आप। जवाब दिलवा रहा हूं। पहले बैठिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): पहले एक तो पूछ लेने दें, सर।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, 5 तो पूछ लिये। दिगम्बर सिंहजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, आपका जवाब दिला रहा हूं, आपका भी आएगा। आपका भी जवाब दिलवा रहा हूं। दोनों के साथ-साथ आएंगे जवाब।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): और मेरा, सर?

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब भी दिलवा रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं भी इसमें प्रश्न पूछना चाहता हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): अधूरा पूछा है न मैंने, साहब।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का श्रम करेंगे...

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): श्रम क्यों, कष्ट करेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कष्ट करेंगे कि जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड कम्पनी..

श्री अध्यक्ष: श्रम करो, मत करो, शर्म तो करो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इसको संचालित कर रही है, उसके डाइरेक्टरों का नाम सदन में बताने का श्रम करें, एक। नम्बर-दो, जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड के साथ जो गवर्नमेंट का एम.ओ.यू. साइन हुआ, पर-एम्बुलेंस, पर-मन्थ कितने पैसे देना तय हुआ और इससे पहले जो कम्पनी ई.एम.आर.आई. काम कर रही थी, उसके साथ पर-एम्बुलेंस, पर-मन्थ कितना पैसा देना तय हुआ था? नम्बर-तीन, क्या मेडिसिंस एण्ड कंज्यूमेबल्स पहली कम्पनी के साथ जो उनके 84 हजार पर-मन्थ, पर-एम्बुलेंस का था, उनमें इनक्लूडेड था और आज जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड का किया, मेडिसिंस और कंज्यूमेबल्स का अलग से बिल सबमिट करते हैं या इसमें इनक्लूडेड है, यह बताने का श्रम करें? एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने कहा है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट व्हीकल्स हैं, क्या शुरू से जो एम.ओ.यू. साइन हुआ इसके पीछे जो मंशा थी, एडवांस लाइफ सपोर्ट के व्हीकल्स की भी उसमें मंशा थी या नहीं थी? तय यह था कि 25 प्रतिशत कम से कम एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होनी चाहिए। अब केवल बेसिक सपोर्ट बता रहे हैं आप। तो आज एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस है कि नहीं, यह बताने का श्रम करें? और एक, पर-ट्रिप का मतलब क्या है? सदन में पर-ट्रिप को भी एक बार अगर एक्सप्लेन करें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं न मंत्रीजी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायकगण ने जो मालूम किया है,

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

इसमें पहले तो मैं जसवन्त सिंहजी का बता दूं कि बिड जो हमने किया था, दिसम्बर, 2009 में ये बिड रिसीव किये गये, दूसरी कम्पनी के लिये उसमें 5 कम्पनियों ने बिड दिया-फाल्क इंडिया ए.एस. डेनमार्क।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): पहला बिड, पहली कम्पनी से आपने सेवाएं क्यों समाप्त कीं?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो आने दीजिये। माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए। जवाब दे रहे हैं। आप जवाब सुन लीजिये पहले।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बता रहा हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): अध्यक्षजी, पहली कम्पनी से... (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपका एक-एक करके जवाब दे दूंगा। 5 बिड आये थे-फाल्क इंडिया ए.एस. डेनमार्क। जी.वी.के.-ई.एम.आर.आई., मैसर्स अंजना इंटरनेशनल इण्डस्ट्रीज एण्ड मैसर्स एम्बुलेंस आइचर मुन्सुन को. एच.जी. जर्मन, मैसर्स अपोलो हास्पिटल एण्टरप्राइजेज लिमिटेड एण्ड मैसर्स प्रधाना मेडिकल एण्ड रिसर्च सेण्टर और एक यह था मैसर्स जिकित्जा हैल्थ केयर सेण्टर। इन पांच के बिड आये थे। इन 5 में से दो बिड्स तो टैक्निकल स्टेज पर ही, तकनीकी दृष्टि से अयोग्य पाये गये, इसलिये वित्तीय बिड नहीं खोले गये मैसर्स अंजना के और मैसर्स अपोलो के। तीन बिड में पहली कम्पनी फाल्क इंडिया ने 1,10,979 का बिड दिया। इसका मतलब यह है कि एक महीने में एक एम्बुलेंस जो ट्रिप लगाएगी, उसका उसको 1,10,979 मिलेगा। जी.वी.के. ने 1,64,990 का बिड दिया और मैसर्स जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड ने 94,899 का बिड दिया। तो लोएस्ट इसमें जिकित्जा का बिड था। और अप्रैल में इसका बिड फाइनल हुआ। आपने यह भी पूछा, ई.एम.आर.आई. का क्यों डिसकंटीन्यू किया गया। जो कंडीशंस थीं और जो 23.9.2009 में हमने इनको नोटिस देकर इनका टर्मिनेशन किया, उसमें जो हाइलाइट्स हैं, उन पाइण्ट्स को मैं अभी नजर कर देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह किसने दिया और किसकी आज्ञा से दिया?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह नोटिस हमने दिया है, डाइरेक्टर आफ मेडिकल हैल्थ फैमिली वैलफेयर...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपको मैं अवसर दूंगा सप्लीमेंट्री का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, पर मैं बोलूंगा उसके बाद में ये नहीं बोलेंगे, इसलिये पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बोलेंगे। आपके अवसर के बाद बोलेंगे।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो इनको Notice for termination of MOU dated May 23, 2008 regarding emergency response services in Rajasthan.

1. A sum of Rs. 1,43,00,000/- was unhurriedly transferred to Hydrabad in December, 2008 without approval of NRHM, Rajasthan which was not acceptable to the Govt. as intimated vide No...... जो इसका ई.एम.आर.आई. का पैसा यहां लगना था, बगैर इजाजत के उन्होंने अपनी पैरेण्ट कम्पनी को हैदराबाद में दिया। This was one of the reasons. जो हमने इसमें कहा कि उन्होंने गलत किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह किसका पैसा था?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह पैसा ई.एम.आर.आई. का पी.पी.पी. का था, जो कम्पनी ने बगैर आथोरिटी के अपने हैड-आफिस को ट्रांसफर कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह रुपया किसका था?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या चीज?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रुपया किसका था यह?

श्री अध्यक्ष: यह आप सप्लीमेंट्री पूछ रहे हो क्या? (व्यवधान) आप सप्लीमेंट्री पूछ रहे हो क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ई.एम.आर.आई. का, यह रुपया था किसका जो ट्रांसफर किया?

श्री अध्यक्ष: आप सप्लीमेंट्री पूछ रहे हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं, सवाल है, बड़ा बेसिक सवाल है।

श्री अध्यक्ष: हां, तो जवाब तो आने दो पूरा।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जवाब दे रहा हूं मैं, साहब।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो दें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो दूसरा पाइण्ट इनके लिये किया था 2. Contribution of 5% of operation cost for the period of 2008-09 was adjusted in the accounts for the month of June, 2009 and salaries of senior partners were irregularly charged to the Project. इसमें यह था कि इन्होंने जो बेसिक जो एम.ओ.यू. साइन किया था उसमें कहा था कि इनमें कंट्रीब्यूशन 5 प्रतिशत का होगा, जो इन्होंने कभी 5 प्रतिशत का किया नहीं था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और इन्होंने कर दिया?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी एक-एक करके बताउंगा। एक-एक ले लें आप। जवाब एक-एक ले लो मेरे से। आपने जो पहले पूछा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पहले कंट्रीब्यूशन इनका था और अब आपका है। दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हो।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक करोड़ 40-42 लाख रुपये एन.आर.एच.एम. का था। यह तो क्लीयर हो गया।

श्री अध्यक्ष: आप इसी में फंसे रहोगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम इसीलिये बैठे हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ये बीच में इसलिये बैठे हैं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फिर एक पाइण्ट यह था—3. Statutory Auditor pointed out the various financial irregularities during the current and final audit of 2008-09.

4. Special audit of EMRI was undertaken by the Accountant General of Rajasthan in which serious financial irregularities were noticed. जो इर्रेगुलरेटीज थीं, वे यह थीं-transparency in the purchases of ambulances, equipments and consumables. . उस एग्रीमेंट में यह था कि ई.एम.आर.आई. एम्बुलेंसेज को खरीदेगी और इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल्स को खरीदेगी। उस खरीद में इर्रेगुलेरिटीज पाकर आडिटर ने, अकाउण्टेंट जनरल ने इसमें रिपोर्ट दी थी। इस वजह से इनको टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया। आपने यह पूछा कि

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

इसके डाइरेक्टर्स या प्रमोटर्स कौन-कौन हैं? मैसर्स जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2002 में पंजीकृत एक लिमिटेड कम्पनी है जिसके निदेशकों के नाम निम्नलिखित हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इनके पिताजी समेत बताना।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह पिताजी समेत हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इनके पास दादाजी का भी रिकार्ड है क्या, ये कम्पनियों के नाम बताएंगे।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 1. मिसेज श्वेता मंगल, सी.ई.ओ. एण्ड मैनेजर, 2. श्री रवि कृष्णा, प्रमोटर-डाइरेक्टर, 3. श्री नरेश जैन, डाइरेक्टर, 4. श्री वरुण साहनी, डाइरेक्टर-रिप्रजेंटिंग एक्यूमैन फण्ड, 5. श्री सतीशन राघवन, इंडिपेंडेंट डाइरेक्टर, 6. श्री कार्ति चिदम्बरम, इंडिपेंडेंट डाइरेक्टर। ये डाइरेक्टर्स हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नरेश जैन का नाम?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बोले न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बोल दिया।

श्री अध्यक्ष: सारे बोल दिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब जिकित्जा के बारे में और मालूमात मैं आपको देना चाहता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): रवि कृष्णा सन आफ...

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह वेरियस जहां-जहां चिकित्सा सर्विस, सुनिये, एक मिनट।...(व्यवधान) जहां-जहां जिकित्जा सर्विस ने एम्बुलेंस सर्विस का टेंडर देकर और उनको आर्डर मिला है, नम्बर-वन, बिहार फेज-1, जून, 2009 में चिकित्सा सर्विस को यह मिला है कांट्रैक्ट बिहार में एट द प्राइस आफ 98,900, एक मिनट सर, 98,900, दूसरा, बिहार फेज-2, सितम्बर, 2010 में वहां इनको मिला है, स्लैबवाइज प्राइसिंग हाइएस्ट स्लैब 2000 किलोमीटर तक तो 1,14,980 रुपये में और एडिशनल 9 रुपये पर किलोमीटर इन एक्सेस आफ 2000, तीसरा, केरल में फिर इनको कांट्रैक्ट मिला मई, 2010 में फेज-1...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ जाए। आप जवाब नहीं देना चाहते।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए। प्लीज, नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब आप जवाब नहीं सुनना चाहते हो और आप ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। पहले जवाब आने दीजिए। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): हमारे स्टेट को क्या मिला? हमारे स्टेट में जो घपला हुआ है उसकी बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): आप बिहार का बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सुन लीजिए मंत्रीजी को। आप जवाब आने दीजिए मंत्रीजी का।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): आप अपने स्टेट की बात करो।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप फेवर की बात कर रहे हैं तो मैं वह बता रहा हूं फेवर की, जहां आपकी सरकारें हैं वहां इन्होंने कांट्रेक्ट लिया और हमारे से पहले लिया और बाद में भी लिया है और हमारी जो रेट है उससे ज्यादा रेट में लिया है। (व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तो आप हमारे पर क्या आरोप लगा सकते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय तिवाड़ीजी। (व्यवधान) आपके दल के उप नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल ठीक कहा माननीय मंत्री महोदय, किस-किस राज्य ने दिया है। केरल तो देता ही देता क्योंकि केरल के जो प्रेसिडेंट हैं आपके, उसका लड़का भी मैम्बर है। (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उस टाइम तो सी.पी.एम. की सरकार थी, सर। उस टाइम तो सी.पी.एम. की सरकार थी। (व्यवधान) एन.डी.ए. की सरकार थी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बैठिये। यह बताइये कि जिन दो कम्पनियों का आपने टैक्निकली अयोग्य मानकर कैंसिल किया, उनकी बिड कितने रुपये की थी, पहले तो यह बताइये? आपके पास...(व्यवधान) बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऊठ-बैठ मत कीजिए। मुझे तीन प्रश्न पूछ लेने दीजिए। (व्यवधान) ऊठ-बैठ तो करेंगे केन्द्र का नाम आते ही आपके स्वाभाविक रूप से ही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सवाल करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन मैं यह पूछ रहा हूं कि जिन दो कम्पनियों का टैक्निकली आपने बिड निरस्त किया, उनका कितना रुपया था? कास्ट क्या थी जिनके लिए कह दिया कि ये टैक्निकली अयोग्य हैं दो कम्पनियां, उन्होंने कितने रुपये की बिड दी थी, नम्बर-1 तो यह बता दीजिए?

दूसरा, ई.एम.आर.आई. का आपने कैंसिल कर दिया सो कर दिया, यह जो कम्पनी है इस कम्पनी को भुगतान केवल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पर आप दे रहे हो, यह किस वित्तीय नियमों के अन्तर्गत है? इन्होंने माल खरीदा या नहीं खरीदा, उन्होंने उपकरण खरीदे या नहीं खरीदे, इनको बिना किसी बिल के आपने उपयोगिता का उन्हीं के सर्टिफिकेट के आधार पर जो भुगतान किया है वह वित्तीय नियमों के खिलाफ है और उसमें पूरा का पूरा घोटाला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि यह जो घोटाला है, यह घोटाला उसी तर्ज का घोटाला है जिस प्रकार के एन.आर.एच.एम. का घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ ...(व्यवधान) वहां सी.बी.आई. जांच कर रही है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सवाल क्या है? भाषण है या सवाल? सवाल बताइये आपका, आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न बताइये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): 25 परसेंट राशि रोकी है। (व्यवधान) आपको पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। (व्यवधान) 25 परसेंट राशि रोकी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सवाल पूछो आप। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सवाल भ्रष्टाचार का है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, पूछ रहा हूं मैं। गुस्सा करने से इसका जवाब नहीं आएगा। गुस्ता मत करिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप सवाल तो जरूर पूछ रहे थे मगर जवाब तो पूरा सुन लिया करें। आप जवाब सुनने की भी तो ताकत रखिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले मैं पूछ तो लूं। (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने पूछा इनकी पार्शिलिटी का, मैंने आधा बतलाया उसमें तो आपने मुझे इण्टरप्ट करके मेरा यह रोक दिया। मैं आपको बतलाउं कि जितने स्टेट्स से जिकित्जा को कांट्रेक्ट मिला है, चाहे हमारे इस राजस्थान में... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक स्टेट की तुलना दूसरे स्टेट से नहीं हो सकती... (व्यवधान)...

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जवाब तो सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह तुलना नहीं होती मंत्रीजी कि कौन से स्टेट ने कितने रुपये में दिया है, वहां क्या बिड आई है, वहां की क्या परिस्थिति है, वहां की क्या लम्बाई है, उसकी तुलना राजस्थान से नहीं हो सकती। राजस्थान में पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वहां पर सारी एन.डी.ए. की सरकारें हैं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): अदर स्टेट के कम्पेरेटिव सस्ता है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह तुलना होगी। वहां पर बी.जे.पी. की सरकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। जवाब आ रहा है मंत्रीजी का, आप बैठिये। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे सवालों का जवाब दिलवाइये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तुलना होगी। हम सुनते हैं तो आप भी सुनिये। सुनना ही नहीं चाहते हैं। तुलना के साथ ही तो बिड खुलता है। क्या बगैर तुलना के ही हम बिड खोल देंगे और दे देंगे? तुलना तो करेंगे ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह कह रहे हैं कि ... (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राजस्थान में ही नहीं, हमने ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तुलना केवल उसी से होगी कि राजस्थान में पहले जो कम्पनी काम कर रही थी, वह कितने रुपये में कर रही थी और आज अब कितने रुपये में दिया है? (व्यवधान)... राजस्थान में पहले जो कम्पनी काम कर रही थी...(व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जहां पर अदर स्टेट से उन्होंने किया है...(व्यवधान) चाहे जनता दल और बी.जे.पी. की सरकार है वहां बिहार में...(व्यवधान) 98,900 में दिया है। आपकी सरकार पंजाब में है, पंजाब में आपने 1,18,090 में दिया है। जहां आपकी बी.जे.पी. की सरकारें हैं वहां पर दिया है...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) हमने दिया है...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): अदर स्टेट से कम्पेरिजन होगा।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कोई अच्छी चीज है क्या? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल बताइये, हमारे सप्लीमेंट्री का जवाब ही नहीं है यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कम्पेयर होगा। कम्पेरिजन के बाद ही यह होगा कि यह सही कम्पेरिजन है या गलत कम्पेरिजन है। इसके बगैर कैसे होगा? तिवाड़ीजी ने जो सवाल पूछा है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप जवाब तो सुन लीजिए।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप जवाब तो सुन लीजिए पूरा। जो रिजैक्ट हो गये हैं, जो टैक्निकली रिजैक्ट हो गये हैं उनका फाइनेंशियल नहीं खुलता। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह बताइये कि आपने टैक्निकली बिड को खारिज क्यों किया?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जिनका टैक्निकली पाइंट से रिजैक्ट हो गया है उनका फाइनेंशियल बिड नहीं खुलता, इस वजह से हमने नियम कानून से...(व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): राजस्थान में किसको दिया इन्होंने? पहले वाली कम्पनी किस रेट से काम कर रही थी, अब यह किस रेट पर काम कर रही है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। 25 मिनट हो गये एक सवाल में।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): मेरा एक ही सप्लीमेंट्री है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक सवाल में, माननीय सदस्य, 25 मिनट लग गये हैं, और भी बहुत से महत्वपूर्ण सवाल बाकी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह कहा कि यह जो मैंने प्रश्न पूछा था कि जिनको टैक्निकली रिजैक्ट कर दिया, उन कम्पनियों की बिड क्या थी, यह इनको पता नहीं है और इनका कम था, एक। दूसरा ... (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह तो रूल है कि ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): टैक्निकली रिजैक्ट हो जाता है उनकी फाइनेंशिल बिड नहीं खुलती।(व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मंत्री रह चुके हो। टैक्निकली बिड रिजैक्ट हो जाता है उनकी ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो पहले काम कर रही थी उस कम्पनी की तुलना नई बिड से की जाएगी ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं। (व्यवधान) उस कम्पनी की तुलना में बिड तो की जाएगी ... (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वहां पर ज्यादा पैसा दिया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। माननीय मंत्रीजी। स्वास्थ्य मंत्रीजी, बैठिये। चर्चा समाप्त करें। श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री गुलाब चन्द कटारिया। अगला प्रश्न श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के साथ ... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री किरीट सोमय्या को नोटिस दे दिया गया है, अभी-अभी समाचार-पत्रों में जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के किरीट सोमय्या को नोटिस दे दिया गया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसके खिलाफ हम बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

महिला सशक्तिकरण एवं भामाशाह योजना के संचालन हेतु निर्णय

2. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 में महिला सशक्तिकरण एवं भामाशाह योजना लागू कर सरकार ने पचास लाख में से करीब 11 लाख बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर प्रत्येक के खाते में 15000 रुपये की राशि जमा करवाई थी? यदि हां, तो क्या वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य की बी.पी.एल. 11 लाख महिलाएं सरकार की उदासीनता के कारण बैंक से अपना ही जमा पैसा नहीं निकाल पा रही हैं? क्या उक्त खातों में दो साल से कोई लेने-देन नहीं होने से परेशान बैंकों ने सरकार से इस बारे में शीघ्र ही फैसला लेने का आग्रह किया है? यदि हां, तो तीन वर्ष गुजर जाने के बाद भी सरकार द्वारा फैसला नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप बैठिये।

मानसी वाकल परियोजना का सर्वे

3. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के पश्चिम में स्थित अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी ढाल क्षेत्र (कैचमेंट) का पानी मानसी वाकल के माध्यम से साबरमती नदी से होता हुआ समुद्र में प्रवाहित होता है? यदि हां, तो इन पहाड़ियों से निकलने वाला कितना एम.सी. एफटी. पानी प्रति वर्ष बहकर साबरमती में जाता है?

(2) क्या उक्त पानी का उपयोग उदयपुर की झीलों को भरे रखने एवं उदयपुर तथा चित्तौड़ क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए देवास योजना के I, II, III एवं IV चरण का सर्वेक्षण होकर स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो प्रथम एवं द्वितीय चरण में कितना पानी उदयपुर की ओर प्रवाहित हो सकेगा और उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा तथा इस पर कितना व्यय होगा?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या देवास स्थित III एवं IV चरण में भी 1000 एम.सी.एफटी. से भी अधिक पानी उदयपुर की ओर प्रवाहित करने के लिए III एवं IV चरण का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

(4) क्या देवास I, II, III एवं IV सब में मिलाकर 1500 एम.सी.एफटी. पानी ग्रेविटी से टनल के माध्यम से उदयपुर की ओर प्रवाहित करने की योजना बनी थी? क्या एक बार राशि व्यय होने के बाद वर्षों तक इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता होने की सम्भावना है?

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम): (1) जी हां। पूर्व में रिवर गेजिंग की व्यवस्था नहीं थी इसलिए कितना पानी बहकर गया, इसका आकलन उपलब्ध नहीं है। पहली बार वर्ष, 2011 में गेज लगाई गई व लगभग 20772 एफ.सी.एफटी. पानी साबरमती नदी में गया है लेकिन प्रति वर्ष बहकर जाने वाले पानी की मात्रा वर्षा पर निर्भर करती है।

(2) जी नहीं। लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना (पूर्व नाम देवास) के प्रथम व द्वितीय चरण की ही स्वीकृति दी गई है। प्रथम चरण में 126 एम.सी.एफटी. पानी प्रवाहित होगा। यह बांध पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण में 549 एम.सी.एफटी. पानी प्रवाहित होगा। यह कार्य प्रगति पर है व सितम्बर, 2012 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। श्री मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना (पूर्व नाम देवास) के तृतीय एवं चतुर्थ चरण को प्रारम्भ करने के लिए राज्य में विभिन्न बेसिनों में जल की उपलब्धता का अध्ययन प्रगति पर है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आर्थिक/तकनीकी फिजीबिलिटी के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

(4) जी नहीं। श्री मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना (पूर्व नाम देवास) के तृतीय एवं चतुर्थ चरण को प्रारम्भ करने के लिए राज्य में विभिन्न बेसिनों में जल की उपलब्धता का अध्ययन प्रगति पर है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आर्थिक फिजीबिलिटी के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाह रहा हूं, आपके ही दो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जवाब मेरे पास हैं। मैंने पूछा था, क्या देवास फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड एण्ड फोर्थ में सब मिलाकर 1500 एम.सी.एफटी. पानी ग्रेविटी से टनल के माध्यम से उदयपुर की ओर प्रवाहित करने की योजना बनी थी? आप जवाब दे रहे हो, जी नहीं। अब 16.4.10 को जो जवाब इसी हाउस में मैंने लिया, उसमें लिखा है, जी हां। देवास सैकण्ड परियोजना सरस्वती-साबरमती बेसिन का पानी ग्रेविटी से उदयपुर की पिछोला एवं फतेहसागर में लाने की बनाई गई। इस योजना में उदयपुर की झीलों में 550 एम.सी.एफटी. पानी का अपवर्तन हो जाएगा। विचाराधीन देवास थर्ड एवं चतुर्थ परियोजना में कुल 1000 मिलियन घन फुट पानी प्रति वर्ष ग्रेविटी से उदयपुर की झीलों में अपरावर्तित करना प्रस्तावित है। अब यह जवाब सही है या 16.4.10 को आपके विभाग ने जो जवाब दिया है, वह सही है? थोड़ा-सा इसको ठीक तरह से देख लेना। आपने इसमें जवाब दिया है, नहीं, कोई सर्वे नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि देवास थर्ड का सर्वे जो उस समय प्लान बनाया था, सुखाड़िया जी के मुख्य मंत्री काल में चारों स्टेजों की योजना बनाई थी और चारों स्टेजों से लगभग 2000 एम.सी.एफटी. पानी इन चार योजनाओं से आना था। एक उनके कार्यकाल में पूरी हुई। दूसरी वसुन्धराजी ने स्वीकृत की, जो आपके कार्यकाल में अभी चल रही है। सितम्बर में जिसको आप पूरा कर रहे हो, जिससे 500 एम.सी.एफटी. पानी आएगा। थर्ड का सर्वे हुआ है वह आपके रिकार्ड से ही बता रहा हूं। इस परियोजना का सर्वेक्षण 1968-70 में किया गया था। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। परियोजना की हाइड्रोलोजिकल वर्ष 2006-07 में मुख्य अभियन्ता आई डी एण्ड आर जयपुर के द्वारा स्वीकृत की गयी परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण, यह सब आपका ही जवाब है। स्वीकृति अतिरिक्त शासन सचिव एवं मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक CEWR/TA(WR) 656 चार देवास सैकण्ड 720 दिनांक 12.9.2008 को जारी की गयी, लेकिन तखमीना कंसल्टेंट प्राप्त नहीं होने से विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया। इसका मतलब आपने आदेश दिया और कार्य प्रारम्भ हुआ और जब प्रारम्भिक योजना बनी थी 68-69 में, उस समय इन चारों योजनाओं का सर्वेक्षण होकर पहले स्टेज से 120 एम.सी.एफटी. पानी आएगा, दूसरे सर्वे से 495 एम.सी.एफटी. पानी आएगा, थर्ड स्टेज से 500 एम.सी.एफटी. पानी आएगा और चतुर्थ स्टेज से 500 एम.सी.एफटी. पानी आएगा, यह पूरा का पूरा डिटेल सर्वे आपके स्वयं के इस जवाब में है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मुझे एक बात और बता दीजिये, आज की तारीख में उदयपुर के प्रति दिन के लिये आपको कितने एम एल डी पानी की आवश्यकता है, आप कितने एम एल डी पानी की पूर्ति कर रहे हो? और जो सैकण्ड स्टेज बताया उसके पीछे 104 गांव और जोड़े पीने के पानी के लिये वल्लभनगर, मानसी वाकल और गिर्वा के कुछ गांव, उन सबको मिलाकर आज की आवश्यकता कितनी है? इसके हिसाब से वर्ष भर में कितने एम.सी.एफटी. पानी की आवश्यकता है? आज की तारीख में भी जिस सोर्स से आप यह पानी ला रहे हो, कृपा करके आप थोड़ा-सा अपने डिपार्टमेंट को भी टटोलो और पूछो कि आज की तारीख में पिछोला झील से आप 10 एम एल डी पानी रोजाना उठा रहे हो, फतेह सागर से आप 13.5 उठा रहे हो, जयसमन्द से 2 एम एल डी उठा रहे हो, बड़ी तालाब से आप 3 एम एल डी उठा रहे हो, मानसी वाकल स्टेज फर्स्ट से आप 25.2 एम एल डी उठा रहे हो और ट्यूबवैल, बावड़ियां, झामरकोटड़ा माइन्स, इन सबसे मिलाकर आप केवल 82.7 एम एल डी प्रति दिन की आवश्यकता ही पूर्ति कर रहे हो जबकि आवश्यकता है आज की तारीख में 96 एम एल डी प्रति दिन की। इसके हिसाब से आपको 34.67 एम एल डी मिलियन क्यूबिक पानी की आवश्यकता है जिसकी जगह आप 30 की पूर्ति कर रहे हो। आज शार्टेज है। आप जिस तरह से बात कर रहे हो, वास्तव में यह जो पानी ग्रेविटी से आ रहा है, मैं सोचता हूं, आप दो ही चीजों का जवाब दे दें। आपका यह पहले का जवाब सही है या आपका यह जवाब सही है? दोनों में से कौनसा सही है, एक तो यह बता दें? दूसरा, आज उदयपुर की प्रति दिन की आवश्यकता कितने पानी की है, वर्ष में कितना चाहिये और 2012 में आज की तारीख में शार्टेज कितनी है? यह थर्ड और फोर्थ बनती है तो कितने पानी की पूर्ति आप इससे कर पाते हो, इतना ही बता दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, देवास योजना के चार चरण हैं। द्वितीय चरण का काम सितम्बर, 2012 में पूरा किये जाने की संभावना है, कार्य प्रगति पर है। द्वितीय चरण की जो स्वीकृति आपके शासन के समय की बता रहे हैं, आपने 2004-05 में इसकी स्वीकृति जारी की थी, लेकिन उस समय आपने इसके ऊपर नगण्य बजट उपलब्ध करवाया, जिसकी वजह से इस पर काम नहीं हो पाया। हमारे समय में जो बजट उपलब्ध हुआ, उसके मैं आपको आंकड़े दे दूं कि हमारे टाइम में कितना बजट उपलब्ध हुआ और आपके टाइम में कितना बजट उपलब्ध हुआ था। आपका बताऊं, 2006-07 में

(श्री हेमाराम चौधरी)

7 करोड़ 66 लाख रुपये का बजट दिया और 2007-08 में 10 करोड़ 80 लाख दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने खुद स्वीकार किया कि सितम्बर, 2012 में सैकण्ड फेज, जो हमने प्रारम्भ किया वह आपके कार्यकाल में चलते हुए समाप्त होकर पूरा हो जाएगा। मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने कौनसी ना की है। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है जिसमें 1000 एम.सी.एफटी. पानी साबरमती में, आपके जवाब में आया है कि इस साल 2011-12 में ही 20,772 एम.सी.एफटी. पानी बहकर साबरमती में गया। उसमें से हम केवल इन चार योजनाओं से टैप कर रहे हैं 1600 एम.सी.एफटी. पानी मात्र और नीचे का जो मानसी वाकल है, वह कर रहा है और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, वह कर रहा है। 20 हजार एम.सी.एफटी. पानी जो बहकर जा रहा है, उसके डायवर्शन की योजना 1968-69 में सुखाड़िया जी ने बनाई। मैं धन्यवाद देता हूं कि सुखाड़िया के नाम से आपने इस प्रोजेक्ट को रखा। मैं समझता हूं कि जिस आदमी ने इतना फोरसाइट रखकर 1968-69 में इस योजना को बनाया, आप उसका थर्ड और फोर्थ फेज चालू करिये क्योंकि पानी साबरमती में वेस्ट जा रहा है। आप जो जयसमन्द से पानी लिफ्ट कर रहे हो, आप मानसी वाकल से जो पानी लिफ्ट कर रहे हो, उस पर प्रति माह बिजली का खर्चा 5 करोड़ रुपये आता है, साल का 60 करोड़ रुपये और मेंटिनेंस और स्टाफ का खर्चा अलग है। यह पानी ग्रेविटी से आ रहा है। सारा मिलकर इस पर 800-900 करोड़ रुपये खर्चा है। तो हम पानी जो वेस्ट जा रहा है, इसका डायवर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें लिफ्ट की जरूरत नहीं है। पानी बहकर टनल के माध्यम से आ रहा है और जो टनल अभी बन रही है, वह थर्ड और फोर्थ का पानी लाने की क्षमता रखती है। उसी हिसाब से उसको इतनी मंहगी बनाया। मैं सोचता हूं, मुख्य मंत्रीजी, पानी की एक-एक बूंद की लड़ाई हो रही है और उदयपुर डिवीजन केवल अकेला इस पानी के कारण से कम से कम पीने के पानी के लिये आने वाले 10 वर्षों में प्यासा नहीं मरेगा। उसमें उदयपुर भी आ गया, चित्तौड़ भी आ गया। यहां तक आपका .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इस पानी को डायवर्ट कर सकते हो। इस पर मत अड़िये, इसको टैक्निकली दिखवाइये सही दृष्टि से। पानी वेस्ट जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि देवास परियोजना हमारी टाप प्रायोरिटी पर है। जब से नई सरकार बनी थी, तब से ही आपकी जानकारी में है कि हमने बजट का प्रावधान अलग से किया। एक्स्ट्रा किया, उसको बढ़ाया। मैं खुद जाकर विजिट करके आया हूं, टनल देखकर आया हूं, काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। आगे भी इसको प्रायोरिटी पर रखेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। आपको केवल एक सप्लीमेंट्री के लिये अलाउ कर रहा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें जवाब दिया और कहा कि हम लोग इसको दिखवाएंगे। मैं उन्हीं से यह कहूंगी कि निश्चित रूप से दिखवाएं, लेकिन जो जवाब आपके यहां से आया है, उस जवाब में कहा है कि थर्ड और फोर्थ फेज का कोई सर्वे नहीं हुआ है, जबकि राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के अभियन्ताओं ने देवास-मानसी वाकल परियोजना परियोजना से थर्ड एवं चतुर्थ चरण में राजसमन्द झील में जलप्रवाह के संबंध में प्रतिवेदन आलरेडी दिया हुआ है। इसी संदर्भ में मैंने भी आपके केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री हैं पवन कुमार बंसलजी, उनको भी पत्र लिखा था कि इसका सर्वे होना चाहिये और उन्होंने भी जवाब दिया कि राजस्थान की राजसमन्द झील में साबरमती बेसिन के अधिशेष जल को लाने के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने एवं सर्वेक्षण स्वीकृत कराने के संबंध में कार्य....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है? भाषण नहीं, प्रश्न क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं पहले तो उनको यह नोटिस में डाल रही हूं कि इन्होंने जो जवाब दिया। प्रश्न मैं पूछना चाह रही हूं कि जो जवाब इन्होंने दिया कि हमने कोई सर्वे नहीं किया, यह गलत है। सर्वे चल रहा है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार परियोजना के थर्ड एवं चतुर्थ श्रेणी में साबरमती बेसिन के अधिशेष जल को राजसमन्द झील में प्रवाहित करने के लिये कोई सर्वेक्षण का कार्य कर रही है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री हेमाराम चौधरी (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नदी के बेसिनों में पानी की उपलब्धता का आकलन करने हेतु मैसर्स तहल कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, इजरायल को यह कार्य

(श्री हेमाराम चौधरी)

जनवरी, 2011 में सौंपा गया है जिसमें साबरमती बेसिन भी शामिल है जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 2013 में प्राप्त होना संभावित है, उसके आधार पर साबरमती बेसिन में जल की उपलब्धता का आकलन किया जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना तृतीय व चतुर्थ पर जल की सही उपलब्धता के आकलन हेतु वर्ष 2010 में मापक यंत्र स्थापित किये गये। वर्ष 2011 में मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन योजना तृतीय एवं चतुर्थ की साइट पर गेजिंग की गयी जिसके अनुसार 4769.28 एम सी एफटी यानी 135.61 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बहकर गया। मैसर्स तहल कन्सल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, इजरायल से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट एवं जल मापक यंत्र से प्राप्त जल की वास्तविक उपलब्धता के आंकड़ों के आधार पर परियोजना रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डा. दिगम्बर सिंह।

राजस्थान शहरी आधारभूत परियोजनान्तर्गत भरतपुर शहर के लम्बित कार्य

4. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षो में भरतपुर शहर में राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के तहत दूसरे चरण में कौन-कौन से कार्य करवाये गये और उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, 2012 में उक्त परियोजना के तहत किये जाने वाले दूसरे चरण के कार्यो में देरी के लिए सरकार द्वारा बैठक आयोजित की गई थी? यदि हां, तो उसके बाद से अब तक क्या-क्या प्रगति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना के तहत तीसरे चरण में किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाये जाएंगे तथा उक्त कार्य कब से प्रारम्भ होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त परियोजना के दूसरे चरण में भरतपुर शहर के लम्बित कार्य कब तक करवा दिये जाएंगे?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) भरतपुर शहर में राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के तहत दूसरे चरण में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, अग्निशमन तथा ठोस कचरा प्रबन्धन के

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

उपकरण से संबंधित 99.88 करोड़ के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिनके विरुद्ध 26.43 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। दूसरे चरण के कार्यो को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर समय-समय पर मानिटरिंग की जाती है। स्वायत्त शासन विभाग के सर्वोच्च स्तर पर 19 मई, 2011 को बैठक ली गई थी। इसमें प्रगतिरत कार्यों में से 19 कार्यों को विशेष रूप से मानिटरिंग में शामिल किया गया था। इसके पश्चात् शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा विभाग एवं कार्य करने वाली एजेन्सियों के साथ जनवरी, 2012 में बैठक आयोजित की गई है। इन बैठकों में कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित कार्यकारी एजेन्सी एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अधिशासी अभियन्ता को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। मई, 2011 में ली गई बैठक में शामिल कार्यों तथा भरतपुर के समस्त कार्यों की प्रगति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त परियोजना के तहत तीसरे चरण के प्रस्ताव पर आर्थिक मामलात विभाग, भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा एडीबी से प्रोजैक्ट लोन के रूप में 250 यू एस मिलियन डालर के ऋण और 110 यू एस मिलियन डालने के राज्य हिस्से के साथ कुल 360 यू एस मिलियन डालर की परियोजना हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। परियोजना के तहत ऋण को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न औपचारिकताएं एडीबी, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा की जानी हैं, जो की जा रही हैं। परियोजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले शहरों के चयन, शहरों में कराये जाने वाले कार्यो एवं उन पर खर्च होने वाली राशि का निर्धारण करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(4) एडीबी की ऋण शर्तो के अनुसार इस परियोजना के दूसरे चरण में वर्तमान में चल रहे कार्यों में से ट्रांच-2 के कार्य जून, 2014 तक पूर्ण किये जाने हैं। फायर स्टेशन एवं सीवरेज नैटवर्क का कार्य ट्रांच-3 का है। ट्रांच-3 के समस्त कार्य जून, 2015 तक पूर्ण किये जाने हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने भरतपुर शहर में जो काम चल रहे हैं आर यू आई डी पी के यथा-

(डा. दिगम्बर सिंह)

पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, अग्निशमन और ठोस कचरा प्रबन्धन के बारे में बताया। उसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि इन कामों की स्वीकृति किस किस तारीख को जारी हुई और उसके बाद वर्क आर्डर कब-कब दिया गया? वर्क आर्डर देने के बाद आज तक कितनी प्रोग्रेस इन कामों में हुई है? नम्बर दो, जो काम ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के आपने दिये हैं भरतपुर में, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजैक्ट, धौलपुर का बहुत दिन से काम चल रहा था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय विराजमान हैं, जब पहले आपकी सरकार थी, तब आपने इसको लांच किया था। माननीय मंत्रीजी भी विराजे हुए हैं, ये भरतपुर के रिश्तेदार हैं, पर हमारी तरफ ध्यान बहुत कम है। अगर टाइमली भरतपुर शहर के अन्दर पेयजल का काम शुरू हो जाता तो चम्बल का पानी जो आज घना के लिए हम दे रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं, उद्घाटन किया गया, कांग्रेस के काफी लीडर्स गये थे, वह पानी घना के लिए नहीं था, बेसिकली वह पानी पीने के लिए था जो कि भरतपुर शहर, कुम्हेर और डीग तक जाना था। दोनों प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं लेकिन सामंजस्य नहीं होने के कारण से आज यह समस्या आयी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि भरतपुर शहर में वाटर सप्लाई का काम कब तक पूरा हो जाएगा और चम्बल का पानी भरतपुर को कब तक मिलेगा? माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इन तीन सालों के अन्दर भरतपुर का दुर्भाग्य रहा है, थोड़ी बहुत हमने सड़कें बनवायी थीं जिनको कभी सीवरेज वाले और कभी वाटर सप्लाई वाले खोद जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मेरा प्रश्न यह है कि क्या दोनों प्रोजेक्ट्स में कोआर्डिनेशन नहीं हो सकता? जब सीवरेज के लिए सड़क खोदी जा रही है तो क्या उसी समय पाइप लाइन नहीं डाली जा सकती? दोनों काम वहां पर एक साथ चल रहे हैं, एक तरफ से पाइप लाइन वाले खोद देते हैं और दूसरी तरफ सीवरेज वाले खोद देते हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया। जबाव आने दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या इन दोनों का सामंजस्य नहीं हो सकता?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जबाव दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय डाक्टर साहब ने पूछा है कि स्वीकृति कब जारी की

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

गयी और वर्क आर्डर कब किया और अब क्या पोजीशन है। पहला सवाल तो आपका यह है। दूसरा सवाल आपका है कि ड्रेनेज और पेयजल की बाबत् जानकारी दीजिए। तीसरा सवाल आपका यह है कि जब सीवरेज खुद रही है तो पेयजल की पाइप लाइन हाथों हाथ क्यों नहीं डाली जा रही।

पहला तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सात कामों की जो स्वीकृतियां जारी हुई हैं, पहले सात काम गिना दूं। पहला ड्रेनेज है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जबाव आने दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके पास तो सारा ही है। सूचना तो सारी है आपके पास। 28.11.2009 को ड्रेनेज का वर्क आर्डर जारी किया गया और 17.11.2011 इसकी कमप्लीशन की तारीख तय की गई थी। इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें सात माह की डिले होगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सैंक्शन कब हुई?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने बताया न आपको, 28.11.2009 को वर्क आर्डर हुआ है। उससे पहले सैंक्शन हुआ था।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सैंक्शन और वर्क आर्डर में कितना अन्तराल है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ज्यादा फर्क नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): डेट आफ सैंक्शन और डेट आफ वर्क आर्डर के बीच का समय देखें आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ज्यादा फर्क नहीं है। दो-ढाई महीने का फर्क है। पेयजल के प्रथम पैकेज का वर्क आर्डर 25.03.2010 को दिया गया और 24.03.2012 इसका कम्प्लीशन है। इसमें नौ महीने की डिले होगी। तीसरा है पेयजल का तृतीय पैकेज, इसका वर्क आर्डर 09.04.2011 को दिया गया और इसका कम्प्लीशन 08.04.2013 है। इसमें कोई डिले नहीं होने वाली है। चौथा सीवरेज का है, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। सीवरेज की डिटेल है मेरे पास। अग्निशमन का वर्क आर्डर 01.04.2011 को दिया गया और उसका कम्प्लीशन 31.03.2012 है। इसमें सिर्फ तीन माह की डिले होगी। ठोस कचरा प्रबन्ध का वर्क आर्डर 28.12.2010

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

को दिया गया और 27.07.2012 इसकी कम्प्लीशन है जिसमें कोई डिले नहीं होने वाली है। आखिरी है अग्निशमन उपकरण का इसमें कोई डिले नहीं होने वाली है।

जहां तक सीवरेज का सवाल है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पहली बात तो सुजानगंगा की बात है। देखिये, इस सुजानगंगा की योजना के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत इसमें कन्सल्टेंट से डी.पी.आर. बनाने की बात थी। उसमें 17.48 करोड़ रुपये कन्सल्टेंट को पेमेंट किया गया, डी.पी.आर. बनी 149 करोड़ रुपये की। उसमें जो ड्राफ्ट रिपोर्ट कन्सल्टेंट द्वारा प्रस्तुत की गयी है उसको अनुमोदन के लिए 10.1.12 को स्वीकृत करके, एप्रेजल करके आई.आई.टी. रुड़की को भेज दिया गया है। रुड़की की एप्रेजल के उपरान्त यह डी.पी.आर. अनुमोदन के लिए एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार को भेजी जाएगी। वहां से यह मंजूर होने के बाद है, एक बात।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपने सुजानगंगा की बात कही, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुजानगंगा का प्रपोजल बहुत बड़ा है, आपने सही किया, कन्सल्टेंट इसमें अपाइन्ट किया, उसको पेमेंट किया और उसमें प्रोजेक्ट जो भी बनाया। पर इस प्रोजेक्ट से पहले जो काम सुजानगंगा के अन्दर राज्य सरकार ने करवाया, सुजानगंगा के सारे पानी को खाली करा दिया डीसिल्टिंग करने के लिए और पूरी की पूरी सड़क में दरार आ गयी, मकानों में दरार आ गयी। भरतपुर शहर के जितने भी सुजानगंगा के किनारे मकान बने हुए हैं, वो जमीन बैठ गयी।

श्री अध्यक्ष: सवाल, सवाल।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): तो मेरा निवेदन है कि बिना एडवाइस के, बिना कन्सल्टेंट के इसमें इतनी फुर्ती दिखाने की कहां जरूरत है? इसमें हमने करोड़ों रुपया डीसिल्टिंग में लगा दिया जिसका धेला भर फायदा आज लोगों को नहीं हुआ, फिर भी वहां देने जा रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं निवेदन करूं, इन कामों के अलावा तीन काम और लिये गये हैं और खास तौर पर एक काम तो आप ही के कहने से लिया गया है सर्कुलर रोड का, रिंग रोड जिसको कहते हैं आप। उनके बजाय मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के मामले में सोच-समझकर बोलना चाहिए, आप फंस जाते हो भरतपुर में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रोजेक्ट था, जो ए.डी.बी. का सैकिण्ड फेज आया, यह ओरिजिनल 1560 करोड़ रुपये का था। उस वक्त डालर की कीमत 40 रुपये के आसपास हुआ करती थी, आज इसकी कीमत 50 रुपये के ऊपर हो गयी। इससे यह प्रोजेक्ट बढ़कर 1883 करोड़ रुपये का हो गया। जो सेविंग हुई, सेविंग में हमने तीन काम भरतपुर के और मंजूर किये, एक आपका सर्कुलर रोड का किया। सर्कुलर रोड का 42 करोड़ और 20 लाख रुपये का काम मंजूर किया गया। भरतपुर-मथुरा रोड पर ब्रिज के पुनर्निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपया मंजूर किया गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट के लिए 15.23 करोड़ रुपये और मंजूर किये गये। ये सब आप ही की वजह से किये गये।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): धन्यवाद तो दो।

श्री अध्यक्ष: चलिये, अगला प्रश्न।

डा. रघु शर्मा (सरकारी मुख्य सचेतक): धन्यवाद तो दो। (व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। अब अगला प्रश्न बोल लिया है मैंने। विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हो गया?

श्री अध्यक्ष: हां। श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली जिले में बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

5. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) जिला पाली में वर्ष 2006 से कितने बाल श्रमिक विद्यालय हैं? वर्षवार प्राप्त स्वीकृति एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों को मानदेय का भुगतान किया जाना शेष है? यदि हां, तो किस-किस बाल श्रमिक को कितनी-कितनी अवधि का कितनी-कितनी राशि का किन-किन कारणों से किया जाना शेष है एवं उनके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार हैं और सरकार ने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या यह भी सही है कि बाल श्रमिक विद्यालय संचालित करने वाली संस्थाओं को भुगतान किया जाना शेष है? यदि हां, तो इनका भुगतान कितनी अवधि में कर दिया जाएगा?

(4) बाल श्रमिक विद्यालय एवं बाल श्रमिक परियोजना हेतु अब तक पाली जिले के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं इनमें से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में कब-कब व्यय की गयी है? वर्षवार प्राप्त स्वीकृति एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त जिले में पुनः बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु चयन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उनके चयन एवं विद्यालय संचालन में किन-किन कारणों से विलम्ब हो रहा है और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार हैं तथा सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

(6) क्या सरकार उक्त जिले में अब भी हजारों की संख्या में मौजूद बाल श्रमिकों का सर्वे करा उनका चयन कर उनकी शिक्षा एवं उनके कल्याण हेतु कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या योजनाएं और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री मांगीलाल गरासिया) : (1) पाली जिले में वर्ष 2006 से राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के तहत 17 विशेष विद्यालयों का संचालन निर्धारित 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। उक्त विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत 850 बाल श्रमिकों को पांचवीं कक्षा तक शैक्षणिक योग्यता प्रदान कर, उनमें से 764 बच्चों को अन्य विद्यालयों में प्रवेश दिया जाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया।

(2) जी हां। उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को अगस्त, 2007 से जून, 2009 तक की अवधि का मानदेय रु. 100/- प्रति माह प्रति बालक

(श्री मांगीलाल गरासिया)

के अनुसार भुगतान किया जाना शेष है। उक्त भुगतान श्रम मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण बकाया है। उक्त भुगतान को प्राप्त किये जाने हेतु परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, पाली एवं श्रीमान जिला कलक्टर, पाली के स्तर से पत्रों के माध्यम से एवं व्यक्तिगत रूप से निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। बाल श्रमिक विद्यालयों को संचालित करने वाली संस्थाओं का जनवरी, 2008 से जून, 2009 तक की अवधि का भुगतान किया जाना बाकी है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार से भुगतान प्राप्त होने पर संस्थाओं का उक्त भुगतान कर दिया जाएगा।

(4) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि एवं मदवार व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

	स्वीकृत राशि	**वर्ष**	**व्यय राशि**	**वर्ष**	**मद**
विद्यालय संचालन हेतु	5243800	2006-07	4177475	2007-08	अनुदान राशि
	300000	2009-10	810000	2008-09	स्टाइपण्ड
योग	**5543800**				
परियोजना संचालन हेतु	592000	2005-06	70362 152061 143378 93553 51900 72196	2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	
योग	**592000**		**583450**		

(5) जी हां। जिले में बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु जोखिमपूर्ण व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में पुनः सर्वे कार्य करवा लिया गया है तथा उक्त सर्वे

(श्री मांगीलाल गरासिया)

के सत्यापन की कार्यवाही जारी है। उक्त सर्वे के सत्यापन के उपरान्त विद्यालयों को प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाएगी।

(6) जिले में जोखिमपूर्ण व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बाल श्रमिकों का सर्वे कार्य करवा लिया गया है। उक्त सर्वे के सत्यापन की कार्यवाही जारी है। सर्वे सत्यापन के उपरान्त विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के जरिये बाल श्रमिक के शिक्षण एवं पुनर्वास की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के खण्ड एक में स्पष्ट पूछा है कि किस-किस ने बाल श्रमिक को आगामी शिक्षा हेतु अन्य विद्यालयों में भर्ती करवाया और किस को?

माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है 764 बच्चे, मैंने किस-किस का पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि मात्र 17 बच्चे जो बाल श्रमिक विद्यालय में पढ़े, उसके बाद में अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, बाकी वापस बाल श्रमिक के कार्य में लग गये हैं। तो, माननीय मंत्री महोदय, आप मुझे सूची दे दें कि कौन-कौनसा बाल श्रमिक किस-किस विद्यालय में भर्ती करवाया गया और वो अभी पढ़ रहा है?

खण्ड दो में माननीय मंत्रीजी ने यह लिख दिया कि हमने भारत सरकार को लिख दिया है, तो कौन-कौन से अधिकारी ने भारत सरकार को कब -कब पत्र दिया और भारत सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया, माननीय मंत्री महोदय मुझे यह बता दें।

और खण्ड पांच और छह में इन्होंने कहा है कि नये श्रमिक विद्यालय चलाने की स्वीकृति मिल गयी, सर्वे करवा दिया और सत्यापन कराना बाकी है, तो यह सत्यापन आप कब करवा दोगे और कब तक ये नये स्वीकृत बाल श्रमिक विद्यालय चालू हो जाएंगे? माननीय मंत्री महोदय, इन तीन सवालों का जवाब दे दें मुझे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में विद्यालय एवं संस्थाओं का विवरण जिस तरह से है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा। आपने यह बताने का किया कि कौन-कौन से शिक्षण संस्थान के रूप में कितने बालकों का मामला है, मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आपने यह बताने का किया कि यहां

(श्री मांगीलाल गरासिया)

पर अध्ययनरत जो 850 बाल श्रमिक पांचवीं कक्षा में शैक्षणिक योग्यता प्रदान कर उनमें से 764 बच्चों को अन्य विद्यालयों में प्रवेश कराने का काम किया। दूसरा जो, माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट पूछा है, किस-किस बाल श्रमिक को आपने भर्ती करवाया? मुझे तो आप मेहरबानी करके वो सूची दे दो, बाकी सारी पोल खुल जाएगी आपके विद्यालयों की। इन विद्यालयों में कुछ नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: इनको बोलने दीजिए, समय समाप्त होने जा रहा है।

(12.00 बजे)

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, 86 बालक किसी कारण से उनका यह था कि मां-बाप उनके पलायन कर गये और दूसरी जगह जाने के बाद 86 का मामला जिस तरह से था, आपको पूरी लिस्ट पढ़कर सुनाई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नरवर केसरी शिक्षण संस्था, सादड़ी और नवीन बाल शिक्षण संस्था, पीपाड़सर, जैतारण और पीपलिया खुर्द और नरवर केसरी शिक्षण संस्था, सादड़ी, खोड और रेवंटियों का झूंपा, सादड़ी और माध्यमिक शिक्षण संस्था जोधपुर, चित्तौड़ और डीपावास में भी भूमि विकास समिति जोधपुर, रायपुर और पीपलियां कलां-यह पूरी लिस्ट पढ़कर सुना दी, अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से इन बाल श्रमिकों का नाम जानना चाहा कि कौन-कौन से बाल श्रमिकों को आगामी शिक्षा हेतु अन्यत्र विद्यालय में भर्ती किया गया। माननीय मंत्री महोदय, आप मुझे वह सूची उपलब्ध करा दें, बस। माननीय मंत्री महोदय, आप मुझे वह सूची उपलब्ध करा दें 784 बच्चों की।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह शिक्षण संस्थान कि इस तरह से है, अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो सूची अवेलेबल करा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। समय समाप्त हो गया। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूची आपसे मांगी है वह आप इनको उपलब्ध आज ही करवा देंगे सदन में।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल अधूरा रह गया।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो गयी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): या तो सवाल स्थगित करो।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। आपको सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है आसन की तरफ से ...(व्यवधान) चर्चा समाप्त। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

अनुपस्थिति अनुमति

महिपाल मदेरणा, श्री, को 27 फरवरी, 2012 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री महीपाल मदेरणा, सदस्य, विधान सभा ने न्यायिक अभिरक्षा में होने के फलस्वरूप दिनांक 27 फरवरी, 2012 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अगर अनुमति नहीं दें तो आप बुलवा सकते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया तो पूरी करनी ही पड़ेगी न। नियमों के तहत यह प्रक्रिया पूरी करनी ही पड़ेगी। आप ज्यादा जानते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): और भी सदस्य हैं, उनके लिए भी अनुमति करवा दें। सी डी बनी हुई है, कितने एम एल ए और मंत्री हैं, उनकी भी कृपया भंवरी काण्ड वाले मैटर पे कार्यवाही करवा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पधार गये क्या? इतनी देर तक शान्ति रही थी तो मुझे...(व्यवधान) दोनों एक ही श्रेणी में हो।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री अमराराम एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने एवं पेंशन योजना लागू करने के संबंध में।

2. श्री अर्जुन लाल गर्ग एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से दिनांक 13-14 जनवरी, 2012 की मध्य रात्रि बिलाड़ा कस्बे के नया बेरा पर हुए तिहरे हत्याकाण्ड के मामले में बिगड़े माहौल के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मंत्रीगण कृपया शांति रखें, व्यवस्था बनाये रखें। मंत्री महोदया, पर्यटन मंत्री महोदया, कृपया शांति।

3. श्री राजेन्द्र राठौड़, डा. जसवंत सिंह यादव, श्री बाबूलाल खराड़ी, श्री बंशीधर खण्डेला एवं 16 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में शीतलहर एवं पाले के कारण नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी नहीं करने एवं किसानों को मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री ज्ञानचन्द पारख एवं एक अन्य सदस्य की ओर से पाली शहर में सांसी जाति के बच्चों को नवजीवन योजना मद में फीस व वाहन शुल्क की राशि का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य के श्रमिकों की समस्याएं एवं श्रमिक संगठनों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री गुलाब चन्द कटारिया सदस्य की ओर से राज्य में बिजली कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री ओम बिरला एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में।

2. श्री रामहेत सिंह, सदस्य की ओर से अलवर जिले में पाले और शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा देने के संबंध में।

3. डा. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य की ओर से छतरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा दलित की हत्या कर शव नहर में फेंकने की कथित घटना के संबंध में।

4. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर 132 के वी एस ग्रिड सब- स्टेशन स्थापित करने के संबंध में।

5. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम-देवगढ़ की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के संबंध में।

6. श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के किसानों को रबी की फसल को पाले के कहर से हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में।

7. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से जिला सिरोही में शिवगंज से पिण्डवाड़ा तक फोर लेन में परिवर्तित किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 हेतु अवाप्त की गयी भूमि का उचित मुआवजा देने के संबंध में।

8. डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह, सदस्य की ओर से संगरिया क्षेत्र के पारिवारिक विवादों के प्रकरणों की सुनवाई संगरिया न्यायालय में यथावत् रखने के संबंध में।

9. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रबी की फसल को पाले एवं शीतलहर से हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा देने के संबंध में।

10. श्री ओम जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी में मिसिंग लिंक सड़कों को बनाये जाने के संबंध में।

11. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से सोजत शहर होकर प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 फोर लेन सड़क को नगरपालिका क्षेत्र से तीन चार किलोमीटर दूर बनाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

12. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ की रावतसर-नोहर-भादरा सड़क का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पाले एवं शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इस बार पूरे राजस्थान में रबी की फसल में पाले ने जो नुकसान किया है, राजस्थान का किसान अपने आपको लुटा हुआ महसूस कर रहा है। राजस्थान में गेहूं की फसल 42 फीसदी नष्ट हो गयी, सरसों की फसल 55 फीसदी नष्ट हो गयी, टमाटर की 40 फीसदी नष्ट हो गयी, अरण्डी की सौ परसेंट नष्ट हो गयी, ईसबगोल की 60 परसेंट नष्ट हो गयी। अध्यक्ष महोदय, यह वह सरकार है जिस सरकार ने किसानों की पाले व अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की एक नीति बनाने की एक घोषणा अपने घोषणा पत्र में की थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह याद दिलाना चाहता हूं सरकार को, जब पहला बजट प्रस्तुत कर रहे थे 8 जुलाई, 2008 को, उस बजट के पैरा नम्बर 124 के अन्दर इन्होंने यह कहा था कि किसानों को राहत प्रदान करने के लिए शीतलहर व पाले को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने का हम प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज कितने दिन गुजर गये, किसान की फसल नष्ट हो गयी। इसमें भी इसी 17 फरवरी को बजट से पहले बैठक करते हुए किसान संघों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य मंत्रीजी स्वयं यह कहा कि हम जो फसल नष्ट हुई है पाले से, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देंगे। और तो और, हालांकि मतभेद सामने हैं, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी संगठन के मुखिया डा. चन्द्रभान ने किसानों के एक शिष्टमण्डल को यह कहा कि निश्चित तौर पर किसान बरबाद हो गया, मैं सरकार को पत्र लिखूंगा...

(12.06 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

और सरकार चूंकि संवेदनशील है इसलिए सरकार मेरी बात को मानेगी और किसानों की नष्ट हुई फसल का मुआवजा देना तय करेगी। सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं याद दिलाना चाहता हूं, फरवरी 2008 में किसानों की फसल नष्ट हुई थी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज की प्रतिपक्ष की नेता और तत्कालीन मुख्य मंत्री को, उन्होंने उस वक्त यह नहीं देखा कि सी आर एफ के नार्म्स में यह शामिल है या नहीं है, केन्द्र सरकार इसका पैसा देगी या नहीं देगी। राजकीय मद में वसुन्धराजी के शासन में जहां पचास परसेंट फसल नष्ट हो गयी थी वहां असिंचित क्षेत्र में तीन हजार रुपये प्रति हैक्टेयर, सिंचित क्षेत्र डीजल पम्प से वहां छह हजार रुपये प्रति हैक्टेयर और बिजली कुएं से है ऐसी फसलों को चार हजार रुपये प्रति हैक्टेयर और उसके साथ चार महीने का बिजली का बिल माफ किया था, भू-राजस्व स्थगित किया था। अल्पकालीन ऋण को दीर्घकालीन ऋण में बदला था। और, सभापति महोदय, अब यह सरकार सोई पड़ी है।

आज यह सरकार अपने आपको किसान की हितैषी सरकार कह रही है। मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं मेरी पीड़ा नहीं बोल रहा हूं। सभापति महोदय, आज यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, हर कोई अपने क्षेत्र में गया, और हमारे प्राकृतिक आपदा मंत्री मुझे नजर नहीं आ रहे, अभी झुन्झुनूं गये, किसानों ने उनका घेराव किया और उन्होंने खुद खड़े होकर कहा कि निश्चित तौर पर सरकार को, खुद सरकार होते हुए कहा कि सरकार को फसल का मुआवजा देना चाहिए, किसान बरबाद हो गया। और तो और, सभापति महोदय, बार-बार कहते रहे मुख्य मंत्रीजी कि पाले और शीतलहर से नष्ट फसल को हम सी आर एफ में शामिल करवाएंगे, हम भारत सरकार को आग्रह करेंगे। इनकी यह बात तो मानी नहीं, परन्तु अभी 16 जनवरी, 2012 को केन्द्रीय मंत्री आफ होम अफेयर्स ने अपने पत्र क्रमांक 32-7- 2012, एनडीएमआई दिनांक 16 जनवरी, 2012, जो प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुए उसका नार्म्स बदलने का काम किया, उसमें भी साफ इन्होंने लिख दिया, उसमें कहीं पाले का जिक्र नहीं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह सरकार कभी तो कहती है कि कृषि बीमा योजना को हम ग्राम एवं पंचायत की इकाई तक ले जाएंगे, कभी किसान के हितैषी बनने की बात कहते हैं। सभापति महोदय, बड़ा अहम सवाल है, राजस्थान का किसान बरबाद हो रहा है, यह सर्वोच्च सदन बैठा है, आप आसन पर बैठे हैं और सरकार कितनी गम्भीर है, आप देख रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, अकाल राहत मंत्रीजी नहीं हैं, सारी ट्रैजरी बैंचेज खाली हैं, इसका मतलब हम सब लोग जो इधर बैठे हैं, या तो हम ढोंग रचते हैं कि हम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किसानों के प्रतिनिधि हैं वर्ना किसान की बात को लेकर आज, सभापति महोदय, यह बात चुप होने वाली नहीं है। जिस तरह किसान का नुकसान हुआ है, आज तक गिरदावरी नहीं, आज तक ऐसे कोई निर्देश नहीं। सी आर एफ में कोई पैसा मिले या नहीं मिले, यह मुख्य मंत्रीजी, इनके पास लम्बा-चौड़ा बजट है, यह क्यों नहीं घोषणा करते? पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है तो यह क्यों नहीं करते? कि हम पैकेज दे रहे हैं किसानों को राहत देने के लिए? आज सरकार एक तरह से कानों में तेल डाले बैठी है। सरकार के कान किसान खोल देंगे, सभापति महोदय, किसान का दर्द सरकार को ले बैठेगा। मेरी मांग है कि सरकार को आज ही सदन में वक्तव्य देना चाहिये। कहना चाहिये कि राजस्थान की हुकूमत राजस्थान के किसान के लिये क्या कर रही है। पूरी फसल नष्ट हो गयी। हमने पिछली बार सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया था, इस बार आंकड़ा कह रहा है कृषि विभाग का कि 55 परसेण्ट सरसों की फसल तबाह हो गयी। ईसबगोल की 60 परसेण्ट क्राप तबाह हो गयी। गेहूं की फसल तबाह हो गयी, जीरे की फसल तबाह हो गयी, अरण्डी की फसल तबाह हो गयी और सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है। इसलिये मेरी मांग है आपके माध्यम से कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे। वरना इस सदन के अन्दर किसान की बात अगर नहीं कही जाएगी तो किसकी बात कही जाएगी? मुझे आपसे उम्मीद है कि आप सरकार को निर्देशित करेंगे। सरकार वक्तव्य देगी, पैकेज की घोषणा करेगी तब ही यह बात आगे बढ़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. जसवन्त सिंह यादव।

श्री पेमाराम (धोद): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दें। किसान सबसे दुःखी है, मंत्रीजी को जवाब देने दीजिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सरकार घोषणा करे। इस बात की सरकार घोषणा करे...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 20 दिन हो गये...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो। आपकी नेता बोल रही हैं न।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है यह, पूरे राजस्थान के किसान जिस तरीके से पाले से मारे गये हैं वह अखबारों के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा सरकार के पास तो पहुंची ही है, हम लोगों ने भी दौरे किये हैं। जगह-जगह पर हम लोगों ने यह पाया है कि

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

किस तरीके से मुसीबत में किसान आ गया है। पिछली सरकार में ऐसी मुसीबत के दौर से जब गुजरे थे तो उस समय किसान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पैकेज का इस्तेमाल किया था जबकि दिल्ली की सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया था। तो यह कहकर यह सरकार निकल नहीं सकती है कि दिल्ली की सरकार हमारा साथ नहीं देती है। कि आपदा के अन्दर शीतलहर को नहीं लिया जाता इसलिये हम इसको आगे बढ़ा नहीं सकते। आखिर में कानून तो सरकार बनाती है, और किसान या कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश के अन्दर दुःखी होता है तो उसके आंसू पोंछने का काम भी सरकार की जिम्मेदारी बनता है। मैं समझती हूं कि जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो ऐसी स्थिति के अन्दर सरकार को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिये, अपना वक्तव्य देना चाहिये। सरकार जल्दी से जल्दी उसका मुआवजा राजस्थान के किसान को दे। मेरा तो आपसे आग्रह है कि यह बात आप सरकार तक पहुंचाकर सरकार का वक्तव्य जरूर इस हाउस के अन्दर दिलवाएंगे।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सरकार के पास जो तेल का रेवेन्यू मिल रहा है...

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। मैंने आपको अलाउ नहीं किया है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): कम से कम वह दो हजार करोड़ रुपये है, उसमें से भी दे सकते हैं।

श्री सभापति: आप तो विराजो। डा. जसवन्त सिंह यादव।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार को मुख्य मंत्री भी...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सरकार नींद ले रही है, सो रही है। किसान की सुन नहीं रही है। ऐसी हालत में..(व्यवधान) अपना वक्तव्य दे। किसान को मुआवजा दे...(व्यवधान)

श्री सभापति: जिन माननीय सदस्यों ने दिया है, बोलने के लिये उनको अलाउ नहीं करूं मैं? आप विराजो तो सही...(व्यवधान) आप विराजो। आप विराजो तो सही, माननीय सदस्य।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): हाड़ौती में 35 करोड़ का धनिया खराब हो गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। अभी विपक्ष के सचेतक महोदय ने अपनी बात रखी। प्रतिपक्ष की आदरणीय नेता ने भी कहा। हमको बहुत सारे ज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं, समचार पत्रों में भी यह बात है। जैसा कि सदन को ज्ञात है, पाला और शीतलहर पहले सी आर एफ में शामिल नहीं थे, अब एस डी आर में शामिल नहीं हैं। परन्तु यह बात कहना गलत है कि गिरदावरी नहीं करवायी जा रही है...(व्यवधान) पहले मुझे सुन तो लीजिये। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता। 1 फरवरी से गिरदावरी चल रही है, 5 मार्च तक वह पूरी होगी। उसके बावजूद मुख्य सचिव के लेवल से हमने लिखवाया है सभी कलक्टर्स को कि गिरदावरी को संवेदनशीलता से करें और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें। कृषि विभाग ने अलग से निर्देश दिये हैं कि गिरदावरी कराएं और उसकी रिपोर्ट उनको भेजें। मैंने नार्म्स में शामिल कराने के लिये चिट्ठी लिखी है। मैं यह मानता हूं कि मेरे से पूर्ववर्ती सरकार ने भी उसके लिये बहुत चिट्ठियां लिखी थीं। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने भी लिखी थीं। तत्कालीन आपदा राहत मंत्री ने भी लिखीं। अब मुख्य मंत्रीजी ने भी बहुत सारी चिट्ठियां, लगभग हर महीने लिखी हैं। राष्ट्रपतिजी के यहां मुख्य मंत्रियों की मीटिंग थी उसमें भी मुख्य मंत्रीजी ने यह बात पुरजोर तरीके से उठायी है और हमको...(व्यवधान) बोलने तो दो...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अभी हाड़ौती में गिरदावरी शुरू नहीं हुई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोलने तो दें। वक्तव्य तो पूरा करने दें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): सवाल तो तब करना, सुनो न मुझे...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): फरवरी के पहले सप्ताह में पाला पडा...(व्यवधान) गिरदावरी होली के बाद आएगी। अब के तो होली के बाद आएगी।...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वक्तव्य तो आने दीजिये आप। वक्तव्य तो पूरा करने दें ...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): धोद से आने वाले माननीय सदस्य, प्रक्रिया है। आपको भी पता है, उनके समय में भी वही है। गिरदावरी की एक प्रक्रिया है, वह चल रही है। रैगुलर

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)
गिरदावरी चल रही थी उसके बावजूद भी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्य सचिव लेवल से ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): कहां किया हुआ है ? सीकर के कलक्टर ने तो मना किया है कि हमारे पास सरकारी कोई आदेश नहीं है। कोई आदेश नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पहले इनका वक्तव्य तो आने दो आप। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): नहीं हो रही है। कहां हो रही है? हमारे यहां नहीं हो रही है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): की होगी गिरदावरी...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): कहीं भी गिरदावरी नहीं हो रही है ..(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): कापी दे रहा हूं न। कहा है, मैं आपको कापी दूंगा। आपको कापी प्रोवाइड कराऊंगा। यह सबको पता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर साल खरीफ की फसल की 1 फरवरी से 5 मार्च तक गिरदावरी करवाता है। इसमें सब बातें आएगी, बावजूद उसके हमने यह निर्देश दिया है मुख्य सचिव के लेवल से कि ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक मिनट। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप जब तक गिरदावरी कराएंगे, तब तक वह सरसों की फसल कट लेगी, तो उसका आकलन फिर आप कैसे करेंगे कि कितना परसेण्ट पाला है? ...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय सदस्य, एक फरवरी से चल रही है गिरदावरी ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): नहीं हो रही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य पूरा वक्तव्य तो आने दो ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): हाड़ौती में गिरदावरी नहीं हो रही है।...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): पटवारी आकलन नहीं कर सकता ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। पूरा जवाब भी तो आ जाने दो।...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): गिरदावरी चल नहीं रही है जिलों में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पूरा वक्तव्य तो आने दो। मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्री महोदय, नैचुरल हर साल तो गिरदावरी होती है उसका सवाल नहीं है। यह पाला पड़ा है इसके लिये स्पेशल गिरदावरी के आदेश जब तक सरकार नहीं देगी, उसका कोई रिकार्ड नहीं होगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मौसम आधारित बीमा है, बीमा प्राइवेट कम्पनीज किसान को लूट रही हैं। डीडवाना में 32 करोड़ खा गयीं। चिड़ावा में खा गयीं, जो टैम्प्रेचर नोट करना था, सरकार उसके लिये भी चिट्ठियां लिख रही है क्योंकि सरकार के टैम्प्रेचर रिकार्ड को कम्पनी नहीं मानती है और जो टैम्प्रेचर मीटर हर तहसील में लगा रखा है उनकी रीडिंग हमारा कृषि विभाग नहीं ले सकता है और हमारा विभाग लेगा उसको वह कम्पनी मानेगी नहीं। उसका भी आज तक वह रिकार्ड सरकार ने नहीं लिया उस कम्पनी से। कम्पनी ने राजस्थान के किसान का जो मौसम आधारित बीमा किया है जिसमें करोड़ों रुपया कम्पनी ने लिया है, वह भी किसान को धोखा देने का काम करेगी, इसलिये मंत्रीजी यह भी बताएं। सरकार यह बताए कि जो टैम्प्रेचर मौसम आधारित बीमा में रिकार्ड लेना चाहिये था, आज तक सरकार ने लिया है कि नहीं लिया? और इस पाले के लिये स्पेशल गिरदावरी आप कब तक पूरी करा लेंगे? अप्रैल तक तो फसल रहेगी नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोल चुके न माननीय सदस्य...(व्यवधान) सबसे पहले बोल चुके हैं फिर आप क्यों कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सब्जी नष्ट हो गयी। पपीते के पूरे के पूरे बाग़ नष्ट हो गये। जीरा, धनिया सब नष्ट हो गये और यह कह रहे हैं मार्च के बाद में। मार्च के बाद कहां सरसों मिलेगी? कहां सब्जी मिलेगी? इसलिये सरकार पाले के लिये स्पेशल गिरदावरी का आदेश जब तक नहीं देगी, तब तक किसान को कुछ नहीं मिलने वाला है ...(व्यवधान) स्पेशल गिरदावरी का सरकार आदेश दे और मुआवजे के लिये पैकेज की घोषणा करे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं, राजस्थान में सरसों की फसल की, जीरे की फसल की जो बुरी हालत हुई है, उसके लिये सरकार क्या घोषणा करेगी? पूरे किसान मर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कितना पाला ...(व्यवधान) उसके बाद गिरदावरी ...(व्यवधान) राजस्थान के किसानों की दयनीय स्थिति के ऊपर आप विचार करें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो ..(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं ..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का किसान इस समय जिस पीड़ा में है उसकी कोई दशा देख नहीं सकते ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं कह रहा हूं, अलाउ नहीं करूंगा। आप तो विराजो। एक मिनट, आप विराजो तो सही ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अगर इंश्योरेंस का कोई मामला है तो सारा मामला आप इसमें शामिल करो ..(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही ..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): विराज गया किसान तो। सभापति महोदय, किसान तो विराज गया है ..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): किसान की बात ..(व्यवधान) किसान की बात जानना है तो उसकी बात ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको भी अलाउ करूंगा। आप तो विराजो ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिलकुल सही कह रहे हो ..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्री सामान्य गिरदावरी होती है उसकी बात करते हैं। साल में रबी और खरीफ की फसल की होती है, उसकी बात करते हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जवाब देने के लिये मंत्रीजी खड़े हुए। जब वह बोलने लगे तो वापस बैठ गये। आप बात तो सब बोल लें ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आपके ही के क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सभी बोलेंगे तो वह जवाब कैसे देंगे? (व्यवधान) आप विराजें तो सही। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय आपदा मंत्रीजी जवाब दें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपके ही सदस्य हैं ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय आपदा मंत्रीजी जवाब दें कि कब किसान ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप उनको सुन ही नहीं रहे हो ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, आपदा मंत्री खड़े होकर जवाब दें...(व्यवधान) आश्वासन नहीं चाहिये ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में तो लाइये ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान के किसान को ...(व्यवधान) राहत मंत्रीजी तो सीआरएफ के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): जब तक उसका आकलन नहीं होगा ...(व्यवधान) क्षेत्र के अधिकारी लगाएं तभी उसका आकलन होगा ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपदा मंत्री खड़े होकर जवाब दें और किसानों को आश्वस्त करें कि हम आपका भला चाहते हैं ...(व्यवधान) आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन से हम दु:खी हो रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): किसान की पीड़ा को समझ नहीं रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अब गिरदावरी की घोषणा कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, किन्नू की फसल बरबाद हो गयी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मंत्रीजी का जवाब ...(व्यवधान) सुन तो लें आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब सब विराज गये हैं तो आप भी ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह मामला स्पेशल गिरदावरी का है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप भी, राजवी साहब, विराजें...(व्यवधान) इनको बोलनें तो दें आप...(व्यवधान) जवाब नहीं आएगा तो फिर सभी माननीय सदस्य खड़े होंगे ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप मंत्रीजी से गलत जवाब दिलवाकर जबरदस्ती क्यों मरवा रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, जवाब तो आने दो ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह साधारण गिरदावरी का नहीं है, आपके खुद के क्षेत्र में फसल कट चुकी है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा, आप विराजें तो सही...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, एक दिन का ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सात दिन में गिरदावरी की बात हुई थी ...(व्यवधान) और यह दो महीने में गिरदावरी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपको भी अलाउ करूंगा ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह कहां से कहां जोड़कर...(व्यवधान) जनता के अलावा ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): किसान के हित के लिए यहां बैठे हैं हम ...(व्यवधान) किसान के बलबूते पर यहां बैठे हैं ...(व्यवधान) किसान का मुद्दा है और आश्वासन नहीं चाहिए, धन चाहिए ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां, हां, यह बात ...(व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सही कह रहे हैं यह, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी क्या कर दें घोषणा ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): गिरदावरी कितने दिन में कम्पलीट हो जाएगी, यह बता दीजिये...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): गिरदावरी चल रही है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह थोड़े ही कि एक-दो महीने तक गिरदावरी चलती रहेगी ...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): जो सदन के सदस्यों ने भावनाएं प्रकट की हैं, उसको पहले ही समझते हुए मुख्य मंत्रीजी ने सभी कलक्टर्स को लिखा है, कृषि आयुक्त ने लिखा है, रेवेन्यू सैक्रेटरी ने रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को लिखा है कि आप सभी कलक्टरों को निर्देश दें और इन सबकी कापियां हमें भेजी हैं कि वह संवेदनशीलता के साथ जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाएं। जैसे ही गिरदावरी ...(व्यवधान) आप करवा लें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मंत्री महोदय, हम काश्तकार हैं... (व्यवधान) पाले की गिरदावरी करवाएं, मंथली गिरदावरी नहीं चाहिये हमें। (व्यवधान) पाले से जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी कराएं आप... (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, मंत्री महोदय गुमराह कर रहे हैं...(व्यवधान) रेवेन्यू बोर्ड को लिख रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): पाले से जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी चाहिए ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, आश्वासन चाहिए आश्वासन ...(व्यवधान) मुआवजा दिया जाएगा, यह आश्वासन चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): झूठा आश्वासन नहीं, मुआवजा चाहिए...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): गिरदावरी करा दो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। मंत्रीजी, अगर आप और स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप कह दें कि गिरदावरी कब तक पूरी हो जाएगी। बता दें आप इसमें ... (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मुआवजा कब तक देंगे, मुआवजा ...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): गिरदावरी जल्दी से जल्दी करने के निर्देश दे दिये हैं। सीआरएफ के नार्म्स में भी आपको बताऊं कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों से माननीय केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने 31 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी को जवाब दिया है कि एक जीओएम की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गयी थी। उसमें टैक्निकल एक्सपर्ट एग्रीकल्चर के भी थे, और भी फील्ड के थे, उनका एक वर्किंग ग्रुप बनाया था, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और जीओएम उस पर विचार करेगा। तो हम सकारात्मक आशा उससे भी रख सकते हैं। माननीय सरदारशहर से आने वाले सदस्य ने बताया कि हमने हमारे बजट से दिया था।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तारानगर से आने वाले ने।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): तारानगर ही कहा है मैंने, सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने, सारी, तारानगर। वह बजट से नहीं दिया गया था। वह हमारा जो सीआरएफ का फंड था उससे दिया गया, उसका ए.जी. का पैरा अब भी बना हुआ है। वह बजट से नहीं दिया गया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्रतिपक्ष की नेता महोदय ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): क्या जवाब दे रहे हैं, मंत्रीजी? यहां जवाब दे रहे हैं कि हमने चिट्ठी ऐसे लिखी, वहां चिट्ठी ऐसे लिखी, जीओएम भी बैठाया। यह सुनने के लिए हम लोग यहां नहीं बैठे हैं हाउस में। हम लोग मानते हैं कि यह इतना सीरियस मामला है कि इस पर गवर्नमेंट को वक्तव्य देना चाहिए। वह मुख्य मंत्री तक हम सबकी बात पहुंचा दें कि पूरे राजस्थान में एजिटेशन है लोगों के दिमाग में, किसानों के दिमाग में एजिटेशन है। यहां बैठकर वक्तव्य दें। सरकार हमें बताए कि हम क्या करने जा रहे हैं। मुआवजे से कम तो होगा ही नहीं, क्योंकि इतने हालात खराब हैं, 50 प्रतिशत से ऊपर खराबा है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार संवेदनशील नहीं होगी? और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

क्या मंत्रीजी खड़े होकर हमें इतना ही कहेंगे कि हमने चिट्ठी कहां लिखी और कब चिट्ठी वापस आयी और गिरदावरी कौनसी डेट को हुई और कब खतम होने वाली है? उससे ही हमारा काम कम्पलीट हो जाएगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने दे दिया तो ए.जी. पैरा बता रहे हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ए.जी. पैरे की बता रहे हैं यह हमें...(व्यवधान) यह बात समझ में नहीं आती मेरे को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 5 बार ए.जी. पैरा बनाए न, किसान के लिए दिया है आपने ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अगर ये सीरियस नहीं हैं किसानों के लिये तो मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करती हूं। (व्यवधान)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): गिरदावरी 5 मार्च तक हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बिजली का बिल तो माफ कर सकते हैं...(व्यवधान) बिजली का बिल तो माफ किया था हमने, बिजली का बिल तो माफ करिये। (व्यवधान) बिजली का बिल माफ करें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार किसानों के लिए किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रही है इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): हम सदन से बायकाट करते हैं ...(व्यवधान)

(मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों का बहिर्गमन)

पाले एवं शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह सरकार हमेशा किसानों के पक्ष में रही है और अभी भी हम कार्यवाही कर रहे हैं। यह भाग रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की नेता ने जिस प्रकार से गलत बयानी की है यहां पर कि हमने 2008 में बजट से दिया, जबकि सीआरएफ से दिया गया था, जिसका आडिट पैरा आज भी मौजूद है, इस प्रकार की गलत बयानी के लिए आपसे निवेदन है, आप उनसे यह कहें कि वह माफी मांगें, उन्होंने सदन को गुमराह किया है। दूसरा मेरा आपसे यह निवेदन है कि गवर्नमेंट की तरफ से साफ-साफ आ गया है कि 5 मार्च तक गिरदावरी पूरी हो जाएगी...(व्यवधान) गिरदावरी पूरे राजस्थान में 5 मार्च तक...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर आश्वासन दे दिया है, तो और क्या चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, 22 तारीख को जालौर जिले में मुख्य मंत्री स्वयं घोषणा करके आये हैं ...(व्यवधान) 22 तारीख को मुख्य मंत्री जालौर जिले में स्वयं घोषणा करके आये हैं कि हम मुआवजा देंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कहें तो मैं कोट कर दूं...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): वह सारी की सारी मुख्य मंत्रीजी को बतायी है, खेतों में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह तत्कालीन सरकार का पत्र है, माननीय मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं। उस समय सरकार ने अपने बजट से 15 फरवरी, 2008 को पाला पड़ने पर किसानों की फसल का मुआवजा दिया था ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): वह मुआवजा भी सात दिन में दिया था ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप गलत बयानी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय वसुन्धराजी ने सात दिन में किसानों को मुआवजा दिया था ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गलत बयानी कर रहे हैं आप ...(व्यवधान) गलत बयानी कर रहे हैं आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आडिट पैरे की परवाह नहीं है ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सीआरएफ में दिया है, आडिट पैरा है अपने पास ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन कूप में प्रवेश व नारेबाजी)

श्री सभापति: क्या हो गया? (व्यवधान) जवाब आ गया न कि 5 मार्च तक कर देंगे। (व्यवधान) गिरदावरी का बताया न कि 5 तारीख तक कर देंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अब तो बन जाएगी खबर...(व्यवधान) कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: यही मांग थी ना ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): खबर बन जायेगी कोई दिक्कत नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख। आपके ही माननीय सदस्य हैं, आप विराजें तो सही।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): खबर बन जायेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ...(व्यवधान) अब ज्यादा करने की बात नहीं है ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: कल तो सदन को अच्छा चलाने की बात पर आप सभी माननीय सदस्यों ने सहमति दी है, और फिर आज से? (व्यवधान) मंत्रीजी ने जवाब दिया है न। आपके हर बिन्दु का उन्होंने जवाब दे दिया कि 5 मार्च तक गिरदावरी करवा दी जाएगी, उसकी आ जाएगी रिपोर्ट। गृह मंत्रीजी ने भी, अभी जो संसदीय कार्य मंत्रीजी भी हैं, उन्होंने भी वही बात कही है। आ गई बात, सब बात आ गई। आगे आपको कंफ्यूजन क्या है कि यह चीज हमने चाही और इसके ऊपर वक्तव्य सरकार की ओर से नहीं आया? मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मंत्रीजी से वक्तव्य दिलवा दो, समझ में आ जाएगा। आप तो आसन से वक्तव्य की व्यवस्था करा दो ताकि कम से कम सरकार की नीयत समझ में आए कि क्या करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप कृपा करके वक्तव्य दिलवाइए, वक्तव्य से ही पता लग जाएगा कि सरकार की मंशा आखिर क्या है। बिना वक्तव्य से कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सरकार चाहती क्या है। इस समस्या को क्या सरकार हल्के-फुल्के में लेना चाहती है या किसानों की मदद करने का इनके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मन के किसी कोने में भी जगह है? या नहीं है। अगर यह है तो वक्तव्य लेकर आ जाएं, बात समझ में आ जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मंत्रीजी से वापस राज्य सरकार की ओर से आश्वासन चाहते हैं। सरकार की ओर से वह आपको बता देंगे, संसदीय मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, वह बता देंगे सरकार की ओर से । आप जानते हैं कि आपदा राहत का प्रश्न है और आपदा राहत के अन्दर मंत्री जवाब दे रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। आप विराजो तो सही। (व्यवधान) आप जो चाहेंगे वह जवाब दिलवा देंगे। आप विराजो तो सही। आप अपने आसन पर तो विराजो। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी सहित सभी मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। (व्यवधान) यह विभाग उनके पास है और आपदा राहत मंत्रीजी स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है?(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है, राजस्थान के मुख्य मंत्री को बुलवाओ, किसान बरबाद हो रहा है, ऐसी सूरत में किसान को बचाने के लिए राजस्थान सरकार पैकेज दे। (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) आप विराजो, जो आप चाह रहे हैं वह जवाब दिलवा रहा हूं। आप विराजो तो सही। विराजिए, आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, ये 64 साल से चिट्ठियां लिखते रहे, पूरे उत्तरी भारत में पाले से फसलें नष्ट होती रहीं। कांग्रेस ने भी राज किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी राज किया है, दोनों 60 साल तक राज कर रहे थे, तब इनको सी आर एफ में पाला याद नहीं आया, अब ये नकली नाटक कर रहे हैं। यह नकली नाटक करते हैं दोनों तरफ से। 45 साल तक कांग्रेस ने राज किया और 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने देश पर राज किया, तब पाला याद नहीं आया आपको। तब इनको पाला याद नहीं आया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): और आपको मौका मिलने वाला है नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सी आर एफ में शामिल आज तक नहीं है, सी आर एफ में शामिल नहीं करने के लिए गुनाहगार कांग्रेस सबसे ज्यादा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी उसके लिए गुनाहगार है। इन्होंने 60 साल तक इस देश पर राज करके शामिल नहीं किया। जब यहां कल मुद्दे उठ रहे थे...(व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार...(व्यवधान) 7 साल

(श्री अमराराम)
भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। इस धोखाधड़ी का काम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिल कर किया है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अमरारामजी का मुद्दा छीना आपने, अमरारामजी आपका मुद्दा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मुझे एक चीज बताओ आप, एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लो। आप मुख्य मंत्रीजी सदन के नेता हैं और आपदा राहत विभाग से आपका प्रश्न जुड़ा हुआ है गिरदावरी से, संसदीय कार्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, आपकी क्या, यह पूरे सदन की पीड़ा है। यह पीड़ा कोई एक माननीय सदस्य की नहीं है, विधान सभा के सभी दो सौ माननीय सदस्यों की है। सभी की पीड़ा है, किसान की पीड़ा सबकी है। वक्तव्य उन्होंने दे दिया, यदि आपके बीच में कनफ्यूजन है, स्पेसिफिक जवाब नहीं आया है तो आप आसन पर विराजो, मैं सरकार की तरफ से जो आपदा राहत मंत्रीजी हैं, संसदीय कार्य मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, उनसे मैं आपको जवाब दिलवा दूंगा। आप स्पेसिफिक पूछ लो।

इस सदन में कल तो यह बात आई कि सदन बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे, बहुत अच्छा-अच्छा हुआ, फिर आज ही अगर हम सदन को इस तरह से करेंगे। आपकी पीड़ा मैं कह रहा हूं दो सौ ही माननीय सदस्यों की पीड़ा है, किसान की पीड़ा पूरे दो सौ माननीय सदस्यों की पीड़ा है, आप विराजो तो सही। माननीय सदस्य, आप सदन चलाने में सहयोग करें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): भवानीसिंहजी, आप आगे मत बढ़ो, खतरा है आगे, मुश्किल से आए हो अन्दर।

श्री सभापति: आप जो चाहते हो वह बताओ तो सही कि हम यह चाहते हैं, मंत्रीजी बैठे हुए हैं। मंत्री नहीं होते तो कहते कि मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, तब आप कहते। वह खुद कम्पीटेंट मंत्री हैं, वह जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब तो सुनो आप। आप विराजो, मैं कह देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे एक ही आग्रह है, आपने अभी कहा कि माननीय मंत्रीजी ने अपनी बातें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कह दीं, लेकिन मंत्रीजी ने जो भी बात कही है वह सामान्य प्रक्रिया का अंग है। इस समय राजस्थान में जो बात हुई है वह बहुत गड़बड़ हुई है इसलिए हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि मुख्य मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलवाने का समय तय कर दें। हमारी आज की जिद नहीं है, कल दिला दें, परसों दिला दें, लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या है, इस पर आपको वक्तव्य दिलवाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, हम सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे शांतिलालजी धारीवाल ने कहा कि पैरा बन गया है, मैं गुलाबजी से आग्रह करूंगा कि उस पैरे को समाप्त कर दें ताकि सरकार को राहत मिल जाए। यह काम हम कर देंगे ताकि सरकार को किसानों को राहत देने के लिए....(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) यह जन लेखा समिति के अधिकारों पर आपको ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मुख्य मंत्रीजी का टाइम तय कर दें ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह जन लेखा समिति को डिक्टेशन देने के लिए, माननीय, बहुत गलत परम्परा पड़ जाएगी...(व्यवधान) जन लेखा समिति के काम में...(व्यवधान) यह उचित नहीं होगा, आप बहुत विद्वान हैं, सदन के नियम और परम्पराएं आपसे छिपी हुई नहीं हैं...(व्यवधान) ऐसे आप सदन व जन लेखा समिति को निर्देशित करें तो उचित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): आपको भी राहत दिला दी गई है, ऐसी क्या बात है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप आसन पर तो विराजो...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, वक्तव्य दिलाने के लिए...(व्यवधान...

श्री सभापति: आपके प्रतिपक्ष के उप नेताजी ने जो अभी बात कही है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरकार की तरफ से कुछ बोल रहे हैं माननीय मंत्री महोदय, सुनने में क्या दिक्कत है आपको? (व्यवधान) मंत्री हो,

(डा. रघु शर्मा)

मुख्य मंत्री हो, सरकार है ...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनें तो सही आप लोग ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः ...(व्यवधान) आप पूछ क्या रहे हो? ...(व्यवधान) आप यहां तो वैल में आकर खड़े हो गये ...(व्यवधान) उससे कोई जवाब सुनने में नहीं आएगा, न पूरे सदन को लाभ मिलेगा, न पूरे राजस्थान को लाभ मिलेगा। आप विराजो तो सही वहां जाकर। आप विराजो तो सही ...(व्यवधान) सब की पीड़ा है, मैंने कहा न, पूरे सदन की पीड़ा है, ...(व्यवधान) आप विराजो तो सही।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापतिजी, जैसा अभी तिवाड़ी साहब ने कहा, तो सरकार अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, आप दिन निश्चित कर दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हां, ठीक है, ठीक है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरा आपने यह कहा कि, साहब, आडिट पैरा को खतम कर दिया जाए, इसका मतलब यह है कि आपने मान लिया कि आडिट पैरा तो बना था और यह पैसा बजट से नहीं देकर आपने सीआरएफ से दिया था, यह मान लिया आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो किया, हमने किसानों के लिए किया था।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसीलिए मैं यह कह रहा हूं आपसे कि आपको किसानों से माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। सदन में जो गलत बयान दिया है उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान) आपने गलतबयानी की है सदन में।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): देंगे ...(व्यवधान) किसानों को जरूरत होगी तो देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हमने तो कहीं से भी दिया पर दिया तो किसान को दिया, आप जैसे धन्ना सेठों को नहीं दिया। किसान को देने के लिए सरकार के नियमों को भी तोड़ना पड़े न, तो तोड़कर किसान को लाभ पहुंचाएंगे। किसान को हम देंगे और उसके कारण से जो भी सज़ा मिलेगी, वह भी भुगतेंगे। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, 2006 के अन्दर झालावाड़ जिले में, बारां जिले में ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ था। 2006 के अन्दर पुरानी सरकार के समय झालावाड़ और बारां के अन्दर जबरदस्त ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें नष्ट हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तारीख आप तय कर दें ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): उन फसलों का भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे नहीं कराया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

श्री करणसिंह (छबड़ा): और न किसानों को मुआवजा दिया, 2006 में पिछली गवर्नमेंट के समय पर ओलावृष्टि के कारण धनिया, अफीम की फसल नष्ट हुई और आज ये किसानों की चिंता करके मुआवजे की मांग कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उस वक्त ये पता नहीं कहां थे, माननीय सभापति महोदय, 2006 में। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अगर सरकार भी चिंतित है और सम्पूर्ण विपक्ष भी चिंतित है और देश की सरकार सीआरएफ में शामिल नहीं कर रही है तो मेरा प्रस्ताव है कि तमाम सत्ता पक्ष और सम्पूर्ण विपक्ष इसको सीआरएफ में शामिल कराने के लिए केन्द्र सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए कल की तारीख कर दे। पता लग जाएगा कि केन्द्र सरकार के इसमें शामिल नहीं करने से कितने किसानों के लिए केवल नकली आंसू बहा रहे हैं क्योंकि दोनों की सरकार रही है। जब केन्द्र ने सीआरएफ में शामिल नहीं किया, चलो, अभी भी देर आयद दुरुस्त आयद, अभी किसानों के लिए असली अगर हमदर्दी है तो क्यों नहीं, जब दूसरे राज्य केरल का पूरा पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर केरल के हकों के लिए केन्द्र सरकार के खिलाफ धरना दे सकते हैं, दूसरे राज्य दे सकते हैं तो फिर राजस्थान के किसानों के लिए सम्पूर्ण राजस्थान की विधान सभा के दो सौ सदस्य मिलकर क्यों नहीं केन्द्र सरकार को इस बात के लिए बाध्य करने के लिए, राजस्थान के और पूरे उत्तरी भारत के किसानों को बचाने के लिए क्यों नहीं धरना दिया जा सकता? इसलिए मेरा तो प्रस्ताव है कि यह प्रस्ताव पास किया जाए और उसके बाद देश की सरकार को राजस्थान के आम अवाम के हक के लिए बाध्य करने के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए।

श्री सभापति: अब आप विराजो तो सही।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 2004 में भी आपने कंधा लगाया था, 72 में भी कंधा लगाया था यूपीए सरकार के।

श्री सभापति: मंत्रीजी, ...(व्यवधान) आप विराजो तो सही ...(व्यवधान) आपने फर्मा दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने यह बता दिया कि राज्य सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है, समय आपको तय करना है, इसलिए आप अब इसका समय तय कर दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कह दिया, आप कह देंगे, समय आप तय कर देंगे, बात खतम हुई। फिर आएगा जब सरकार का वक्तव्य आगे, तब कार्यवाही हो जाएगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें मैं थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहूंगी। अभी संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि 15.2.2008 को हम लोगों ने आर्डर तक निकाल दिये थे, हमारे जब यह पाला पडा था, 2008 के अन्दर। और आपने कहा था कि उसकी वजह से आडिट पैरा बन गया और उसकी वजह से आप नहीं दे रहे हो। मैं कह रही हूं, यह पैसा हमारे पास जो है, यह हमारे किसान और हमारी जनता का पैसा है और अगर उस जनता के ऊपर हमें पैसा देने की जरूरत है तो शायद आडिट का पैराग्राफ बने, कैसा भी बने, हम लोग अपने दायरे के अन्दर, अपने किसानों को, अपनी जनता को राहत पहुंचाने के लिए पैसे का इंतजाम करेंगे।(व्यवधान)

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्रीजी बोल चुके हैं न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापतिजी, विवाद इस बात पर नहीं था ...(व्यवधान) विवाद इस बात पर था ...(व्यवधान...

श्री सभापति: इस बात पर आश्वासन आ गया ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप दिन तय करेंगे कि नहीं करेंगे, यह बता दें आप तो? (व्यवधान)

श्री सभापति: आज सदन का दूसरा दिन है, राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड (तारानगर): अब आप यह तय कर दें।

श्री सभापति: समय तय करके बता देंगे। श्री ज्ञानचन्द पारख।

नवजीवन योजना के तहत पढ़ रहे पाली जिले के बच्चों के शुल्क भुगतान में विलम्ब

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापतिजी, कल पाली के जिला कलक्टर कार्यालय के बाहर एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसको अगर राज्य सरकार के मंत्री देख लें तो उनके सिर शर्म से झुक जाएं। नवजीवन योजना के तहत जिन 505 सांसी जाति के बालकों को माननीय जिला कलक्टर और समाज कल्याण अधिकारी के आदेश से निजी विद्यालयों में शिक्षण के लिए भर्ती करवाया गया था, विभाग द्वारा समय पर उनकी फीस और बस का किराया न देने के कारण सांसी जाति के उन 505 बालकों को उन निजी विद्यालयों ने स्कूल से बाहर निकाल दिया। माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि निजी विद्यालयों ने जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया। वे लगातार पिछले 6 महीने से जिला कलक्टर के यहां और समाज कल्याण अधिकारी के यहां अपनी फीस की राशि के लिए और वाहन किराये के लिए लगातार चक्कर लगा रहे थे और जवाब यह मिलता है कि बहुत जल्दी आपको इन दोनों राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, हमने जयपुर पत्र लिख दिया, हमने विभाग को लिख दिया। लेकिन जब 6 महीने लम्बा कार्यकाल बीत गया और निजी शिक्षण संस्थाओं की आस टूट गई और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और जब उनको यह लग गया कि अब राशि आने वाले नहीं है तो उन्होंने मजबूरन उन 505 बालकों को अधूरी शिक्षा देकर बाहर निकाल दिया।

माननीय सभापति महोदय, जब तक नवजीवन योजना आबकारी विभाग के जिम्मे थी, तब तक तो यह राशि बराबर निजी शिक्षण संस्थाओं को मिली, बस चालकों को मिली। लेकिन जब से यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पास चली गई, ऊपर से अधिकारियों ने कह दिया कि नवजीवन योजना में शिक्षा दिलाना हमारी मार्गदर्शिका में नहीं है और उन्होंने इंकार कर दिया। जब, माननीय सभापति महोदय, जिला कलक्टर महोदय ने आदेश दिये, समाज कल्याण विभाग ने आदेश दिये तो उन्होंने भी योजना के दायरे देखे होंगे कि कौन-कौन से दायरे में आते हैं क्योंकि यह पहले से चल रही थी। तो यह कहकर कि यह हमारे नियमों में नहीं है, उन बालकों का भविष्य खराब नहीं किया जा सकता। माननीय सभापति महोदय, आज भी जैतारण में इसी प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है और आज पाली में भी सैकड़ों सांसी जाति के महिला और पुरुष अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार से इस बात की लगातार गुहार कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की फीस

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

भरो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बता दूं, बच्चे पहले कचरा बीनने, जूता पालिश करने या अवैध दारू बनाने का काम करते थे। लेकिन जब उनको शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया, उनका परीक्षा परिणाम आप देख लो, ये सारे के सारे बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे समय में उनकी शिक्षा को अधूरा रख दिया जाएगा तो उन बच्चों का भविष्य वापस अंधकारमय हो जाएगा और उनका वही पेशा हो जाएगा-अवैध दारू बनाना, जूते पालिश करना, कचरा बीनना। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार के पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं, आबकारी विभाग ने उनकी शिक्षा का व्यय अपनी नवजीवन योजना से दिया, मेरा आग्रह है कि जो उनकी फीस बाकी है, आप अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर उन बालकों की फीस जल्दी भरवा दें ताकि आने वाले समय में, अप्रैल-मई में उनका एग्जाम है, वे परीक्षा में बैठ सकें और उनकी शिक्षण व्यवस्था सुचारु चल सके। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, दो मिनट में जवाब दे दें।

श्री सभापति: मंत्रीजी, बोलिए।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पाली जिले के सांसी बच्चे हैं उनकी फीस के लिए जिक्र किया है, यह प्रकरण मेरे ध्यान में आ गया था। मैंने इसकी अनुमति के लिए वित्त विभाग को प्रकरण भेजा है, वित्त विभाग से परमिशन मिलते ही भुगतान करेंगे। वे बच्चे पढ़ें, उनका भविष्य शानदार बने, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। मैं आश्वस्त करता हूं कि यह भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाएगा, थैंक्यू।

श्री सभापति: श्री ओमजी बिरला।

श्रमिक संगठनों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आज पूरे देश का मजदूर, प्रदेश का मजदूर अपने झण्डे, डण्डे छोड़कर एक मंच पर आकर देश में महंगाई, मजदूरों का शोषण, असंगठित मजदूरों के साथ सरकारों के द्वारा न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा न देने को लेकर सम्पूर्ण सेवाओं को ठप्प करके देश और प्रदेशव्यापी हड़ताल पर खड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर इस सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि हम राजस्थान के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी

(श्री ओम बिरला)

बढ़ाएंगे, उनको सामाजिक सुरक्षा और जीवन जीने का अधिकार देंगे, लेकिन आज राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर संगठित और असंगठित मजदूरों को सबसे कम न्यूनतम वेतन मिलता है। हमारे पड़ौस के प्रदेश हरियाणा के अन्दर 173 रुपया न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, दिल्ली के अन्दर अभी सरकार ने अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 234 रुपये दी है, लेकिन राजस्थान के अन्दर? वह मजदूर जिसको दो टाइम के खाने की बात कर लें, 2300 कैलोरी भोजन, उसके तन पर पहनने का कपड़ा, उसके बच्चों के लिए शिक्षा, उसके बच्चों के लिए चिकित्सा, यह तो दूर की बात रही, 135 रुपये के अन्दर वह मजदूर दो टाइम का अपने बच्चों को भोजन नहीं करा सकता। हालत क्या हो रही है? मजदूर के तन पर पहनने को कपड़ा नहीं है, पेट भर भोजन नहीं है। मजदूरी करने वाली मां अपने बच्चों को ठण्ड में ठिठुरता छोड़कर धूप में तपता छोड़कर मजदूरी करती है, लेकिन सरकार उन मजदूरों की चिन्ता नहीं करती। सरकार ने विश्वकर्मा योजना बनायी, उस योजना को बंद कर दिया। श्रमिक कल्याण बोर्ड की योजना बनायी, आज हालत यह है कि श्रमिक कल्याण बोर्ड के अन्दर जब मजदूर रजिस्ट्रेशन कराने जाता है तो उसको कहा जाता है, अपने नियोक्ता का 90 दिन का सर्टिफिकेट दो। ठेकेदार अगर 90 दिन का नियोक्ता का सर्टिफिकेट देता है तो उसको कर जमा कराना पड़ता है, इसलिए वह मजदूर को नियोक्ता सर्टिफिकेट नहीं देता और मजदूर उस योजना में शामिल नहीं होता जिसके कारण आज मजदूर सड़कों पर खड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के श्रम मंत्री बैठे हैं मैं उनको कई जिलों के आंकड़े दे सकता हूं। श्रमिकों के हित की बात करने वाली सरकार को कहना चाहूंगा, कई जिलों के अन्दर तो न बाबू है, न अधिकारी हैं, राजस्थान के 14 जिलों के अन्दर श्रम आफिस बंद पड़े हैं। मापदण्ड के अनुसार प्रदेश की सरकार श्रम कानूनों की पालना नहीं करती जिसके कारण असंगठित, संगठित श्रेत्र का मजदूर आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है।

सभापति महोदय, यह पूरे देश का मामला है, लेकिन प्रदेश का मामला भी है, राजस्थान की सरकार को (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए इस विधान सभा के अन्दर घोषणा करनी चाहिए। उसके साथ दुर्घटना घट जाती है, उसके घर में कोई अपाहिज हो जाता है तो उस मजदूर के बच्चे को दो टाइम का भोजन, उसके तन पर कपड़ा, उसके जीवन की दवा और उसके स्कूल की व्यवस्था सरकार कर नहीं सकती,

(श्री ओम बिरला)

इसलिए, सभापति महोदय, आज पूरे देश का मजदूर हड़ताल पर है। राजस्थान के अन्दर नरेगा से लेकर असंगठित क्षेत्र के अन्दर मजदूरों को ठेका प्रथा के आधार पर लगाया जाता है, संविदा के आधार पर लगाया जाता है जहां न कोई संविदा के नियम हैं, न कानून है। ठेका प्रथा पर लगाने का काम सरकार कर रही है। पूरी सरकार ठेके पर चल रही है, पूरी सरकार संविदा पर चल रही है। संविदा व ठेके के मजदूरों को जो वेतन दिया जाता है, नरेगा में काम करने वाला वह मजदूर पढ़ा-लिखा है, दसवीं पास है (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उसको महीने के अन्दर 1200 रुपये नहीं मिलते, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, सरकार मजदूरों के साथ जल्दी से जल्दी न्याय करें, मजदूर संगठनों की बुनियादी मांगों के लिए उनके साथ बैठकर चर्चा करें। मेरा दावा है हाड़ौती संभाग के अन्दर बारां में आफिस बंद है, झालावाड़ में बंद है, सवाईमाधोपुर में आफिस बंद है, जहां श्रम विभाग के आफिस बंद हैं वहां के मजदूर को न्याय कैसे दिला सकते हैं?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है, आज पूरे देश का, प्रदेश का मजदूर अपने झण्डे लगाकर महंगाई के खिलाफ, न्यूनतम मजदूरी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है... (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान की सरकार वक्तव्य जारी करे और मजदूर के हित में उनकी न्यायसंगत मांगों पर तुरन्त निर्णय करे।

श्री सभापतिः आप विराजो। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान में सरकार खुद अपने विभागों में ठेके पर ले रही है।

श्री सभापतिः मैं नाम पुकार चुका हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार मिनिमम की बात कर रही है, रजिस्ट्रेशन के लिए 10 हजार रुपये जब तक नहीं होंगे, सरकार रजिस्ट्रेशन करने में अड़ंगे लगा रही है...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, मैं नाम पुकार चुका हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज पूरे राजस्थान की तमाम ट्रेड यूनियन, तमाम मजदूर, मैं समझता हूं जब से प्रदेश और देश में राज्य और केन्द्र सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण की नीतियां लागू की हैं, भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी की स्थिति हुई है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के नेतृत्व में चलने वाली इंटक से लेकर बी.एम.एस. तक सबके सब मिलकर अपना जीवन बचाने, प्रदेश और देश को बचाने के लिए...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें। आप भी कर लेते, आप भी इस स्थगन प्रस्ताव के अन्दर बोल लेते।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मांगों के लिए मजदूर पूरे राजस्थान में और देश में संघर्ष कर रहा है, सड़कें बंद हैं। आज पूरे रोडवेज में जिस तरह से कांट्रेक्ट पर लिये जा रहे हैं, बाल विकास विभाग, सब जगह लिये जा रहे हैं (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कम से कम सरकार ठेका प्रथा बंद करे। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब अलाउ नहीं करूंगा। आप प्लीज (व्यवधान)

(13.00 बजे)

राज्य में बिजली कटौती से उत्पन्न स्थिति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, एक तरफ पाले ने और ओले ने किसान को बरबाद किया, दूसरी तरफ सरकार ने बिजली उत्पादन को लेकर तीन साल के अन्दर हर बजट में तालियां पिटवायीं कि हमने इतना किया। लेकिन इस बार ऐसा नीरस भाषण यहां पढ़ा गया कि एक बार भी ताली से अनुमोदन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि सब लोगों के मन में यह दु:ख तो है। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन इनकी क्रियान्विति जब देखते हैं तो क्रियान्विति मन में संतोष देने वाली नहीं बनती है। आपने अपने इसी भाषण में लिखा है कि राज्य सरकार प्राथमिकता से विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कृत संकल्प है। कृत संकल्प है, यह उस किसान से जाकर पूछो तो सही कि तुम कृत संकल्प का परिणाम देख रहे हो या नहीं। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग जो यहां बैठते हैं, उनको सच में किसान की उस पीड़ा का एहसास नहीं है जो खेत में रातभर ठंड में खड़ा रहकर पाणत करता है। यह जो पिछला पूरा समय निकला, फसल को पकाने के लिए किसान रात-रात भर अपनी कोटड़ी पर बैठा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहता है कि कब लाइट आए और कब उसकी मोटर चले। जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जिसके वोट से आप और हम सरकारें बनाते हैं, जिसके लिए रोज घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसकी पीड़ा को कोई समझने का प्रयास नहीं करता है। किसान को जितनी भी बिजली मिले 4 घंटे, 5 घंटे, वह लगातार मिले। हमेशा घोषणा करते हैं कि 8 घंटे बिजली मिलेगी, 5 साल तक बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, बजाओ ताली। और ताली बजा दी। उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम तो वह किसान भुगत रहा है। एक तरफ तो उसकी फसल प्रकृति ने बरबाद की और दूसरी तरफ जो कुछ भी उसने मेहनत करके कमाई है, उसको विभाग की लापरवाही ने बरबाद कर दिया है, किसान को बरबाद कर दिया है। यानी बिल आता है तो इतना आता है कि उसकी क्षमता में नहीं है। जब समय पर पानी नहीं मिलेगा तो फसल में 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत भी पैदावार कम होगी तो आप और हम थोड़े ही भुगतेंगे? वह किसान भुगतेगा। अपने इन वाक्यों से अच्छा तो बड़ा लगता है कि ''मुझे खुशी है कि बीते तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 3 हजार 380 मेगावाट की वृद्धि की गई है।'' चाटें क्या इस वृद्धि को? खेत में नहीं पहुंची तो क्या करें? अगर किसान के कुएं पर बिजली नहीं पहुंची तो आपके इन आंकड़ों से किसान को क्या लेना-देना? दुर्भाग्य से यह एक ऐसा वर्ष निकला है, मेरे भी राजनीति के 35 साल के कार्यकाल में शायद यह पहला वर्ष है कि इतनी विद्युत कटौती हुई है। चाहे वह उद्योग की हो, चाहे वह किसान की हो, चाहे घर की बिजली हो। एक तरफ तो पहले से ही हम कष्ट में हैं, उसके बाद भी कटौती करके जिस प्रकार की स्थिति बनी वह चिंताजनक है। घोषणाएं हम यह करते हैं कि हम तो खरीद कर भी किसान को उपलब्ध कराते हैं। तो फिर 8 घंटे बिजली का राज में आने के पहले का भाषण था जो आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था, आपने कहा था कि हम 5 साल तक कोई बिल नहीं बढ़ाएंगे, उसका क्या हुआ? भगवान के लिए 2008 नवम्बर का बिल उठा लो और उसी किसान का जो आज की तारीख का बिल है, उस बिल को उठाकर अपनी आंख से दोनों को एक साथ देखने का प्रयास करो। आपने पीछे के दरवाजे से जिस प्रकार से किसान को लूटा है, यह एक तरह से दगा है। वोट चाहिए तब तो आप कहते हो कि हम यह देंगे, यह देंगे। आप सीधा कहो न कि हम नहीं दे सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप कह सकते हो कि हमको रेट बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाने के बाद में बिजली तो दो। न तो बिजली मिलती है और न और कुछ मिलता है। किसान एक तरफ प्रकृति

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से बरबाद हो गया, दूसरी तरफ आपकी बिजली की स्थिति यह है। आज की तारीख में किसान के पास सिंचाई का और कोई साधन नहीं बचा, क्योंकि पुराने कुएं सारे सूख चुके हैं और जहां कहीं भी थोड़ी बहुत सिंचाई होती है वह किसी न किसी ट्यूबवैल से होती है और ट्यूबवैल के लिए आपका करंट नहीं आता है। आपको इस दृष्टि से थोड़ा चिंतन करना चाहिए। सरकार का खजाना भरे या खाली रहे लेकिन कम से कम गरीब का, अन्नदाता का पेट भरे, उसके बच्चे का भी पेट भरे और उसको कपड़े मिलें। अगर इस बारे में चिंता नहीं है तो मैं सोचता हूं कि हमारी संवदेनशीलता मर चुकी है। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो हमको इतना ऊंचा चढ़ाते हैं, आज सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई है तो वह किसान है। आप बिजली कहां से काटते हो, कहां से करते हो, इससे उसका लेना-देना नहीं, किसान को बिजली मिलनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे दे सकते हो तो कहो कि हम 12 से 4 बजे देंगे। वह रातभर ठंड में तप-तापकर खेत की पाणत पर बैठा रहता है, फसल की चिंता करता है और हम लोग सब यहां बैठे-बैठे आराम से अपना-अपना भाषण ठोक कर अपने-अपने घर विदा हो जाते हैं। बजाओ ताली, बहुत पैदा हुआ, हमने इतना मेगावाट कर दिया, हमने बांसवाड़ा में यह कर दिया। बांसवाड़ा का सुनते-सुनते तीन वर्ष तो मुझे हो गये, क्या हुआ बांसवाड़ा में? वहां कुछ खड़ा है क्या? केवल घोषणाएं करके लोगों को बहलाते हैं। केवल आपके इन आंकड़ों से उस गरीब का पेट नहीं भरता है, आप और हम जैसे पढ़े-लिखे लोगों का दिमाग जरूर भर जाता है। उस गरीब को बिजली पहुंचेगी, उसके खेत पर सिंचाई होगी और उसके खेत में फसल पैदा होगी तो उसे समझ में आएगा कि सरकार ने बिजली दी। और अगर उसे नहीं पहुंचाई तो आप और मैं यहां भले ही आंकड़ों के कितने ही गीत गाते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं चाहता हूं कि सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में अनियमितता की, किसान को किसी भी प्रकार से राहत देकर लाभ पहुंचाया जाए, उसके बिल में किसी प्रकार की कटौतियां जो आप कर रहे हो, उनमें कमी की जाए ताकि थोड़ा बहुत तो वह बच सके। इसके लिए मैं आसन से आग्रह करता हूं कि थोड़ा संवेदनशील बनकर कम से कम किसान की इस बिजली के बारे में सरकार जरूर कोई निर्णय ले।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सबसे बड़ा किसानों के साथ अन्याय कर रहे हो, उनके मशीनें लगाकर प्रेशर नाप रहे हो। पानी गहरा होने के कारण से चला गया...

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): पानी गहरा होने के कारण से वोल्टेज बढ़े हैं लेकिन उनसे 7 की जगह साढ़े 17 की मोटर का चार्ज लिया जाता है। इलैक्ट्रिक मीटर की दलाली कम्पनियों के एम.डी. खा गये...

श्री सभापति: आप बैठिये। विराजो। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री बाबूसिंह राठौड़। आपका अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजें। आपका अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। श्री बाबूसिंह राठौड़।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 114 का सुदृढ़ीकरण

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भारत सरकार के नई दिल्ली में स्थित कार्यालय राष्ट्रीय राज मार्ग व यातायात विभाग के अनुभाग अधिकारी (पी-2) के पत्र दिनांक 06 जुलाई, 2010 द्वारा विभागीय वार्षिक प्लान 2010-11 में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 114 जोधपुर-पोकरण सड़क नवीनीकरण वर्ष 2008 के लिए किमी 45 व सड़क नवीनीकरण वर्ष 2004 किमी 46 से किमी 53 तक (ग्राम आगोलाई) एवं सड़क नवीनीकरण वर्ष 2008 में किमी 59 व वर्ष 2004 में सड़क नवीनीकरण किमी 60 से किमी 69 तक सड़क के पुन: नवीनीकरण हेतु राशि 16 करोड़ एवं किमी 69 से किमी 75 तक चार लाइन सड़क निर्माण कार्य हेतु राशि 14 करोड़ स्वीकृत की गयी, परन्तु विभागीय अधिकारियों की अनदेखी एवं लापरवाही के कारण उक्त सड़क मार्ग नवीनीकरण कार्य नहीं हो पाया, जबकि इसी वार्षिक प्लान में सम्मिलित सड़क किमी 129 से 140 व किमी 153 से 176.5 तक सड़क का नवीनीकरण कार्य आदेश कर दिया गया।

जोधपुर-बालेसर राष्ट्रीय राजमार्ग-114 पर स्थित ग्राम बम्बोर से फलौदी फांटा तक राष्ट्रीय राजमार्ग का रख-रखाव करने वाले अधिकारियों की अनदेखी एवं लापरवाही के कारण मुख्य सड़क पर जगह-जगह गड्ढों के कारण क्षतिग्रस्त सड़क होने से शेरगढ़ तहसील के इतिहास में पहली बार 27 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें करीबन 23 व्यक्तियों की मृत्यु व 90 से अधिक

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

व्यक्ति घायल हुए हैं। इस सम्बन्ध में बालेसर थानाधिकारी द्वारा सड़क हादसों में कमी लाने हेतु उपखण्ड न्यायालय शेरगढ़ में जन हित में अपील भी दायर की गई।

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 114 सड़क जो कि जोधपुर से बालेसर-पोकरण-रामदेवरा होते हुए जैसलमेर को जाती है, इस सड़क पर अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यटकों का अधिक आवागमन रहता है और वर्तमान में विश्व के मानचित्र पर भी जैसलमेर अपना स्थान बना चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण आर्मी (मिलिटरी) व बी.एस.एफ. के भारी वाहनों की गतिविधियां भी निरन्तर इसी मार्ग पर रहती हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 में करीब 30 करोड़ रुपये सड़क के सुदृढ़ीकरण व चार लेन के लिए स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी प्रति संलग्न है और इस मार्ग पर कार्यरत अधिकारियों की उदासीनता के कारण उक्त राशि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग में नहीं लेने के कारण राशि लैप्स (खर्च नहीं) हो गई। यह अधिकारियों की लापरवाही है जिससे प्रदेश का विकास अवरूद्ध हुआ है। विभागीय वार्षिक प्लान 2010-11 में स्वीकृति अनुसार नवीनीकरण कार्य नहीं करवाये जाने के कारण जगह-जगह गड्ढों से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई जिसके कारण उक्त मार्ग पर बार-बार पैचवर्क करवाने से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों पर गौर फरमाते हुए विभागीय वार्षिक प्लान 2010-11 में सम्मिलित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 जोधपुर-पोकरण सड़क नवीनीकरण वर्ष 2008 में किमी 45 व सड़क नवीनीकरण वर्ष 2004 में किमी 46 से किमी 53, सड़क नवीनीकरण वर्ष 2008 में किमी 59 व सड़क नवीनीकरण वर्ष 2004 में 60 से 69 किमी को पुनः नवीनीकरण सड़क कार्य हेतु स्वीकृत राशि 16.00 करोड़ एवं सड़क किमी 69 से किमी 75 तक दो लाइन से चार लाइन में सड़क निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि 14.00 करोड़ का कार्य करवाने एवं जोधपुर-जैसलमेर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 पर बालेसर कस्बे में मुख्य मार्ग की सड़क जो करीबन 1.50 किमी के लगभग है, मार्ग को दो लेन से चार लेन में निर्माण कार्य व मीठीबेरी से बालेसर के मध्य मार्ग पर पूर्व में बनी रपटों को भी चौड़ा करने, डिवाइडर व नाली का निर्माण करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव।

अलवर जिले में पाले और शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत पाले और शीतलहर से अलवर जिले की फसलों में हुए नुकसान से किसानों को राहत दिलाने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान के किसानों की फसल बरबाद हुई है जिसमें जिला अलवर के किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है क्योंकि राजस्थान की कुल सरसों उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत सरसों का उत्पादन अकेला अलवर जिला करता है। गत दिनों पाले व शीतलहर के कारण अलवर जिले के किसानों की 80 प्रतिशत सरसों व 60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक गेहूं व जौ की फसलों में नुकसान हुआ है। एक तरफ राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद भी किसानों को कस्टोडियन, रहन, मूर्त रहन भूमि तथा वर्ष 2003 में कब्जे के आधार पर दी गई गैर खातेदारी आदि भूमि के राज्य सरकार के अस्पष्ट निर्देशों के कारण खातेदारी के पट्टे नहीं मिल रहे हैं जिसके कारण गैर खातेदार किसानों को कृषि सम्बन्धित लोन व कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं जिसके कारण अन्य प्राइवेट संस्थाओं से भारी ब्याज पर कृषि कार्य करने के लिए किसानों को लोन लेना पड़ रहा है। दूसरी ओर, ग्रामीण सहकारी समिति के कृषक सदस्यों के ऋण में से उक्त वित्तीय संस्थाएं बीमा प्रीमियम राशि वसूल करती हैं।

उक्त संस्थाओं द्वारा भी बीमा की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार एवं बीमा कम्पनी के उप खण्ड स्तर पर स्थापित तापमान मापक यंत्र की 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी तापमान सम्बन्धी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। ऐसी आपात स्थिति में जब किसान की फसल पाले व शीतलहर की चपेट में आने से बर्बाद हो गई है तथा राज्य सरकार ने कोई खसरा गिरदावरी/सर्वे चालू नहीं किया है और न ही सरकार ने किसानों को कोई वित्तीय राहत देने की घोषणा की है, अलवर जिले का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है।

अलवर जिले के किसानों को उक्त विकट परिस्थिति से उबारने के लिए मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अलवर जिले के किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए रुपये 10,000/- प्रति बीघा सरसों व रुपये 8,000/- प्रति बीघा गेहूं-जौ की मुआवजे की घोषणा करे

(श्री रामहेत सिंह)

तथा माह अक्टूबर, 2011 से कृषि विद्युत कनेक्शनों के बिल माफ करे तथा कस्टोडियन, रहन, मूर्त रहन भूमि व कब्जे के आधार पर सैटलमेंट द्वारा 2003 में दी गई गैर खातेदारी भूमि आदि को कैम्प लगाकर शीघ्र ही किसानों को खातेदारी दी जावे और राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. विश्वनाथ मेघवाल।

छतरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा दलित की हत्या

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत पुलिस द्वारा दलित की हत्या कर शव नहर में फेंकने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

दिनांक 17.02.2012 शुक्रवार सायंकाल पुलिस चौकी के दो सिपाही चक 2 जीएम निवासी दो सगे भाइयों किशनलाल व नौरंगलाल मेघवाल को पकड़कर ले गये। इन दोनों को पुलिस चौकी में रखा व दिनांक 18.02.2012 को नौरंगलाल को सायंकाल छोड़ दिया गया। इनके पिता चानणराम ने दिनांक 18.02.2012 को सायंकाल छतरगढ़ पुलिस थाने में अपने पुत्र किशनलाल के साथ हुई अनहोनी की रिपोर्ट दी कि किशनलाल को पुलिस ने गायब कर दिया है। बाद में इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस चौकी के तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने किशनलाल की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया है तथा साक्ष्य के रूप में लोगों ने पुलिस चौकी के पीछे खून से सने पत्थर व लकड़ी भी दिखाई, जिस पर पुलिस ने पत्थर व लकड़ी को सील कर दिया है। दिनांक 26.02.2012 को किशनलाल का शव नहर में मिल चुका है।

सभापति महोदय, इसकी उच्चस्तरीय जांच कर पीड़ित परिवार को रुपये 10 लाख का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर दलित परिवार को न्याय दिलवाया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अजय सिंह।

डेगाना उपखण्ड पर 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता को सदन के सामने लाना चाहता हूं।

(श्री अजय सिंह)

डेगाना उपखण्ड मुख्यालय तीन ग्राम पंचायतों गोरेडी, चांचा, लंगोड़ एवं झगड़वास से मिलकर बना है। डेगाना में उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, सामुदायिक चिकित्सालय, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, उप कोषागार, कृषि उपज मण्डी, पशु चिकित्सालय, मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालयों के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक एवं ग्रामीण व सहकारी बैंक स्थित हैं।

डेगाना की आबादी 15,000 से अधिक है तथा 50 किलोमीटर की परिधि के विद्यार्थी, मजदूर, किसान, कर्मचारी भी अस्थाई रूप से निवास करते हैं। दुर्भाग्य है कि जिले के मध्य स्थित इतने बड़े कस्बे में विद्युत आपूर्ति 30 किलोमीटर दूर स्थित सांजू में बने जी.एस.एस. से हो रही है। सांजू से आने वाली विद्युत सप्लाई डेगाना कस्बे से होकर आसपास के 30 किलोमीटर की परिधि के गांवों में होती है तथा कई गांव तो मकराना व परबतसर विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। डेगाना कस्बे में 3,150 केवीए व 5,000 केवीए के ट्रांसफार्मर 33 के.वी. लाइन से जुड़े हुए हैं। इसी लाइन पर लंगोड़ में 3,150 केवीए व ईडवा में 1,600 केवीए का ट्रांसफार्मर भी जुड़ा हुआ है। सांजू से आने वाली विद्युत सप्लाई लम्बी लाइनों एवं अधिक उपभोक्ताओं के कारण प्रसारण एवं वितरण की हानि अधिक होती है। लाइनों में फाल्ट व ट्रिपिंग की समस्या हमेशा बनी रहती है। फलस्वरूप डेगाना कस्बे व आसपास के गांवों की विद्युत आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है। कस्बे में विद्युत भार 150 एम्पीयर तक हो जाता है जबकि इसकी क्षमता 100 एम्पीयर तक ही है। विद्युत आपूर्ति में बाधा के कारण आम उपभोक्ताओं एवं सरकारी कार्यालयों, बैंकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों को विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि उपखण्ड मुख्यालय पर गांवों से आने वाले ग्रामीणों को बिना कार्य वापस लौटना पड़ता है। उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान डेगाना कस्बे में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित कर किया जा सकता है।

यहां उल्लेखनीय है कि डेगाना कस्बे के समकक्ष जिले के सभी उपखण्ड मुख्यालय पर जी.एस.एस. 132 के.वी. स्थापित हैं। विद्युत सेवाओं के मामले में डेगाना कस्बा कई वर्षों से उपेक्षित रहा है। सरकार विधान सभा क्षेत्र डेगाना के आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखकर सौतेला व्यवहार कर रही है।

(श्री अजय सिंह)

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से आग्रह है कि डेगाना क्षेत्र के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र डेगाना में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित कर आम जनता को राहत दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

भीम-देवगढ़ क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव द्वारा विधान सभा क्षेत्र भीम-देवगढ़ में पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान हेतु जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम-देवगढ़ को जो कि भौगोलिक दृष्टि से पूरी तरह से मगरा क्षेत्र है, हमेशा पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में भी यहां पर पानी की किल्लत के कारण जनता काफी परेशान है। इस कारण इस समस्या का स्थाई समाधान करना अत्यन्त आवश्यक है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्षेत्र में पेयजल की इस गम्भीर समस्या के स्थाई समाधान हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना द्वारा निम्नांकित स्रोतों से अभावग्रस्त क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाए तो इस समस्या का हल सम्भव है। जैसे समीप ही स्थित निमझर बांध से लसानी एवं बीच में पड़ने वाले ग्राम मदारिया, दौलपुरा, भवरिया का चौड़ा, घाटी कलालों की आंती, आंजना, देवगढ़ तथा इसके अन्तर्गत आने वाले गांवों को पाइप लाइन डालकर पानी की सप्लाई कर लाभान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त छापली स्थित हरीसागर से कामलीघाट चौराहा एवं रास्ते में पड़ने वाले ग्राम दिवेर, खीमाखेड़ा, बरजाल, बाघाना व विजयपुरा तक इत्यादि को पाइप लाइन डालकर लाभान्वित किया जाए। इसके साथ ही यदि कामली के बेलकियों की नाल से ओपन वैल खुदाकर नगर देवगढ़ तक पाइप लाइन द्वारा पानी की सप्लाई की जाए तो क्षेत्र में पेयजल की इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा यदि चम्बल नदी से भीलवाड़ा के साथ-साथ भीम विधान सभा क्षेत्र को भी जोड़ दिया जाता है तो पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान भी काफी हद तक सम्भव है एवं बाघेरी नाका पाइप लाइन जो कि आमेट तक डाली जाना प्रस्तावित है, उसे अगर देवगढ़ नगर तक जोड़ा जाए तो देवगढ़ के लिए पेयजल का स्थाई समाधान हो जाएगा।

(श्री हरिसिंह रावत)

अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त योजनाओं द्वारा पेयजल व्यवस्था सुचारु बनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जाएं एवं क्षेत्र में उक्त योजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाए ताकि जनता को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छोटूसिंह भाटी।

जैसलमेर जिले के किसानों की फसल को पाले से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सीमांत जिले जैसलमेर में इस वर्ष रबी की फसल पर पड़ी शीतलहर (पाला) के कहर से लाखों बीघा भूमि पर अरबों रुपयों की किसानों की फसल बरबाद हुई है। उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मुआवजे की मांग हेतु निवेदन करता हूं।

जैसलमेर जिले में इस वर्ष नहरी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने की वजह से रबी में लाखों बीघा भूमि पर बोई गई चना, सरसों, ईसब, तारामीरा, जीरा, अरण्डी की अरबों रुपयों की फसल होने का किसानों को अनुमान था परन्तु ठीक ही कहा गया है कि जब तक किसान का अनाज मण्डी में नहीं पहुंच जाता, तब तक यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि उन्हें उचित फसल का लाभ मिला है। इस वर्ष भी लहलहाती फसलों को देखकर सभी किसान खुशी से तर थे परन्तु एकाएक विगत महीने में पड़ी एक दिन की भयंकर काली सर्दी ने किसानों की खुशियां बरबाद करके रख दीं। सर्दी ने एक ही रात में ऐसा कहर बरपाया कि किसानों की खुशियां मातम में बदल गई। लाखों बीघा भूमि पर खड़ी चना, सरसों, ईसब, तारामीरा, जीरा, अरण्डी, गेहूं की फसल सर्दी के प्रकोप से एक ही रात में 50 से 100 प्रतिशत तक खराब हो गई। कुछ क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र में मौसम ने कहर बरपा दिया है। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि शीतलहर के प्रकोप के कारण हुए फसल को नुकसान के सम्बन्ध में सरकार के पास मुआवजे का अधिक प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा यदि उचित कदम नहीं उठाये गये अथवा नियमों में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो किसानों के सामने रोजी-रोटी एवं अस्तित्व का खतरा खड़ा हो जाएगा। अतः मेरी सरकार से यह मांग है कि इस विषय पर विधान सभा में चर्चा कर उचित कदम उठाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओटारामजी देवासी।

शिवगंज-पिण्डवाड़ा फोरलेन सड़क हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हूं। महोदय, सिरोही जिले से गुजरने वाले नेशनल हाइवे नम्बर 14 को शिवगंज से पिण्डवाड़ा तक फोरलेन में परिवर्तन करने हेतु सरकार द्वारा किसानों की अवाप्त की गई भूमि बहुत कीमती व उपजाऊ है और सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा अपर्याप्त ही नहीं, न्यायसंगत भी नहीं है। इस क्षेत्र की कृषि भूमि का बाजार दर (भाव) रुपये 20 से 25 लाख प्रति बीघा चल रहा है इसलिए सरकारी डीएलसी दर का मुआवजा किसानों को मंजूर नहीं है। इसका सीधा उदाहरण राज्य सरकार ने सांचोर उपखण्ड के किसानों को 15000 रूपये डीएलसी दर के एवज में रुपये 5,25,000 अक्षरे पांच लाख पच्चीस हजार रूपये दिया है। इस क्षेत्र में कुआ खुदाई में प्रति फीट 10,000 से 15,000 रूपये की लागत आती है और हर कुआ लगभग 150 फीट से अधिक गहरा है, अतः कुओं का मुआवजा 15 से 20 लाख रूपये दिलवाया जाए। यह कि क्षेत्र में मकान इत्यादि के निर्माण पर भी शहरी क्षेत्र से कम लागत नहीं आती है क्योंकि मकान सामग्री शहरों से ही लाई-खरीदी जाती है, अतः मकानों व अन्य इमारतों का मुआवजा भी न्यायसंगत होना चाहिए जो नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को सांचोर क्षेत्र के मुताबिक मुआवजा दिया जाए तथा मकानों के लिए भी शहरी तर्ज पर लोगों को मुआवजे दिये जाएं।

श्री सभापति: डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह।

संगरिया क्षेत्र के पारिवारिक विवादों की संगरिया न्यायालय में यथावत सुनवाई

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत संगरिया क्षेत्र के पारिवारिक विवादों के प्रकरणों की सुनवाई संगरिया न्यायालय में यथावत् रखने बाबत मेरा प्रस्ताव है कि पिछले कुछ समय से संगरिया क्षेत्र के पारिवारिक विवादों के प्रकरण संगरिया न्यायालय से हनुमानगढ़ में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। इससे संगरिया क्षेत्र के पक्षकारों को हनुमानगढ़ जाना पड़ता है जिससे समय और धन दोनों की हानि हो रही है। गरीबों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए पारिवारिक विवादों के प्रकरणों की सुनवाई संगरिया न्यायालय में ही करने की व्यवस्था यथावत् रखना जनहित में है। संगरिया न्यायालय में पारिवारिक

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

विवादों के प्रकरणों की सुनवाई के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। जनहित में पारिवारिक मामले हनुमानगढ़ में स्थानांतरित करने के बजाय उनकी सुनवाई संगरिया न्यायालय में ही किया जाना उचित होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कमला कस्वां।

सादुलपुर में तेज सर्दी से खराब हुई फसलों का मुआवजा

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): सभापति महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़े पाले, बर्फबारी एवं तेज सर्दी से हुए फसल खराबे के मुआवजे के संबंध में निवेदन है कि मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में बोई गई रबी की फसल पर हाल ही में पड़ने वाली तेज सर्दी व बर्फ जमने से किसानों की सरसों, चना, गेहूं, मेथी की फसल 90 से 95 प्रतिशत तक नष्ट हो चुकी है। प्रदेश में तेज सर्दी की मार से किसान पूर्णतया टूट चुका है। यही नहीं, गत वर्ष भी अधिक वर्षा से किसानों की पकी-पकाई फसल नष्ट हो चुकी है। दिनांक 17.2.2012 को पंचायत समिति मुख्यालय पर जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों किसान अपनी नष्ट हुई फसल के नमूने लेकर जिला कलक्टर के समक्ष आये किन्तु कलक्टर कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं दे सके। एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी गिरदावरी का कार्य नहीं हुआ है, न ही बीमा कम्पनी के द्वारा फसल बीमा योजनान्तर्गत मुआवजा देने की शुरूआत की गयी है। यह भी पता नहीं कि कब व कितना मुआवजा देंगे। किसान की कमर टूट चुकी है, ऐसे में सरकार ने बिजली बिल वसूली के नाम पर कुओं के कनेक्शन काटने शुरू कर दिये हैं, रही-सही कसर पूरी कर दी है। किसान की बची-खुची फसल भी सरकार कनेक्शन काटकर बरबाद करने पर तुली है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पाले से बरबाद हुई फसल का मुआवजा तुरन्त किसान को दे व बिजली के बिल माफ करे, ताकि किसान अपनी फसल जो थोड़ी-बहुत बची है, प्राप्त कर सकें।

श्री सभापति: श्री ओम जोशी।

फलौदी में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र दूरस्थ राजस्व गांवों एवं ढाणियों में बसा हुआ विस्तृत क्षेत्र है

(श्री ओम जोशी)

तथा एक गांव से दूसरे गांव, यहां तक कि एक पंचायत मुख्यालय से दूसरे पंचायत मुख्यालय की दूरियां भी काफी अधिक हैं परन्तु निरन्तर उपेक्षा के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में आवागमन के लिए डामर सड़कों का अभाव है तथा अभी तक कई गांव सुगम रास्तों से वंचित हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, मिसिंग लिंक सड़क, धार्मिक स्थल जोड़ने की सड़क के निर्माण में पिछले तीन वर्षों में आशाजनक स्वीकृतियां प्राप्त हुईं एवं कार्य प्रक्रिया प्रगति पर है। मेरा क्षेत्र जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर-नागौर जिला सीमाओं से सटा हुआ है तथा फलौदी मुख्यालय से करीब 160 किमी दूरी के मध्य स्थित है। फलौदी, ओसियां-जोधपुर सड़क करीब 210 करोड़ की महती योजना मय फलौदी में अन्डर ब्रिज सहित निर्माण की स्वीकृति के लिए क्षेत्र की जनता माननीय मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करती है तथा यह आशा करते हैं कि निम्न अति आवश्यक सड़कों के निर्माण की स्वीकृति विशेष पैकेज के तहत करवाकर हक प्रदान कराएं क्योंकि निम्न इलाकों में सौर ऊर्जा का हब बनने एवं बिजली उत्पादन की विशाल व प्रबल संभावनाओं के मद्देनजर आवागमन की सुविधाएं आवश्यक हैं। नूरे की बुर्ज से भड़ला-चुहड़ों की बस्ती दूरी 21 किमी, यह बड़ा गांव जोधपुर जिले के किसी भी गांव से जुडा नहीं है। जैसलमेर जिले से होकर करीब 40 किमी अतिरिक्त दूरी तय कर जाना पड़ता है। इसी प्रकार मलार से नाथ का मगरा 9 किमी, धोलिया से टेकरा 13 किमी, ढढू से उग्रास 7 किमी, धोलिया से जिला सीमा छायण 6 किमी, अजासर से रोहिणा 6 किमी, मोखेरी हाइवे से गज्जा के पास हाइवे 10 किमी, बारू से छायण जिला सीमा जैसलमेर 4 किमी के साथ-साथ निम्न आवश्यक रास्तों को सुगम बनाने के लिए डामर सड़क बनाई जाए-फलौदी से नवगज्जा पीर-मावड़ियाजी का थान कुण्डल हमीरजी का थान (रावरा तालाब) 10 किमी, रणीसर से पड़ीयाल 3 किमी, मोखेरी से जालोड़ा 7 किमी, मोरिया से पड़ीयाल नवीनीकरण, देगावड़ी से सिवाण्दी 10 किमी, मयोकोरिया से जैमला वाया लोकायत 11 किमी, चाम्पासर-जोगीनाड़ा 4 किमी, बैगटी से जैमला 8 किमी, खीचन से धोलासर 8 किमी, खेंगासर से खाजूसर 2 किमी, देणोक से भीयासर वाया नाथजी का धूणा 5 किमी, जालधड़ा से ढाढरवाला 4 किमी, कानासर से नेवा 6 किमी, बारू से छायण 3 किमी, माण्डली से सांवरगांव 7 किमी, खिदरत से सोढाधड़ा-जाभां जोड़ने हेतु 12 किमी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र की इन महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक सड़कों को बनवाने हेतु शीघ्र ही कार्यवाही अमल में लाएगी और अविलम्ब इन सड़कों की स्वीकृति

(श्री ओम जोशी)

जारी करवाएगी ताकि क्षेत्र की जनता को आवागमन में सुविधा प्राप्त हो एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। हाल ही में माननीय पीडब्लूडी मंत्री महोदय द्वारा क्षेत्र का दौरा किया गया और उस दौरे के अन्तर्गत सकारात्मक परिणाम आये। हालात से वह रूबरू हुए और हमें इन सभी सड़कों के लिए विशेष पैकेज का आश्वस्त किया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

सोजत से गुजर रहे फोर लेन हाईवे नं. 14 की अवस्थिति

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं विधान सभा क्षेत्र सोजत से गुजर रहे नेशनल हाइवे नम्बर 14 के बारे में अवगत कराना चाहती हूं कि राजस्व नक्शा अनुसार सोजत शहर दो चक में स्थित है। सोजत शहर चक प्रथम और द्वितीय ट्रेस नक्शे में सम्पूर्ण क्षेत्र को विभिन्न खसरान में दर्शाया गया है तथा सोजत शहर के मध्य से ब्यावर से पिण्डवाड़ा जाने वाला राष्ट्रीय मार्ग संख्या 14 स्थित है। सोजत नगरपालिका वार्डों की संख्या 25 है जो उक्त रोड के दोनों तरफ स्थित हैं तथा दोनों तरफ आबाद बस्तियां हैं। मोड़ भट्टा पूर्ण रूप से वाणिज्यिक दुकानों, ट्रांसपोर्टों, चूने-भट्टे व मेहंदी फैक्ट्रियां औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। हवाई पट्टी भी इसी क्षेत्र में है, जोधपुर संभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई पट्टी मानी जाती है जिससे सोजत एक तरफ तो सूकड़ी, लिलडी नदी के कारण स्थित होने से रुक गया है। दूसरी ओर दक्षिण दिशा में प्राधिकरण द्वारा एनएच 14 की प्रस्तावित अधिसूचना से सोजत चक प्रथम एवं द्वितीय के बीच आबादी क्षेत्र विकसित व भीड़भाड़ वाले इलाके में बनने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य के पाली जिले में राजमार्ग संख्या 14 के लिए 5.330 किमी से 192.520 किमी (पाली सैक्शन) तक के भूखण्ड निर्माण (चौड़ा करने, चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए दिनांक 17.12.2009 व दिनांक 5.5.2010 को दैनिक समाचार पत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर विनिर्दिष्ट भूमि के अर्जन की गलत तरीके से घोषणा की, उसके संदर्भ में जन हित में किसी प्रकार की आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गईं, न ही इससे संबंधित नगरपालिका में इस संबंध में प्राधिकरण ने किसी प्रकार की अनापत्ति चाही है जो इस कार्य के लिए न्यायसंगत एवं आवश्यक है। लेकिन प्रभारी महोदय तथा सरकार द्वारा इस विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया गया

(श्रीमती संजना आगरी)

है। सरकार द्वारा पाली सैक्शन के फोर लेन की अधिसूचना जारी की गई जिसको छह लेन में बिना किसी अधिसूचना के परिवर्तन किया जाकर निर्माण कार्य करने को उतारू है। उक्त लेन ब्यावर से पिण्डवाड़ा तक बनना संभावित है जिसमें कई गांव और शहर आये हुए हैं, जैसे बर, पिपलिया, चंडावल, पाली और अन्य को बाइपास से जोड़ा गया है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के बड़े शहर सोजत में जो विश्वविख्यात मेहंदी नगरी है, जिससे करोड़ों के उद्योग, महाविद्यालय एवं धार्मिक स्थल नष्ट हो रहे हैं, आमजन को आर्थिक नुकसान हो रहा है, नगरपालिका क्षेत्र से 4 किमी दूर बाइपास स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। इससे पूर्व नगरपालिका, सोजत द्वारा दिनांक 14.11.2005 एवं 3.11.2011 को सर्वसम्मति से बाइपास हेतु प्रस्ताव लिये गये। इस बाबत पूर्व मंत्री महोदय माननीय श्री टी.आर. बालू साहब, केन्द्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को एवं माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार को भी वर्ष 2008 व वर्ष 2011 को एवं हाल ही में पाली प्रवास पर उक्त संबंध में अवगत कराया गया।

उक्त के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पाली में तैनात प्रोजैक्ट डायरेक्टर श्री रामनारायण चौधरी को ए.सी.बी. की टीम ने दिनांक 24/02/2012 को करोड़ों की संपत्ति के साथ गिरफ्तार किया। ऐसी परिस्थितियों में कार्यवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

सोजत शहर (मेहंदी नगरी) के जनता के हित को दृष्टिगत रखते हुए फोर लेन को शहर से 3-4 किलोमीटर तक बाइपास कर निकाला जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया।

हनुमानगढ़ की रावतसर-नोहर-भादरा सड़क का सुदृढ़ीकरण

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले की वर्तमान में सबसे खराब सड़क रावतसर-नोहर-भादरा की ओर दिलाना चाहूंगा। जिले की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक यह सड़क आजकल सरकार की अनदेखी के चलते खस्ता हालात में है। लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई की यह सड़क स्टेट हाइवे के दर्जे की है परन्तु आज इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। पूरी सड़क जगह-जगह से टूट चुकी है और इस सड़क में इतने गड्ढे पड़ चुके हैं कि इस पर चलने वाले वाहन मात्र 30-

(श्री अभिषेक मटोरिया)

40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा चल नहीं पाते तथा आये दिन वाहन इस टूटी सड़क की वजह से जगह-जगह पर खराब भी हो जाते हैं। अभी हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जनता के साथ मिलकर पूरी सड़क को रावतसर से लेकर भादरा तक जाम किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मरम्मत के नाम पर मात्र खानापूर्ति करके मरम्मत के कार्य को दो दिन बाद ही समाप्त कर दिया। सड़क की जर्जर अवस्था के कारण आये दिन इस पर दुर्घटनाएं होती हैं। इसकी वजह से इस क्षेत्र की जनता पूरी तरह से तंग आ चुकी है और किसी भी समय जनता का जन आक्रोश फूट सकता है। पूर्व में इस सड़क को पी.पी.पी. योजना के तहत लिया गया था परन्तु बाद में राज्य सरकार ने इसे बी.ओ.टी. बेसिस पर करवाने का निर्णय लिया। लेकिन वास्तविकता में इस सड़क का आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं हुआ।

महोदय, यह सड़क गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली क्षेत्र की प्रमुख सड़कों में से एक है और इस पर वाहनों की आवाजाही भी अत्यधिक है। इसकी महत्ता समझते हुए राज्य सरकार जल्द से जल्द इसका नव निर्माण करवाए जिससे दोनों जिलों के लोगों को भारी राहत मिल सके।

श्री सभापति: आज दिनांक 28 फरवरी, 2012 को शून्यकाल में बोलने हेतु पच्चीस पर्चियां प्राप्त हुईं जिसमें श्लाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं। निम्न चार माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी। श्री पवन कुमार दुग्गल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

रावला-घड़साना गोलीकाण्ड की जांच करने वाले गोयल आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसने जो जुल्म किया, किसान के ऊपर गोलियां चलाईं, किसान को मारने का जो काम किया, तीन साल बीतने के बाद कांग्रेस पार्टी उनको बचाने का काम कर रही है। सभापति महोदय, घटना 27 अक्टूबर, 2004 की है जब घड़साना और रावला में किसान पानी

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

मांगने के लिए उपखण्ड कार्यालय के आगे धरना दे रहे थे। मांग उनकी इतनी थी कि किसान बरबाद हो गये, उनकी फ़सलों को बचाने के लिए पानी चाहिए। मगर हालात क्या बने कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिना सोचे-समझे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गयीं? 27 अक्टूबर, 2004 को, सभापति महोदय, मात्र 18 साल के मासूम कालासिंह को गोली से उड़ा दिया गया। केवल कालासिंह को ही नहीं, राजकुमार सिंधी जिसकी उम्र 24 साल थी, मांगीलाल जिसकी उम्र 24 साल थी, उनको इसलिए गोलियों से उड़ाया कि उन्होंने किसान के साथ पानी मांगा था। उसी दिन जेठाराम मेघवाल को राह चलते पूर्ववर्ती सरकार ने गोलियों से भून दिया। सभापति महोदय, किसान-मजदूर-व्यापारी संघर्ष समिति के बैनर तले किसान आंदोलन चल रहा था। जनता में जब इस बात का संदेश गया, सरकार ने अपनी रंग-बिरंगी पुलिस को भेजकर, पुलिस ही नहीं, सभापति महोदय, जब पुलिस से काम नहीं चला तो हिन्दुस्तान की मिलिटरी भेजकर इन्होंने किसान को दबाने का काम किया। मगर किसान की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने केजरीवाल आयोग की स्थापना की कि गोलीकाण्ड के अन्दर निर्दोष लोगों को मारा गया है उसकी जांच केजरीवाल आयोग करेगा। सभापति महोदय, दुर्भाग्यवश माननीय केजरीवाल भी नहीं रहे और जांच तब्दील करके गोयल आयोग को सौंप दी गई। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान के पानी मांगने पर गोली चलाई, किसान के मासूम बेटों को मारा, और जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, किसान की फ़सलों की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार ने तीन साल निकलने के बाद, मुझे, सभापति महोदय, सदन में इस बात को कहना पड़ रहा है कि खुद कांग्रेस उस संघर्ष में साथ थी, माननीय बी.डी. कल्लाजी वहां उपस्थित थे, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं डा. चन्द्रभानजी, वह भी उस आंदोलन में साथ थे, मगर तीन साल निकलने के बाद गोयल आयोग की रिपोर्ट आज तक, कांग्रेस ने राज में आने के बाद सार्वजनिक नहीं की गयी। इससे सीधा हमारा आरोप है कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया, कांग्रेस सरकार सत्ता में आकर उन मुलजिमों को शह दे रही है, मुलजिमों को बचाने का काम कर रही है। सभापति महोदय, आठ साल निकल गये-चार साल पूर्ववर्ती सरकार ने निकाले, तीन साल वर्तमान कांग्रेस सरकार ने निकाले, सात साल निकलने के बाद भी आयोग की रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक नहीं की। इसलिए आपके

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि सात साल निकल गए, दो साल कांग्रेस के बाकी रह गये हैं, वह रिपोर्ट जो माननीय गोयल आयोग ने पेश की है, सरकार के पास जो रिपोर्ट आ चुकी है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि जुल्म करने वालों को सज़ा मिले और किसान का वोट लेने वालों को एहसास हो कि किसान का असली हकदार कौन है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि गोयल आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। माननीय गृह मंत्रीजी भी बैठे हैं उनसे निवेदन है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, ताकि किसानों पर हुए जुल्म का सही आकलन जनता के सामने जा सके।

श्री सभापति: श्री ग्यारसाराम कोली।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जवाब तो दिलवा दीजिये, साहब।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, निश्चित तौर पर जुल्म हुआ, आठ लोगों को पानी मांगने पर ...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गोली किसके इशारे से चली? आठ किसान के बेटे मरे थे, कम से कम जवाब तो आना चाहिए सदन के अन्दर।

श्री पेमाराम (धोद): आठ लोगों को गोलियों से भूना गया, आयोग की रिपोर्ट आ गयी, सरकार से हमारा निवेदन यह है कि उस आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। जिन लोगों ने किसान के बेटों को पानी मांगने पर मारा था, गोलियां चलायी थीं, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोल रहे हैं न।

श्री पेमाराम (धोद): उनको सीख़चों के भीतर बंद किया जाए। आप निर्देशित करें मंत्री महोदय को जिससे मंत्री महोदय यहां आश्वासन दें कि वो रिपोर्ट किस तारीख को सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरे राजस्थान का किसान इस ओर देख रहा है कि रावला-घड़साना गोलीकांड किसके इशारे पर हुआ था। जब रिपोर्ट आ चुकी है तो सदन के पटल पर होनी चाहिए।

श्री सभापति: ये बोल रहे हैं न, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गृह मंत्रीजी इसका दो मिनट जवाब दे दें, साहब। इतना महत्वपूर्ण मामला है और आप इसको ऐसे ही कहकर टाल रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान की जनता के लाखों-लाख रुपये खर्च हुए हैं और ऐसी दुर्घटनाएं दुबारा नहीं हों, इसके लिए आयोग बैठाया जाता है। आयोग की जब रिपोर्ट आ जाती है तो राजस्थान की सरकार को एक्शन टेकन के साथ विधान सभा के अन्दर रखना लाजिमी है, निश्चित रूप से रखें-जिनकी लापरवाहियां रहीं, जिनकी गलती के कारण इतना बड़ा हादसा राजस्थान में हुआ। हमारे गृह राज्य मंत्री यहां विराजमान हैं, रिपोर्ट आ गयी है तो सदन के पटल पर रखें और एक्शन टेकन के साथ रखें कि इस घटना में, इस गोलीकांड में किनकी लापरवाही रही, किनकी अनदेखी के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ और लम्बे समय तक चला और फिर राजस्थान की सरकार ने समझौता भी किया। निश्चित रूप से उस आयोग की रिपोर्ट को रखा जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, जवाब दिलवा दीजिये इस मामले में।

श्री सभापति: बात हो गयी न, विराजो आप।

श्री पेमाराम (धोद): मंत्री महोदय बैठे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विराजना, ये क्या है? फिर यहां क्या कोई सुनने के लिए हैं भागवत?

श्री सभापति: विराजो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, नियम है, आसन ने व्यवस्था दे रखी है कि पर्ची के माध्यम से जो प्रश्न उठेंगे, उनका सरकार जवाब देगी। हमें तो जवाब चाहिए, आसन ने व्यवस्था दे रखी है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजो आप। श्री ग्यारसाराम कोली।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसे जवाब दिलवाने से +++ साहब।

श्री सभापति: श्री ग्यारसारामजी कोली।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, इस प्रकार से हमें व्यवस्था नहीं दोगे, संरक्षण नहीं दोगे तो +++ आठ साल हो चुके हैं, रिपोर्ट आ चुकी है तो सरकार को बताने में दिक्कत क्या है? या फिर सरकार खुद दोषी है। सरकार अधिकारियों को बचा रही है अपने पुलिस और प्रशासन को बचा रही है सरकार। बीजेपी ने किया और कांग्रेस बीजेपी को बचा रही है।

श्री सभापति: आप बोल चुके, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, सात साल निकल चुके हैं, ये आयोग किसलिए बैठाये जाते हैं?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, सरकार या तो यह कह दे कि इस रिपोर्ट को सरकार रखना नहीं चाहती।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): बस यह बता दें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): या तो रखना नहीं चाहती और रखना चाह रही है तो कब रख देगी?

श्री पेमाराम (धोद): यह कोई बोलने का ही सवाल नहीं है। इसीलिए आयोग बना।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह कोई बोलने का सवाल नहीं है। जब सरकार ने आयोग गठित किया, आयोग की रिपोर्ट आ गयी, सरकार को सौंप दी है तो सरकार को..

श्री पेमाराम (धोद): आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आप तो दो मिनट इसका जवाब दिलवा दीजिये।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार या तो यह कह दे कि रिपोर्ट को हम नहीं रखना चाहते। रखना चाहते हैं तो कब रखेंगे?

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री पेमाराम (धोद): नहीं, हम तो विराजे हुए ही हैं। सवाल यह नहीं है, सवाल तो यह है...

श्री सभापति: एक माननीय सदस्य बोले उस पर आपने सबने बोल दिया।

श्री पेमाराम (धोद): निश्चित तौर पर हम आपकी बात से सहमत हैं। सभापति महोदय, हमारा एक ही निवेदन है, सरकार ने आयोग बनाया है... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, गोली किसके इशारे पर चली थी?

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वो गोली किसके इशारे पर चली थी, मुख्य मंत्री या डी.जी. के इशारे पर?

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सभापति: आप बोल लिये न। माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: श्री ग्यारसारामजी कोली।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सभापति: गम्भीर मामला आसन के ध्यान में आ गया है, विराजिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सभापति महोदय, मैं आपके सामने मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना का ...(व्यवधान) चाह रहा हूं। बयाना और रूपवास में ...(व्यवधान)

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ...(व्यवधान) विदेशों में एक्सपोर्ट होता है और यह उल्लेखनीय बात है कि उसी पत्थर से मेरे विधान सभा क्षेत्र के...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, हाउस को आर्डर में लाने दें। आप विराजो एक मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): मेरा तो आपने नाम पुकारा है।

श्री सभापति: आप एक मिनट विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, इसमें आप भी व्यवस्था दे सकते हो, आप कानून के अच्छे ज्ञाता हो। जब आयोग सरकार ने बैठाया है तो उसमें जो भी फाइंडिंग आयी है ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गोली किसके इशारे पर चली थी, मुख्य मंत्री के इशारे पर या डी.जी. के इशारे पर?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जब भी सरकार की सुविधा हो, यह व्यवस्था आप भी दे सकते हैं कि सरकार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप बोल रहे हैं क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ए.के. जैन का रिमांड मिल गया क्या, साहब?

श्री सभापति: आप विराजो एक मिनट।

श्री पेमाराम (धोद): आप व्यवस्था दो।

श्री सभापति: वो ही बात है न आपकी भी। आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, हमारी तो बात सुनो, साहब, जवाब दिलाना है।

श्री सभापति: हां, विराजो तो सही।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले और कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य कोई बहुत बड़े नेता तो नहीं हो गये कि इनकी छोटी-छोटी पर्चियों पर आप जवाब दिलवाते हो इधर से। और हमारे जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं किसानों के, उसमें जवाब दिलवाने में तो आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

श्री सभापति: आपके अधिकारों की रक्षा मैं कर रहा हूं, आप तो विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, इधर से कोई दो ही नेता थोड़े हैं कि वो बोलेंगे तब जवाब दिलवाओगे आप।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ठीक है, यह जो +++ मामला चल रहा है इसको पूरा राजस्थान देख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन 2012 के अन्दर होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको और जो बचाने की कोशिश करेंगे वो खुद शिकंजे के अन्दर फंस जाएंगे।

श्री सभापति: अब हो गया, माननीय सदस्य, अब विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, जवाब दिलवाओ हम तो तब संतुष्ट होंगे।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

बहिर्गमन

(मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य का बहिर्गमन)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, अगर सरकार नहीं देती तो हमारा दल और हम इसके खिलाफ, सरकार की मिलीभगत उन अपराधियों के साथ है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार रावला-घड़साना के गोलीकांड में पूर्णतया उनको बचाने के लिए संलिप्त है इसके विरोध में मैं और मेरे दल के सदस्य और हनुमानजी बायकाट करते हैं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): बायकाट करते हैं। कांग्रेस को भी सबक मिलेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): रावला-घड़साना के अन्दर जब किसान सड़क पर दम तोड़ रहा था उस समय उस सरकार के दो-दो, तीन-तीन कैबिनेट मंत्री आपस में जाम टकरा कर किसानों की मौत का तमाशा देख रहे थे, सभापति महोदय।

(भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) एवं माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री सभापति: श्री ग्यारसाराम जी कोली।

बयाना के पत्थर-खनन व्यवसाय की परेशानियां

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बयाना और रूपवास दोनों ही तहसीलें पत्थर व्यवसाय से जुडी हैं और मैं यहां उद्धृत करना चाह रहा हूं कि वो व्यवसाय देश तक ही सीमित नहीं, उसका एक्सपोर्ट भी होता है। यह एक बड़े गर्व की बात है कि जिस सदन में आप बैठे हो, राजस्थान विधान सभा में बैठे हो, यह मेरे क्षेत्र के बंशीपहाड़ के पत्थर से बना है। मेरा निवेदन है कि पत्थर व्यवसायियों को इस समय उस क्षेत्र में कुचला जा रहा है, उस व्यवसाय को नष्ट किया जा रहा है, इसका जीता-जागता उदाहरण है कि इस समय वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से 350 यूनिटों को जो बयाना में स्थापित हैं, बिलकुल बंद कर रखा है। जो पत्थर प्रापर रवन्ना से आता है उस पत्थर को पुलिस द्वारा रुकवा कर वन विभाग की मनमर्जी से और प्रशासन की मिलीभगत से एफआईआर दर्ज होती है और जब दो-तीन दिन में उनका सौदा पक्का हो जाता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। यह वहां के व्यवसायियों की दर्दभरी कहानी है। मैं आपको 10 फरवरी का उदाहरण पेश करना चाहूंगा, जिला कलक्टर, भरतपुर की जन सुनवाई के दौरान कलक्टर को निवेदन किया गया और कलक्टर साहब ने उस चीज को बड़ी गहनता से लिया। रवन्ना के बारे में जब बात आई तो यह

(श्री ग्यारसाराम कोली)

बताया गया कि ये रवन्ना तो धौलपुर के हैं। धौलपुर कलक्टर से कलक्टर भरतपुर ने बात की और उनका वैरीफिकेशन करवाया। वैरीफिकेशन करने पर कलक्टर धौलपुर ने फोन पर कलक्टर भरतपुर को यह बताया कि वह रवन्ना सही है, पत्थर नहीं रोका जाना चाहिये था। उस समय भी चार ट्रक बंद पड़े थे। जिला कलक्टर ने कहा, तुरंत चारों को छोड़ो। या तो उन पर आरोप सिद्ध कीजिए अन्यथा उनको छोड़िए ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, 295 तो पढ़ा हुआ होता है।

श्री सभापति: यह 295 नहीं है, पर्ची के माध्यम से है।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सभापति महोदय, रवन्ना वैरीफिकेशन के बाद में अभी भी वह कार्यवाही इसी तरह से चल रही है। अधिकारियों से जब यह पूछा जाता है कि क्या बात हुई तो कहते हैं कि ये तो सरकार के ऊपरी आदेश हैं, हमें बताना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से ऊपरी आदेश है जो सही रवन्ना होते हुए भी उस पत्थर को रोका जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है? आपको मालूम होना चाहिये कि एक ट्रक अगर एक दिन रुक जाता है तो तीन हजार रुपये वह मालिक से लेता है और यदि वह चार दिन रुक गया तो बारह हजार रुपये वह व्यवसायी कहां से देगा? ऐसी दुःखभरी कहानी है, सरकार की जानकारी में है। हमने इसमें सरकार को अवगत कराया, पत्र लिखे हैं, विभिन्न माध्यमों से सरकार इससे वाकिफ है, फिर भी आंख बंद करके सरकार बैठी है। खुली लूट करवाने के लिये सरकार ऐसा कर रही है । सभापति महोदय, सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम उद्यम लगाना चाहते हैं, हम व्यवसायियों को बढाना चाहते हैं, हम व्यापार बढाना चाहते हैं और हम विदेशों से भी पैक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के जो व्यवसायी हैं उनको बरबाद करने पर यह सरकार तुली हुई है। आप इस पर सरकार का ध्यान दिलाएं।

दूसरा मैं निवेदन करुंगा, 10 फरवरी को कलक्टर साहब के सामने यह बात सिद्ध हो गई कि व्यवसायी अपनी जगह सही हैं और सरकार की नीतियां गलत हैं चाहे वह वन विभाग के माध्यम से हों, चाहे वह खनिज विभाग के माध्यम से हों, चाहे प्रशासन के माध्यम से हों। एसपी, भरतपुर को हमने 100 नंबर पर काल किया और निश्चित रूप से उस विद्वान अफसर ने उसको सीरियस लिया, तब कहीं उसमें थोड़ी बहुत राहत मिली है। लेकिन एसपी भी

(श्री ग्यारसाराम कोली)

इस गवर्नमेंट के अधीन है, एसपी को भी पंगु कर रखा है। वह कार्यवाही यथावत जारी है, आज भी वहां के व्यवसायियों का गला घोंट रखा है। 350 इकाइयां बंद हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वहां का आदमी, क्या बात है भाई इसको क्यों बंद कर देते हो, सही बात को सुनने के लिये, व्यवसायियों का धंधा बंद कर देने से क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होगी। क्या सरकार यही चाहती है? इसलिए मेरा निवेदन है, गृह राज्य मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, हो सकता है अब निकल गये हों, ध्यान दें और सरकार के माध्यम से वहां के अधिकारियों को, वहां के जिला कलक्टर को, वहां के एसपी को और वहां के खनिज विभाग के डीएफओ वगैरह को यह निर्देशित करें कि अवैध रूप से खनन कार्य में किसी तरह से व्यवधान नहीं करें, लूटपाट बंद करें। अन्यथा आदमी को विवश होकर सरकार के विरुद्ध ही क्या, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, बयाना की पवित्र भूमि है जिसको आप जानते हो, विश्व जानता है, पीलूपुरा वह क्षेत्र है, मैं आपको समय रहते आगाह करना चाह रहा हूं। मेरी मांग है कि इस तरह की अवैध कार्यवाही को रोकने में सरकार हस्तक्षेप करे, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री सभापतिः श्रीमती किरण माहेश्वरी जी।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजसमन्द झील का समावेश व इसके विकास हेतु विभिन्न उपाय

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द)ः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मुझे खुशी है कि अभी यहां सदन में भी माननीय पर्यटन मंत्रीजी बैठे हैं, नगरीय विकास मंत्रीजी बैठे हैं, इन्हीं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । हमारी राजसमंद झील है जिसे 1960 और 1972 के बीच में तत्कालीन महाराणा मेवाड राजसिंहजी द्वारा भीषण अकाल के समय खुदवाया गया था। उस समय उस झील का निर्माण हुआ था और वह आज राजसमंद की लाइफलाइन है। इस राजसमंद झील को सरकार नेशनल लेक कन्जर्वेशन प्लान के तहत इनकारपोरेट करे, इस झील को ले, यह मेरा आपसे आग्रह है। बारम्बार कहने के बाद भी इस झील को झील संरक्षण के तहत लिया नहीं गया है, मैं चाहती हूं कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में इस झील को लिया जाए। साथ ही इस झील के चारों तरफ रिंग

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रोड बनाई जाए जिस तरह से फतेह सागर झील में है। यह 18 किलोमीटर लंबी झील है, इसके चारों तरफ रिंग रोड का प्रस्ताव भी हमने बनवाया था लेकिन सरकार की इसमें स्वीकृति होनी चाहिये। केन्द्र सरकार इसमें पैसा देगा लेकिन राजस्थान सरकार से जो केन्द्र को जाना चाहिये, उसमें कहीं शिथिलता दिख रही है। अगर आप इसमें थोड़ा एक्टिव होंगे तो निश्चित रूप से यह प्लान स्वीकृत हो सकता है और नेशनल लेक कन्जर्वेशन प्लान के तहत राजसमंद की यह झील आ सकती है।

साथ ही आपसे एक और रिक्वैस्ट करना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कि अभी तक पर्यटन विभाग के द्वारा संधारित पर्यटन स्थलों की जो सूची है, उसमें न तो राजसमंद झील है न ही वहां का द्वारकाधीश मंदिर है और न ही इस राजसमंद झील में जो नौ चौकी बनी हुई हैं जो एक ऐतिहासिक स्थल है, वह है। तीनों ही जगह इस सूची में कहीं नहीं लिखी हुई हैं। आज राजसमंद जिला अपने आप में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है जहां पर हल्दीघाटी भी है, नाथद्वारा भी है, श्रीनाथजी मंदिर भी है, द्वारकाधीश का मंदिर है, राजसमंद झील है, नौ चौकी है। उसके बाद कुम्भलगढ़ जाते हैं तो कुम्भलगढ़ है, चारभुजाजी का मंदिर है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजसमंद झील, द्वारकाधीश मंदिर, नौ चौकी आपके पर्यटन स्थलों की सूची में अंकित नहीं हैं। साथ ही राजसमंद जिला मुख्यालय है लेकिन आज तक वहां पर पर्यटन केन्द्र की स्थापना नहीं हुई। बारम्बार आपके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम पर्यटन केन्द्र की स्थापना करेंगे, लेकिन पर्यटन केन्द्र की आज तक स्थापना नहीं हुई है।

सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक तरफ हम पर्यटन का विकास करना चाहते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी धरोहर है उसी को अगर पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल नहीं करेगा तो यह हमारी बहुत बड़ी शिथिलता होगी। मैं आपके माध्यम से यह भी चाहूंगी कि माननीय मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, इस पर कुछ अपनी बात कहें, उनका आश्वासन मिले हमें कि आगे इस पर वह क्या करना चाहते हैं।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, राजसमंद झील के बाबत राजसमंद से आई हुई विधायकाजी ने जिस प्रकार की बात उठाई है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एनएलसीपी के तहत इस झील के काम लिये गये हैं। करीब 40 करोड 96 लाख की डीपीआर भरा ली गई है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक सैकण्ड, मैं इसमें थोड़ा-सा अमैंडमेंट कर दूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप विराजो, मंत्रीजी बोल रहे हैं। एक बार आप जवाब आ जाने दो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं टोक नहीं रही हूं मैं सिर्फ इनको एक चीज कहना चाहती हूं कि आप जो 40 करोड़ की ....

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं पूरा बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 40.96 करोड़ की इसकी डीपीआर बन गई है और डीपीआर सिटी लेवल कमेटी के द्वारा एप्रूव भी कर दी गई है। एप्रेजल के लिये इसको आईआईटी, रुड़की भेजा गया है। जैसे ही यह रुड़की से आ जाएगी तो उसके बाद में चूंकि रुड़की की टीम ने 18 और 19 फरवरी को इस झील का विजिट भी कर लिया है, जो कुछ काम करवाने के लिये थे, वे भी उन्होंने तय कर लिये, उसके बाद आवश्यक परिवर्तन करके, इसमें जो कुछ भी आवश्यक परिवर्तन होंगे उसके बाद यह सैण्ट्रल गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी। इसकी जो डिटेल है वह मैं आपके पास भिजवा दूंगा कि क्या-क्या काम इनके लिये गये हैं। करीब 17-18 काम ऐसे हैं जो कि 40 करोड़ 96 लाख के होंगे, वह लिस्ट मैं आपके पास भेज दूंगा।

(14.00 बजे)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, इसमें माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है, मैं उसी पर कहना चाहूंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप मंत्रीजी से बात कर लेना।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह जो आप कह रहे हैं, वह तो हमारे नोटिस में है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप मंत्रीजी से बात करके पूरी जानकारी ले लेना कि क्या-क्या काम ले रहे हैं वे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन मैंने बात यह कही कि अधूरा, 40 लाख जो आप कह रहे हैं, जो डी.पी.आर. के लिये सैंक्शन हुआ है...

श्री सभापति: 40 करोड़ कहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह डी.पी.आर. जो आपके द्वारा बनाया गया है, उसमें उन सारी चीजों को नहीं लिया है, क्योंकि हम तो वहां पर बैठे थे। यह डी.पी.आर. के लिये प्रस्तावित किया गया था वह बहुत पूर्व में किया गया था, इसमें अभी बहुत सारी चीजें और एड करनी हैं डी.पी.आर. के लिये। प्लस जो सैंक्शन होनी है वह सैंक्शन अभी तक नहीं हुई, परस्युएंस की जरूरत है। वह परस्युएंस आपके यहां से जितना अच्छी तरह से होगा, उतना जल्दी उसमें स्वीकृति आएगी। क्योंकि पिछले डेढ़ साल से यह लम्बित चल रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप इसमें क्या-क्या एड करवाना चाहती हैं, लिखकर भेज दीजिएगा। उसको एग्जामिन करवा लिया जाएगा, अगर एड होने के काबिल होंगे तो एड कर दिया जाएगा।

श्री सभापति: आप मिल लेना।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर की कानून-व्यवस्था

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आज पर्ची के माध्यम से कानून-व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। अभी कल ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर कहा गया था, पैरा नम्बर-75 पर, कि कानून-व्यवस्था सामान्य रही है। माननीय सभापति महोदय, कानून-व्यवस्था सामान्य रही है, राज्यपाल ने तो बोल दिया। सरकार ने लिखकर दिया, वैसा ही महामहिम राज्यपाल ने भाषण पढ़ दिया। मगर कानून-व्यवस्था कहां सही रही है? आज प्रदेश के अन्दर सी.बी.आई. न्यायालय में अपनी शिकायत करती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। अगर सी.बी.आई. सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? यह कानून-व्यवस्था का हाल है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं और कहना चाहूंगी, कुछ ही अर्से पहले बाड़मेर के एस.पी. ने एक पत्र लिखा था कि फलां-फलां व्यक्ति, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, वह व्यक्ति तस्करों से मिला हुआ है। वह व्यक्ति हर बात में मिला हुआ है, सबसे मिला हुआ है। उसके बारे में भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब कानून-व्यवस्था तो कहां रही?

इसके बारे में मैं अब ज्यादा नहीं कहकर मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहूंगी, क्योंकि यह तो मेरे को ध्यान में आ गया कि अगर सी.बी.आई. सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, अब आप यह मानकर चलो। यहां पर कानून मंत्रीजी विराजमान हैं और मैं स्वयं एक पुलिस अफसर की लड़की भी हूं, मेरे को पुलिस के बारे में कहने में बड़ा अजीब-सा लगता है, फिर भी मेरी मजबूरियां हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सूरसागर से जन-प्रतिनिधि हूं, आज सूरसागर की स्थिति देखिये आप। पूरे जोधपुर शहर की स्थिति देखिये। मैं सूरसागर के बारे में इसलिये कहूंगी, सूरसागर की स्थिति इतनी भयानक है कि आये दिन चोरियां होना, आये दिन चेन खींच कर ले जाना, आये दिन कुछ मारपीट होना, आये दिन जुआरी पकड़े जाना, पर उनके साथ कुछ भी नहीं होना आम बात है। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में वाहन चोरियां सबसे ज्यादा-जो कोई भी स्कूटर रखकर गया, चोरी हुई, कार रखकर गया, चोरी हुई, उसके बारे में आज तक कोई कानून-व्यवस्था का नाम-निशान नहीं। कानून-व्यवस्था कहां रही है? आज महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होना, लड़कियों के लिये अच्छी तरह से बाहर निकलना असम्भव है। सूरसागर के अन्दर हाउसिंग बोर्ड लो, चौपासनी लो, पश्चिमी पार्क लो, कोई भी जगह ले लो आप, कोई ताला लगाकर जाने की जरुरत है, वापस आएगा तब घर साफ मिलता है, यह कानून-व्यवस्था है। मैं कहना चाहूंगी कि खाली कानून-व्यवस्था ही खराब नहीं है, सरकार भी उनके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। सरकार ने कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी मगर उसका उपयोग कुछ नहीं है। अधिकारी तो बढ़ा दिये, माननीय सभापति महोदय, मगर निचले स्तर पर कोई नफरी नहीं बढ़ाई है। तो सुरक्षा कहां से होगी? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री भी हैं और जोधपुर उनका गृह जिला भी है, वह इसके बारे में विचार करें कि आपने कमिश्नर प्रणाली तो कर दी, मगर उसका उपयोग कुछ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, एक समय वह था जिस समय डी.आई.जी., आई.जी. सारे लोग रात

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

को गश्त करते थे और गश्त करके सारी जानकारियां लेते थे। अब वह परम्परा तो खतम हो गयी। और निचले स्तर की भी नहीं रही । माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में मेरे को कुछ लोगों ने आकर शिकायत की कि मसूरिया में पुलिस चौकी नहीं है। मैंने कहा, असम्भव है, पुलिस चौकी कैसे नहीं है। राजा-महाराजाओं के टाइम में एक पुलिस चौकी थी, वह पुलिस चौकी अभी तक भी कायम थी, वह कहां गई। कहा कि है नहीं, मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा, मैं स्वयं जाकर देखूंगी। 2-4 दिनों के बाद मैं पता करने गई और अधिकारियों से जानकारी ली कि पुलिस चौकी कहां है। वे भी एकदम हक्के-बक्के रह गये, पुलिस चौकी कहां है। फिर मैं गई तो बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के अन्दर चौकी, और वह भी बंद मिली। मेरे को वहां पर धरना देना पड़ा। चौकी खुलवाने के लिये मेरे को धरना देना पड़ा। अब आप समझ लो, कानून की व्यवस्था क्या है। अव्यवस्था नहीं है तो क्या है? फिर भी मैंने उनको कहा कि यहां कोई बोर्ड तो लगाओ, पब्लिक कैसे जानेगी कि पुलिस चौकी कहां है। तो मैंने रिक्वैस्ट करके वहां पर एक बोर्ड लगवाया, दरवाजा खुलवाया। तो पब्लिक को यह मालूम पड़ना चाहिए और अधिकारियों को इसके बारे में मानिटरिंग करनी चाहिए। मानिटरिंग कोई करता नहीं है, कहां पुलिस थाना है, कहां पुलिस चौकी है। माननीय सभापति महोदय, मेरे को पुलिस से इसलिये हमदर्दी है कि शहर के अन्दर सिटी पुलिस थाना है, उसके अन्दर मैंने जाकर देखा कि पुलिस वालों की क्या स्थिति थी, आप सोच नहीं सकते हैं। उनको सोने के लिये पलंग नहीं, उनके बिस्तर अच्छे नहीं। वहां जर्जर व्यवस्था है। तो अपन यह भी नहीं करते हैं। जब वे रक्षक हैं तो उनके लिये अपने को कोई व्यवस्था भी करनी चाहिए। मैं खाली एक तरफ की बात नहीं करूंगी, मैं उनके लिये भी कहूंगी कि उनकी रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं, उनकी नफरी बढ़ाई नहीं, उनको मैसे के अन्दर खाना अच्छा नहीं। आप 24 घण्टे ही उनसे काम लेना चाहते हैं, मगर उनके लिये कोई व्यवस्था भी तो करिये। उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं पिछली सरकार को और माननीय वसुंधराजी को बधाई देती हूं, मैंने उनको जाकर पुलिस की स्थिति बताई, मैं आपको सही बता रही हूं, उन्होंने कहा कि आप जो पैसा खर्च करना चाहो, थानों के अन्दर करो, मैं आपको और सहयोग करुंगी। मैंने सारा पैसा पुलिस थानों के अन्दर लगाया, चौकियां सुधरवाई। सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। पिछली सरकार ने मेरे को इस तरीके से उत्साहित किया, मैंने थानों में काम करवाया

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

आज भी कोई भी जाकर देख सकता है। मैं कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रही हूं, मेरी सरकार की प्रशंसा नहीं कर रही हूं। मगर इनकी सोच थी। इन्होंने हाड़ा रानी बटालियन बनाई। मैं एक कार्यक्रम में गई, मैंने कहा, यहां लेडीज खूब हैं। तो कहा, यह आपकी वसुंधराजी की देन है। मेरे को इस बात की बहुत खुशी हुई। राजस्थान के गृह मंत्री खुद राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, मैं चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर कमिश्नर प्रणाली लागू करने से कुछ नहीं होगा, उसकी व्यवस्था अच्छी करनी होगी। आज व्यवस्था क्या की है? डाक बंगले के अन्दर पुलिस कमिश्नर साहब विराजमान हैं, ये व्यवस्थाएं वहां हैं, ठीक कर लिया। आज क्या किया है? आप नई बिल्डिंग बनाते, आप कोई जगह लेते। कोई अच्छा उदाहरण पेश करते। हम उनका स्वागत करते हैं। कोई तकलीफ नहीं है हमें। अगर वे अच्छा काम करें तो हम उनका स्वागत भी कर सकते हैं। मगर आज पुलिस की स्थिति बहुत दयनीय है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने से कुछ नहीं होगा। अधिकारी बढ़ा दिये, एस.पी. का नाम डी.सी.पी., कुछ हो गया। मेरे को तो एस.पी. कहना ही आएगा। मगर नाम परिवर्तन करने से तो कुछ नहीं होगा, व्यवस्था को भी सम्भालना होगा। आज पुलिस की व्यवस्था बिलकुल नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था बिलकुल नहीं है। हर मोर्चे पर यह सरकार फेल हो चुकी है। मेरे को सबसे अच्छा लगता है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर कोई अच्छा काम करे तो हम भी उनका सम्मान करेंगे। मगर कानून-व्यवस्था नहीं होने से चोरियां आये दिन होती हैं पश्चिमी पार्क रोड वगैरह, जहां कहीं भी आएं सूरसागर में। यहां पर गृह मंत्रीजी बैठे हैं, मैं यह चाहूंगी कि आप इसके बारे में कुछ कहें ताकि हमें यह मालूम पड़े कि आप कुछ करना चाहते हैं। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, जवाब दिलवाओ, जोधपुर का मामला है और जोधपुर में जनता आज असुरक्षित महसूस कर रही है। मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए। (व्यवधान) मेहमान बनकर घण्टी बजाते हैं और फिर लूटकर ले जाते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कमिश्नर प्रणाली लागू करने से कुछ नहीं होगा। व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ऐसी अव्यवस्थाएं हो गई हैं। कमिश्नर प्रणाली आने के बाद में गैंगस्टर बढ़े हैं और जोधपुर अपने आपको असुरक्षित

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

महसूस करता है। तो राजस्थान की क्या हालत होगी? जोधपुर के बारे में मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए कि कानून-व्यवस्था कैसे सुधरेगी। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): गृह मंत्रीजी सामने विराजमान हैं, अगर वे दो बात मुंह से कह दें तो अच्छा होगा। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): विधायकों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हम चाहेंगे कि आप कुछ बोलिये। ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): विधायकों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं जोधपुर में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): दोनों विधायक हैं। हत्याकांड में... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप, मंत्रीजी, कुछ जवाब तो दो। बोलो तो सही आप। आप बोलो तो सही, आपके मुंह से कुछ सुनें तो सही, आप कोई बात तो कहो। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): आये दिन मर्डर हो रहे हैं जोधपुर में, चोरी-डकैती हो रही हैं। आपने यह बताया था कि मुख्य मंत्रीजी से मिलो। आये दिन मर्डर हो रहे हैं जोधपुर में। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): चलो, कोई बात नहीं, नहीं कहें तो। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): जोधपुर में तो सूर्यकान्ताजी मुख्य मंत्रीजी की खूब जम कर प्रशंसा करती हैं और यहां वसुन्धराजी की करती हैं, तो कमी तो नहीं है वहां पर ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अच्छा काम करेंगे तो प्रशंसा करूंगी। मेरे को कोई हमारे यहां रोक नहीं है नेताओं की ... (व्यवधान) मगर कोई अच्छा काम करके बताए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजो। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): काम अच्छा करके बताएंगे तो प्रशंसा करने में कोई तकलीफ नहीं है।

श्री सभापति: आप एक दूसरे से जवाब मत पूछें। विराजिये।

पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति होगी। श्री मदन प्रजापत। श्री मदन प्रजात। पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

सूचना

बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र के लिए एन.ओ.सी.

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बालोतरा में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप विराजिये। श्री मदन प्रजापत।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर ने दो बार मुख्य मंत्री दिये हैं राजस्थान को। (व्यवधान) बरकतुल्ला खान दिया है हमने, कई मुख्य मंत्री दिये हैं (व्यवधान) जोधपुर के अन्दर केवल इतना-सा दे दिया तो क्या हो गया? और क्या किया है जोधपुर का? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आपस में मत उलझिये। विराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से सूचना देता हूं कि बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र.. (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र की 700 इकाइयां करीब दो दिन से बंद हो गई हैं, इससे एक लाख लेबर सड़कों के ऊपर बेरोजगार हो गयी है। जिनका सालभर का टर्न ओवर 7000 करोड़ का है और 1500 करोड़ का विभिन्न बैंकों से कर्ज लिया है। माननीय सभापति महोदय, यह हालत अगर हो गई तो भयंकर स्थिति हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ट्रीटमेंट प्लांट करोड़ रुपये की लागत से बने हुए हैं, हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आपके एन.ओ.सी. है, हमने इनकी पालना करने के लिए कहा है, हमने फैक्ट्रियों को बंद करवाने के लिए नहीं कहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय सभापति महोदय, कि एन.ओ.सी. जो विभिन्न प्रकार की हैं-एन.ओ.सी. पाली में है, जोधपुर में है, वैसे ही एन.ओ.सी. बालोतरा में देकर सरकार राहत करे ताकि औद्योगिक इकाइयां चालू हो सकें, करोड़ों रुपये का व्यापार प्रभावित नहीं हो और पूरे बाड़मेर जिले के गांवों के

(श्री मदन प्रजापत)

जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले। यह कोई मामूली बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो एन.ओ.सी. में लिखा है कि ट्रीट पानी वापस काम में लें, वह पहले एन.ओ.सी. में भूल रह गई। पाली, जोधपुर, जयपुर, सांगानेर और पूरे हिन्दुस्तान में जो एन.ओ.सी. की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था बालोतरा के लिए भी करिये ताकि आम व्यापारी और जनता को राहत मिल सके।

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री राजेन्द्र पारीक।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की निम्नांकित पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : एफ.4 (8) वित्त/ आबकारी/2011, दिनांक 30 अगस्त, 2011, जिसके द्वारा राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेन्स रूल्स, 1985 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या : एफ. 11(3) वित्त/ आबकारी/2011 दिनांक 29 नवम्बर, 2011, जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या एफ. 11 (32) वित्त/आबकारी/2005 दिनांक 10.7.2007 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या : एफ. 4(19) वित्त/ आबकारी/04, दिनांक 21.12.2011, जिसके द्वारा राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के कतिपय मदिरा भराई केन्द्रों हेतु लेबल अनुमोदन फीस को दिनांक 26 फरवरी, 2005 से मुक्ति प्रदान की गई है;

(4) अधिसूचना संख्या : एफ 4(1) वित्त/आबकारी/2011-पार्ट–II दिनांक 9.1.2012, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में कतिपय संशोधन किये गये हैं; एवं

(5) अधिसूचना संख्या : एफ 4(1) वित्त/आबकारी/2011 दिनांक 31.1.2012, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल, बार/क्लब बार लाइसेंस स्वीकृति) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है।

श्री सभापतिः श्री परसादीलालजी मीणा।

सहकारिता विभाग

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या : प.12(1) सह/2011, दिनांक 30.12.2011 जिसके द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापतिः श्री हेमाराम चौधरी। माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं करो।

उपनिवेशन विभाग

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : एफ. 4(7)कोल /2010, दिनांक 20.9.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भांखड़ा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या : एफ.4 (4) कोल/98 दिनांक 20.9.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1984 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या : एफ. 4 (2) कोल/01, दिनांक 20.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या : एफ 4(3) कोल/2009 दिनांक 20.9.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर कालोनी क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या : एफ. 4(17) कोल/1998 दिनांक 1.11.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवास हेतु चक आबादी के लिए भूमि अनुदान) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है; एवं

(6) अधिसूचना संख्या : एफ. 4(5) कोल/2006 दिनांक 11.11.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (परियोजना क्षेत्र में ब्रिक क्लिन लीजेज) शर्तें, 1966 को निरसित किया गया है।

श्री सभापतिः डा. जितेन्द्र सिंह।

ऊर्जा विभाग

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि-89, दिनांक 30.9.2011, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों को, विद्युत विक्रय के लिए टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011 विरचित किये गये हैं; एवं

(2) अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि-90 दिनांक 18 नवम्बर, 2011, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें (तृतीय संशोधन) विनियम, 2011 विरचित किये गये हैं।

श्री सभापति: श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय।

पंचायती राज विभाग

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ 4(6) पीसारूल्स/लीगल/पी.आर./10/1938 दिनांक 1.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं करें। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री हरजीराम बुरड़क।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 ; एवं

(श्री हरजीराम बुरडक)

राजस्थान राज्य बीज निगम का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11.

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-10

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-10;

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-09

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-09; एवं

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

(3) राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल्स के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11.

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 63वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 63वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10;

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सांभर साल्ट्स लि. का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11;

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11;

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11;

हाईटेक प्रसीजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अन्तर्गत हाईटेक प्रसीजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11;

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11; एवं

राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11.

श्री सभापति: श्री भरत सिंह

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2010-11

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)
619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2010-11 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती बीना काक।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जल अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री सभापति: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

राजस्थान सड़क परिवहन निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35 (2) के अन्तर्गत राजस्थान सड़क परिवहन निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (सं. 19)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2012 को मध्याह्न पश्चात् 1.00 बजे माननीय अध्यक्षजी के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि 28 फरवरी, 2012 से 02 मार्च, 2012 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

(डा. रघु शर्मा)

मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2012 बुधवार, दिनांक 29 फरवरी, 2012 गुरुवार, दिनांक 01 मार्च, 2012	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
शुक्रवार, दिनांक 02 मार्च, 2012	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्यवाहक राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का औचित्य

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, अगर सदन एक्सैप्ट कर लेगा तो इसके बाद में हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, इसलिये मेरा पाइंट आफ आडर है। मैं, सभापति महोदय, आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 153 की तरफ ले जाना चाहूंगा जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ''there shall be a Governor in each State" गवर्नर साहब का स्टेट में होना अनिवार्यता है। यह 153 में है, 153 के बाद में 154 भी इस बात को कहता है। 153 में सैक्शन 6 में अमैंडमेंट है कि ''Governor can have charges of more than two states." अब स्पिरिट को आप यह दिखवाएं, गवर्नर का चार्ज 2 स्टेट का सिर्फ इस वजह से किया गया है कि किसी कंटिंजेंसी की मीट करने के लिये और इमरजेंसी को मीट करने के लिये वह एक से अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गवर्नर होने के उपरान्त जिस प्रकार की ओथ गवर्नर लेते हैं, यह सैक्शन 159 कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया प्रोवाइड करता है। मैं उस ओथ की चार लाइन निवेदन करना चाहता हूं। उस चार लाइन से आप मुझे यह बताएं कि क्या जिस अभिभाषण को आपने गवर्नर का अभिभाषण मान रखा है, वह इस लाइन की सैंक्टिटी को प्रूव करता है या नहीं। बाकी सब छोड़कर मैं सीधा उस पर आता हूं, ''that the Governor will discharge, i.e. State of Rajasthan, the functions and will to the best of his ability preserve, protect and defend the Consti-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

tution and the law and that I will devote." शब्द है, "I will devote myself to the service and well being of the people of the State" i.e. the Rajasthan. मुझे आप यह बात बताइये सभापति महोदय, Do you have a Governor who is devoting enough time to the welfare of the people of the State of Rajasthan? This is the second budgetary session where the session has been started by a person of an honour, nature and an institution like Governor who is known as 'Karyawahak Governor'. राजस्थान इस हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रान्त है, आदरणीय सभापति महोदय, अगर इस प्रान्त के ऊपर केन्द्र की इतनी अनदेखी है तो कम से कम सदन आज इस बात पर विचार करे। Governor is not an agency of the Government. Governor is an agency of the Constitution. He is the Custodian of the Constitution. आज अगर हमारे साथ में कुछ बीतती है, आज प्रजा के साथ में कुछ बीतती है तो किसके पास में जाएं? अगर सरकार की व्यवस्था के अन्दर कहीं कोई गलती होती है तो व्यक्ति किसके पास में जाए? गवर्नर के पास में जाए? आदरणीय गवर्नर डिवोटेड हैं, इस शपथ के आधार पर आपने अभिभाषण करा दिया। आदरणीय, यह तो राजस्थान की लैजिस्लेटिव असैम्बली अब आनलाइन हो गयी, कल तो आप इनका आनलाइन भाषण करवा दोगे और सदन से यह एक्सपैक्ट करेंगे कि उस पर डिबेट कर। मैं यह कहता हूं जिससे आपने अभिभाषण पढ़वाया, जिससे आपने इस पुस्तक को पढ़ाया, क्या उनकी कांशस परमिट करती है, इस दस्तावेज में लिखी हुई एक-एक चीज के बारे में उनको जानकारी थी कि यह जनता की आवाज है? यह जनता की आवाज को महसूस कराती है जो स्वयं यहां नहीं रहता है। आदरणीय, उनसे इस तरह का दस्तावेज पढ़ाकर उस पर बहस कराना पार्लियामेंट्री रिफार्म्स और प्रैक्टिस की घोर अवहेलना है। हम चाहते हैं, ऐसी कौनसी मजबूरी है, 121 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में राजस्थान का गवर्नर होने लायक कोई एक व्यक्ति नहीं है। यह आपकी और हमारी दोनों की चिन्ता का विषय है। आदरणीय, यह किसी विपक्ष की हैसियत से मैं बात नहीं कर रहा हूं। इस सदन के आप और हम सब गरिमामय सदस्य हैं, आखिर इस राजस्थान प्रदेश को एक स्थाई, एक सही गवर्नर क्यों नहीं मिल रहा है और क्यों किसी व्यक्ति से इस प्रकार की ओथ करवाकर और आप राजस्थान के सदन में लाकर उसका वक्तव्य दिलाते हैं और वक्तव्य दिलाने के बाद में आप बाध्य करते हैं कि उस पर हम बहस करें और डिबेट करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जानते हैं कि कल अभिभाषण सदन एक्सैप्ट कर चुका है, अब आप... (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मुझे आप फरमायें, या तो जब गवर्नर साहब यहां मौजूद थे, तब आप हमको इजाजत देते, गवर्नर साहब का अभिभाषण नहीं होने देते। अब इस प्रकार की परम्परा लागू करना चाहते हैं तो यह भी आप तय कर लें। हमने गरिमापूर्वक उनको सुना। हम आज भी यह नहीं कहते, हम आसन को बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन आसन को याद दिला रहे हैं कि आसन जैसे कांस्टीट्यूशन और पार्लियामेंटरी प्रैक्टिसेज का कस्टोडियन है, पूरे राजस्थान का कांस्टीट्यूशनल कस्टोडियन गवर्नर है। आप इस विषय को अगर...(व्यवधान)

श्री सभापति: बात हो गयी न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, वह गम्भीर बात है। राज्यपाल संवैधानिक हैड होता है स्टेट का और उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, उस शपथ में है कि मैं अब पूर्ण समय इस राज्य की सेवा में लगाऊंगा। राज्यपाल महोदय जब यहां पर आते हैं तो सरकार द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण जिसमें सरकार ने क्या-क्या काम किये, वह आकर बताते हैं। यह जो कार्यवाहक की एक सीमा है, इस सीमा को आप अनन्त काल तक नहीं रख सकते। इसकी सीमा है। अचानक किसी की डैथ हो गयी हो, कोई छुट्टी पर चला गया हो तो वह कार्यवाहक राज्यपाल हो जाता है। अब आप देखिये कि हमारे जो महामहिम राज्यपाल हैं, वह तो भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। अब केरल के राज्यपाल भी मर गये थोड़े दिनों पहले, केरल का चार्ज भी इनको दे देंगे। दो राज्यपाल और विदा हो गये, उनका चार्ज भी उनको दे देंगे। तो एक राज्यपाल घूम-घूमकर सब राज्यों की विधान सभाओं में अभिभाषण पढ़ेगा। संविधान का यह मजाक क्यों बनाया जा रहा है? क्या इस राष्ट्र के 121 करोड़ लोगों में कोई राजस्थान का राज्यपाल बनने लायक आदमी नहीं है? हमने बहुत-सी बार कोशिश की कि राज्यपाल महोदय के यहां जाएं। राज्यपाल महोदय यहां नहीं रहते हैं, राज्यपाल महोदय यहां पर विराजते ही नहीं हैं। तो मैं चाहूंगा कि यह अभिभाषण जो राज्यपाल महोदय ने दिया है, उनकी एक-एक बातें व्यक्तिगत जानकारी में हैं क्या? सरकार के इन कामों से जुड़े हुए हैं? ऐसी परिस्थिति में यह जो चेयर है, जिस पर, माननीय सभापति महोदय, आप बैठे हो, वह भी राजस्थान के सब लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये है। इसलिये ऐसी कोई व्यवस्था आपकी आए कि मानो यह पांच साल तक कार्यवाहक राज्यपाल रहें और हम उनको सुनें। हम उस पर बहस करें और हम उनको यह धन्यवाद भेजें कि, राज्यपाल महोदय, आप पंजाब से चलकर इतनी दूर आये, फिर यहां

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आकर अपना भाषण दिया, फिर आपने कोट बदला, फिर आप यहां आये, इसके लिये हम आपका आभार प्रकट करते हैं। इस पर आप उनको भी सुन लीजिये और इसको रिजर्व रखिये, अन्यथा इस पर आप अकारण कोई जजमेंट कर देंगे जिससे कि आगे परम्परा पड़ जाएगी, वह उचित नहीं होगा। इसलिये शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया, वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर आप सोचकर जवाब दें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, ये पर्चियां भेज-भेजकर आप लोगों को लोग-बाग़ राय देते हैं न, इस डेमोक्रेसी के, इस प्रजातंत्र के धराशायी होने का कारण ये पर्चियां हैं। यह गैलेरी में बैठकर, टेबिलों में बैठकर जो गलियां निकालते हैं न, इन्होंने रास्तों को भी गलियां कर दिया और आदमी और डेमोक्रेसी की जो बहबूदी है, जो पवित्रता है, उसको भी प्रदूषित कर लिया। इसलिये आसन पर आप विराजे हैं, आज आपसे न्याय की उम्मीद है। आज संविधान आपसे इस बात की अपेक्षा करता है कि राजस्थान को राज्यपाल मिले तो आसन की उस गरिमा के अनुकूल मिले कि यह बाध्य कर दे कि अभिभाषण पर बहस करो। जब राजस्थान को राज्यपाल मिल जाए और राज्यपाल की मौजूदगी में वह यहां राजभवन में विराजें और यहां बहस हो और उसके बाद में धन्यवाद का प्रस्ताव जाए तो यहां से पारित होकर जाए। वरना किसके पास तो धन्यवाद जाएगा, किसके बारे में आप बहस करेंगे? आपका राजभवन तो आज भी खाली था, वह दिया उसके पहले भी खाली था। इस प्रकार की प्रजातंत्र की धज्जियां तो आप कम से कम न उड़वाएं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, व्यवस्था का उत्तर तो दीजिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप रिजर्व कर लें इसकी व्यवस्था।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप यह कह दें आपने रिजर्व कर ली, व्यवस्था बाद में देंगे। ऐसे नहीं, अभी दें, परन्तु जवाब तो दें, साहब।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप बाध्य क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: यह व्यवस्था है, एक गवर्नर दो स्टेट के अन्दर रह सकता है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप मुख्य सचेतक हैं, बीच में मत बोलिये। उलटा लोगों को अनुशासन में लाइये। (व्यवधान) जैसे वीरेन्द्र बेनीवाल शांत रहते थे...(व्यवधान) आप अपनी मजाक मत उड़वाइये। वीरेन्द्र बेनीवाल जी शांत रहते थे, आप भी शांत रहिये। आप उनको शांति में रखेंगे या बीच में बोलकर डिस्टर्ब करेंगे? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप मेरे नेता थोड़े ही हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं नेता नहीं हूं, आप मुख्य सचेतक हैं। आप उलटा शांति बनाये रखिये। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं सदन को? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह कौन होते हैं निर्देश देने वाले? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप सदन को डिस्टर्ब करते हैं। वीरेन्द्र बेनीवालजी ने आदर्श रखा। (व्यवधान) वीरेन्द्र बेनीवालजी ने आदर्श रखा, उस आदर्श को आप तोड़ रहे हैं। आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं। (व्यवधान) आप भड़का रहे हैं। आप मुख्य सचेतक होकर सदन को भड़का रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं न तो आपका और न सदन का समय लेना चाहता हूं तथा न मेरा उद्देश्य किसी अभिलेख में मेरा नाम लिखाना है। मुझे तो आप यह बता दीजिए कि आप उनको गवर्नर तब मानते हैं जब वह ओथ ले लेते हैं, राजभवन में रहने से थोड़े ही गवर्नर मानते हैं। जिस ओथ से वह बाध्य हैं उस ओथ से यह सदन भी बाध्य है और ओथ में साफ लिखा है कि जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। हम निरत की परिभाषा आपसे चाहते हैं, आप निरत की परिभाषा दे दें। डिवोशन की परिभाषा दे दें। डिवोट की परिभाषा दे दें । अगर टाइम कंस्ट्रेन नहीं हो, टाइम नहीं हो, हम मानने को तैयार हैं। कल को आप तो उनका आनलाइन अभिभाषण करवा देंगे और आप कहेंगे कि भाषण हो गया। इसलिए बहस होना जरूरी है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मुख्य सचेतक महोदय, आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, किसी सरकार की बात नहीं है। आपको भी आवश्यकता पड़ेगी गवर्नर की। आपको वास्तविकता बताने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कल अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, आप उनसे टेलीफोन पर बात करेंगे? वह निरत नहीं हैं। अगर निरत नहीं हैं तो इस सदन की ऐसी कौनसी मजबूरी है कि निरत नहीं रहने वाले व्यक्ति के वक्तव्य पर बहस करे और 'राज्यपाल महोदय' के नाम से बहस करे। इतनी धज्जियां संविधान की मत उड़ाइए। आज अगर सबसे बड़ा प्रश्न चिह्न लगा हुआ है तो लैजिस्लेटिव असैम्बलीज और संसद पर लगा हुआ है। आये दिन हम पर लोग-बाग़ अंगुली उठाते हैं। इतने मजबूर मत होइये। क्या परम्परा को हम इसलिए निभा रहे हैं कि वह कर्मकाण्ड बन गया है, जैसे कोई रीति-रिवाज बन गया हो? हम अपेक्षा करते हैं, किसी में तो हिम्मत हो। सात-सात, आठ-आठ बार जीतकर आने वाले सदस्य यहां पर मौजूद हैं। अपनी जिन्दगी में इस प्रकार का नजरिया तो नहीं देखा होगा। इस प्रकार का दृष्टान्त तो नहीं देखा होगा। कम से कम आसन को इतना मजबूर तो नहीं करें कि जो कुछ आप कहें उसको आसन मानने के लिए तैयार हो जाए। आसन संविधान से बंधा हुआ है, किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। किसी व्यवस्था से तब बंधा हुआ है जब कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट्स में खरा उतरता हो। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, क्षमा करें। व्यवस्था के बारे में बताएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप बाध्य नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में व्यवस्था दें। आप व्यवस्था को रिजर्व रखें लेकिन व्यवस्था दें।

श्री सभापति: यह आसन नियुक्त करेगा क्या? (व्यवधान) आप सभी जानते हैं। (व्यवधान) आ गयी सदन के अन्दर बात।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप व्यवस्था दें। हमारी डिमाण्ड यह है कि आप व्यवस्था दें। माननीय सदस्य ने इतनी बड़ी बात रखी है। संवैधानिक बात है, वैधानिक बात है। आप व्यवस्था दें। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (सं. 19)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

डा. दयाराम परमार।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

अभियांत्रिकी और प्रबन्धन विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अभियांत्रिकी और प्रबन्धन विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि अभियांत्रिकी और प्रबन्धन विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अभियांत्रिकी और प्रबन्धन विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अभियांत्रिकी और प्रबन्धन विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-11) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

गीतांजलि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2012

श्री सभापति: डा. दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से गीतांजलि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि गीतांजलि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से गीतांजलि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत गीतांजलि विश्वविद्यालय उदयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-10) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: डा. दयाराम परमार।

महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री सभापति: डा. दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: डा. दयाराम परमार।

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव वाद-विवाद हेतु समय का बटवारा

श्री सभापति: मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में से सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :-

इण्डियन नेशनल कांग्रेस	08 घंटे 08 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	06 घंटे 19 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	00 घंटे 15 मिनट
जनता दल	00 घंटे 05 मिनट
समाजवादी पार्टी	00 घंटे 05 मिनट
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	00 घंटे 05 मिनट
निर्दलीय	01 घंटे 03 मिनट

इस प्रकार कुल 16 घंटे।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत करें : ''इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।''

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान की सरकार के सन्दर्भ में जो अभिभाषण प्रस्तुत किया, सरकार के तीन वर्षों के बाद आज जब हम इस सदन में बैठे हैं, सभी पक्ष और विपक्ष के लोग, तो हम सब यहां सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल पर ...

एक माननीय सदस्य: अफसोस करते हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपको अफसोस करना ही चाहिए क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

तीन वर्ष के कार्यकाल पर वाद-विवाद करें और लोगों के बीच में संदेश जाए कि एक ठोस वाद-विवाद, सच्चाई के साथ वाद-विवाद, पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर वाद-विवाद हुआ।

सभापति महोदय, मैं आज के दिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मैंने पढ़ा, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, जब इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान की प्रधानमंत्री थीं और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना तब अटल बिहारी वाजपेयीजी ने लोक सभा में खड़े होकर कहा था कि यह इन्दिरा नहीं दुर्गा है और तारीफ की थी कि आज मैं पूरे देश की तरफ से इन्दिराजी को बधाई देता हूं। राजनीति में प्रतिस्पर्धा चलती है, एक-दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास भी होते हैं, वोट की राजनीति में हम एक-दूसरे की बुराई भी करते हैं, एक-दूसरे की योजनाओं को लेकर बोलते भी हैं। तीन वर्ष पहले चुनाव हुआ, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र दिया और घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी। हमारा बहुमत ज्यादा आया, हम राज में आ गये और इन तीन वर्षों में 70 परसेंट से ज्यादा घोषणाएं राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने पूरी कर दीं। जब कांग्रेस सत्ता में आयी तो कांग्रेस के मन में एक ही बात थी कि आम आदमी को अधिकार मिले, आम आदमी को सुविधा मिले, गांव से लेकर, गरीब से लेकर, मजदूर से लेकर किसान, कर्मचारी, व्यापारी सभी को समान अधिकार मिले। जब राज शुरू हुआ उसी वक्त मन में एक पीड़ा थी कि समाज में जो सबसे पीछे पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको भी सबसे ज्यादा अधिकार मिले।

मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढ़कर, जब पहली बार बजट लेकर आये तो एक बहुत बड़ी घोषणा उसमें की। जिन पर सब का ध्यान रहता है लेकिन उनकी बात कभी नहीं सुनी गयी। सबसे पहले तय हुआ और वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की गयी। तय किया गया, मुख्य मंत्रीजी ने निर्णय लिया कि हम सब मिलकर इस तरह के काम करें जिससे राजस्थान में एक संदेश जाए कि समाज के हर तबके का हम सम्मान करना चाहते हैं, सिर्फ योजनाओं में ही नहीं।

राजस्थान की यह सरकार इन तीन वर्षों में एक और कानून लेकर आयी और पहली बार तय किया कि यदि कोई भी बच्चा अपने मां-बाप को परेशान करेगा, घर में नहीं रखेगा बुजुर्गों को, तो उसको सज़ा मिलेगी। पहली बार माता-पिता की सुरक्षा के लिए, वृद्धों की सुरक्षा के लिए इस तरह का

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कानून लेकर आये, इससे सरकार की संवेदनशीलता का पता चलता है। इस कानून के जरिए लोगों को यह पता चल गया कि यदि हम लोग गड़बड़ करेंगे और मां-बाप का सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

अभी बीच में, मुख्य मंत्रीजी ने कुछ महीनों पहले एक योजना की घोषणा की 'मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना', मैं आपको सही कह रहा हूं, बुराई के लिए कोई भी कुछ भी करा ले, आजादी के बाद पहली बार राजस्थान में इस तरह की योजना लागू हुई। मुफ्त दवा योजना जब लागू हुई तो सब लोगों ने कहा कि 8 दवाइयां मिल रही हैं, 5 मिल रही हैं, कोई बोला 10 में से 9 मिल गयीं, 8 में से 5 मिल गयीं। आप गांव में जाकर देखो, उस गरीब से जाकर पूछो जो पहले अपनी मां को, बहन को, बेटी को, बेटे को लेकर हास्पिटल जाता था तो दवाई वाला उसको वापस ले जाने नहीं देता था। वो फोन करता था कि हमारी मां को ले जाने नहीं दे रहे। क्यों नहीं ले जाने दे रहे? कि, साहब, दुकानदार के पैसे बाकी हैं तीन हजार रुपये। पहले सिर्फ बी.पी.एल. वाले जाते थे। जब फ्री दवाई लेने के लिए जाते थे तो दुकान पर उनको इस दृष्टि से देखा जाता था कि यह गरीब आदमी है, बी.पी.एल. कार्ड लेकर आया है और यह फ्री दवा लेने वाला है, उसको साइड में खड़ा कर दिया जाता था। सबसे पहले राजस्थान की सरकार ने एक काम किया, सब को समानता का अधिकार दिया। न कोई गरीब है न कोई अमीर है, सब को दवाइयां फ्री कर दीं। एम.एल.ए. जाओ, एम.पी. जाओ, जो भी जाएगा उसको दवाइयां फ्री मिलेंगी।

गांव-गांव में, मैं खुद मेरे गांव खाचरियावास में गया था, वहां हास्पिटल में दो दवा वितरण केन्द्र खुले हुए हैं, बाहर दवाइयों की दुकानें हैं। उन दवाइयों की दुकानों पर मैंने वहां के जो दवाई के दुकानदार हैं हमारे पुराने कामदार, उन जैन साहब से पूछा कि क्या स्थिति है? उन्होंने कहा, साहब, स्थिति एक ही है, हमारे यहां कोई नहीं आता दवाई लेने। जो मरीज अन्दर जाता है वो अन्दर आये बाद बाहर गये दवाई लेता है, जाते हुए हमको कह कर जाता है कि तुम्हारा सत्यानाश जाएगा। उन्होंने पूछा, हमारा क्यों सत्यानाश जाएगा? बोले, इसलिए कि जो दवाइयां आप इतने वर्ष तक, दो-दो, चार-चार, पांच-पांच हजार रुपये लेते रहे। तो मैंने कहा, इसका मतलब हम लोग गड़बड़ कर दी? बोले, बिलकुल ही नहीं करी, आपने परमानेंट इलाज कर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

दिया, आपने पुण्य का काम किया। यह दवाई की दुकान वाला कह रहा है कि आपने पुण्य का काम किया है। जो आदमी भूखा है वो ही भूखे के दुःख-दर्द को समझ सकता है। किसी भी आदमी में, किसी भी सरकार में कमी निकालना आसान है लेकिन सच्चाई से उसकी योजनाओं की तारीफ करना बहुत मुश्किल है।

मैं आज विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जिस आदमी को दवाई हाथ में मिलती है वो दुआ देता हुआ जाता है। मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत से कहा कि राजनीति में क्या होगा, वो या तो ऊपर वाला जानता है या राजस्थान की जनता जानती है। वो तो वक्त बताएगा लेकिन मैं आज गारंटी से कह सकता हूं कि जो आदमी दवाइयां लेकर निकलता है, मुख्य मंत्रीजी, वो जाते हुए आपको दुआ देता हुआ जाता है और उसकी दुआ कांग्रेस के साथ लगती है कि भगवान आपका भला करे कि हमारे यहां दवाई की व्यवस्था कर दी। उसकी आंख में चमक आ जाती है कि मां-बाप, बेटी का इलाज कराने के लिए है और यह चमक मीडियम क्लास और गरीब की आंख में ज्यादा आती है। लेकिन यह देखने को तब मिला जब डाक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी राजस्थान में। पूरे राजस्थान में हंगामा हो गया, पूरा राजस्थान हिल गया। लेकिन राजस्थान की सरकार, विपक्ष सब एक हो गये कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह हड़ताल टूटनी चाहिए। यह हड़ताल क्यों हुई? यह हड़ताल इसलिए हुई क्योंकि उस वक्त भी जो दवाइयों का कमीशन का मामला था, सब जानते हैं कि एक-एक दवाई की कम्पनियां, बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं। पहले डाक्टर ईमानदारी से कहते थे कि आप यह सैम्पल हमारे पास छोड़ जाओ, कोई गरीब आता तो उसको दे देते थे। जब हड़ताल हुई तो बाद में खुलकर बात सामने आयी कि एक-एक फैक्टरी वाला, बड़ी-बड़ी एजेंसी वाला, कि इस बार तू छह महीने का एक साथ ही कर देना, एक गाड़ी ही दे देना, इतना बड़ा मामला चल रहा था। आज 50-50, 60-60 लोगों की टीम है जिसमें हर वर्ग का आदमी है। पहले 200 दवाइयां फ्री अब 400 दवाइयां फ्री, दस-दस हजार रुपये के इंजेक्शन फ्री लगाये जा रहे हैं और आम आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। आउटडोर में मरीजों की संख्या बढ़ गयी। एक-एक मरीज दुआ देता होगा सरकार को। लोगों ने कहा, काम क्या हुआ? मैं आज कह रहा हूं आपको कि किसी भी चौपड़ पर, किसी भी जगह, कहीं पर भी बैठ कर, खड़े होकर तीन साल के कार्यों के बारे में चर्चा कर लें, डिबेट कर लें, मैं गारंटी से कह रहा हूं तीन वर्षों में गहलोत सरकार ने जितना काम किया है,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पहले किसी सरकार ने तीन वर्षों में इतना काम नहीं किया। कई बार बात आती है, विपक्ष के लोगों का बयान आता है कि हां, काम तो हुआ है लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। आप तो मानते हो काम हुआ है। अब नयी योजना आती है उसमें इम्प्लीमेंटेशन में कमजोरी आ सकती है, वो तो सुधर सकती है, उसके अन्दर मजबूती आ सकती है, पर आपकी योजना नहीं होगी तो आप करोगे क्या? दोनों का अन्तर आप समझिये।

अभी हम एक और बड़ी योजना लेकर आये, उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना है। इतनी बड़ी योजना उसके लिए गांव में जो झोपड़ी में रहता है, बिलकुल गरीब है, जिसकी स्थिति खराब है-55 हजार रुपये एस.सी., एस.टी. के व्यक्ति को, 45 हजार रुपये जनरल कास्ट के व्यक्ति को। आज तक लोगों ने सरकार की तरफ से चैक नहीं लिया। चैक मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। अपोजिशन के लोग गांव-गांव में गये कि ये लोन के पैसे हैं, आपको वापस देने पड़ेंगे, देख लेना, ले लिया तो मर जाओगे। कई लोगों ने वापस दे दिये। वापस उनको पता चला, अधिकारियों ने कहा, डरने की जरुरत नहीं है, पैसे आपको वापस नहीं देने हैं, ये आपके मकान के लिए हैं। आज पहली बार कोई सरकार आगे बढ़कर लोगों को उनके घर की व्यवस्था करके दे रही है।

राजस्थान में एक बड़ी योजना आयी मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना।

(14.51 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

पहली बार अन्न सुरक्षा योजना में दो रुपये किलो में गेहूं देने का फैसला हुआ। राजस्थान के साढ़े अड़तीस लाख परिवारों को दो रुपये किलो में गेहूं राजस्थान की सरकार दे रही है। उस गरीब आदमी से जाकर पूछो जिसकी शाम की रोटी की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भारत में कांग्रेस की सरकार है और भारत में कांग्रेस की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून लेकर आयी। लोगों को राइट टू वर्क का अधिकार मिला, राइट टू एजूकेशन का अधिकार मिला, राइट टू फूड का अधिकार मिला। पहली बार भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि इस देश में आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ गांव के गरीब को रोजगार मिलना चाहिए, यह गांव का गरीब कहीं आपराधिक रास्ते पर नहीं चला जाए, नक्सलाइट बैल्ट की प्राब्लम खतम होनी चाहिए। बेरोजगारी को

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

लेकर इस देश का नौजवान लड़ने के लिए हथियार उठाकर खड़ा है। ऐसे में भारत सरकार इस सवा सौ करोड़ की आबादी के देश में इतनी बड़ी योजना लेकर आयी, सौ दिन के रोजगार की गारण्टी दे दी। मां की आंख के आंसू पोंछ दिये जो मां अपने बच्चों के रोने से परेशान थी। नरेगा ने गांव की स्थिति बदल दी। आज गांव में जाकर देखिये, काम हुआ नजर आता है। राजीव गांधी सेवा केन्द्र नजर आते हैं। जगह-जगह उनके उद्घाटन होने लगे हैं। नरेगा का पैसा जब गरीब के हाथ में गया तो वह दुआ देता है प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को, वह दुआ देता है सोनिया गांधी को, वह दुआ देता है राहुल गांधी को और याद करता है कि राहुल गांधी सिर्फ नाटक करने के लिए गरीब की झोंपड़ी में नहीं गया। वह गया गरीब की झोंपड़ी से जब उसने रोने की आवाज सुनी। लोग सब हंसे, लेकिन उसके आंसू पोंछने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है।

मैं आज आपसे कह रहा हूं कि भारत सरकार जितने अच्छे काम लेकर आयी है, अबकी बार 83 शहरों में मास्टर प्लान बन गया। मैं मुख्य मंत्रीजी को, धारीवालजी को बधाई दूंगा। धारीवालजी, यह बड़ा काम है, शहर अविकसित नजर आ रहे थे, विकास नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब आपने, धारीवालजी, यह मास्टर प्लान तैयार किया, मास्टर प्लान लोगों के बीच में आया तो शहरों में जो बेतरतीब व्यवस्था हो रही है, उसमें, आप यह मानकर चलिये, आपने एक नया सन्देश राजस्थान की सरकार का आम लोगों में दिया, कि हम गांव का भी विकास करना चाहते हैं, हम शहर का भी विकास करना चाहते हैं। आज कोई भी बात कर लो, कोई भी कहता है कि थ्हांको काम सब बढ़िया है, योजना थ्हांकी सब बढ़िया, थ्हे दो रुपया किलो में गेहूं दे रह्या हो, थ्हांको आटो भी बढ़िया। अब आप आटे का हिसाब लगा लो, आटा इतना अच्छा है कि आटा कहां पकड़ा गया। लोग बोले, आटे में गड़बड़ है, अगर आटे में गड़बड़ होती तो वह आर सी एम वाला भीलवाड़ा में सरकारी आटे का गोदाम पकड़ा गया। सरकारी आटा गोदाम में पड़ा था और वहां पर आर सी एम जैसी बड़ी कम्पनी पर छापा इसलिए पड़ा क्योंकि सरकारी आटे के कट्टे वहां पर थे। इसका मतलब सरकारी आटे में दम है। पहली बार राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया कि जब चाय बेच रहे हैं, आटा बेच रहे हैं, पांच रुपये किलो में नमक बेच रहे हैं, आम आदमी के जरुरत की जितनी भी चीजें हैं, राज नमक, राज चाय के नाम से सबके बीच में आ गयीं।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आम आदमी, हर आदमी यह चाहता है कि मेरे को दैनिक जीवन में जो मेरी प्राब्लम्स हैं, जब मैं सुबह उठता हूं तो शाम तक जो मेरी प्राब्लम है, वह दूर हो जाए। आप खुद मानते हैं, समाज में दो तरह के लोग हैं, दोनों दौड़ रहे हैं। एक वह है जो सुबह जल्दी उठकर अपने पेट की भूख मिटाने के लिए दौड़ रहा है और एक वह है जो रोज सुबह अपनी सेहत को फिट रखने के लिए दौड़ता है। दौड़ दोनों रहे हैं-एक रोटी के लिए दौड़ रहा है और एक अपने आपको फिट रखने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ दोनों की लग रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिन्ता करने की उस आदमी के लिए जरूरत है जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दौड़ रहा है। उस आदमी की चिन्ता आपको और हमको करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज में बैलेंस खतम हो जाएगा। ऐसे में जरुरत है कि हम सब एक बात का निर्णय लें। राज चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं रखते। हमारा यह पूरा प्रयास होता है कि माल थ्हे ले गया, माल थ्हे ले गया, थ्हे चोर हो और थ्हे भला हो और वे भला और थ्हे चोर। लेकिन कहीं न कहीं कुछ मुद्दों पर यदि काम अच्छा करे सरकार, तो सरकार चाहे हमारी हो या आपकी, सदन के सब सदस्यों को एक होकर वह योजना जनता तक पहुंचे, उस योजना का लाभ जनता तक पहुंचे, ऐसा काम हमको करना चाहिए।

राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार भी सबको है। कांग्रेस की भी इंटरनल पालिटिक्स होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी इंटरनल पालिटिक्स होती है। जब मैंने कल राज्यपालजी का अभिभाषण पढ़ा तो मैंने रघु शर्माजी से कहा, काम बहुत मोटा-मोटा हुआ है, पण ईंनै पढ़बा मैं वो जोश कोनी आयो। तो उन्होंने कहा कि आप ज्यादा जोशीले हो इसलिए आपको उसी ढंग से चाहिए था कि इसको ढंग से लिखा जाए। लेकिन सरकार की भलमनसाहत देखो, इतने बड़े-बड़े काम, ईजी वे में लिखकर छोड़ दिया कि हमने ये काम किये हैं।

जो काम हमने किये उन्हीं कामों में से मैं आज आपको कह सकता हूं, बड़ा काम राजस्थान लोक सेवा गारण्टी कानून हम लेकर आये। उस कानून में मैंने कहा कुछ कमियां हैं, धारीवालजी ने कहा, वे कमियां बीच में बैठकर दूर कर ली जाएंगी। लोक सेवा गारण्टी कानून और भी कुछ राज्यों में आया, लेकिन सबको देखकर जो यह कानून लेकर आयी सरकार, उस कानून से अधिकारियों को, कर्मचारियों को एक बात समझ में आ गयी कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार किसी भी कीमत पर गलतियों को माफ करने वाली नहीं है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

यदि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी आम आदमी के प्रति, काम के प्रति कोताही बरतेगा, उसका ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो उसको अधिकार है, गारण्टी कानून के तहत वो जाकर अपनी अपील कर सकता है, उसको सज़ा का रास्ता दिखा सकता है।

आपको पता है, सूचना का अधिकार इस देश में सोनिया गांधीजी के आदेश पर ही कांग्रेस की सरकार के द्वारा दिया गया और उस कांग्रेस की सरकार के सूचना के दिये अधिकार का आज पूरे देश में लाभ मिल रहा है। अबकी बार जब यहां पर डिस्कस हो रहा है हमारे तीन वर्ष के शासन के बाद, तो आज आपको कह सकता हूं। राजस्थान में मैं यह मानता हूं कि हम जब राज में आये तो राज में आने के बाद सबसे बड़ी प्राब्लम एक आयी, कर्मचारियों के मुंह से हमने सुना कि आपने छठा वेतनमान तो लागू किया लेकिन यह पूरे ढंग से लागू नहीं किया। मैं मेरी सरकार से निवेदन करूंगा कि कुछ काम छोटे-मोटे बाकी रह गये, वे काम इसको करने चाहिए और उन कामों के जरिए यह संदेश देना चाहिए कि जब सत्तर परसेंट घोषणाएं हमने पूरी कर दीं, कर्मचारियों की मांगें हम पूरी कर दें, छठा वेतनमान हम पूरा लागू करें।

एक और बड़ी बात राजस्थान की सरकार ने कही। अभी आंगनबाड़ी की महिलाओं का सम्मेलन हुआ, मैं उसमें गया। जिन कर्मचारी संगठनों ने यह सम्मेलन किया, मैंने आंगनबाड़ी की महिलाओं से पूछा कि सम्मेलन तो पहले भी हुए थे, आप तो यह बताओ कि आपके पैसे कितने बढ़ाये। बोले, साहब, गहलोत सरकार ने बढ़ाये-पांच सौ के हजार कर दिये, हजार के पन्द्रह सौ कर दिये और पन्द्रह सौ के तीन हजार कर दिये। पूरे राजस्थान में दो लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करती हैं अलग-अलग सैक्टर में, उन सबके पैसे बढ़ाये गये, काम करके दिखाया गया। मैं यह मानता हूं, चुनौती बड़ी है। जब काम होता है तो काम होने के साथ एक्सपैक्टेशंस बढ़ जाती हैं, कि मेरा भी काम होना चाहिए, और ज्यादा काम हो। जवाबदेही बढ़ जाती है।

(15.00 बजे)

तो अब दोनों सरकारों की आप तुलना कर लीजिये। राजधानी जयपुर की बात आयी तो राजधानी जयपुर माडल है पूरे स्टेट की। पिछली केन्द्र सरकार भी हमारी थी, केन्द्र सरकार की योजना थी बी आर टी एस। बी आर टी एस यहां पर लागू की। बी आर टी एस चल रही थी जयपुर को एक माडल सिटी का रूप देने के लिये, वर्ल्ड क्लास सिटी का रूप देने के लिये जयपुर में

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मैट्रो का काम तेजी से चला। इतना बढ़िया काम हो रहा है कि जयपुर की जनता खुद यह मानती है कि जब-जब कांग्रेस पार्टी आती है, जयपुर का विकास होता है। सीटें कम आती हैं जयपुर में, लेकिन विकास कांग्रेस पार्टी के आने पर होता है। पिछली बार भी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी थी तो जितने ये जयपुर के फ्लाईओवर दिखते हैं, खुद जयपुर के लोग कहते हैं कि पिछली बार अशोक गहलोतजी थे उनके राज में बने लगभग सारे फ्लाईओवर।

अब की बार एक बड़ा काम हो गया यू डी एच के जरिये घाट की गूंणी में। पहली बार घाट की गूंणी में टनल का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। बहुत बड़ा सपना जयपुर के लोगों के लिये है, घाट की गूंणी में पहली बार सुरंग से बाइपास होकर वाहन निकल जाएंगे। लोगों को लगता है। बात करते हैं, कहते हैं और वास्तव में काम नजर आता है।

गुर्जर की थड़ी पर अण्डरपास बन रहा है। गुर्जर की थड़ी पर आये दिन एक्सीडेण्ट होते थे, 7 आदमियों की डैथ हो गयी अभी। हमने मुख्य मंत्रीजी से, धारीवालजी से, यू डी एच इनके पास है, बात की। अण्डरपास का एक महीने बाद उद्‌घाटन हो गया और विदिन 15-20 डेज वह काम पूरा हो जाएगा।

अब यह नया झगड़ा आ गया। कहा गया कि बी-टू बाइपास बना था इसीलिये, बी-टू बाइपास से ट्रक चलने के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिये। हंगामा हो गया। वहां के लोगों ने कहा, बी-टू बाइपास पर मत चलाओ। ठीक है। लेकिन जब तक दूसरा रास्ता नहीं बने तब तक तो बी-टू बाइपास पर चले। क्योंकि बनाया ही इसलिये है, ट्रकों के लिये। आज यदि वापस उसको गुर्जर की थड़ी, गोपालपुरा मोड़ पर लेकर आ जाते हैं तो ज्यादा एक्सीडेण्ट होंगे। लोगों को कहीं न कहीं कुछ भी हो जाए लेकिन उस काम में कमी निकालनी है। मैंने कहा अधिकारी वर्ग को, हमारी सरकार के बड़े जन-प्रतिनिधियों को, मंत्रियों को कि इस तरह चन्द लोग आन्दोलन कर दें, उस आन्दोलन से घबरा कर रास्ते नहीं बदले जाते...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापतिजी, यह मंत्रीजी बोलने वाले माननीय सदस्य और आसन के बीच में आते हैं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का कृत्य दुबारा आप न करें। विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वैसे मैंने इनको अवसर दिलाया था। मैंने कहा था कि जो मंत्री इस्तीफा दे, वह अपना भाषण दे। इन्होंने भाषण दिया, इनका नम्बर आ गया। अब जिन मंत्रियों ने छोड़ा है न, वे भी यह अवसर ले लेंगे तो उनका भी दुबारा नम्बर आ जाएगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपका उद्देश्य जो था न, उसमें आप कामयाब नहीं हो पाये। वह अपने उद्देश्य से सचेत हो गये।

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, आप माननीय सदस्य की गरिमा और मित्रता दोनों का ध्यान रखें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): तो मैं यह मानता हूं, इन 3 वर्षों में राजस्थान की जनता महसूस करती है कि आम आदमी के सम्मान के साथ काम हुआ है। मैं घनश्यामजी भाई साहब को धन्यवाद दूंगा, तरीकों की जो आज घुमा दिया मैंने, धन्यवाद। मैं मानूंगा, आप खिलाड़ी हो वास्तव में। मैं माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं कि बी-टू बाइपास का मामला था इसलिये, हां मैं समझ गया। आगे जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इस बात के लिये भी राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दूंगा।

पिछली सरकार ने पहले यह कह दिया कि राजस्थान के लोगों हमें वोद टो, जयपुर के लोगों हमें वोट दो, हम आपका हाउस टैक्स खतम कर देंगे। राज बन गया। राज बनने के बाद बार-बार आन्दोलन हुए। जगह-जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले, अभी 3 वर्ष बाकी हैं, 2 वर्ष हैं, 1 वर्ष है। लास्ट में जाकर माफ कर दिया। हमने कहा, इस बकाया का क्या होगा? बोले, बकाया-बकाया हम माफ नहीं करेंगे। बकाया कभी विदड्रा नहीं होता। एक बी जे पी के विधायकजी ने, मैं तब एम एल ए नहीं था, खड़े होकर कह दिया, जो जमा नहीं कराएगा उसके पैनल्टी लगेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हाउस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। हमने कहा, जो जमा नहीं कराएगा वह फायदे में रहेगा। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी, उस वक्त के हमारे प्रेसीडेण्ट डा. सी पी जोशी, यू डी एच मिनिस्टर धारीवालजी, सबने मिलकर 380 करोड़, टोटल 400 करोड़ रुपये राजस्थान का बकाया विदड्रा किया क्योंकि हमने घोषणा पत्र में कहा था। कांग्रेस ने वादे को निभाया, करके दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने वादा नहीं निभाया।

आज भी उसी वायदे की बात है। अभी राजस्थान में पाला पड़ा है। जहां पाला पड़ा है, मैं मेरे गांव में गया, वहां मैंने देखा, वास्तव में स्थिति खराब हुई। किसान को मुआवजा मिलना चाहिये, मैं भी यह मांग करता हूं।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने, कांग्रेस सरकार के मुखिया ने घोषणा कर दी कि कांग्रेस पार्टी 5 वर्ष तक किसी भी कीमत पर बिजली के बिल नहीं बढ़ाएगी। किसान का एक भी पैसा बिजली का बिल नहीं बढ़ा है। जो कहा है वह करके दिखाया और किसान का...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप शांति बनाये रखें। जो आदरणीय सदस्य अपनी बात अभिव्यक्त कर रहे हैं, जब आपको मौका मिले आप उसका काउंटर कर दीजिये।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): मिथ्या भाषण का विरोध करना चाहिये।

श्री सभापति: भाषण इस सदन में कभी मिथ्या नहीं होता, यह भी आप सदस्य ध्यान रखें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो वादा किया किसान को लेकर, वह वादा कांग्रेस पार्टी आज भी निभा रही है। मैं आज आपसे कह सकता हूं कि कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, किसी भी मुद्दे पर किसी भी वर्ग के लिये जब भी जरूरत पड़ी, कांग्रेस पार्टी जितनी भी योजनाएं लेकर आयी उन योजनाओं का लाभ उनको मिला।

अभी सड़कों की बात आयी। बरसात में सड़कें पूरे राजस्थान की टूट गयीं और सब तरफ से आवाज आयी। लगभग 1400 करोड़ रुपये सड़कों के लिये राजस्थान की सरकार ने जारी किये। 370-80 करोड़ रुपये की सड़कों का अभी काम चल रहा है और काम हुआ। मैं यह मानता हूं टोटल 1300-1400 करोड़ रुपया जब पूरा खर्च हो जाएगा तो राजस्थान की कोई सड़क नहीं बचेगी जिसमें कि आम आदमी को फायदा न मिले। अकेले जयपुर में पहली बार लोग खुद यह कह रहे हैं कि गली-गली में सड़कें पहुंची हैं।

जे डी ए, नगर निगम, जहां तक मैं मानता हूं, नगर निगम में तो बहुत सुधार की जरूरत है लेकिन फिर भी जे डी ए का जो वर्क है, इन लोगों ने, पहले गलियों में जयपुर में बड़ी प्राब्लम थी। जयपुर में नगर निगम का एरिया बंट गया, जे डी ए का एरिया बंट गया। नगर निगम पर पिछले 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। बकाया ले-लेकर इतना पैसा कर्ज कर दिया तो अभी नगर निगम में हाय तौबा ज्यादा है और काम कम है। वहां पर दोनों ही लगे हुए हैं चाहे बी जे पी हो, चाहे कांग्रेस वाले हों, कि हम

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आपको नहीं देख सकते और आप हमको नहीं देख सकते। दोनों बराबर में लगे हैं लेकिन राजस्थान की सरकार और जे डी ए, मैं बधाई दूंगा इस बात के लिये कि जयपुर के विकास में कोई कमी नहीं है। जयपुर के लिये अभी एक प्रोजेक्ट मैंने पहले कहा, मैट्रो की बात मैं पूरी नहीं कर पाया।

मैट्रो जो जयपुर में आने वाली है, अशोक गहलोतजी का सपना देखिये। बी आर टी एस आप जो लेकर आये, सीकर रोड पर आपने एंगल लगा दी। एंगल लगाकर पूरी सीकर रोड को खराब कर दिया, क्योंकि सोच ही नहीं थी कि आगे क्या होगा। 20 साल बाद की प्लानिंग ही नहीं थी। अपने 5 साल में जो खेल करना है कर दो, बाकी आने वाले जानें। पूरी सड़कें रोक दीं। पानीपेच पर आप पहुंचने लगे। हमने जाकर कहा मुख्य मंत्रीजी से कि ये एंगल अब आगे नहीं लगेंगे, नहीं तो जयपुर की सड़कें जाम हो जाएंगी। जब मैट्रो आयी तो अब मैट्रो में तय हो गया कि नीचे ट्रैफिक चलेगा। बीच में बस चलेगी और तीसरी मंजिल पर ट्रेन चलेगी। हिन्दुस्तान का पहला मैट्रो प्रोजैक्ट ऐसा है, इतना बड़ा सपना है। किसी ने कहा कि इस तरह से यह जो योजना आप लाना चाहते हैं इस योजना का फायदा आम आदमी को नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, आज के दिन मैं एक बात और कहूंगा, हमारे आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी बिल पेश कर रहे थे, बीच में आ गयी बात इसलिए, आपने कहा कि एक्ट हम लागू कर रहे हैं। यह बीजेपी, कांग्रेस से ऊपर की बात है, दोनों को यह तय करना चाहिए। हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ला तो रहे हैं लेकिन इसके लिए एक्ट में इतने सख्त प्रावधान जरूर कर देना कि कहीं ये यूनिवर्सिटीज मालिक नहीं बन जाएं। शुरूआत उधर से भी हुई, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तब भी हमने जमकर यूनिवर्सिटीज खोलीं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज खोलीं। राजस्थान का आम स्टूडेंट परेशान है। उसको कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी ने शुरूआत की या कांग्रेस ने, वह चाहता है कि उसे उसके अधिकार मिलने चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज उनकी मालिक बन गयी हैं। इसमें सरकार का इतना इंटरफियर होना चाहिए कि वे गड़बड़ी नहीं कर सकें। वे कहीं पर प्रमाण-पत्र गलत नहीं बांट सकें। कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान की एजुकेशन का सिस्टम खराब कर दें। जिस तरह की मेडिकल यूनिवर्सिटीज और दूसरी हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज हम ला रहे हैं, ऐसे में जब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे राजस्थान के लिए चुनौती खड़ी नहीं कर दें। मैं आपसे

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

निवेदन करूंगा, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आफिसर्स एक्ट बनाते हैं तो सबसे बड़ी एक प्राब्लम है कि एक्ट बनाते वक्त हम वह पढ़ते ही नहीं हैं। अगर मंत्री पढ़ते हों तो मैं धन्यवाद दूंगा, चाहे वे किसी भी राज्य के हों। हम भी मोटा-मोटा ही पढ़ते हैं, हमें फुरसत ही नहीं है। हम कह देते हैं कि आप काम कर लो क्योंकि हम सारे नेता लगे हुए हैं कोई उद्घाटन करने में, कोई मीटिंग करने में। अब प्राब्लम यह हो गयी कि राज किसी के पास भी आ जाए, हर मिनिस्टर समझता है कि वह स्टेट का मिनिस्टर नहीं है, मैं तो मेरी कांस्टीट्युएंसी का मिनिस्टर हूं। वहीं गड़बड़ हो रही है। यह बहुत बड़ी प्राब्लम है। पहले मिनिस्टर होता था तो पूरे राजस्थान का होता था, आजकल सिस्टम बदल गया है। मुख्य मंत्री तो पूरे राजस्थान का और मंत्री उसके विधान सभा क्षेत्र का। जब तक वह मिनिस्टर विधान सभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेगा, पूरे स्टेट की नहीं सोचेगा, यह हमारे ऊपर ही नहीं है, उधर भी यही हालत थी। उधर भी बहुत बुरी हालत थी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वापस आना है, हम नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यह जो सिचुएशन है, उससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक राजस्थान का विकास नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान की सरकार को बधाई दूंगा, आपने दो बड़े काम किये। आप जल नीति लेकर आये, आप खनिज नीति लेकर आये। सरकार जल नीति लेकर आयी तो इस जल नीति ने राजस्थान की स्थिति सुधार दी। पहले वाटर हार्वेस्टिंग की कोई बात नहीं करता था। लोगों में अवेयरनेस आ गयी कि अगर वाटर हार्वेस्टिंग का काम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जमीन में पानी नहीं रहेगा। नरेगा ने लोगों को जिंदा कर दिया, जगह-जगह तालाब बन गये। नरेगा के जरिये पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया।

सभापति महोदय, दूसरा बड़ा काम किया हमारी सरकार ने, उस काम से आम आदमी ने दुआएं दीं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वह बड़ा काम किया कि आप खनिज नीति लेकर आये। आपने कह दिया कि अब कोई भी खान बिना नीलामी के किसी को नहीं मिलेगी। पहले खानों की बंदरबांट होती थी-तुम ले जाओ, यह मेरा है, यह पराया है। आप जाकर देखो, हजारों करोड़ रुपयों का टर्नओवर है खान मालिकों का। लेकिन सरकार के पास कुछ नहीं है। पहली बार गहलोत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है और यह ट्रांसपरेंसी सरकार की आनेस्टी शो करती है। सरकार केवल कहती नहीं, सरकार

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

ईमानदारी से काम करके दिखाती है। अभी बहुत खानों की नीलामी हुई, उसमें सरकार को बड़ा पैसा आया। आने वाले समय में गहलोत सरकार ने जो खनिज नीति लागू की, उससे राजस्थान की सरकार का खजाना इतना भर जाएगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं, इतना पैसा राजस्थान की सरकार को मिलेगा, राजस्थान दूसरे स्टेटों के मुकाबले सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। अभी तो यह शुरूआत हुई है। अब किसी को खान सिफारिश से नहीं मिलेगी, यह बहुत बड़ा काम हुआ है। यह राजस्थान की सरकार ने फैसला किया, पहले भी सरकारें कर सकती थीं।

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने फैसला किया, मंत्रियों की संपत्ति घोषित करवा दी। मुख्य मंत्रीजी ने संपत्ति घोषित कर दी। आईएएस आफिसर्स की संपत्ति की घोषणा करवा दी। हुआ तो सही, शुरूआत तो हुई। यह बहुत बड़ी बात है। कहीं से शुरू तो हुआ। लोग तो हिम्मत ही नहीं जुटाते थे। कोई यह कहने को ही तैयार नहीं था कि मैंने संपत्ति बता दी, तुम तुम्हारी संपत्ति बता दो। अब बताना शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ चुनाव के समय बतानी पड़ती थी। अब आपकी नैट पर आ गयी, कोई भी खोलकर देख लो। मंत्री की संपत्ति की घोषणा हो गयी और आज मैं आपको कह सकता हूं कि यह जो संपत्ति की घोषणा हुई है, इससे विधान सभा के विधायकों और एमपीज के प्रति लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं लोगों में एक बात और कहता हूं, उनके बीच में जाकर। एक प्राब्लम बहुत बड़ी है आजकल, हर आदमी जो पावर में आ गया या कोई भी हो आम इंसान, उसकी एक ही भावना है, कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही सबसे भला हूं, मैं ही सपूत हूं, मैं ही ईमानदार हूं और मैं ही सबसे ज्ञानवान हूं। यह बहुत बड़ी प्राब्लम हो गयी। एक दूसरे की बात सुनने को ही कोई तैयार नहीं है। यदि एक दूसरे की बात सुनने को सब तैयार हो जाएं, हम तो लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों को कहता हूं कि सरकार ने तो ईमानदारी से कह दिया, मंत्रियों की संपत्ति की घोषणा हो गयी, आईएएस आफिसर्स की संपत्ति की घोषणा हो गयी, कोई गड़बड़ करेगा तो सामने आ जाएगी। आज नहीं तो कल आ जाएगी। कोई गड़बड़ ज्यादा दिन छुपती नहीं है, वह कहीं न कहीं खुलकर आती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, वोटर यह चाहता है कि उसका नेता तो हीरा होना चाहिए। नेता मतलब क्या है? ने का मतलब नैया और ता का मतलब तारण। जो नाव को पार कराकर ले जाए,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

उसको नेता कहते हैं। कैसे भी ले जाए। उसको कोई मतलब नहीं है कि वह नाव को कैसे पार लगाए। वह तो कहता है कि यह मेरी नैया है और यह तारण करने वाला उसका नेता है, वह कैसे भी कराए। हमने उनसे कहा... (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन की बगैर अनुमति से जो भी कोई बोलेगा, वह अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नेता से बहुत ज्यादा उम्मीद लोगों की रहती है कि वह मेरी नाव को पार कराकर ले जाए। मैं वोटर से कई बार साफ कहने के लिए कहता हूं कि आप नेता से तो ईमानदारी की उम्मीद करो, वोटर को भी ईमानदार होना चाहिए। उसको भी तराजू लगानी चाहिए, उसको भी तौलना-परखना चाहिए कि यह राज तो इतना और यह राज इतना। इसमें हमारे इतने काम हुए और इसमें हमारे इतने हुए। यह भला है और यह बुरा है। फैसला तो जनता करेगी। वोटर भी ईमानदार हो जाए तो फिर फैसला अपने आप हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तीन वर्ष में इनके इतने काम और तीन वर्ष में इनके इतने काम। यह दीवारों पर लिखा हुआ है कि आम आदमी के सम्मान की, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, उसकी भूख को मिटाने की, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने की, गरीब का झोंपड़ी से पक्का मकान बनाने की और भ्रष्टाचार से लड़ने की शुरूआत यदि किसी ने की है तो वह कांग्रेस सरकार ने की है और वह इन तीन वर्षों में करके दिखाया है।

सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस सरकार की जब बात आती है तो लोग कई बार बात करते हैं राजस्थान की सड़कों पर खड़े होकर। मैं लोगों से पूछता हूं कि हममें कमी क्या है, काम तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, फिर आप हमसे क्या चाहते हो, यह बताओ। वे बोले कि आप काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो और हमें दे भी रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी-जल्दी दे रहे हो कि न तो हमारी समझ में आ रहा है, न हम तय कर पा रहे हैं। मैंने कहा, हम बुरा तो नहीं कर रहे हैं? आपने ठीक कहा, बिना मांगे। तो बिना मांगे काम करे वही तो काम हुआ, मांगे बाद तो दुनिया ही देवे। वे कहते हैं कि आपके ये अधिकारी काबू में नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा कि आप जिस अधिकारी की बात कर रहे हो, उन अधिकारियों से राज का फैसला नहीं होता है। मैं मानूं कि कुछ कमियां हो सकती हैं, कमियां तो हर आदमी में होती हैं

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)
और राज में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन यह हमारे घर की बात है। इसमें भी जो लोक सेवा गारंटी कानून हम लेकर आये हैं उससे जो अधिकारी यह समझते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, हम चाहेंगे तो फाइल चलेगी नहीं तो नहीं चलेगी। जब टाइम बाउंडेशन की बात आती है, उसमें कई जगह गड़बड़ हो गयी, जैसे वृद्वावस्था, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, उसके लिए मुझे मुख्य मंत्रीजी ने और दूसरे मंत्रियों ने, धारीवालजी ने कहा कि हम इसमें चेंज कर देंगे। इसको कम कर देंगे। उसमें गलती से 90 दिन का आ गया बाकी टाइम बाउण्डेशन कर दिया। अब टाइम में काम नहीं होगा। लोगों ने कहा कि इससे अधिकारी कैसे सुधरेंगे? सुधरेंगे, कैसे नहीं सुधरेंगे? जब सूचना का अधिकार आया, राइट टू इन्फार्मेशन, लोगों को पता ही नहीं था। लोग कहते थे, क्या हो गया, सूचना का अधिकार दे दिया। जब जागे लोग, टाइम निकला, टाइम निकलने के बाद लोगों की समझ में आई सूचना के अधिकार की, तो हिल गई सरकार। सूचना के अधिकार के तहत जितने मामले आये, उन मामलों में सूचना देने वाली कौन? सरकार। बताने वाली कौन? सरकार। आदमी को लगा कि विधान सभा और लोक सभा में ही सूचना नहीं पहुंचती, सूचना मेरे घर तक भी पहुंचती है।

वैसे ही यह लोक सेवा गारण्टी कानून लोगों को राहत पहुंचाएगा। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि नया एक्ट ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी एक्ट, उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। चाहे लोगों ने कहा कि आपकी सरकार और मुख्य मंत्रीजी जल्दी-जल्दी कानून ला रहे हैं तो आपको कोई घबराहट हो रही है। तो मैंने कहा कि हमें कोई घबराहट नहीं हो रही है। फिर कहा कि जो साल भर पहले बात करते थे राजस्थान के लोग, आज वे धीरे-धीरे यह मानने लग गए हैं, उन बातों के रिजल्ट अब आने लग गये हैं, लोगों के समझ में आने लग गया है कि काम हो रहे हैं, गेहूं मिला, आटा मिला। मैंने देखा कि आटे की दुकानों पर, मुद्दा उठा, सब कुछ हो गया, अपनी-अपनी जगह बातें हैं, आटे की दुकानों पर लाइनें लगी हुई हैं, राशन की दुकानों पर आप जाकर खड़े हो जाएं। मैंने गांवों में तो नहीं देखा लेकिन मैंने शहर में खुद देखा है और रुक कर कहा लोगों से कि यह आटा बंद करा दें क्या? लोग बोले, नहीं। तो मैंने कहा कि क्यों, इस आटे में तो मजा नहीं आ रहा है। तो वे बोले कि हमें तो खूब मजा आ रहा है। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको पता नहीं है। लाइनें लगाकर लोग आटा ले रहे हैं, सरकार से उसको सस्ता आटा मिल रहा है, डिमाण्ड हो रही है। दूध की डेयरी पर लोगों को आटा मिल रहा है। मैं इतना

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कह सकता हूं कि इन तीन वर्षों के शासन में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया उस अभिभाषण में हमारी सरकार का लगभग पूरा चिट्ठा था सरकार के किए हुए कामों का जो राजस्थान में हमने जगह-जगह किये।

अभी हमारे सारे मंत्री तीन दिन तक लोगों में बीच में गये। मैं तो कहूंगा कि आप तीन दिन गये, मुख्य मंत्रीजी का आदेश हुआ, तीन दिन आप लोगों के बीच गये, लोगों को सुना। जगह-जगह लोगों के बीच जाने के बाद मंत्रियों को लोगों की जो बात सुननी पड़ी और लोगों ने आगे बढ़कर जो सम्मान दिया, उससे आपको पता चल गया होगा कि आपकी योजनाएं सफल हैं। कई लोगों ने कहा कि हां, दवाई मिल रही है, काम हो रहे हैं। वहां जाने के बाद अपोजिशन के लोग भी थे, दूसरे विधायक भी थे, मुख्य मंत्रीजी खुद गये, लोगों में ऐसा कोई रिवोल्ट राजस्थान में नहीं हुआ। जिस तरह का प्रचार अपोजिशन ने करने की कोशिश की कि अब तक तो गए नहीं, आज गये हैं। गये हैं तो लोगों ने स्वागत किया है, लोगों ने कहा है कि काम हुए हैं, योजनाओं पर ईमानदारी से काम हो रहा है, आपकी योजनाएं लागू हो रही हैं। 52 हजार लोगों को अब तक रोजगार मिल चुका, डेढ़ लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी है। आज मैं कह सकता हूं कि कई बार कोर्ट में मामले गये, इधर-उधर मामले गये लेकिन आने वाले समय में इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले हैं कि हर व्यक्ति को यह लगेगा कि हमारे यहां काम हुए हैं।

पहले दसवीं क्लास की बच्चियों को साइकल मिल रही थी, 1 लाख 20 हजार साइकल इस बार मिलीं 2011-12 में। अब नवीं की बच्चियों को भी इसमें शामिल कर दिया, दसवीं के साथ नवीं को भी शामिल कर दिया, जब बच्ची नवीं कक्षा में एडमीशन लेगी उसको राजस्थान की सरकार साइकल देगी जिससे उनमें शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो। जो बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं उनको साइकल मिली और 1 लाख 20 हजार साइकल बच्चियों को मिलीं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि राजस्थान में होम गार्ड के जवान पुलिस के साथ ड्यूटी कर रहे हैं और 24 घण्टे ड्यूटी कर रहे हैं, हम इनको सम्मान दें, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। मंत्रीजी बैठे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि ऐसा कोई प्रपोजल बनाया जाए जिससे नौजवान जो होम गार्ड में भर्ती हो रहा है, पुलिस के बराबर मेहनत करता है, भागता है, दौड़ता है, उसको

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

अब आप राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। आंगनबाड़ी में काम करने वाले लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दें।

हम इस तरह के लोगों का जरूर इलाज करें जो राजस्थान सरकार की योजनाओं, उनकी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। योजनाएं लोगों तक पहुंचती नहीं हैं या बीच में वे आब्स्टेकल का काम कर रहे हैं। बीच में और कुछ नहीं कर सकते तो रुकावट जरूर कर सकते हैं। ऐसे लोगों का भी हमें इलाज करने की जरूरत है। मैं आज आपसे कहता हूं कि पूरे देश में कांग्रेस का शासन है, हम सब कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधि हैं, भारत में कांग्रेस का राज है, मैंने लोगों से पूछा, कई जगह बड़ी प्राब्लम आई कि हां, बड़ी दिक्कत है। मुख्य विपक्षी दल के छोटे-मोटे कार्यकर्ता बहुत होशियार हैं, एक जगह रोड़ बन रही थी, रोड बनते ही जाकर खड़े हो गये वहां और कहने लगे कि यह रोड हम ही बनवा रहे हैं। हमने क्या किया कि उस रोड की गिट्टी-विट्टी सब हटवा दी। लोग आये मेरे पास, दो सौ, तीन सौ, चार सौ, वहां से चलकर लोग आये मेरे घर और कहा कि आपने हमारी रोड बंद करवा दी। मैंने कहा कि चालू किसने कराई। तो उन्होंने कहा कि आपने ही कराई। आपने तो कह दिया, कल कौन आया था, उन्होंने कहा कि वे बना रहे हैं रोड। मैंने कहा, किसका राज है राजस्थान में। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत हैं मुख्य मंत्री। मैंने पूछा प्रधान मंत्री कौन हैं। तो वे बोले कि मनमोहन सिंह हैं। एम एल ए कौन है? तो बोले कि आप हो। तो प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और एम एल ए मैं तो ये कैसे काम करेंगे? प्रतिपक्ष की माननीय नेता महोदय ने तो कभी नहीं कहा कि मैट्रो मैं चला रही हूं क्योंकि मैट्रो तो अशोक गहलोत ही चला रहे हैं। तो नीचे बड़े खिलाड़ी हैं, इनको सुबह से शाम तक एक ही ट्रेनिंग चलती है कि जहां दांव लगे, वहां चाहे कुछ भी करना पड़े वहां बता दो कि यह काम अपना ही किया हुआ है।

मैं आज आपको कह सकता हूं एक बड़ा काम जो हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने पिछले शासन में बहुत बड़ा एक काम किया था। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) टाइम बाउण्डेशन है क्या?

श्री सभापति: एक घण्टा हो गया है इसलिए मैंने Just a warning, you have to conclude it. I can't force you but मैं सिर्फ इसलिए निवेदन कर रहा हूं

(श्री सभापति)

कि एक घण्टा हो गया है आपको और क्योंकि आपके और माननीय सदस्य भी बोलेंगे इसलिए I just warned you if you start to conclude it.

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, हमारे आठ घण्टे और कुछ मिनट हैं तो थोड़ा उधर रख दें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, जितनी तालियां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं बजीं, उससे ज्यादा इनके भाषण में बजी हैं।

श्री सभापति: एक तरफ से ही बजी हैं, इधर से तो नहीं बजीं तो आप बजा दो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री जब पिछली बार अशोकजी गहलोत थे, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला तो उन्होंने पृथ्वीराज नगर को अवाप्ति से मुक्त कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला पैंडिंग हो गया। पैंडिंग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया, भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन नहीं लिया। जयपुर की बहुत बड़ी योजना थी, रद्द हो गई। लगभग एक लाख मकान लोगों ने बना लिये। माननीय सदस्य घनश्यामजी के निर्वाचन क्षेत्र का भी काफी क्षेत्र उसमें आता है। पिछली बार आपने उसकी अवाप्ति मुक्ति की घोषणा कर दी, उसका तो मैं स्वागत करता हूं। यू डी एच मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसका पूरा प्लान बनाकर-जैसे आप जल नीति लाये, खनिज नीति लाये, वैसे ही कोई नीति, पृथ्वीराज नगर नीति भी लागू कर दो। मैं कह रहा हूं कि इससे जयपुर में लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इससे किसान भी पीड़ित हैं, इसमें छोटे-छोटे मकान बनाकर जो लोग रह रहे हैं, उनको भी सुविधा चाहिए, सड़कें चाहिए, वहां पर पार्क चाहिए, पूरा डवलपमेंट चाहिए। इस पृथ्वीराज नगर योजना को आपको रैगुलराइज करना चाहिए और उन दरों पर रैगुलराइज करना चाहिए जिसमें 80-100 रुपये ही लोगों के लगें क्योंकि मीडियम क्लास और गरीब लोग यहां पर हैं।

एक बात और कहूंगा सुझाव के लिए, अभी बहुत कम्पनियों के ऊपर राजस्थान की सरकार ने कार्यवाही की और कार्यवाही करके यह साबित कर दिया कि कोई भी आदमी चोरी करेगा तो राजस्थान की सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन ऐसे में हमें ध्यान रखना होगा कि इन्वेस्टर और एजेंट राजस्थान का नागरिक है। हम यह ध्यान जरूर रखें कि इन्वेस्टर और एजेंट

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जो राजस्थान का नागरिक है, वह लाखों की तादाद में है, ऐसा नहीं हो जाए कि वह बेरोजगार हो जाए और हमारे टारगेट के लिए पुलिस के अधिकारी उस कम्पनी को बंद कर दें। यदि कम्पनी गलत है, चोर है, भाग रही है, उसको पकड़ लो। लेकिन कोई कम्पनी रन कर रही है, काम कर रही है तो पहले यह देखें, कितने इन्वेस्टर हैं इसमें, कितने एजेंट हैं। लाखों की तादाद में यदि वे गांव-गांव में हैं, तो पैसा तो सिक्योर्ड रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका पैसा डूब जाए और वह अननैसेसरी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए क्योंकि हमने चलती हुई कम्पनी को बंद कर दिया। इतना हम जरूर ध्यान रखें।

जब आज मुझे राज्यपालजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ा किया तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के हम सब सदस्य विधान सभा में चुनकर आए हैं और तीन वर्ष हमारे राज को पूरे हो गये। इस राज को पूरे होने के साथ पूरे राजस्थान में जो बड़ा काम हुआ वह यह हुआ, शहरों में वर्षों से लाइनें नहीं बदली गई थीं पानी की, पूरी टूटी-फूटी, जर्जर लाइनें थीं, इस बार पहली बार वे सारी लाइनें बदली गईं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बीसलपुर बांध भर गया। राजस्थान में बरसात अच्छी हुई और बरसात अच्छी होने के कारण राजस्थान के आम आदमी को लाभ मिला। आम आदमी ने यह महसूस किया कि राजस्थान के ऊपर भगवान मेहरबान है और उस मेहरबानी के कारण ही आज पूरे राजस्थान में मैं यह मानता हूं कि पानी की स्थिति सुधरी है। नहीं तो गांवों में जगह-जगह टैंकरों से सप्लाई थी। आज के दिन मैं यह मानता हूं कि ऊपर वाला भी हमारे पर मेहरबान है।

इस बीच में यूडीएच मिनिस्टर साहब से मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, आपने पिछली बार इस सदन में यह घोषणा की थी, सवाल लगा था विपक्ष की तरफ से, मैंने भी कहा था। आपने कहा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों के अनुसार कोई भी आईएएस अधिकारी किसी खेल संघ में नहीं रह सकता। आपने कहा, हम कार्यवाही करने जा रहे हैं। आपने पूरे सदन को बताया, हमने डीओपी को लिख दिया है, हम किसी भी कीमत पर मिस्टर संजय दीक्षित के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आज तक कोई कार्यवाही संजय दीक्षित के खिलाफ नहीं हुई। यदि आपने सदन को सूचित किया है, संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह हमारी ड्यूटी है, हम ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करें जो लोग सरकार को,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सरकार के नियम कायदों को, कानून को ताक में रखकर अखबारबाजी करके खेल संघों में बने रहना चाहते हैं।

मैं अंत में अपनी बात के साथ एक बात जरूर कहूंगा, इन तीन वर्षों में व्यापारी, मजदूर, किसान, कर्मचारी, गांव, शहर, मां-बहन, बेटी और पूरे राजस्थान के आम-अवाम के लिए राजस्थान की सरकार ने ईमानदारी से काम करके दिखाया है, पूरे राजस्थान का आम-अवाम यह महसूस करता है कि जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है, चाहे झोंपड़ी में रहता है, चाहे गांव में रहता है, चाहे शहर में रहता है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर राजस्थान की सरकार योजनाएं लेकर आई है और राजस्थान की सरकार पूरे राजस्थान का विकास करना चाहती है, राजस्थान को विकासशील स्टेट के रूप में सबसे आगे लाना चाहती है। जिस तरह से खनिज नीति लेकर आये, उस तरह से मजबूत भी करना चाहती है कि फाइनेंशियल रूप से राजस्थान की सरकार एक मजबूत स्टेट के रूप में उभरे, जिसके पास खजाना खाली नहीं हो, जिसका खजाना भरा हुआ हो, जिसका मन बड़ा हो, जो समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं लेकर आए और पैसा खर्च करने की ताकत हो। आज राजस्थान में हर क्षेत्र का, हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति धर्म का व्यक्ति यह कहता है कि यह सरकार जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम कर रही है, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करती, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करती, बड़े और छोटों के नाम पर भेदभाव नहीं करती। यह वही सरकार है, जब हमारी सरकार के एक मंत्री और विधायक पर आरोप लगा तो इस सरकार ने कहा कि सीबीआई से जांच करवा लो। आगे बढ़कर राजस्थान की सरकार ने जांच करवाई और ईमानदारी से जांच करवाई। कहीं भी बीच में भेदभाव नहीं किया। आज राजस्थान की सरकार, राजस्थान का मुख्य मंत्री, राजस्थान के कांग्रेस शासन के लोग कहीं भी किसी भी वर्ग में कोई भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मैं यह भरोसा करता हूं कि इन तीन वर्षों में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने जो काम करके दिखाया है, वह काम इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा और आने वाले समय में हमेशा ये काम उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में भी आम-अवाम हमेशा इस शासन को याद करेगा और कहेगा कि जय हो कांग्रेस राज की जिसने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाईं, राजस्थान को आगे बढ़ाया। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोविन्दसिंह डोटासरा, सदस्य विधान सभा, प्रस्ताव कर अनुमोदन करेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य प्रतापसिंहजी खाचरियावास साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दिसम्बर, 2008 में राजस्थान विधान सभा के चुनाव हुए, हम सब जन प्रतिनिधियों ने जनता के सामने जाकर एक संकल्प लिया कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, अलग-अलग पार्टियों ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी किये। उसके बाद में जनता ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, उसको शासन करने का मौका प्रदान किया। इसके लिए मैं पूरे राजस्थान की जनता का आभारी हूं। कांग्रेस का शासन आने पर माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को मुख्य मंत्री का दायित्व मिला। माननीय सभापति महोदय, माननीय अशोकजी गहलोत जब मुख्य मंत्री बने तो शपथ लेने के बाद में जहरीली शराब पीने से जो लोग घायल हो गये थे, उनसे एसएमएस में जाकर मिलने से शुरूआत की, यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारी सरकार के मुखिया गरीबों के प्रति चिंतनशील हैं, गरीबों के दुःख-दर्द में भागीदार बनना चाहते हैं। आज तीसरा साल है, तीन सालों में माननीय अशोकजी गहलोत ने, हमारी सरकार ने ऐसे-ऐसे काम किये हैं जनता के लाभ के लिए, जो एक से बढ़कर एक हैं। गरीब को, गांव में बैठे व्यक्ति को, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ये योजनाएं तीन साल से बनाई जा रही हैं। आपने देखा, सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच रही, हमारी सरकार की एक सोच रही कि एक भी व्यक्ति हमारे राजस्थान में भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको अन्न उपलब्ध होना चाहिए, उसको रहने के लिए छत उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने दो रुपये किलो गेहूं देकर जो शुरूआत की, वास्तव में पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसी शुरूआत नहीं हुई। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीपीएल के लोग जो पिछली बार बीपीएल घोषित करने से रह गये थे, उनको स्टेट बीपीएल घोषित करके सारी सुविधाएं जो बीपीएल के लोगों को मिलती हैं, उसको दिलाने का काम किया। 350 करोड़ रुपये प्रति वर्ष इस बात के देते हैं अनुदान के। 14 रुपये में खरीद कर 2 रुपये किलो गेहूं देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। यही नहीं, जीतने के बाद में सरकार संभालने के बाद में गांवों के किसान के विकास का काम चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में काम हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में काम हो, सारे के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सारे काम करने का काम माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने किया। हमारे यहां तकलीफ रहती थी, लोग-बाग़ ऐसे-ऐसे भी थे जिनको दवाइयां नहीं मिलती थीं, इलाज के अभाव में तड़प-तड़पकर मर जाते थे। किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढा तक, सरकारी होस्पिटल में कह सकता है कि मेरे यह तकलीफ है उसको मुफ्त में दवा देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। ऊर्जा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी, किसानों को सहायता देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उद्योगों को यहां अनुकूल वातावरण प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें तीन साल में हमारी सरकार ने काम नहीं किया हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जननी-शिशु सुरक्षा योजना एक इस प्रकार की योजना है, हमारी खून के अभाव में मां और बच्चा दोनों तड़फ-तड़फ कर जान दे देते थे, बच्चा होने पर घर से सरकारी खर्चे पर सरकारी होस्पिटल में आने के बाद उस जच्चा और बच्चे को स्वस्थ होने के बाद वापस वहां छोड़कर आएंगे इस प्रकार की व्यवस्था की। यह सारा काम वही कर सकता है जिसके दिल में गरीब के प्रति, गांव के लोगों के प्रति, गांव और झोंपड़ी में बैठे किसान के प्रति, सभी वर्गों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, एस.सी., एस.टी. के लोगों के प्रति कसक हो कि मुझे सेवा का मौका मिला है और मुझे सेवा करनी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों को ऊपर उठाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे मन में एक कसक थी, उन्होंने किसानों के हित के लिए किसान आयोग का गठन किया और किसान आयोग का गठन करके यह साबित किया कि राजस्थान की सरकार किसानों को ऊपर उठाना चाहती है, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए हमने घोषणा-पत्र में जो कहा था, उसको अमल में लाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में कहीं परम्परा नहीं रही कि किसानों को प्रोत्साहन राशि, किसी प्रकार की इनाम राशि दी जाए, उनको किसी प्रकार से सम्मानित किया जाए। पहली बार राजस्थान की सरकार ने 496 प्रगतिशील किसानों को इनाम देने का काम किया। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में किसान को आगे उठाने की बात हो। आपने देखा कि इसका परिणाम निकला और राजस्थान में पहली सरकार है जिसको हिन्दुस्तान में तिलहन के क्षेत्र में उत्पादन ज्यादा करने के कारण एक करोड़ रुपये का इनाम मिला। कृषि नीति जारी करने की भी राजस्थान सरकार चेष्टा कर रही है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आप देखिए, किसान के लिए पशुधन नीति की भी पालना की गई, उसको भी जारी किया गया। पशु चिकित्सालय और स्वास्थ्य केन्द्र पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं खुले थे, उनको खोलने का काम किया गया। 300 से ज्यादा पशु स्वास्थ्य केन्द्र हमारी सरकार ने खोलने का काम किया है। यही नहीं, आपने देखा, पूरे राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10-10 लाख रुपये लगाकर ऐसे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की स्थापना की जिसमें ऊपर सोलर ऊर्जा लगेगी, अन्दर कंप्यूटर लगेगा। गांव, ढाणी, झोंपड़ी में बैठा व्यक्ति भी पूरे हिन्दुस्तान की ही नहीं बल्कि विश्व की योजनाओं की भी जानकारी कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, जितने भी वीकर सैक्शन हैं-चाहे आप अल्पसंख्यकों को ले लीजिए, चाहे नि:शक्तजनों को ले लीजिए, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों को ले लीजिए, उन सबका पैसा बढ़ाने का काम राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान की उन्नति के लिए उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव ही नहीं कराये बल्कि नयी जी.एस.एस. स्वीकृत करने का काम भी किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारी सरकार ने एक सोच के तहत काम किया कि हम गांव में बैठे किसान को भी मजबूत करें। गांव में बैठे एस.सी., एस.टी. के लोगों को मजबूत करें। उनके लिए सड़कें भी ठीक हों, पीने का पानी भी उनको मिले। हमारी एससी, एसटी की बस्तियों में जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं थी, हमारी सरकार ने चार हजार से अधिक ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पांच साल के शासन में चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम हुए और आज माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में जो काम हुए, उनको अगर हम तुलना करके देखेंगे तो यह फर्क हमारे सामने आ जाएगा। इनके कार्यकाल में 584 उप स्वास्थ्य केन्द्र खुले जबकि हमारे तीन सालों में इतने उप स्वास्थ्य केन्द्र खुल चुके हैं। इन्होंने पीएचसी ग्रामीण क्षेत्र में 39 खोलीं, लेकिन इन तीन सालों में 72 पीएचसी राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने खोल दिये हैं। आप समझ सकते हैं, इन्होंने पिछले 5 साल में केवल 500 डाक्टर भर्ती किये थे और हमारी सरकार के समय नियमित डाक्टर तीन हजार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

से ज्यादा भर्ती हो चुके हैं। यह सारी की सारी बात यह प्रदर्शित करती है कि हमारी सरकार, हमारी सरकार के मुखिया, हमारे मंत्री इस सोच के साथ में काम करते हैं कि हमको मौका मिला है गरीबों की मदद करने का, कोई भी आदमी कहीं भूखा नहीं सोये। 3400 करोड़ का लोन लेकर सब बीपीएल के लोगों को मकान दिलाने का काम किया और सारे लोगों को सरकारी हास्पिटल में मुफ्त दवा दिलाने का काम किया और 464 एम्बुलेंस जिनसे लोगों की जान बचती है, उनको विभिन्न क्षेत्रों में चलाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 5 साल में 6 ट्रोमा सेंटर खुले, हमने 72 पीएचसी के साथ 32 ट्रोमा सेंटर, 27 जिला अस्पतालों में आईसीयू, 28 बर्न यूनिट और 18 जिला अस्पतालों में पुनर्वास केन्द्रों की भी स्थापना की है। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने 1041 अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति चिकित्सा विभाग में की थी जबकि हमारे समय में 6714 कर्मचारियों की, यानी छह गुना से ज्यादा और 7445 संविदा कर्मचारियों और 544 मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। इतना बड़ा डिफरेंस यह दर्शाता है कि राजस्थान की सरकार, इसके मुखिया अशोक गहलोत गरीब के प्रति हमदर्दी रखते हैं, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, उनका इलाज करना चाहते हैं।

एक और काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया, जो बातें उठकर आ रही थीं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो उसके लिए पहली बार राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने का गारंटी अधिनियम लागू करके 15 विभागों में काम करने की एक समय-सीमा निर्धारित की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एससी, एसटी की बस्तियों में राजस्थान में पहली बार पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां फ्लोराइड था, बहुत ज्यादा फ्लोराइड था वहां डिफ्लोराइडेशन यूनिट लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे गांव में भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्र हों, चाहे किसानों की खुशहाली के लिए काम किये गये हों, चाहे पीएचसी, सीएचसी का निर्माण करके उप केन्द्र खोले गये हों, डाक्टरों की भर्ती की गयी हो, चाहे दो रुपये किलो अनाज दिया गया हो, ये सारे के सारे काम राजस्थान की सरकार ने आम, गरीब, गांव, ढाणी में बैठे व्यक्ति को लाभ देने के लिए किये। उसको यह महसूस होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार और उसके मुखिया हमारे प्रति चिन्तनशील हैं, हमको लाभ देना चाहते हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभी वर्गों को साथ लेकर हमारी सरकार चलना चाहती है, मैं छोटा-सा आंकड़ा निवेदन करना चाहूंगा जो पिछली सरकार में और अब की सरकार में अल्पसंख्यक भाइयों की किस प्रकार की बेरुखी है, वह प्रदर्शित करता है। राजस्थान में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, पिछली सरकार में उनको लोन के लिए केवल 30 लाख रुपये की राशि दी गयी थी जबकि 2010-11 में यह राशि बढ़कर 295.06 लाख रुपये हो गई। यह कितना डिफरेंस है राजस्थान की इस सरकार में और पिछली सरकार में।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, विभिन्न नीतियां चाहे जल नीति की बात हो, चाहे उद्योग नीति की बात हो, चाहे पशुधन विकास नीति की बात हो, चाहे खनिज नीति की बात हो, ये सारी की सारी नीतियां राजस्थान की सरकार ने तीन साल में पेश की हैं। अभी मेरे साथी विधायक माननीय प्रताप सिंहजी खाचरियावास कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी ने, मंत्रियों ने, सारे के सारे गजेटेड अधिकारियों ने अपनी सम्पत्ति का विवरण वेबसाइट पर कर दिया। यह कराने का काम राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इसलिए किया कि पारदर्शिता होनी चाहिए। जिस जनता से हम वोट लेकर यहां राजा बनते हैं, उस जनता को हमारे बारे में अक्षरश: पता रहना चाहिए कि हमारे पास में क्या सम्पत्ति है, हम क्या करते हैं, क्या कमाते हैं और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ में हमारे मुखिया ने एक यह सोच भी बनाया कि गांवों के लोग भी सरकारी सेवा में आगे आएं। शहर के लोग तो थोड़ा एडवांस होते हैं लेकिन गांवों के लोग भी आएं। इसको लेकर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याताओं तक सैकण्ड, थर्ड ग्रेड और आर.पी.एस.सी. के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें साक्षात्कार खतम करने का काम अगर किसी ने किया तो वो राजस्थान की मौजूदा सरकार ने किया है। सभापति महोदय, इसके पीछे हमारे मुख्य मंत्रीजी की एक मंशा है कि गांव के लोगों को भी समुचित अवसर मिलने चाहिए, उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। साक्षात्कार में जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हुए लोग होते हैं, उनको मौका मिल जाता है और जो लोग गांवों में रहते हैं उनको मौका नहीं मिलता है, वो साक्षात्कार में पिछड़ जाते हैं, रिटन में तो अच्छे नम्बर ले आते हैं। तो ये सारे के सारे काम करने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार ने किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह सोच है, हमारी कांग्रेस पार्टी का एक सोच है कि जब गांव के लोगों का विकास

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

होगा, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ेगा, उनके लिए सरकार की कोई भी योजनाएं जो हम चालू कर रहे हैं, वो गांवों से निकलकर आएंगी तभी वास्तव में गांवों का विकास होगा। इसी सोच के साथ में, सभापति महोदय, हम सब देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज को 5-5 विभाग दिये गये। चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे अन्य कोई विभाग हो, ये सारे के सारे विभाग देने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारी सरकार ने किया है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि गांवों के लोग अपनी योजनाएं बनाएं, गांवों से लेकर आएं और उसका पूरा का पूरा लाभ गांव के लोगों को मिले।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सोच रही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच रही है, हमारे प्रधान मंत्रीजी की सोच रही है कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और जब प्रदेश शिक्षित होगा तभी पूरे प्रदेश का समग्र विकास होगा। शिक्षा नहीं होगी तो समग्र विकास नहीं होगा। इसके लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारी सरकार ने लागू किया। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम भी होगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिये, सैकण्ड ग्रेड शिक्षकों, फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याताओं को लगाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था तो जाते-जाते इन्होंने आनन-फानन में स्कूलें खोल दीं, उनमें न एक में हैडमास्टर लगाया और न ही किसी में टीचर लगाया। सैकण्ड ग्रेड शिक्षक, स्कूल व्याख्याता और कालेज व्याख्याताओं की नियुक्ति का काम इसलिए राजस्थान सरकार ने किया कि इनके मन में है, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के मन में एक कसक है कि गांव में बैठे हुए स्कूल और कालेजों के बच्चे जो गरीब किसान के बच्चे हैं, वे पढ़कर आगे आएं और अपना विकास करें। साथ-साथ में कम्प्यूटर को बढ़ावा देने का काम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। सरकारी क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कितनी पदोन्नतियां हुई हैं, कितने कार्य हुए हैं। सबसे बड़ा काम यह हुआ कि जो बच्चे सी.ए. बनना चाहते थे, जो इंजीनियर बनना चाहते थे, जो डाक्टर बनना चाहते थे उनको आपके शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी भी काम नहीं मिला क्योंकि न तो आपने साइंस विद्यालय खोले, न ही संकाय खोले और न ही कामर्स संकाय खोले। राजस्थान के इतिहास में पिछले तीन साल में विज्ञान विषय भी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खोले गये, कामर्स के विषय भी खोले गये। इसके अलावा एक काम और किया गया, अनुदानित शिक्षण संस्थाएं थीं जिनको कभी एड मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी उनको तनख्वाह मिलती थी, कभी उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, राजस्थान के इतिहास में पहली बार उनको सरकारी व्याख्याता, सरकारी शिक्षक, सरकारी बाबू बनने का अवसर प्रदान किया। यह एक बहुत बड़ा काम था जो माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार ने किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सहकारी समितियां प्रत्येक ग्राम पंचायत में होंगी तो निश्चित रूप से इससे सहकारिता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा किसान भाई जो कृषि उपज मण्डियों में आते हैं, उनके लिए प्रत्येक कृषि उपज मण्डी में किसान भवन बनाने का काम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान की सरकार ने किया है।

इतना ही नहीं, आप देख लीजिये, चाहे सरपंचों का हो, चाहे पंचायत समिति सदस्यों का हो, चाहे विधायकों का हो, चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति का हो, अगर किसी का मानदेय या तनख्वाह बढ़ाने का काम किसी ने किया तो वो काम राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने किया है। आप देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग, संविदा के कर्मचारी थे चाहे नरेगा के लोग थे, चाहे और किसी संविदा के लोग चिकित्सा विभाग में काम कर रहे थे, सब के सब लोगों के पैसे बढ़ाने का काम राजस्थान की सरकार और मुख्य मंत्रीजी ने किया।

सड़कों के मामले में हम 12 महीने पहले तो जरूर पिछड़े हुए थे लेकिन आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एम.डी.आर. और स्टेट रोड में 5 हजार किलोमीटर, विलेज रोड में 20 हजार किलोमीटर, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 16 किलोमीटर नई और 5 किलोमीटर के हिसाब से धार्मिक सड़कों के बनने का काम निश्चित रूप से हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में एक भी ऐसी रोड नहीं बचेगी जिसका नवीनीकरण या सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार और हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को कि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की। लेबोरेटरी साथ ले जाकर जो गलत सड़कें बन रही थीं, जो अच्छी क्वालिटी की सड़कें नहीं बन रही थीं, उनकी जांच कराकर ठेकेदारों, अधिकारियों, कर्मचारियों में एक भय व्याप्त किया कि ठीक काम करना पड़ेगा। यह अशोक गहलोत की सरकार है, यह ईमानदारी से काम कराना चाहती है। जो पैसा गांवों के लिए

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आता है वह गांवों को देना चाहती है। सारे के सारे विभागों में आप देख लीजिये। गांवों में 3000 करोड़ की 375 जल ग्रहण योजनाएं जिनमें गांवों में जल कुण्ड बनेंगे, किसान को खाद मिलेगा, बीज मिलेगा और रोशनी गांव में एंट्री पाइंट के आधार पर होगी। ये सारे के सारे काम करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने किया है।

जब सरकार आई थी तो एक घोषणा पत्र आया था। घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का भी आया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर अमल नहीं हुआ था। राजस्थान की सरकार ने, हमारे मुखिया अशोक जी गहलोत ने घोषणा पत्र के आधार पर काम किया है। घोषणा पत्र में किसान आयोग के गठन की भी बात की थी, जी.एस.एस. की स्वायत्तता की भी बात की थी, अनिवार्य शिक्षा कानून, बाल शिक्षा कानून की भी बात की थी, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लिए भी बात की थी। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी सी.एच.सी. हैं उनमें विशेषज्ञ नहीं हुआ करते थे और विशेषज्ञ के अभाव में गांवों के लोगों को इलाज के लिए शहर में जाना पड़ता था, उन सी.एच.सी. में विशेषज्ञों की नियुक्ति का भी काम किया। राज्य की प्रजनन एवं शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए जननी-शिशु सुरक्षा योजना लागू की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों के साथ-साथ ए.एन.एम. नियुक्ति का काम भी हमारे घोषणा पत्र में था जिसका अमल माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार ने किया है।

पेयजल के मामले में स्थिति पहले बहुत अच्छी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में घोटाले हुए, पाइप अनावश्यक खरीद लिये, लगाये नहीं और कई योजनाएं बाधित हो गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 29 वृहत् योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 28 कार्य प्रगति पर हैं।

इस प्रकार से केवल गांव, गरीब और ढाणी में बैठे हुए लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आज मैट्रो जैसा काम हो रहा है। आज लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि राजस्थान के जयपुर में मैट्रो चलेगी। यह मैट्रो उस सोच का परिणाम है कि गांव-ढाणी में बैठे गरीब के साथ-साथ शहर में बैठे हुए लोगों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और जो विदेश से लोग आते हैं उनको भी आकर्षण मिलना चाहिए, उनको किसी तरह की दुविधा नहीं हो। आपने देखा कि प्रवासी सम्मेलन हुआ, कितना शानदार हुआ, पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा हुई। निश्चित रूप से मैट्रो का काम भी एक ऐसा काम है, जो 10 साल, 15 साल बाद में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(16.00 बजे)

आने वाली चीज थी, उसको पहले लाकर लोगों में काम कराने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, बेरोजगार छात्रों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन हो इसके लिये आई.आई.एम. हो चाहे आई.आई.टी. हो, इस प्रकार की संस्थाओं को खोलने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिये, किसानों के लिए फसली सहकारी ऋण 2008-09 में 188.42 करोड़ रुपये था, वह बढ़कर 2010-11 में 257 करोड़ रुपये हो गया। यह सारा का सारा इसलिए हो गया कि हमारी कांग्रेस सरकार की यह नीति रही है कि प्रत्येक वर्ग को लाभ मिले, प्रत्येक वर्ग आगे बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। बिजली का ऐतिहासिक काम राजस्थान की सरकार ने किया। वह पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसके पीछे कारण यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले पांच साल के शासन में आपस में लड़ते रहे, एक मेगावाट बिजली भी आपने पैदा नहीं की। कांग्रेस के शासन में, माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के शासन में जो पैदा हुई, उससे काम चलाते रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 3,000 मेगावाट बिजली इन तीन सालों में पैदा की है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आत्मनिर्भरता की ओर कदम रख रहे हैं बिजली के मामले में।

इस प्रकार से उद्यमियों के काम में भी आप देखिये, रीको में औद्योगिक यूनिट का आबंटन है, उसमें पहले नि:शक्तजनों का 15 प्रतिशत था, उसको बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी को, जो हमारे सीकर से आते हैं। आप देखिये, महिलाओं के लिए जो 10 प्रतिशत था, उसको 25 प्रतिशत किया। एक प्रतिशत महिला अगर कोई उद्योग लगाएगी तो उसके ब्याज में भी रियायत की। यह काम वही व्यक्ति कर सकता है, वही सरकार कर सकती है, जो सबके कल्याण के लिए काम करती है, सबको साथ लेकर काम करती है। न तो कोई हमने सेज लगाने में ज्यादा रुचि दिखाई, न जमीनों के आपड़-धापड़ दाम बढ़वाने में रुचि दिखाई और न ही किसी आवासन मण्डल के अध्यक्ष के बंगले और मकान हड़पने में रुचि दिखाई। जनता ने चुना और जनता के कल्याण के लिए हमने काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ है, सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया है और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने समर्थन किया है। मैं इन दोनों सदस्यों को तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इन दोनों ने भाषण भी अच्छा दिया है शैली में। तथ्यों में न सही, शैली में भाषण अच्छा दिया है और इनके लिए मैं एक ही वाक्य कहूंगा कि ''बड़ी वफा से निभाई इनकी थोड़ी-सी बेवफाई।'' माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो आपसे बेवफाई की, आपने बड़ी वफा से उसको निभाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत -बहुत धन्यवाद दूंगा। और आपको यह भी बधाई दूंगा, प्रताप सिंहजी, कि पिछली बार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था रघुजी शर्मा ने, उसका फल मिल गया। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): तीन बार पेश किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तीन बार पेश किया है तो इतनी देर तक तो यह इंतजार नहीं करेंगे। गोविन्द सिंहजी तो हमारे सीकर जिले के हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए सारे आंकड़े-तथ्य इनके पास हैं लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि इस सदन का स्वरूप इस समय बदला-बदला है। सभापति महोदय, यह हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में दो साल से नियमित राज्यपाल नहीं हैं। इसके लिए व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं है, लेकिन यह सोचने का प्रश्न है कि राजस्थान हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और 121 करोड़ लोगों में हमको राज्यपाल उपलब्ध नहीं है कि राज्यपाल की शपथ के आधार पर नियमित रूप से आदमी वहां रहे, डिवोशन करे, राज्य का दौरा करे, राज्य में रहे। लेकिन मैंने जैसा कहा, हमारे यहां के माननीय राज्यपाल हैं, वह भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं और उनके बारे में बहुत-सी प्रशंसाएं छपी हैं। अब वह तो एक क्या, पूरे भारत को संभाल सकते हैं, तो उनके रहते दूसरे राज्यपाल की शायद आवश्यकता सरकार को महसूस नहीं होती है लेकिन राजस्थान की जनता को अच्छा नहीं लगता है।

दूसरा स्वरूप आप देखिये, सभापति महोदय, तीन साल तक राजस्थान की विधान सभा में उपाध्यक्ष का ही चुनाव नहीं हुआ। अब कल हो रहा है। (व्यवधान) कल हो रहा है, लेकिन जाते-जाते कोई काम करो तो उसका मतलब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है कि दो सत्र निकल गये, तीन सत्र निकल गये, +++ है। +++ उपाध्यक्ष नहीं हो रहे हैं, राज्य में राज्यपाल नहीं आ रहे हैं और फिर भी राज्य बहुत तेजी से विकास कर रहा है, यह हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं। हमारी जो कुछ बातें थीं, जिन बातों को यहां स्पष्ट होना चाहिए था, ये स्पष्ट नहीं करने वाले हैं। मेरा किसी के प्रति भी वैर-भाव नहीं है लेकिन हमारे मित्र जो भाषण-भट्ट कहलाते थे भंवर लालजी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, वह नहीं दिख रहे हैं। मेरे मित्र रामलालजी, वन मंत्री थे, योद्धा थे, वह भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। (व्यवधान) माननीय भरोसी लालजी जो हमारे भरोसे के आदमी थे, वह भी नहीं हैं। (व्यवधान) जगह बदल गई है। वह नहीं हैं। कुछ लोग आ गये, कुछ लोग चले गये, लेकिन जाने वालों को कहने का हक है, आने वालों की परफारमेंस का अब पता लगेगा। पिछली बार जब हमारे माननीय अमीन खांजी को हटाया गया था तो मैंने मांग की थी यहां हाउस में कि जिन मंत्रियों को हटाया जाता है, उनके बारे में अलग-अलग प्रकार की बातें छपती हैं, वह अपना स्पष्टीकरण अगर सदन में कर दें तो उनके बारे में जो बातें छपती हैं, वे दुरस्त हो जाएंगी। उन्होंने कर दिया, दुरस्त हो गईं, वापस मंत्री बन गये। अब मेरी मित्रता के नाते अगर कोई बात माने तो जिन माननीय मंत्रियों को हटाया गया है, उनका एक-एक बार सदन में वक्तव्य करा दें तो राज्यपाल का काम भी हो जाए, हमारा काम भी पूरा हो जाएगा और उनका काम भी पूरा हो जाएगा तो एक बार उनका स्पष्टीकरण यहां होना बहुत जरूरी है। पर यह उनकी इच्छा पर है कि वह दुबारा बनने की इच्छा न हो तो नहीं करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): रामलालजी, आपको क्या कहना है इस बारे में?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, इसमें किसी भी प्रकार का आंकड़ा नहीं है। नवाचार करने की सरकार की आदत है, इस सरकार ने इस बार भी नवाचार किया है। माननीय नवल किशोरजी शर्मा जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कल अख़बार में कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है, राज्यपाल अभिभाषण क्यों देता है। लेकिन इस अभिभाषण में वे सारी चीजें गायब हैं। अभिभाषण वह चीज नहीं है और न होने का एक बहुत बड़ा कारण है। एक ही उदाहरण दिया उन्होंने कि हमारी प्रति व्यक्ति आय भारत के अनुपात में बढ़ गई है, हमारे विकास का पैसा खर्च हो गया, लेकिन,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, स्टेट प्रोफाइल पिछली अप्रैल में जारी हुआ है रिसर्च ब्यूरो भारत सरकार में, उसमें कुछ आंकड़े दिये हैं जो तीन साल के अपने इस काम को पूरा करते हैं। ये भारत सरकार के हैं, मेरे नहीं हैं। 2010 में ग्रोथ रेट सिर्फ चार प्रतिशत रही है राजस्थान में। पहली बार इस अभिभाषण में गलत आंकड़ा पेश किया गया है, इस सदन के साथ विश्वासघात किया गया है। मैं कहना चाहता हूं, राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात कहलवाई गई है। यह कागज मेरा नहीं है, यह कागज मैं लेकर आया हूं।

दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने क्यों नहीं दिया। हर सैक्टर में किसी भी स्टेट का जो प्रोफाइल आया है, अलग-अलग स्टेट का आया है, राजस्थान एक भी सैक्टर में 10वें नम्बर से ऊपर नहीं है। कम्पोजिट रेटिंग आफ स्टेट में 12वें नम्बर पर है राजस्थान, यह भारत सरकार ने कहा है।

(16.10 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

माइक्रो इकोनोमी में 14वां नम्बर राजस्थान का है, एग्रीकल्चर में 10वां नम्बर राजस्थान का है, इन्फ्रास्ट्रक्चर में 11वां नम्बर है राजस्थान का और इन्वेस्टमेंट एन्वायर्नमेंट में 15वां नम्बर राजस्थान का है। इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है विकास का। इसके बाद आता है कम्पोजिट रैंकिंग आफ द स्टेट। कुल मिलाकर 12वां स्थान है। Rajasthan has been dropped to 12^{th} on the basis of micro economy investment. सबसे नीचे में आता है। इनवेस्टमेंट में 15वां स्थान है। उसी प्रकार से लेबर, सबसे सस्ती लेबर हिन्दुस्तान में राजस्थान में प्राप्त है, एक। सरकारी प्रक्रिया, अभी माननीय प्रताप सिंहजी भी कह रहे थे कि हम लोक सेवा गारंटी का बिल लेकर आ गये हैं, अब इन अफसरों को डंडे से ठीक कर देंगे। देखते हैं, अफसर काम कैसे नहीं करते, मंत्रियों की बात कैसे नहीं मानते, हमारी बात कैसे नहीं मानते, डंडा लगा देंगे। लेकिन वह कह रहे हैं कि सरकारी प्रक्रिया में काम होने में हम राजस्थान में 13वें नम्बर पर हैं हिन्दुस्तान में। इस अभिभाषण में सब जगह आनलाइन, आनलाइन, आनलाइन, Everything is online. उन्होंने कहा कि इस आनलाइन में, कम्प्यूटराइजेशन में भी राजस्थान 14वें स्थान पर है हिन्दुस्तान में। यह हमारी आनलाइन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी माननीय गोविन्द सिंहजी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी कह रहे थे कि तीन हजार डाक्टर टेक दिये हैं, और दो लाख हमने उनमें भी, प्रताप सिंहजी भाषण ठोक कर आये हैं, अपने आये थे उनमें, उसमें लिखा है, एमप्लायमेंट में, एक चीज में राजस्थान सबसे एक नम्बर पर आया है, राज्यपाल को भी बधाई देनी चाहिए, मुख्य मंत्रीजी को भी बधाई देनी चाहिए, unemployment rate. First rank of Rajasthan. सबसे महत्वपूर्ण नौकरी देने में, रोजगार देने में सबसे विफल सरकार अगर कोई है तो राजस्थान की श्रीमान अशोक गहलोत की सरकार है जिसके लिए अभिभाषण पेश हुआ है। (व्यवधान) यह आंकड़ा मेरा नहीं है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह आंकड़ों की क्या गारंटी है पूरे ही सत्य हैं आप जो दिखा रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह भारत सरकार भी असत्य है और मनमोहन...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मेरे को लगता है कि आप भी बाबोसा का पुराना साथी हो, वही स्टाइल तो नहीं है, कहीं कागजों से ही डरा रहे हो। बता तो देना कि सही है कि नहीं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह घूंटी आपको भी वही लगी हुई है। अनएमप्लायमेंट रेट में फर्स्ट राजस्थान है। और दूसरा, सबसे शर्मनाक बात है, मजबूरी में सबसे ज्यादा मजदूरी अगर करनी पड़ती है महिलाओं को तो हिन्दुस्तान में दूसरा नम्बर है हमारा। यह हमारी महिलाओं की स्थिति है कुल मिलाकर। और राजस्थान का इण्डस्ट्री में जो शेयर है, वह सिर्फ 1.71 प्रतिशत है और देश की इण्डस्ट्री जो राज्य में लग रही हैं, उसमें 1.72 प्रतिशत इन्वैस्टमेंट हमारी तरफ आकर्षित है। यह कुल मिलाकर राज्य की तीन साल बाद स्थिति है। मेहनत का काम, इतना बड़ा काम, इतने सारे काम करने के बाद में, इतना जोर का जोशीला भाषण देने के बाद में राजस्थान की हालत यह है। आंकड़े नहीं देने का एक कारण यह है।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में जिस प्रकार की बात आनी चाहिए थी, वह नहीं आई। तीन-तीन राज्यपालों ने अभिभाषण दिये, उन्होंने जो बातें कहीं करने की, वे काम किये नहीं गये। वे समाचार-पत्रों में भी छपे हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। पिछले अभिभाषण में जो काम हुए हैं, मेरे पास है, उसमें कौन से काम हुए और कौन से नहीं हुए, इसका विवरण इस अभिभाषण में नहीं है। औरों में छांटकर लाया हूं, लेकिन इसमें मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समझता था कि अभिभाषण कोई अच्छा होगा। लेकिन अभिभाषण अप्रासंगिक तथ्यों का घालमेल है जिसका विवरण प्रताप सिंहजी ने भी कहा कि हमने बहुत सरल भाषा में लिखा, क्योंकि इतने समझदार आदमी हैं। वह इसका बचाव तो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने बहुत सरल भाषा में लिखा क्योंकि इसमें सारे अप्रासंगिक तथ्य हैं, अनर्गल आंकड़ेबाजी है जिसका एक-दूसरे से मिलान ही नहीं, और असत्य बातों का पुलिंदा है। मैं तो एक कहना चाहूंगा कि तीन भाषण कराकर एक हैट्रिक बना ली असत्य बात करवाने की विधान सभा में, उसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे बड़ी प्रशंसा दूसरे पैरा में ही है कि हमने प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन करके जय-जयकार कर दी राजस्थान की। एक बात की बहुत बड़ी प्रशंसा हुई और मैं भी कायल हूं, दो काम मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बढ़िया किये। पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो महात्मा गांधीजी की मूर्ति अपने सचिवालय में लगा दी थी, उसका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस बार मुख्य मंत्री बने हैं तो उन्होंने सेंट्रल पार्क में झंडा सबसे ऊंचा गाड़ दिया है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये दो काम तो आपने बहुत बढ़िया किये, लेकिन इसके अलावा तो गोल है मामला, लेनदेन नहीं है कुछ भी। मन से आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अब प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन, आपने आयोजन किया क्या? आप कौन हैं उसमें? भारत सरकार हर साल किसी न किसी राज्य में करती है, राजस्थान में कर दिया। हमारी तो भद्द पिटा दी वहां पर आपने। जो कुछ करना था, अगर मैं एक-एक मंत्री ने वहां क्या कहा और उस मंत्री का क्या-क्या हुआ, वह वर्णन करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। समाचार पत्रों में सब में ही छपा है। लेकिन उसमें एक घोषणा कर डाली आपने, उसका किसी को भी अधिकार नहीं और उसको लागू भी नहीं करने देंगे हम। यह कह रहे हैं कि विदेशों से जो लोग राजस्थान में आएंगे, उनको नब्बे प्रतिशत टिकट का पैसा हवाई जहाज का राजस्थान सरकार देगी। खालाजी का राज है क्या? क्यों देंगे? वे राजस्थान के लोग हैं? वे घूमने आएंगे, अपने ट्रिप पर आएंगे, बिजनस ट्रिप पर आएंगे, हनीमून मनाने आएंगे, आप उनको टिकट का पैसा देंगे? राजस्थान सरकार का पैसा सिर्फ लोक कल्याणकारी काम में खर्च हो सकता है, किसी भी सरकार को इस प्रकार का पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं है। यह पैसा खर्च करने की इजाजत हम इनको नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। यह घोषणा कर दी, किस बात की घोषणा कर दी? क्यों देंगे आप उनको पैसा? वह पैसा उनको नहीं दोगे और उनको पैसा मिलेगा भी नहीं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ये अठारह साल से कम की उम्र के लोग हैं जो हनीमून की तो गुंजाइश ही नहीं है, साहब। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 18 से 28 । (व्यवधान) क्यों देंगे? (व्यवधान) इस अभिभाषण की एक उपलब्धि और रही है। अभिभाषण में तो दाम-नाम बहुत आये हैं, माननीय राजीवजी का नाम आया है, जितनी योजनाएं हैं उनके नाम से हैं। एक मुख्य मंत्रीजी का नाम आया है-मुख्य मंत्री बीपीएल, मुख्य मंत्री वह। एक योजना में, जननी प्रसव योजना में नाम नहीं आया कि मुख्य मंत्री जननी प्रसव, बाकी सबमें मुख्य मंत्रीजी का नाम है। यह भूल से छूट गया होगा, इसको दुरूस्त कर लें। तो यह नाम छूटा। दूसरी उपलब्धि हुई कि मुख्य मंत्रीजी के साथ-साथ पहली बार शांति धारीवालजी का भी पांच-चार बार नाम प्रताप सिंहजी ने ले दिया। यह दूसरी उपलब्धि इस भाषण की यहां पर हुई है। बाकी तो यहां पर, सवाल भ्रष्टाचार पर, गरीब, एक एनआरआई बोलने लगा तो हमारे एक मंत्री बोले, ए! सुनना है तो सुन, वरना जा रहा हूं। हमारे एक मंत्री हैं, बहुत आगे बैठते हैं यहां पर, उनको एक प्रश्न पूछ लिया किसी ने, बोले, हम तुम्हारे से नहीं चलते हैं। फिर वह गुजरात के मुख्य मंत्री आ गये, उन्होंने कोई भाषण-वाषण दिया तो उन्होंने एक ही बात कही। हमारे यहां तीन करोड़ है, अभी तीन लाख, यहां कितना हुआ, तीन हजार आठ सौ मेगावाट बिजली का गोविन्द सिंहजी डोटासरा ने कहा, तो उस समय खबर तो यह छपी, नरेन्द्र मोदी आया तब उसने कहा कि भैया, आपके यहां तो बिजली आने की खबर छपती है, हमारे यहां बिजली जाने की खबर छपती है। तो यह बताएं कि वह तीन हजार आठ सौ मेगावाट बिजली गई कहां पर? सभापति महोदय, पिछली बार के बजट भाषण में सरकार ने राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 बनाये, कहा था कि ये नियम बना रहे हैं। वे अभी बने नहीं हैं। वे नियम नहीं बने लेकिन सरकार तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का सोचती है हमारा, इसीलिए सरकार ने इस बार कहा है, पैरा 69 में कि स्वयं के विवाह हेतु सहायता और फिर अन्त्येष्टि के लिए भी सहायता देंगे। कोई मर जाएगा तो विवाह वाला बना ही नहीं है, उसके साथ-साथ अन्त्येष्टि करने का काम भी तो कर दिया कि उसकी अन्त्येष्ट की सहायता राज्य सरकार देगी। अब देगी या नहीं देगी, पर नीतियों का शतक बना डाला इस सरकार ने। पिछले बजट में और अभिभाषण में कुल मिलाकर 100 नीतियां बनाईं, सौ नीतियों का शतक है लेकिन सारे के सारे काम अनीति के साथ हो रहे हैं, एक भी नीति का क्रियान्वयन नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मुख्य मंत्रीजी ने तीन नारे दिये-पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील सरकार। इन तीन पायों के आधार पर आपकी सरकार चल रही है और इन तीनों पायों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने यह कहा इस भाषण में कि हमने चालीस हजार शिक्षकों की वेकेंसी निकाली, चालीस हजार। इस भाषण में कहा था, एक लाख लोगों को लगाएंगे और पचास हजार थर्ड ग्रेड के टीचर लगाएंगे। बारह महीने बाद में इनमें से एक लगा नहीं, अब कह दिया कि चालीस हजार लगाएंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक में लिखा है 50 हजार और 12 महीने बाद में लिखा 40 हजार। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ और नौकरी एक की मत लगाओ, यह सिद्धांत है उनका। 40 हजार कर दिये, साहब। मैं आज यह कहना चाहता हूं जब हमारी सरकार थी और हमने घोषणा की, इसमें लिखा है, बीजेपी सरकार ने 65 हजार आदमी लगाये, 65 नहीं, 1 लाख 18 हजार को तो नियमित नियुक्ति दी और 40 हजार प्रबोधकों को हमने बनाया। 1 लाख 88 हजार शिक्षकों की, प्रबोधकों की हमारी सरकार में नियुक्ति हुई। इस सरकार में आने के बाद में अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। उस समय मुझे चुनौती दी गई थी प्रद्युम्न सिंहजी द्वारा कि आप घोषणा तो कर रहे हो पर एक नहीं लगा पाओगे। लेकिन हमारी सरकार ने तो लगा दिया। अब मैं चुनौती दे रहा हूं, यह 40 हजार की जो वेकेंसी निकाली है आपने, एक भी नहीं लगा पाओगे। यह धोखाधड़ी कर रहे हो आप लोग जान-बूझकर। क्यों हटाया आपने आर.पी.एस.सी. से? 40 हजार नहीं लगा पाओगे और लगाने से पहले छह लाख लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो। राजस्थान में एक बार टैट की परीक्षा हुई है। छह लाख लोग बी.एड. किए हुए बैठे हुए हैं, वह टैट की दूसरी परीक्षा अभी नहीं हो रही है। वह टैट की परीक्षा नहीं होगी तो छह लाख भाग नहीं ले सकते। फिर आपने हर जिला परिषद में अलग-अलग निकाल दिया। झुझुनूं में जीरो है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बीस है, बीस।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बीस है न। गर्व से कहो, हम बीस हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जो आप बोल रहे हो, यह आपको फायदा देगी। आप बता क्यों रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिलकुल, आप बजा फरमा रहे हैं, हुजूर। सभापति महोदय, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं, मैं आपको एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विज्ञापन दिखा रहा हूं। हमारी सरकार ने प्रदेशभर की परीक्षा एक साथ कराई थी इसलिए प्रदेशभर के लिए विज्ञापन एक साथ निकाला था कि इसमें इन-इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने हर जिले में जहां-जहां वेकेंसी है उसके लिए अलग-अलग वैकेंसियां निकाली हैं। शिक्षा मंत्रीजी, नींद में हो या जाग रहे हो? हमारे गंगानगर जिला परिषद की वेकेंसी निकाली। इसी प्रकार सबकी निकाली तो नकल वो की वो। नियम कायदे सारे जो उन्होंने लिखे थे, वो के वो ले लिये। अब उसमें क्या लिखते हैं, सुनो। गंगानगर में लिख रहे हैं, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.9.2007 के अनुसार, हमारे समय निकली थी, बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पद स्थानीय सहरिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। गंगानगर में भी शाहबाद, किशनगंज आ गया, सीकर में भी शाहबाद किशनगंज आ गया, भीलवाड़ा में भी शाहबाद, किशनगंज आ गया। नकल में तो अकल रखते। नकल में भी अकल नहीं रखी इसलिए शकल बिगड़ गई। अब बारां कहां आ गया गंगानगर में? क्या, शिक्षा मंत्रीजी, है आप में हिम्मत किसी पर कार्रवाई करने की? यह विज्ञापन सारे अख़बारों में आपने छपा दिया और अब कह रहे हैं, लगाएंगे, क्या लगाओगे? अलग-अलग जिलों में अलग-अलग भर्तियां नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 1998 में। जब नियुक्तियां हुई थीं तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था कि एक प्रदेश में दो मैरिट नहीं बन सकतीं। अब 35 जिला परिषदों में अलग-अलग बनाओगे तो अलग-अलग मैरिट बनेगी और वह चैलेंज होगी। आप नहीं लगा सकते। चैलेंज के लिए ही किया है। फिर फार्म भरने की स्थिति आएगी, छह-छह फार्म भरेंगे। प्रतिबंधित जिले हैं उनमें संख्या कम है। सारे लोग वहां पर भागकर फार्म भरेंगे, वहां जाकर फार्म भरेंगे, वहां के लोकल आदमियों का नम्बर नहीं आएगा। फिर वहां पर लड़ाई होगी। और एससी और एसटी का जो कोटा है, बैकलाग है, ओबीसी का राजस्थान भर का एक है तो कई जिलों में सामान्य का नहीं निकलेगा, कई ज़िलों में ओबीसी का नहीं निकलेगा। कहीं अनुसूचित जाति का नहीं निकलेगा, कई में अनुसूचित जनजाति का नहीं निकलेगा। बीस वर्ष तक आप यह भर्ती नहीं कर सकते। यह जो शिक्षा को आपने समाप्त किया है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, This is the way How it should be. हमने जब नियुक्ति की थी तब एक भी आदमी ने संशय नहीं किया था, आपने इतना झूठ असत्य राजस्थान की जनता के सामने बोला है। हमने भी जिला परिषद के माध्यम से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नियुक्ति की थी, केवल चयन करने वाला राजस्थान लोक सेवा आयोग था। आपने केवल चयन करने वाली बाडी को बदला है और सारे राजस्थान के लोगों के साथ आपने अन्याय कर दिया। एक भी आदमी को आप तृतीय ग्रेड में नौकरी नहीं दे पाये और नौकरी नहीं देंगे। कब देंगे? अभी तो विधान सभा खतम होगी, उसके बाद डेढ़ साल बचेगा। छह महीने चले जाएंगे उसमें और बारह महीने चले जाएंगे उसमें। चार दिन मांगकर लाए थे उधार, दो आरजू में कट गये और दो इंतजार में चले गए, बचेगा क्या? एक मास्टर को आपने नौकरी नहीं लगाई। यही नहीं, सारी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आप कह दो कि हमने पारदर्शी सरकार दी है, मैं कह रहा हूं आपने क्या दी है? राजस्थान रोडवेज में 1584 पद निकाले थे-निकालने वाले मंत्रीजी फिर सो रहे हैं-सारी घालमेल हुई, 1584 के 1584 पद अभी भी भरे नहीं गए हैं, ऐसे के ऐसे पड़े हैं, विवाद में पड़े हैं। फिर आनलाइन। सूचना प्रौद्योगिकी ने आनलाइन का काम किया ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आत्म मंथन कर रहे हैं शिक्षा मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शिक्षा मंत्रीजी का सोना कोई बुरी बात नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): नहीं, मैं सो नहीं रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, आप मनन कर रहे हो। मुझे तो आपके बारे में कोई गलतफहमी है ही नहीं। विधायक दल में इतना घमासान मचा, फिर भी सोते रहे। नगर निगम में घमासान है तो भी सोते रहते हैं। फिर विधान सभा में सोते हैं तो क्या दिक्कत की बात है? सूचना प्रौद्योगिकी सारे को आनलाइन कर रहा है। इसने आनलाइन परीक्षा ली और इस आनलाइन परीक्षा का रिजल्ट क्या आया? जो नीचे था ना बॉटम पर, वह तो टॉप पर चला गया और जो टॉप वाला था वह बॉटम पर आ गया। और यह दो बार ली। आनलाइन परीक्षा वाला आनलाइन पर ही फेल हो गया और इनकी सारी की सारी वेकेंसियां रूक गई। एक भी नहीं भरी गई। आनलाइन फेल। आनलाइन-आनलाइन हो गई, अब यह दूसरों को लाइन पर क्या लाएंगे?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): घनश्यामजी, हमने तो यह सोचकर पंडित को शिक्षा मंत्री बनाया कि पंडित ही इंटेलिजेंट होते हैं। पंडित को पूरे सदन ने सहमति देकर शिक्षा मंत्री बनाया है और फिर भी आप कहते हो, सो रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये जो सोते-साते काम कर देते हैं न, वह आप जागते हुए भी नहीं कर सकते।

जयपुर डिस्काम में, सभापति महोदय, फर्जी डिग्री के आधार पर दो दर्जन से अधिक लोगों ने नौकरियां ले लीं, मुकदमा दर्ज हुआ और सारी की सारी नौकरियां रुक गईं। राजस्व मण्डल में पटवारी की भर्ती की, अभी तक सारी की सारी समस्याएं चल रही हैं। जयपुर डिस्काम में असिस्टेंट कमर्शियल की परीक्षा हुई, वह भी खामियों के कारण से वेबसाइट पर गलत डाला गया और हाई कोर्ट ने इसको भी रोक दिया। एक ही सीरियल नम्बर के दो दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों को एक साथ पास कर दिया आनलाइन में। वह भी रुक गई और 310 अभ्यर्थियों में से 200 ने भी जाइन नहीं किया क्योंकि सारा मामला गड़बड़ था। एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जिसमें किसी भी प्रकार की नियुक्ति राज्य सरकार बिना किसी विवाद के कर सकती हो। यह पारदर्शी सरकार का नमूना है। यह सरकार हमारी पारदर्शी है। एक बहुत बड़ा मसला, अभी चर्चा की जयपुर के हमारे माननीय सदस्य प्रतापसिंहजी ने।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रामलालजी ने एक हजार आदमियों की भर्ती की है वन विभाग में, उसके लिए धन्यवाद दो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इसीलिए पीछे की सीट पर चले गये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अब वो क्या हुआ आई डोंट नो, बट यह है कि भर्ती एक हजार की है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इसीलिए तो पीछे बैठा दिया रामलाल जी को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा है कि जब माननीय गहलोत साहब शपथ ग्रहण करते हैं न तो शपथ ग्रहण करते समय कहते हैं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जब तक मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री रहूंगा, एक भी आदमी को नौकरी लगने नहीं दूंगा और लगाऊंगा नहीं, और जो लगा देगा उसका ये हाल कर दूंगा।

श्री पेमाराम (धोद): जो लगाएगा उस मंत्री को हटा देंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह तो आपने सुना है, हमने नहीं सुना था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजिये। आप हमारी वसुन्धरा जी पर बहुत आरोप लगाते हैं। वसुन्धराजी पर गहलोत साहब बहुत आरोप लगाते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कौन से आरोप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप गहलोत साहब नहीं हो, आप विराजे रहो। यह तो, साहब, राजशाही काम है, मेहमाननवाजी पर बहुत खर्च करते हैं। अभी सूचना के आधार पर एक रिपोर्ट ली, उसमें आया है कि तीन साल में मेहमाननवाजी पर वसुन्धराजी ने तो 2 करोड़ 27 लाख रुपये खर्च किये थे और हमारे गांधीवादी मुख्य मंत्रीजी ने 4 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किये हैं। बहुत कम खर्च करते हो। एक दुपट्टा लगा रखा है और अपना सीधा काम है। जयपुर में पृथ्वीराज नगर का मामला आपने बताया ही। जयपुर में अभी-अभी आपने एक बात की कि बी-2 बायपास बना ही उनके जाने के लिए है। बना था बात सही है लेकिन इतनी गहरी बस्ती हो गयी अब, माननीय सभापति महोदय। एक आपने बजट भाषण में भी कहा कि एक स्कूल खोल दिया राजसमन्द में जो मोटर ड्राइवर को ट्रेनिंग देगा और गाड़ी की फिटनैस भी देखेगा। उसके बाद राजस्थान में एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। स्कूल खोल दिया आपने। यह उपलब्धि है, राजसमन्द में स्कूल खोल दिया। एक्सीडेंट्स कम करने के लिए स्कूल खोल दिया, लेकिन इस राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी के मुख्य मंत्री बनने के बाद 14 हजार पिछले साल एक्सीडेंट्स में डैथ हुई। आयोग बना दिया एक यहां पर। कमेटी बनी थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उस समय थे माननीय श्री बृजकिशोरजी। एक कमेटी बना दी कि राजस्थान में सेफ्टी कमेटी है, इसको रोकेगी। यह कमेटी इन्होंने बना दी। मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर को विश्व स्तर का शहर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में प्रतापसिंहजी ने बहुत ईमानदारी से बात की कि नगर निगम से वो भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं और स्वायत्त शासन मंत्रीजी भी परेशान हैं। स्वायत्त शासन मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने साफ-साफ कहा कि यह नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। और बृजकिशोरजी ने भी कहा कि मैं एक लाइट लगाने के लिए जाता हूं तो मुझे एक लाइट ही नहीं मिलती। प्रतापसिंहजी ने वहां जाकर हाजिरी चैक की कि सरकार के आदेश तो कोई मानता नहीं, मैं जाकर देखूं, बायमैट्रिक में कोई आते हैं कि नहीं आते, तो कोई नहीं मिला इनको भी। नगर निगम की हालत है कि वहां तीन ही आदमी चलाते हैं, बाकी चलता नहीं है। तो वो नगर निगम चल रहा है। लेकिन, हां मैं यह कहूंगा कि जेडीए के लिए आपने कहा वो ठीक कहा, कि जेडीए जो कुछ काम राजस्थान में विकास का कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। नगर निगम के बारे में जब शांति धारीवालजी ने कहा कि वह नरक निगम है तो वहां की मेयर बोलीं...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तीन आदमियों के नाम तो बताओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दो आदमी और एक लुगाई। बैठ जाओ। शांति धारीवालजी ने नरक निगम बता दिया तो बोलीं, वो तो बूढे हो गये, उनकी जबान से हरकुछ निकल जाता है। यह ज्योति खंडेलवालजी ने कह दिया। जयपुर का वो कह रहे थे कि वर्ल्ड सिटी बना रहे हैं तो मैं एक वार्ड में गया जयपुर में। वार्ड नं. 25 में मीटिंग में भाषण दे रहा था, किरण कांग्रेस की वहां से पार्षद हैं, वो भी उसमें मौजूद थीं। वो बोले, साहब, लाइट की समस्या है, हमारे लाइट लगी हुई नहीं है। मैंने कहा, जयपुर में ज्योति तो मेयर है और किरण आपकी पार्षद है, फिर किरण और ज्योति दोनों मिलने के बाद भी लाइट नहीं है तो इसका तो मैं क्या कर सकता हूं। जयपुर की स्थिति यह हो रही है। जयपुर को वर्ल्ड क्लास नहीं बना रहे। हां, मैट्रो का हम स्वागत करते हैं। मैट्रो का काम जयपुर के लिए बढ़िया हुआ है, बाकी जयपुर का और कोई विकास का काम इस समय नहीं है। सारा का सारा सारी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी चली गयी, सब चली गयी, मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता। जयपुर के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए।

मैं जयपुर के साथ एक दूसरा अन्याय रोकने के लिए आप सब लोगों से आग्रह करूंगा। यह जयपुर जो बसा है वो सवाई जयसिंहजी ने बसाया है। उस समय के और आज के वास्तुकारों में सबसे बढ़िया अगर कोई मिलकर बनाया जाए तो वो जयपुर बसा है। उसका कारण था, जयपुर जो बसा है वो पण्डित विद्याधर भट्ट ने नौ वर्गों का एक सिद्धांत-अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राका, सतो, वसत ये नौ वर्ग होते हैं, ये नौ वर्ग और ज्यामितीय सूत्र और गणितीय सूत्र, ये तीनों मिला कर जयपुर को बसाया था। इस जयपुर का सारा विवरण ईश्वरीय विलास महाकाव्य में और एक दूसरा ग्रन्थ और है, उन दोनों ग्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है। उसमें जो यह जलमहल बनाया गया इस जलमहल की जगह पहले यज्ञ कराया गया था और गर्भावती नदी को रोककर इसके लिए पानी को रोका गया। हिन्दुस्तान भर के सारे तीर्थों का जल लाकर इसमें रखा गया और यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सारे पंडितों ने और महाराज ने और उनकी रानियों ने इसमें स्नान किया और स्नान करके कहा कि यह नोर्थ ईस्ट का कोना है, जयपुर के इस नोर्थ ईस्ट के कोने में तालाब रहना चाहिए। यह खाली जगह रहनी चाहिए, इसके आधार पर यह जलमहल बनाया गया। अब इस जलमहल के बारे में जो भी केस चल रहे हों, जो भी बात चल रही हो, मैं मांग करूंगा कि जलमहल के बारे में एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जाना चाहिए। एक स्टेटस पेपर निकलना चाहिए। जयपुर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के सारे एमएलएज ने-कालीचरणजी ने, मोहनलालजी ने, प्रतापसिंहजी ने सबने हमने इस बात को उठाया है कि जयपुर का जलमहल जयपुर के ही नहीं, राजस्थान के सब लोगों की विरासत का जलमहल है। इसको इसी आधार पर इसी प्रकार का रखा जाना चाहिए, यह मेरी मांग है। जयपुर का वास्तुशास्त्र अगर गड़बड़ किया गया, जयपुर के उस कोने को भरा गया तो जयपुर के साथ कोई घटना घटित होगी। जयपुर बनने के बाद से विकसित होता गया है, जयपुर का कभी विनाश नहीं हुआ। इस जयपुर को विनाश से बचाने का काम है। जब जयपुर की चौपड़ों को गोल किया जा रहा था तो भंवरलालजी स्वायत्त शासन मंत्री थे, हमने उस समय विरोध किया था। हमने कहा कि चौपड़ गोल नहीं रहेगी क्योंकि सारे इन राजमार्गों को गणित के आधार पर बनाया गया है। इसलिए इसको और जयपुर के जलमहल को बचाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं, इतिहास की पुस्तक में लिखा है, दस्तूर कौमवार एक पुस्तक है, जयपुर के बारे में लिखी गयी है। उस दस्तूर कौमवार में लिखा है कि जलमहल के पास बनी यज्ञशालाओं की वेदियों के नीचे सोने-चांदी और रत्न-जवाहरात रखे गये हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति पर सवाई जयसिंह ने यज्ञ की आशीष ग्रहण कर उसे अपने राज्य की रक्षार्थ नाहरगढ़ में स्थापित किया तथा पण्डितों ने उन्हें गढ़ अचल रखने की भविष्यवाणी की। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने यज्ञ में साथ बैठी रानी व ब्राह्मणों के साथ इसी मानसागर झील में स्नान किया और इसको हमेशा सुरक्षित रखने का वादा किया। इसको क्यों किस आधार पर इजाजत दी है? वहां पर जो गणेश थे उस गणेश को वहां से हटाकर गढ़ गणेश के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। वहां पर जो शिवजी की मूर्ति थी, उसको यज्ञेश्वर महादेव जिसे आज जागेश्वर महादेव कहते हैं उसके नाम से प्रतिष्ठापित किया गया। अब इनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करना उचित नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जयपुर को अगर वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हो तो आप उसको रोकने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने संवदेनशीलता की बात की, मैं उन सब बातों पर तो नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आपको दो-तीन बात कहना चाहता हूं। जब हम राज करते हैं तो राज का एक धर्म होता है, उसका सबको निर्वाह करने की आवश्यकता है। मैं गोपालगढ़ की घटना के बारे में आपको कहना चाहूंगा, गोपालगढ़ की घटना राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। वहां जो गोलीकांड में लोग मरे, उनके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है, इस प्रकार का कांड नहीं होना चाहिए। लेकिन यह कांड क्यों हुआ, इस कांड के पीछे क्या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कारण थे, उन कारणों की खोज नहीं की गई। एक राजस्व के थोड़े-से काम के कारण से इतनी बड़ी घटना वहां पर घटित हुई। इस घटना के बाद में वहां इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गये? प्रशासन क्या करता रहा? गोली क्यों चलानी पड़ी? और गोली चलाने पर जो लोग मरे, वो अधिकांश गोपालगढ़ से बाहर के थे, वो क्यों आये थे वहां पर? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस घटना के बाद वहां पर जो एक अल्पसंख्यक वर्ग का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है, वहां से जो पलायन हो रहा है, यह साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं है। यह राजस्थान की कल्चर के खिलाफ है। अगर हम कश्मीर घाटी में जिस प्रकार का पलायन हुआ, मेवात के 15-20 प्रतिशत जो बचे हुए हिन्दू हैं, उनका उसी प्रकार पलायन करना चाहते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि गोपालगढ़ की घटना के सारे तथ्यों की जांच कराएं। पहले दिन तो शांति धारीवालजी का स्टेटमेंट था कि पुलिस ने ठीक काम किया। उसके बाद में आपके महामंत्रीजी आये, एक मोटर साइकिल पर वह घूमे जिसकी चर्चा है। मुख्य मंत्रीजी को पता ही नहीं था कि आये या नहीं आये। उसके बाद वहां की सारी स्थितियां बदल गईं, यह उचित नहीं है। हम चाहेंगे कि न्याय हो, हिन्दुओं के साथ भी न्याय हो, मुसलमानों के साथ भी न्याय हो। लेकिन इस प्रकार की घटना घटित होना सरकार की संवेदनहीनता का परिचायक है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा के लिये भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, अपराधियों को दंडित किया जाए और सीबीआई जिस प्रकार से वहां पर कार्यवाही कर रही है उस कार्यवाही को रोका जाए, बेकसूर लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिये, यह मैं गोपालगढ़ के बारे में कहना चाहता हूं।

सरकार के बारे में यह कहा जा रहा है कि सरकार बहुमत से हमने बनाई है। पहला वाक्य श्रीमान प्रतापसिंहजी ने कहा कि हमारा बहुमत आ गया। कहां से बहुमत आया आपका? आप 96 लोग जीते थे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप बहुमत में आये थे। मैं कहना चाहूंगा कि आपने राज्य की जनता के साथ ही नहीं, आपने इन 6 माननीय सदस्यों के साथ और 10 निर्दलीयों के साथ भी धोखा किया। यह जो डायरी आपने इस बार हमें भेजी है, उस डायरी में आपने लिखा है-कांग्रेस 102 ...(व्यवधान) कांग्रेस 102 कहने का मतलब है कि अध्यक्ष महोदय ने बीएसपी का मर्जर कांग्रेस में कर दिया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शिड्यूल्ड 10 के अनुसार बीएसपी और कांग्रेस का मर्जर आदरणीय सोनिया गांधीजी और श्रीमती मायावतीजी ही कर सकती हैं, और कोई नहीं कर सकता।

दूसरा सबसे बड़ा गड़बड़ काम यह किया कि कल जो फैसला दिया, मैं स्पीकर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, स्पीकर की दो अथोरिटी होती हैं-एक विधान सभा के स्पीकर के रूप में और इसकी सुनवाई के समय वह ट्रिब्यूनल का काम करते हैं। ट्रिब्यूनल की अपील हाई कोर्ट में होगी। Every court is Tribunal but every Tribunal is not a court. जिस प्रकार का इस फैसले में तीन साल का डिले किया गया और फैसला भी गुणावगुण के आधार पर नहीं किया गया, अगर गुणावगुण के आधार पर फैसला होता तो इनको लाभ भी मिल सकता था। लेकिन फैसला एक टैक्निकल पाइंट पर किया गया है कि कोई एमएलए ही इसकी शिकायत कर सकता है जो कि हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले में निरस्त हो चुका है, कोई भी आदमी जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। और इनकी स्वयं की शक्ति पर छोड़ दिया है कि हमने तो हमारा राज बना लिया अब तुम्हारे साथ जो होगा वह तुम भुगतो। दूसरा काम किया 10 निर्दलीय सदस्यों के साथ, उनको संसदीय सचिव बना दिया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपका भड़काने का ही काम है क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, यह काम है मेरा। मैं करूंगा ही यह काम सरकार के खिलाफ। इन 10 के साथ अन्याय किया है कि इनको ट्रैजरी बैंच पर बैठा दिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उप नेता महोदय, यह जो भड़काने का काम है न, यह आप सत्ता में थे तब भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हो, तो क्या यह आपका आनुवांशिक गुण है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जन्म पत्री में लिखा हुआ है, बताओ, मिटाओगे क्या? वे जो 10 सदस्य हैं, उनके बारे में भी एक जजमेंट मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं बहुत सामान्यसी बात उसमें लिखी है। उसमें लिखा है, 10वीं अनुसूची में "if he has been voluntarily disqualified on the ground of defection." पहले हमारे यहां दल-बदल का एक कानून था, उस कानून के अन्तर्गत 1/3 विधायक जब दल-बदल करते थे तो उसको दल-बदल नहीं माना जाता था। उसको बदल दिया गया, उसको बदलने के बाद आया "Disqualification on the ground of defection subject to; he has voluntarily given up his membership of such poilitical party or an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party if any by which he was set up as a candidate for election as such Member, where he is a Member of any political party on the date of his nomination as such Member, he deemed to belong to such political party." यह विलय पार्टियों का होगा और पार्टियां लिखकर देंगी तब होगा। यहां पर विधायकों का मर्जर दिखाकर कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। (व्यवधान) मैं वकील हूं सुप्रीम कोर्ट तक का आपको पता है कि नहीं? जब मुझे कोई फीस देगा तब बनूंगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): तिवाड़ी साहब, मियां-बीबी राज़ी तो क्या करेगा काजी, वह कहावत बहुत पुरानी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मियां-बीबी राज़ी हुई है हरियाणा में और वहां पर हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने यह फैसला किया। स्पीकर साहब वहां तीन साल तक फैसला टालते रहे तो स्पीकर से लिखवा कर गारंटी ली और उनके सारे अधिकार खतम कर दिये और विधान सभा में एक कोने पर बैठने की व्यवस्था कर दी, समझ गये न आप। यहां दूसरा अन्याय किया है, एक डैफिनिशन और की है इंडिपेंडेंट की। Independent is always an Independent. उसमें उन्होंने कहा कि निर्दलीय सदस्य भी अगर किसी पार्टी में जाइन करता है तो जाइन करने के बाद में उसकी सदस्यता खतम हो जाती है। क्यों हो जाती है, यह ज्ञानवर्द्धन की बात है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरकारें पहले भी बनी हैं, माननीय उप नेता महोदय, 1993 से 1998 के बीच में क्या हुआ था?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं उस पर भी आ रहा हूं। 1993-1998 पर भी आऊंगा, मैं आपको सारा स्पष्ट कर रहा हूं।

सभापति महोदय, आप भी वकील हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, हाई कोर्ट ने फैसला किया इंडिपेंडेंट का मतलब यह नहीं है कि वह जाकर मैम्बर बने, उसकी फीस जमा कराए तो ही वह उस पोलिटिकल पार्टी का आदमी है। उसका कोई भी एक्ट ऐसा दिखाई देता है जो दल-बदल कानून की मंशा के अनुरूप नहीं हो। उदाहरण के लिये दल-बदल कानून के जब उद्देश्य और कारण लिखे गये थे तो लिखे गये थे कि बिना किसी पार्टी के अगर जीत कर आते हैं, फिर किसी की सरकार बनाने के लिये, किसी प्रलोभन के कारण से अपनी स्थिति बदलते हैं तो उसको दल-बदल माना जाएगा। इसमें ये इंडिपेंडेंट मैम्बर जो हैं, उनका एक पत्रक निकाला आपने और इनको ट्रैजरी बैंच पर बैठा दिया। इनको संसदीय सचिव बनाकर इनको आपने गाड़ी दी, इनको आपने बंगला दिया और इसके कारण से इनकी मंशा जाहिर हो गई दल-बदल करने की। आपने इनको मैम्बर बनाया, 16 मैम्बर की जो स्थिति है वह खराब है, महाराज। यह सरकार तो तिकड़म के आधार पर चल रही है जब हाई कोर्ट का फैसला होगा यह सरकार अल्प मत में आएगी और यह सरकार समय से पहले जाएगी, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा काम आपने इस सरकार के साथ किया है, आने वाला समय आपको बताएगा।

सभापति महोदय, उसी प्रकार सरकार दिखती कहां है? सरकार तीन जगह दिखती है। सरकार दिखती है मंत्रिमण्डल सरकार दिखती है विधान सभा में और सरकार दिखती है प्रशासन में। पहले मंत्रिमण्डल में सरकार देखो, पिछले तीन साल में जितने मंत्री थे, एक-दो मंत्रियों को छोड़कर किसी भी मंत्री ने अपनी डिमांड पर जवाब नहीं दिया। मंत्रिमण्डल में सरकार नहीं दिखती। फिर सरकार केंद्रित हो जाती है गृह मंत्रालय मुख्य मंत्रीजी के पास, वित्त मंत्रालय मुख्य मंत्रीजी के पास। प्रताप सिंहजी ने ठीक ही कहा, बाकी मंत्री अपनी कांस्टीट्युएंसी के और राजस्थान का एक ही मंत्री-मुख्यमंत्री। फिर सरकार दिखती है विधान सभा में और विधान सभा में जिस प्रकार से सरकार की दुर्गति की गई है, और सदन की भी की गई है, उससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। 42 बिल, इसका नाम लैजिसलेटिव असेंबली, यह विधान बनाने की समिति है, यह बजट पास करने की समिति नहीं है, बजट तो इसका काम है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विधान बनाने वाली समिति में हम लोगों ने मिलकर 42 बिल बिना बहस के पास किये हैं, 42 बिल। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कुछ भी। जब हमने डिमांड की मतदान की, राइट है हमारा डिवीजन क्लेम करने का, उस समय +++ आपने राइट को खतम कर दिया। और इसी का परिणाम है, +++

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन के बारे में आपका यह जो भाव है, यह क्या उचित है क्या, संवैधानिक है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं आसन को आदर से माथे पर लगाता हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन को चार्ज कर रहे हैं, माननीय, आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन को नहीं, मैं विधान सभा की गरिमा को बढ़ाने की बात कर रहा हूं। विधान सभा को आसन..

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): +++

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह परम्परा रही है क्या? आप तो वरिष्ठ हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, सही है, सही है। मैं वरिष्ठ हूं, इसलिये ही कह रहा हूं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, सदन में प्रतिपक्ष के उप नेता और वरिष्ठ नेता, आसन के ऊपर जो बात कर रहे हैं, 1993 से 1998 की बात याद दिलाना चाहता हूं। गृह राज्य मंत्री अमरारामजी को बनाया, मंत्री बनाया, मैम्बर बनाया। गुमराह कर रहे हैं पुरानी बातों को। इसका मतलब विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मुझे इसका दु:ख नहीं था। मैं सदन को बहुत गरिमामय मानता हूं। इसमें एक भी परम्परा को पालन करना अपना धर्म मानता हूं। लेकिन यहां पर थोड़ा-बहुत तो बायां-टेढ़ा तो हुआ जा सकता है लेकिन जीती मक्खी निगल जाएं, यह तो ठीक नहीं है। अगर कल अविश्वास प्रस्ताव आता है और कोई डिवीजन क्लेम करने की बात करता है, उस समय नहीं दिया जाएगा? इस सदन में एक बार भी डिवीजन क्लेम करने की बात नहीं मानी गई। इसलिये सरकार सदन में नहीं दिखती है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भाग जाती है सरकार। सरकार नहीं है। फिर सरकार दिखती है प्रशासन में। कौन से प्रशासन में? लोक गारण्टी का बिल लाकर सरकार को ढूंढना चाहते हो प्रशासन में। प्रशासन ने तो पैन-डाउन स्ट्राइक कर रखी है। गोपालगढ़ में जब एस.पी. और कलक्टर को सस्पैण्ड कर रहे थे...

एक माननीय सदस्य: पैन डाउन या पैंट-डाउन?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब जो भी समझ लो आप। हड़ताल है, कलम तोड़ हड़ताल। काम नहीं करना चाहता है प्रशासन। आप इनको बचाने के लिये तैयार ही नहीं हैं। गोपालगढ़ में क्या गलती थी? गलती थी तो सज़ा करते। उस समय सारे का सारा प्रशासन खिलाफ खड़ा हो गया। जलमहल प्रकरण में भी प्रशासन कह रहा है, हमने क्या किया? हमने तो ऊपर के आदेश का पालन किया है, हमको क्यों मरा रहे हो? प्रशासन काम नहीं कर रहा, आज राजस्थान में प्रशासन में सरकार नहीं है। मंत्रियों की बात नहीं चलती और उसके कई कारण हैं। इसलिये सरकार न प्रशासन में है, न सरकार विधान सभा में है, न सरकार मंत्रिमण्डल में है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सरकार है कहां?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार है, सरकार है। धक्का देने पर चले, उसको कार कहते हैं और धक्का देने पर भी न चले, उसको गहलोत साहब की सरकार कहते हैं। वहां है, वहां है सरकार। अस्पताल में है न सरकार, साहब, जहां प्रसूताओं ने दम तोड़ा मर-मर कर जोधपुर में, वहां है। बिजली में है न सरकार, गांव के लोग बिजली को तरस रहे हैं, वहां है सरकार। सरकार दिख रही है न मास्टरों की भर्ती में आपको। सरकार दिख रही है न स्कूल खोलने में आपको। इतना बड़ा राजस्व ला रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, तीन साल में हर आदमी का कल्याण कर दिया। सरकार दिख कहां रही है? यह सरकार है आपकी? सरकार है विज्ञापनों में। सरकार विज्ञापनों में खूब आती है, रोज आती है। नये-नये चेहरे, फोटो आती रहती है। सरकार है, सरकार है कोरे भाषणों में। सरकार है ठगी में। कितने बड़े, गोल्ड-सुख से लेकर, जितना अरबों रुपयों का घोटाला इस सरकार के टाइम पर हुआ है, किसी को बाहर से पकड़ कर लेकर आ गये होंगे लेकिन ये करोड़ों रुपये जो जनता के खा गये, उसका पैसा कौन चुकाएगा? इनको पता है कि सरकार है। क्योंकि खबर यह छपी, पुलिस मुख्यालय तो यह कह रहा है कि जयपुर कमिश्नरेट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वालों के संरक्षण में हो रहा है और जयपुर कमिश्नरेट कह रही है कि पुलिस मुख्यालय के संरक्षण में गोल्ड-सुख की ठगी हुई है। यह गोल्ड-सुक की ठगी कहां-कहां किस-किस में हुई, इसमें है सरकार। सरकार की सबसे बड़ी तीन उपलब्धियां, तीन साल की सबसे बड़ी उपलब्धियां। सारे राजस्थान के अधिकारियों को जात-पात के आधार पर बांट कर लड़ा लिया। कोई मिशन-72 बना रहा है, कोई मिशन-28 बना रहा है। क्यों लड़ाया इनको? क्यों रोका सबका एक साथ? हजारों का प्रमोशन एक साथ रोक दिया। शिड्यूल्ड-कास्ट का भी रोका गया, शिड्यूल्ड-ट्राइब्स का भी रोका गया, ओ.बी.सी. का भी रोका गया, सब रुक गया। 36 हजार तो रिटायर हो गये। इनके मन में जो आग जली है, उसको कौन बुझाएगा? है वहां पर सरकार। अपराध को आपने जाति से जोड़ दिया। हो सकता है कोई अपराधी, लेकिन सारी की सारी जाति को अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर दिया। रामसिंह विश्नोईजी की 85 वर्ष की पत्नी को जोधपुर में लाकर 10-10 घण्टे बैठा लें? किया होगा किसी ने अपराध। खड़ा रखा छोटे-छोटे बच्चों को ए.सी. के अन्दर, उनको जुकाम होकर निकाला। मैं उस प्रकरण में नहीं जा रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इसमें सरकार की भूमिका क्या है, जरा यह तो बता दें आप। यह सी.बी.आई. इंवेस्टीगेशन का मामला है, आप खुद समझते हैं इस बात को। यह सी.बी.आई. का इंवेस्टीगेशन है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है, वह जरा बता दें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सी.बी.आई. ने वे सारे काम किये। इस समय हिन्दुस्तान में राजनीतिक आधार पर कोई काम संस्था कर रही है तो सेण्ट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उप नेता महोदय, जब आपको सूट करता है तब सी.बी.आई. की मांग करते हो। जब आपको सूट नहीं करे तो सी.बी.आई. को चार्ज करते हो। यह दोहरा चरित्र है, मैं यह मानता हूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अब आप डिस्टर्ब न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो मुझे सूट करेगी, मैं वही बात कहूंगा। आपको इसमें क्या तकलीफ है? (व्यवधान) मैंने आज पहन भी सूट ही रखा है। (व्यवधान) आपने जातिवाद का जहर फैलाया। सी.बी.आई. को क्यों दे दी? सी.बी.आई. किसके इशारे पर काम कर रही है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप बताओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब सारी बात मैं बताऊं?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जब आप बता रहे हैं तो सारी ही बताओ न, फिर क्या दिक्कत है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बता रहा हूं, सारी ही बता रहा हूं। 'मनसाराम भानजा, मन की मन में जान जा', यह है। यह बहुत है मेरा इस प्रकरण में। तो यह आप कर रहे हो। तीसरी उपलब्धि सबसे बड़ी है कि राज का इकबाल खतम कर दिया। यहां जब मुख्य मंत्रीजी पहली बार बनकर आये थे तो वसुंधराजी को और गुलाबजी को सम्बोधित कर कहा, गुलाबजी, वसुंधराजी, गोलियों से लोग मर गये। राज का एक इकबाल होता है बोलने के लिये। उस इकबाल से काम होता है, गोली चलने से काम नहीं होता है। वह इकबाल कहां गया गोपालगढ़ में? इकबाल ही मर गया वहां। गोपालगढ़ में इकबाल ही मरा है। वह इकबाल वहां खतम हो गया। कहां गया राज का इकबाल? तो तीन साल की तीन उपलब्धि, एक चौथी और, प्लस में, बोनस में। बोनस में उपलब्धि है, भ्रष्टाचार में नवाचार। संसदीय भ्रष्टाचार किया गया यहां पर। संसदीय सचिवों और ब.स.पा. के विधायकों के साथ जो किया गया, वह संसदीय भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, यह उपलब्धि है। अब चारों तरफ एक बात कहते हैं साहब, लूट है, आनलाइन कर दिया। सारे अफसरों की सम्पत्तियां आनलाइन। (व्यवधान) यू.पी.ए.-1, यू.पी.ए.-2, राहुलजी का और सबका नाम लिया। यह ऊपर जो लूट हो रही है, वह नहीं दिख रही है। जब बढ़ाई दिखती है न बढ़ाई :-

'जब तारीफ हो रही थी गजरे के फूलों की तो खामोश बैठे रहे,
और जब जख्म-ए-जिगर हमने दिखाये तो बुरा मान गये।'

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बुरा मानने की बात नहीं है। यह काम आप पहले भी कर रहे थे, जब आप सरकार में थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): I am not yielding to you, I am not yielding to you.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ये बार-बार डिस्टर्ब करते हैं, सभापतिजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बार-बार हर भाषण में राहुलजी का नाम, बार-बार सोनियाजी का नाम, लेकिन यह राहुलजी और सोनियाजी...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखो, राहुलजी हमारे नेता, सोनियाजी हमारी नेता, हम अगर नाम लें, आपको क्या तकलीफ है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे तकलीफ है, आप बार-बार खड़े हो रहे हैं, आप तो विराजें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हम तो लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बदल लें इसको, ठीक रहेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एक तो वीरेन्द्र बेनीवालजी थे, आपको +++ यह बताओ। (व्यवधान)

(17.00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजस्थान पर केवल राजस्थान सरकार से नहीं, भारत सरकार के कारनामों से भी असर होता है। आज सारा का सारा भारत सरकार का काम, एक छवि भारत सरकार की भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की है- कितने लोग जेल में गये, कितने-कितने प्रकार के घोटाले हुए हैं, कितनी मंहगाई है। जितनी मंहगाई अब बढ़ी, इन्होंने अपना खजाना भरा। पैट्रोल के बार-बार पैसे बढ़ाते जाते हैं, राजस्थान सरकार का टैक्स बढ़ता जाता है। हम थे तब तो कह रहे थे कि संसदीय सचिवों को जिला प्रभारी मत बनाओ और हमने सी.पी. जोशी साहब की बात मानकर संसदीय सचिवों को जिला प्रभारी से हटा दिया। अब संसदीय सचिवों को जिला प्रभारी बना दिया, क्या बात थी, हुजूर? हम पिएं तो पाप और आप पिओ तो पुण्य, यह क्या बात हो गयी? तो यह सारा काम इन्होंने इस प्रकार किया कि सारे राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया। आप क्या बोलते हैं? एक लाख हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा राजस्थान पर कर दिया। कोई योजनाएं इन्होंने परिपूर्ण नहीं कीं। कानून और व्यवस्था की स्थिति को तबाह करके रख दिया और सारा राजस्थान सब तरह से हिन्दुस्तान में पीछे आ गया इसलिए इस अभिभाषण में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। इस अभिभाषण पर किस बात का धन्यवाद प्रस्ताव? इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, कर्ज में सूबा डूबा, सारा राजस्थान कर्ज में डूब गया। सारी की सारी बिजली कम्पनियां फेल होने के कगार पर पहुंच गयी हैं। कर्जे में हैं, उनको कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। मुखिया मण्डल भ्रष्टाचार, मुखिया मण्डल मतलब मंत्रिमंडल। विगत तीन साल में राजस्थान पडा बीमार। हम बीमारों के राज्यों की श्रेणी से निकाल कर बाहर लाये थे, वापस बीमार पटक दिया। महंगाई बढ़ी, अपराध बढ़े, पीड़ित जनता लाचार। दोनों हाथों से लूट रही दोनों हाथ-सरकार। ऊपर भी हाथ की सरकार और नीचे भी हाथ की सरकार है, दोनों लूटने में लगी हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और अन्त में, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आपको कह रहा हूं, आप निवेदन कर देना, आप विद्वान आदमी हो, डाक्टर हो, बीत गया तेल, दीपक में जल रही बाती है। आधी रात ढली, अब तो निकट प्रभाती है। कांग्रेस को बी.जे.पी. की खुली पाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

सूचना

डीग के अन्तरराष्ट्रीय वालीबाल खिलाड़ी का फेफड़ों की बीमारी व आर्थिक सहायता के अभाव के चलते हुआ निधन

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन। माननीय सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में एक छोटा-सा गांव है नगला-समन, वहां एक बहुत ही होनहार अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी बालीबाल का था हेमेन्द्र सिंह। कल 23 साल की उम्र में उसकी डैथ हुई है और उसकी मृत्यु का कारण क्या है? माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन साल से बीमार था, फेफड़ों की बीमारी थी। भरतपुर का जिला कलक्टर, राजस्थान के खेल मंत्री, राजस्थान के मुख्य मंत्री, सब जगह उसके फादर ने प्रयास कर लिये। उसके फादर भी एक पी.टी.आई.हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हैं। एक नये पैसे की सहायता उस अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी को नहीं मिल पायी जिसने 20 साल की उम्र में बहुत अच्छी-अच्छी प्रतियोगिताओं में, इंटरनेशनल में भाग लिया और जब बीमार हुआ तब भी इटली में वह खेलने गया हुआ था। आज की तारीख में भी स्थिति यह है, माननीय सभापति महोदय, कि वह जवान लड़का तो चला गया, उसका छोटा भाई और उसकी छोटी बहन और उसकी मां, वे भी उसी बीमारी से पीड़ित हैं। केवल और केवल पैसे के अभाव में इस खिलाड़ी की मृत्यु हुई है। वैसे तो सरकार अपने मन में बहुत ज्यद्दा उदारवादी बनती है। भंवरी के बच्चों को तो बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता दे सकते हैं। कहीं कोई पुलिस की फायरिंग से मर जाए तो उसको नौकरी, उसको पैसा भी दे सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर हमारे गांव का बच्चा, उस बच्चे को कोई आर्थिक सहायता न देकर सरकार ने बहुत बड़ा उसके साथ अन्याय किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि...(व्यवधान) इस मामले को तो सुन लीजिए कम से कम। इसमें भी राजनीति हो रही है क्या? माननीय

(डा. दिगम्बर सिंह)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 10 लाख रुपये की सहायता उस परिवार को दिलाई जाए। उसके भाई उसकी बहन और उसके मां की भी वही बीमारी है, मेरे ख्याल से ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट थे यह। इनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराई जाए। वैसे तो मैं अभी सुन रहा था माननीय प्रताप सिंहजी खाचरियावास को कि वे दवाई योजना के बहुत अच्छा फेवर में थे। दवाई योजना के फेवर में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मेरी बात सुनिये आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपने जो बात कही है, वह आ गयी। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह सरकार तक बात जानी चाहिए। इसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसके भाई-बहन और मां की आगे इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, इतना मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: ठीक है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य-प्रतापसिंहजी खाचरियावास ने गवर्नर महोदय के अभिभाषण के समर्थन में जो बात कही है, उसी के समर्थन में मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने का बड़े ही अच्छे ढंग से कार्य किया है। कुछ लीक से हटकर जो अभिभाषण के संबंध में बातें नहीं थीं। स्पीकर महोदय के जो फैसले थे, उस पर भी यहां कमेंट। और कुछ तथ्यों से बाहर बातें कहने की कोशिश की है। उन बातों में मैं उलझना नहीं चाहता मगर मैं यह जनता हूं कि वे लीक से हटकर बहुत कम बात करते हैं। गोपालगढ़ की घटना के बारे में उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की है, मगर इस तरह से की है कि सुरक्षा की बात नहीं कहकर अपनी बात कहने की उन्होंने कोशिश की हो। जैसे यह पार्टी और ये व्यक्ति हमेशा से कहते रहे हैं। ये पूछते हैं कि बाहर के लोग क्यों गये थे? मैं इनसे पूछता हूं कि अयोध्या में लोग-बाग़ क्यों गये थे? क्या आप

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

यहां स्वीकार करते हैं कि आप मस्जिद गिराने के लिए वहां पर गये थे? (व्यवधान) देखिये, आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, भगवान राम का स्थान था अयोध्या। भगवान राम का स्थान था अयोध्या, अयोध्या के नाम पर क्यों बयानबाजी कर रहे हो?

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): गोपलगढ़ में न्यूसेंस करने वाले इकट्ठा हो रहे थे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह नई शुरूआत है, सदन की कार्यवाही...(व्यवधान) आप इनको बोलने दें। आप भी बोल लेना। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): आप इस तरह के वक्तव्य नहीं देंगे यहां पर। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): यह इस बात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सचेतक महोदय, सदन चल रहा है, यह सदन में गलत वक्तव्य क्यों दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): रोजगार के बारे में ये बड़े-बड़े आंकड़े पेश कर रहे थे...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कहां राम-राम और कहां चांय-चांय। राम के मुकाबले चांय-चांय करने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अयोध्या का नाम लेने के लिए... (व्यवधान) अयोध्या और रामजी का नाम लेकर... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अयोध्या का नाम ले रहे हैं गोपालगढ़ के मुकाबले।

एक माननीय सदस्य: दिमाग खाली हो गया इनका।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): एक अच्छी शुरूआत हुई है। (व्यवधान) अच्छी शुरूआत हुई है, सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए। यह माहौल क्यों बनाना चाह रहे हो? सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के बीच में बातचीत के बाद ...(व्यवधान) सदन चलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): भगवान राम की जन्मस्थली है, जिनके लिए इस तरह की बात कहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनका बिलकुल दिमाग खराब हो गया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कहां राम और कहां गोपलगढ़। राम के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति: विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अयोध्या के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): आप बात करो तो भोपालगढ़ की करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। अलाउद्दीनजी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): जो नौकरियां देने का वादा किया है, उतने आदमियों को नौकरियां देकर रहेंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सदन के नेता के बारे में भी विभिन्न बातें की गयी हैं, कई असत्य तथ्य पेश किये गये हैं। असत्य आंकड़े देकर आप यह कह रहे हैं कि आपके सारे आंकड़े असत्य हैं बिजली पैदा करने के लिये और आप जितने आंकड़े दे रहे हैं, उन आंकड़ों में कोई सच्चाई नहीं है। इन आंकड़ों में असत्य के अलावा कुछ भी नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें। माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापतिजी, मैं धन्यवाद करता हूं घनश्यामजी तिवाड़ी का, मैं तिवाड़ीजी के बारे में ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप नहीं सुनना चाहें तो नहीं सुनें। प्लीज आप सुनें। तिवाड़ीजी ने बड़े ही अच्छे ढंग से जो कुछ भी कहा, उन सबका बिन्दुवार जवाब नहीं देते हुए मैं संस्कृत के एक श्लोक में उनको जवाब देता हूं-

''निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा यथेष्ठम्
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतिः यथेष्ठम्
अद्येव वा मरणामस्तु युगान्तरे वा
न्यायात्पथ प्रवचलन्ति धीरा''

बुद्धिमान लोग स्तुति करें या निन्दा करें, लक्ष्मी आज ही आवे या प्रसन्नता से चली जाए, मृत्यु आज ही हो या युगान्तरों तक न हो, न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होते। वह व्यक्ति राजनीति में जिसके विचार गांधीवादी थे, जो गरीबों के...(व्यवधान) अहा क्या! आप बात सुन लीजिये। फिर अभी आप उखड़ेंगे, मैं दूसरी बात कह दूंगा तो। जो गांधीवादी थे, गांधीवादी रहने के बाद में उन्होंने सरकार बनते ही तीन साल में जो 300 फैसले किये, ये एक दिन के फैसले नहीं थे, ये उस परम्परा को लेकर थे। गांधीवादी व्यक्ति ने गांधीवाद के उन विचारों पर सोचा। गांधी ने कहा, ''Whenever you are in doubt and the self becomes too much with you, apply the following test. Recall the face of poorest and weakest man and ask yourself if the step you contemplate is going to any use to him. Will he get any thing by it? Will it be helpful for the hungary and spiritually starving millions?" आपके सामने गरीब आदमी का चेहरा दिखाई दे, यह गांधी ने कहा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप पीछे आपस में चर्चा मत करो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): नेहरू जी ने कहा था, ''The greatest man of our generation Mahatama Gandhi has wished to wipe every tear from every eye, as long as there are tears our work will not be over." उसी सिद्धान्त पर चलकर गरीबों के आंसू पोंछने के लिये जितनी योजनाएं बनाई हैं, इन दिनों बनाई हैं। हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाकर देख लीजिये, किसी की भी सरकार हो, इस तरह गरीबों के लिये, पीड़ितों के लिये, पिछड़ों के

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

लिये, अल्पसंख्यकों के लिये, महिलाओं के लिये, विधवाओं के लिये ऐसी योजनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तीन साल में उन्होंने यह निर्णय किया। हमने ऐसे हालात बदले जिनके कारण पहले विभिन्न प्रकार से जनता को लाभ नहीं मिल चुका है। जनता यह कहती रही है कि योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, योजनाओं की सूचना नहीं पहुंची। तो फ्लैगशिप मोनिटरिंग कमेटी बनाकर मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी देकर, प्रभारी सचिव लगाकर, पार्टी के कार्यकर्ता लगाकर, सारे विधायकों को कहकर सब लोगों को कहा कि हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मौके पर जाकर देखो 21 से 23 तारीख तक, कि इनका क्या लाभ हुआ। मैं उनका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। राजस्थान में जननी शिशु सुरक्षा योजना बनाई गई, इस योजना के द्वारा नवजात शिशुओं एवं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी है। मेरे यहां सवाई माधोपुर में दुरू मियां की कृपा से, सरकार की कृपा से साढ़े 5 करोड़ रुपये पांच यूनिट बनाने के लिये दिये गये। पांच साल में जो काम होना था, पांच यूनिट तीन साल में बनकर तैयार हो गये। मुख्य मंत्रीजी को वे यूनिट दिखाये गये, जिस यूनिट में छोटे-छोटे नि:शक्त व जल्दी पैदा होने वाले बच्चे दिख रहे थे और उनकी जिन्दगी बचाने की कोशिश की जा रही थी। तब मुख्य मंत्री के दिमाग में यह आया और योजना बनाई उन लोगों के लिये जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, जो कुछ नहीं जानते हैं और जिनको भगवान ने दुनिया में भेज दिया है। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरह की जिन्दगियों को किस तरह से रोका जाए। यह योजना हमारे यहां बनाई गई, क्यों इस पर ध्यान दिया गया? इसलिये कि भारत में लगभग 67 हजार औरतों की मौत गर्भावस्था के दौरान हो जाती है। एक साल में 13 लाख बच्चों की मौत होती है, राज्य में 98 हजार शिशुओं की मौत होती है और 5300 महिलाओं की मौत हो जाती है। इसको रोकने के लिये हमने जो भागीरथी प्रयत्न किये, उन प्रयत्नों का परिणाम यह निकला कि आज सब जगह जाकर उनको एक महीने तक की व्यवस्था-जाकर लाना, दवाइयां देना, रक्त की जांच, यह सब फ्री किया जाता है। इसमें आप आंकड़े देकर कह दो कि यहां कुछ नहीं हो रहा है, यहां सरकार नाम की चीज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं चल रही है। तो इस तरह से विचार प्रकट कर कुछ नहीं किया जा सकता है।

देखिये, हर बार यह कहा जाता था कि लोक सेवक सुनते नहीं हैं, अधिकारी बात नहीं मानते। अधिकारी भी कहते थे, मिनिस्टर भी कहते थे, दूसरे लोग भी कहते थे। हमारे यहां पर लोक सेवाओं में गारण्टी प्रदान करने

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

संबंधी अधिनियम लाया गया। 15 विभाग उसके अन्दर लिये गये, 53 विषय इसके अन्दर लिये गये, 108 सेवाएं ली गयीं। यह कह दिया गया कि अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना होगा। जुर्माना 500 से लगाकर 5000 तक का होगा और उसको आगे अपील करने की व्यवस्था होगी। इसमें 53 विषय होंगे और 108 सेवाएं होंगी। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो 250 रुपये प्रति दिन जुर्माने के लगेंगे और उसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपये तक होगी। यह इसलिये लाया गया था कि जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिनको हर तरह की शिकायतें होती थीं, एक निश्चित समय में निश्चित प्रक्रिया से उनकी शिकायतें दूर हो सकें और उनको राहत मिल सके।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर, 2011 से चालू की गयी। यह सभी राजकीय चिकित्सालयों और संस्थाओं में चालू की गयी है। यह योजना पूरे राजस्थान में एक साथ चालू की गयी है। मेरे यहां सवाई माधोपुर में उस दिन मुख्य मंत्री गये और उन्होंने सारी दवाइयों की व्यवस्था के बारे में खुद लाइन में लगे हुए मरीजों से जाकर पूछा। बाद में जब गये फ्लैगशिप मानिटरिंग कमेटी में तो घरों में जाकर दलितों से पूछा कि आपको दवा मिली, आपको क्या-क्या दवा मिली, आपको क्या बीमारी थी, क्या आपसे दवा के पैसे लिये गये। सारी बातें देखकर लोगों को दवाइयां दी गयीं। गरीबों को मुफ्त दवा देने की बात करें तो पूरे हिन्दुस्तान के राज्यों में सबसे पहले राजस्थान ने पूरी दवा देने की योजना चालू की है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि केन्द्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें भी पूछ रही हैं कि इस योजना को लागू करने के लिये क्या-क्या किया जा सकता है। योजना में कमी हो सकती है, दवाओं में कमी हो सकती है, स्टाफ की भी सुस्ती हो सकती है, हमारी अपनी भी कमी हो सकती है मगर हमारी मंशा बिलकुल सही है। हमारी मंशा लोगों को लाभ पहुंचाने की है, लाभ देने की है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): गुजरात में यह योजना आठ साल से चल रही है। आप कह रहे हो, कहीं नहीं है, गुजरात में आठ साल से चल रही है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना की बात मैं आपको बताता हूं। अभी 23 तारीख को मुख्य मंत्रीजी सवाई माधोपुर में थे, बड़े लवाजमे के साथ उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ जगह चुन ली गयीं और हम एक जगह गये। जो लोग यह कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सरकार नहीं चल रही है, यह सरकार किसी की मानती और सुनती नहीं

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

है। हजारों आदमियों के साथ जाकर देखेंगे और जाएंगे आप यहां के बाद में, तब आपको मालूम पड़ेगा कि लोगों को फायदा हुआ है। जिन गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं था, उनको फायदा हुआ है। मुख्य मंत्री शेरपुर खिलचीपुर पहुंचे और गलियों में होकर गये। एक महिला, जो मेहतर जाति से थी, एक महिला जो गुर्जर जाति से थी, एक महिला, जो माली जाति से थी, एक महिला जो फकीर जाति से थी, इन चारों के मकानों को उन्होंने देखा। पूछा कि यहां पर पहले क्या था। उन्होंने कहा कि यहां झोंपड़ी थी। मुख्य मंत्री की आंखें चमचमायीं। उन्होंने यह कहा था, मेरी मंशा यह है कि हर गरीब आदमी के घर पर भी एक छत हो। उन्होंने उसका निर्माण् देखा कि जिस तरह से उन्होंने अच्छे मकान बनाये। उन परिवारों की खुशियां देखीं। नीतियों की आलोचना करना आसान होता है, पालिटिक्स खेलना अच्छा लगता है, अच्छा भाषण देना अच्छा लगता है, अखबारों में छपना भी बहुत अच्छा लगता है। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तीन पेज का, तीन आदमी ले गये छपवाने के लिए, हमने सोचा कि हमारा कुछ दिखाई दे। असत्य यश प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, पर गरीबों के आंसू पोंछना कोई आसान बात नहीं है। यह तभी हो सकता है जब नीति और नीयत साफ हो। उन्होंने वहां देखा कि इस तरह की योजना किस तरह से लागू करने की हमने कोशिश की है।

अभी कई माननीय सदस्य बात कर रहे थे कि घर में अनाज नहीं। किसी का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, ओछी और छिछली बात हो जाती है। मगर कई वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि अकाल पड़ गया और यह हो गया। घड़ियाली आंसू बनाकर कह रहे थे। मगर देखिए, अन्न सुरक्षा योजना जो बनायी है, वह अपने आप में देश की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह वह योजना है, जिसमें जो गरीब अनाज नहीं खरीद सकता उसके लिए दो रुपये किलो गेहूं 25 किलो और अन्त्योदय परिवारों के लिए 35 किलो तक दिलाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का कोई जबाव नहीं है। फोर्टिफाइड आटा देने की बात कही गयी है ताकि उनको विटामिन मिले और उनकी कमजोरी दूर हो। उससे ऐसी स्थिति आ गयी है, कोई यह नहीं कह सकता कि अनाज की कमी है और गरीबों को अनाज की व्यवस्था नहीं है। पूरे प्रदेश में यह बात की जा रही है। यह उस बात को याद दिलाती है जब पिछली सरकार में भयंकर अकाल चार साल तक पड़ा था, कोई पूछने वाला नहीं था, ऊपर की सरकार मदद नहीं कर रही थी। अकेले मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने अपनी हिम्मत

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

पर पूरे राजस्थान में गरीबों को जिनके जमीन नहीं थी, भूखा नहीं मरने दिया। उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसी योजना लागू की गयी।

पेंशनरों और नि:शक्तजनों को सहायता दी गयी है। मैं एक बहुत बड़े कार्यक्रम में देवली गया था। हमारे सवाईमाधोपुर में लोक गायक जबरदस्त गीत गाते हैं, उनके गीत की एक लाइन थी, इस सरकार ने क्या कर दिया, जो बूढ़े-बूढी हैं, उन्होंने 'डोकरा' शब्द नाम लिया, उनको सरकारी मुलाजिम बना दिया पेंशन देकर। उनको एक हजार-डेढ़ हजार रुपया देकर उनकी अच्छी स्थिति कर दी। उनको औलाद के पीछे नहीं भटकना पड़े। जो औलादें मां-बाप की सेवा करने से कतरा जाती हैं, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगकर उस संस्कृति में चली जाती हैं, कानून बना दिया कि ऐसा नहीं कर सकते आप। हमने मां-बाप को सुरक्षा प्रदान की। यह हमारी सरकार ने किया, अशोक गहलोतजी की सरकार ने किया। यह वह किसी राजनीतिक पार्टी और दल की बात नहीं, यह सबके लिए किया है। सबके रिश्तेदार हैं। कानून लागू होता है। इस तरह से हमने 'सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय' योजनाएं बनायी हैं जिनसे आने वाले समय में राजस्थान की किस्मत बदलेगी। जब हम इस तरह के आंकड़े लेकर जाएंगे तो फिर आप वहीं रहेंगे और फिर हम इधर आने की स्थिति में रहेंगे।

राजस्थान में बी पी एल जीवन सुरक्षा कोष बनाया गया है। राजस्थान में पिछली बार पहली बार यह प्रयत्न किया गया था कि ऐसे लोग जिनको गम्भीर बीमारियां हों और ऐसे लोग जिनकी श्रेणियां निर्धारित हैं, उनका मुफ्त में इलाज किया जाए। बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े आफिसर, बड़े पूंजीपति, धनवान और उद्योगपति विदेशों में जाकर इलाज करवाया करते थे। कई राजनेता भी ऐसे हैं, मैंने पूरा समय देखा है कि जो विदेशों में मनचाहा इलाज करवा सकते थे। मगर गम्भीर बीमारी होने के बाद जो भगवान का सहारा लेकर पलंग पर पड़ जाते थे, सरकार ने उनका हाथ थामा। गहलोत साहब ने स्कीम बनायी कि कितनी भी खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो जाए, बी पी एल परिवार को पूरा खर्चा दो और ए पी एल को साठ हजार रुपये तक इलाज के लिए दो। ऐसी नीति हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने बनायी। गांव-गांव में जाकर कोशिश की है। सरकार ऐसे लोगों का इलाज कराने की बात मन में रखती है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी अभिभाषण में कुछ कहा गया है, अल्पसंख्यक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए इस सरकार ने कोशिश की है।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

पिछली सरकार ने किया वह तो आपको याद ही है। समाज में उनको बराबर नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मगर मैंने फिर भी यह हिसाब लगाया है कि वजीफा देने के बावजूद भी, सुविधाएं दिलाने के बावजूद भी और ऋण दिलाने के बावजूद भी लड़के नौकरी में नहीं आ रहे, इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार साढ़े चार प्रतिशत पिछड़ी मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दे तो गरीब लोग आगे बढ़ सकेंगे।

विशेष पिछड़ा वर्ग को देवनारायण योजना के अन्तर्गत सरकार ने मदद करने की कोशिश की है। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, सात रोज पहले एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, कई तरह की बातें कहीं गयी थीं। मैंने कहा था कि शासन के अन्दर गुर्जर लड़कियां अच्छे नम्बर लाकर जो चयनित हुई हैं, सवाईमाधापुर में सबसे पहले स्कूटी वितरण का कार्य मैं करना चाहता हूं। मेरी आकांक्षा है। मुझे खुशी है कि 23 तारीख को नौ स्कूटी का वितरण माननीय मुख्य मंत्री गहलोतजी ने मेरे यहां पर किया। वहां हजारों लोग और उनके मां-बाप थे, उनको यूं खुशी हुई कि उनकी बच्चियां आगे जाकर ऊंचे लोगों के मुकाबले में बैठने की कोशिश करेंगी।

मेरे यहां गेम सैंक्चुरी होने के कारण पूरे पहाड़ों पर गुर्जर और दूसरी जातियों के किसान हैं। वहां कई बार टाइगर मरने की बात होती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम अप करें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सम अप करूं? अभी करता हूं। मैं छह साल से कोशिश कर रहा था। वहां से तीन परिवारों को हटाया जा रहा है। एक परिवार को दस लाख रुपये दिया जा रहा है। उनके चार लड़के हैं, मैंने कहा कि चार यूनिट मानकर उनको दस-दस लाख रुपये दिये जाएं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सरकार ने आदेश दे दिये हैं। देवनारायण योजना के अन्तर्गत जिस तरह से मैं योजना चाह रहा हूं, उस तरह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरी कोशिश है कि जो वर्षों से पिछड़े हुए हैं-डांगों में स्कूल नहीं हैं, न रास्ते हैं, न कोई और सुविधाएं हैं, मैंने चार्ट बनाकर सरकार को दिया हुआ है, उनको भी सरकार अगर करेगी तो बहुत ही बढ़िया होगा।

एक बात इसमें एड्स के बारे में लिखी हुई है। कोई नहीं पूछता बेचारों को। पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहां एड्स पीड़ितों को सुविधाएं दी गयी हैं। (व्यवधान) हंसो मत। आपकी और मेरी उम्र में हंसने का अन्तर नहीं है। राजस्थान वह स्टेट है, बहुत बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा स्टेट

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

है, हाई वेज निकलते हैं और बिहार और बंगाल से मजदूर यहां आते हैं काम करने के लिए। यहां की जनता के ऊपर खराब असर पड़ता है। नाइजीरिया जैसे देश इस बीमारी से तबाह के कगार पर हैं। मुझे खुशी है कि जिन स्टेट्स में इसको रोकने की कोशिश हो रही है, उनमें राजस्थान अग्रणी राज्य में है जिसने उनको हर तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की है।

मैं अन्त में एक और बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लोग वातावरण के हिसाब से अपने-अपने विचार प्रकट करते हैं, बहुत सही रहता है। आपको अपनी बात कहनी है और हमको हमारी बात कहनी है। मुझे यहां इस बार एक नयी बात नजर आयी कि जब वसुन्धराजी और अशोकजी गहलोत सदन के अन्दर हमारे सामने बात कर रहे थे और सारे विधायकगण देख रहे थे, बड़ी प्रसन्नता से इस हाल को गुंजायमन कर रहे थे। दोस्ती के दायरे को इस कदर फैलाइये कि दुश्मनी को सुई रखने की जगह हासिल न हो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के श्रीमुख से जब वक्तव्य इस सदन के पटल पर आता है तो उनके मुख से एक-एक जुड़ा हुआ शब्द का उच्चारण इस प्रदेश की जनता की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। वो मानव जीव जब राज्यपाल की हैसियत से यहां कोई वक्तव्य देता है तो अभिलेखों के कागजों से पढ़े हुए कोई स्याही के अक्षरों को नहीं बोलता बल्कि राजस्थान की जनता की वास्तविक आत्मा का परीक्षण करता हुआ वर्तमान परिस्थिति को प्रदर्शित करता है। राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि सत्यता की कसौटी पर परखा जाने वाला अभिव्यक्ति के स्वरूप में अभिव्यक्त किया हुआ एक-एक शब्द सत्यता के पुट को लिया हुआ होना चाहिए।

आदरणीय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से यह बात सामान्यत: होती आयी है कि राज्यपाल जैसी मनस्वी संस्था का हमने कर्मकाण्ड की तरह उपयोग करना चालू कर दिया है। The institution of Governor has been used just as a ritual. It has lost the sense of spirit, it has lost the terminology of truth. ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक विचार में विनय की प्रक्रिया दलों की हदों में बहक जाती है, सिमट जाती है। लोकतंत्र का दलतंत्र की तरफ बढ़ना, यह चिंता का विषय है। दल लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति मात्र का संसाधन हो सकता है, उसकी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

परिव्याप्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अगर लोकतंत्र में दल को ही अंतिम और अपरिहार्य मान लिया गया तो इस देश का और इस लोकतंत्र का हाल बेहाल हो जाएगा।

आज किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य को इस सदन में आप सुन लीजिए, दलों की परिधियों में बंटा हुआ है। दल में सिमट कर ऐसा लगता है कि जैसे दल और देश और प्रदेश के द्वंद्व का रिश्ता हो गया हो। आदरणीय, प्रजातंत्र में और संसदीय कार्य प्रणाली के अन्दर दल का प्रदेश और देश के साथ पूरकता का सम्बन्ध है। द्वंद्व का कभी सम्बन्ध ही नहीं रहा। आज विवशता होती है कि इस सदन का कनिष्ठ सदस्य होने के उपरान्त भी इस नपे-तुले माहौल में एक सुनिश्चित दायरे में रहता हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा से नहीं बोलता, अपनी मजबूरी में वो बात अभिव्यक्त करता है जो सत्यता की कसौटी पर कभी भी खरी नहीं निकल सकती।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इरविन क्रिस्टल ने एक बात डेमोक्रेसी के लिए कही थी जो बिलकुल स्पष्ट है कि democracy does not guarantee equality of conditions, but democracy only guarantees equality of opportunity. आज अवसर है आपके पास में जो सत्ता में बैठे हैं, इस अवसर का आप किस प्रकार उपयोग करते हैं, यह आपकी विशेषता है। यहूदी के ग्रंथ में, मैं यहूदी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुत बड़े-बड़े व्याख्यान होते हैं, भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए अगर किसी रामायण का या किसी गीता का पाठ कर देता तो मुझ पर भी उंगली उठ जाती। यहूदी ग्रंथ तालमुंद में भी यह बात कही गयी है कि मरने के बाद में जब ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर यह पूछेगा कि मैंने तुम्हें कितने अवसर दिये, तुमने उन अवसरों का किस प्रकार प्रयोग किया? मैं किसी को मरने की बात तो नहीं कह सकता लेकिन लोकतंत्र भी उस यहूदी ग्रंथ के समान हो गया है। यहां हमको अवसर मिलते हैं अपनी बात कहने के, पर हम कितनी सत्यता से उस अवसर का उपयोग करते हैं, किस पृष्ठभूमि में अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं और किस सार्थकता से जनता को सत्यता का आभास कराते हुए अपनी बहबूदी के लिए, व्यथा और वेदना के सहारे के लिए किस प्रयोजन का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, यह वास्तविक प्रजातंत्र का अस्तित्व है।

आज बहुत दुःख के साथ में निवेदन करना चाहता हूं, सरकार चाहे इस पक्ष की रही हो चाहे सरकार उस पक्ष की रही हो, कभी हमने अपनी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आत्मा में झांक कर देखा है? इस हृदय में झांक कर देखा है? किसी की आलोचना करना कितना सरल बन गया है। ऐसा लगता है कि सारे अवगुण किसी और में हैं और अगर कोई गुण की खान है तो वो ही है जो बोल रहा है। एक-एक वक्तव्य के पीछे क्या भावना होनी चाहिए, किस आत्मा की आवाज से हमें यह बात करनी चाहिए, कहीं हम इस बात को समझने की चेष्टा करते हैं? धन्यवाद पर प्रस्ताव देना है-आपको धन्यवाद पर प्रस्ताव देना है, उनका आभार प्रकट करना है और हमें यहां खड़े होकर आपके आभार का प्रतिरोध करना है, यही तो आज का कर्मकाण्ड है।

आदरणीय, मुझे आप एक बात बताइये, आपने महामहिम के श्रीमुख से विकास की दर की बात करवा दी, अब, आदरणीय, मैं यह तो नहीं कहता कि मैं उनके श्रीमुख से कही हुई बात को असत्य मानूं। अगर मैंने यह कह दिया तो मैं संसदीय गरिमा का अपमान करता हूं, मैं इस संस्था की गरिमा का अपमान करता हूं। तो विनम्र शब्दों से निवेदन करता हूं कि जब आपने गवर्नर के श्रीमुख से कोई बात कहलाई तो जिस भी बाबू ने पर्ची लिख कर उस सी.एम.ओ. से यह अभिभाषण तैयार कराया वो रिजर्व बैंक आफ इंडिया का 2011 मार्च का यह प्रतिवेदन तो पढ़ लेता कि वह राजस्थान के बारे में क्या लिखता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, आप इस बात को कम से कम सोचो तो सही। कुछ अक्षर लोगबाग लिखकर आपको चिट्ठा पकड़ा देते हैं, कैबिनेट मेमो बन जाता है लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ यह बात कहता हूं कि बगैर उस बात के तथ्यों को जांचे हुए सिर्फ उनके दिये हुए उस कागज को हम लोग अभिभाषण का स्वरूप प्रदान कर देते हैं।

आदरणीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें एक संक्षिप्त पैरा है और मैं शायद वही पढ कर इस बात को कहूंगा। यह स्टेटवाइज डाटा है इंटरेस्ट-जी.एस.डी.पी. के डैट रेशो का और इसमें स्पष्ट लिखा है, पेज नम्बर 51, study of Budgets, March, 2011. अब मार्च, 2012 में आएगा आपका बाकी सारा चिट्ठा तो। उसमें साफ लिखा है–Statewise data shows that 11 states were able to align with IR, RR…This is Revenue Receipts to interest ratio, …. with the 12th Finance Commission. सिर्फ हिन्दुस्तान में ग्यारह स्टेट ऐसी हैं जिसने इस रेशो को कमप्लाई किया है और वो था 15 परसेंट। एण्ड गुजरात, मैं गुजरात का नाम भी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि गुजरात के बारे में बहुत से लोगों को बहुत-सी भ्रांतियां हैं। Gujarat, Kerala, Maharashtra, Punjab, Rajast-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

han and West Bengal, however, could not achieve this. आप मुझे बताइये, आप क्या कहलवाना चाहते हैं आदरणीय राज्यपाल के श्रीमुख से? इसका आप टेबल देख लीजिए, स्टेटवाइज डैट-जी.एस.डी.पी. का. Table 6.3. राजस्थान नान स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है, Rajasthan is at number 14. 40.9 है आपका, आपने एफ.आर.बी.एम. एक्ट में तो पिछले दिनों अमेंडमेंट करके उसको 39.3 कर दिया। आप एफ.आर.बी.एम. में 39.3 कर लेते हैं और अगर आपका जी.एस.डी.पी. 3 लाख 3 हजार है और 39.3 को न मानकर 40 ही मान लें उसको, तो भी एक लाख 20 हजार करोड़ से ज्यादा आपके ऊपर ऋण नहीं होना चाहिए। सांगानेर से आने वाले आदरणीय माननीय सदस्य फर्मा रहे थे, आप एक लाख दो हजार को तो पार कर चुके हैं और इसके बावजूद आप वो बात नहीं करते जो संविधान का आर्टिकल 293 कहता है। जितनी गारंटियां आपने दे रखी हैं उसमें 40 हजार की गारंटी तो सिर्फ डिस्काम को है और डिस्काम कहता है कि इन गारंटीज को पूरा करने की वित्त व्यवस्था हमारे पास में नहीं है। आप एज ए स्टेट उनकी गारंटी है। सी.ए.जी. बार-बार यह कहता है, मैं पहले यह बात दोहरा चुका हूं, अगर एक लाख करोड़ में 40 हजार और जोड़ दें, एक लाख 40 हजार करोड़ हो गया। आदरणीय, बड़े फख्र से आप बात करते हैं कि हमने मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना की। इसमें कर्ज किसको दिलवाया? उसमें ठीक उसी प्रकार आपने जिला परिषद को कर्ज दिलवाया, लेकिन गारंटी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है। आप इस सदन में ये चीजें लाने से घबराते क्यों हैं? अगर आपको तीन हजार करोड़ की आवश्यकता थी तो सदन का एक-एक सदस्य इस बात के लिए तैयार है, किसी गरीब को अगर झोंपड़ी की जगह मकान मिले तो यह सदस्य भी अपनी पूरी की पूरी क्षमता के साथ में उसमें शिरकत करता है। गारण्टी दी आपने राज्य की और कर्जदार बनाया जिला परिषद को। जिस जिला परिषद के पास में, जिस ग्राम पंचायत के पास में स्वयं की निजी आय नहीं है। आप घबराते क्यों हो, एक्ट आपने बनाया है। एफ आर बी एम एक्ट के अन्दर आपने प्रोवीजन रखा था सिर्फ तेरहवें वित्त आयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर्थिक व्यवस्था का ही तो हमारे पास में एक मापदण्ड है जिसके इस्तेमाल से हम राज्य सरकार को और सरकार को चैक्स एण्ड बैलेंसेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर यह भी आपने हमारा अधिकार छीन कर बाबुओं के हाथ में दे दिया तो यह सदन बहस किस बात की करेगा और इस बहस की सार्थकता किस बात की होगी?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

एक-एक पाई को खर्च करने से पहले इस सदन की आवश्यकता है कि इस सदन के यहां से उसको स्वीकार किया जाए। आप गलियां ढूंढने लगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये पर्चियां नहीं पढ़ा करें, इन पर्चियों ने इस देश को बेहाल कर दिया है, ये आपको गलियां बताती हैं कि किस प्रकार से सदन को, किस प्रकार से सांसद को भ्रमित करना है। सारे के सारे कानून जो बनते हैं, वे भी ये लोग ही बनाते हैं। ये कानून बनाते हैं, जेल आप जाते हो। ये कर्ज लेते हैं, दुहाई राज्य सरकार देती है और कर्जदार आम आदमी बनता है।

बहुत-सी योजनाएं आपने बनाईं, मैं आपकी किसी भी योजना के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मैं एक विनम्र सवाल करना चाहता हूं। मंत्री महोदय जिनसे यह संबंधित था, शायद नहीं हैं, लेकिन मुख्य सचेतक महोदय आप हैं, चिकित्सा मंत्रीजी आप हैं, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी आप हैं, आप मुझे यह बताइये, हम 2005 में एफ आर बी एम एक्ट लाये, उस वक्त की सरकार ने 2007 में इस एफ आर बी एम एक्ट में एक संशोधन किया और संशोधन करके एक नया फण्ड क्रियेट किया जिसका नाम था राजस्थान डवलपमेंट एण्ड पावर्टी एलीविएशन फण्ड, पावर्टी का मतलब गरीबी से है, गरीबी उन्मूलन, और उन्होंने उस कारपस फण्ड के माध्यम से 850.96 करोड़ का संग्रहण किया, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, जितना भी आपको कारपोरेट टैक्स आता है, अगर उनके अचीवमैंट सत्रह परसेंट से ज्यादा इन्क्रीज होते हैं टार्गेट से, तो शेष पैसा इसमें आएगा। यह राजस्थान के डवलपमेंट में, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के अन्दर और गरीबों को गरीबी से बाहर लाने के लिए उपयोग होगा। आज आप 2009-10 में घाटे में आ गये हो, चार हजार करोड़ का शायद आपका राजस्व घाटा होगा, यह 890 करोड़ रेवेन्यू के अन्दर शिफ्ट कर दिया।

अब आप यह कहोगे कि आपकी वाणी में सत्यता क्या है। यह सी ए जी की रिपोर्ट कहती है, मैं तो नहीं कहता। सी ए जी की रिपोर्ट यह कहती है कि "The entire fund in 2009-10 were shifted to the Consolidated Fund capital head to meet the additional financial purposes." हमारी सरकार तो बुरे ही बुरे काम करके गयी थी, भले काम तो हमने पांच साल में किये ही नहीं, भले काम तो आप कर रहे हैं। लेकिन हम तो पैसा छोड़कर गये थे, गरीबों के लिए

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

लोन की गारण्टी नहीं करवाकर गये थे, 890 करोड़ नकद छोड़कर गये थे, नहीं चुकाओगे आप।

अब आप दूसरी तरफ जाइये, आदिवासियों के बारे में आप बहुत बात करते हैं। एक बात का साधुवाद देता हूं वर्तमान सदन के नेता को कि जब इस सरकार का प्रथम सत्र था, मैंने निवेदन किया था। 1979 के अन्दर तत्कालीन केन्द्र की सरकार ने एस सी और एस टी के लिए एक अलग हैड खोलने के लिए नियम बना दिया था कि आप किसी में भी खर्चा करें, जितनी एस सी और एस टी की जनसंख्या है उसके अनुपात में वह राशि सीधी वहां ट्रांसफर हो। अगर सड़क मार्ग के लिए एक हजार करोड़ कर रहे हैं तो सत्रह परसेंट-170 करोड़ उधर जाएंगे। आदिवासी की बारह परसेंट है, 120 करोड़ वहां जाएंगे। स्वतः ही चले जाने चाहिए। नियम से नहीं हो रहा था। हमारे समय में भी हमने हमारी सरकार को कहा, शायद कोई बात समझ नहीं पाया। जब तक समझ पाते तब तक हमारा समय चला गया। आपके सदन के नेता ने यह बात समझी और उन्होंने वे माइनर हैड्स खोले और माइनर हैड्स खोलकर यह सुनिश्चित किया ।

अभी श्रीमान फरमा रहे थे वहां से कि हमने पेयजल के अन्दर एस सी, एस टी को अलग किया, यह इस हैड की वजह से अलग हुआ है। यह 1979 के अन्दर नियम में संशोधन हुआ था, और याद दिलाना चाहता हूं, 1979 के अन्दर केन्द्र में सरकार किसकी थी। अब आप उससे लेकर आइये, आपका ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम माह है, अगले अप्रैल से बारहवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगी। आपको मालूम है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक जिले बारां जिसकी सहरिया जाति के बारे में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि कहां तो सहरिया और कहां उनका एडवरटाइजमेंट हो रहा था, बहत्तर करोड़ रुपया ईयरमार्क हुआ था ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में To be spent only on Saharia? आपको मालूम है, आपने कितना उसमें से खर्च किया? तेईस करोड़ रुपया। मैं चार वर्ष और आठ माह का रिकार्ड दे रहा हूं, अगर आपने तीन महीने में कर दिया हो तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मेरे पास में कोई दस्तावेज नहीं हैं। तेईस करोड़ में से भी आपने आठ करोड़ तो अन्य किसी योजना में कर दिया। सहरियाओं के पांती तो तेरह करोड़ रुपये ही आये। बता देना आपके बाबुओं को, आपको बताएं कि आखिर यह बहत्तर करोड़ रुपया क्यों पड़ा रहा पांच वर्ष के लिए? उस पांच वर्ष

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

में दो वर्ष हमारे भी हैं, तीन वर्ष आपके हैं। जिस आदिवासी के जनजीवन के उत्थान के लिए हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जिस आदिवासी को हम किसान का दर्जा देने की बात करते हैं, जिस आदिवासी के लिए हम फोरेस्ट एक्ट और एन्वायरमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करते हैं।

कृषि मंत्रीजी विराजे हुए हैं, मैं, कृषि मंत्रीजी, आपसे भी एक बात निवेदन करना चाहता हूं। 1998 में राजस्थान का राष्ट्र के औसत में 18 फीसदी हिस्सा था, कृषि में हमारा 38 फीसदी था। मैं पहले तो प्रदेश की सकल आय की बात करूं। राष्ट्र की तुलना में हम आज जब बात करते हैं, चाहे कितने ही कीर्तिमान स्थापित कर लें 1998 में जहां हमारा 18 परसेंट था, आज वह घटकर सात परसेंट हो गया है और जहां 38 परसेंट पर इस प्रदेश की 70 परसेंट जनता आश्रित थी, आज वह घटकर 25 परसेंट हो गया। आपने जो विकास के निकाले, 2004-05 से लगाकर 2010 में यह डेढ़ फीसदी बढ़ा है, साढ़े पच्चीस से 26.8 आ गया है। लेकिन 38 फीसदी था तब भी सत्तर फीसदी प्रदेश की जनता इस पर निर्भर थी, अब 26 फीसदी है फिर भी सत्तर परसेंट जनता इस पर निर्भर है। गरीबी घट रही है या गरीबी बढ़ रही है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं? सरकार हमारी भी थी, सरकार आपकी भी है। आखिर हम बात करें तो इतनी मिथ्यापूर्वक न करें। वहां बैठे हुए व्यक्ति को आपने सब अधिकार दे दिये, सूचना का अधिकार दे दिया, पढ़ाई का अधिकार दे दिया, बच्चों का अधिकार दे दिया, संरक्षण का अधिकार दे दिया, पारदर्शिता का अधिकार दे दिया, पर आप तो अपने अधिकारों का उपयोग करिये। आप सच्चाई बताने का आश्वासन तो कम से कम उनको दिलवाइये कि इस सदन में बोलें तो सच्ची बात तो बोलें। आप व्यवस्थित तो करिये इस बात को।

एनर्जी मंत्री नहीं हैं, एनर्जी मंत्री को मैं पूछना चाहता हूं। एनर्जी मंत्री महोदय, इस राजस्थान के प्रदेश को आपने चालीस हजार करोड़ का कर्जदार बना दिया, आपको यह भी मालूम है, बहुत-से कीर्तिमान स्थापित हुए पिछले एक वर्ष में? मैं वो कीर्तिमान जो भोपालगढ़ या गोपालगढ़ के हैं, उनकी चर्चा नहीं कर रहा, बहुत-से कीर्तिमान स्थापित हुए। प्रकृति ने भी स्थापित किये और सरकार की प्रवृत्ति ने भी स्थापित किये। प्रकृति ने स्थापित किये कि हमारे तारानगर से आने वाले सदस्य हैं, ठण्ड में इनको कश्मीर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि चूरू में ही पारा इतना नीचे चला गया कि बर्फ इनको वहीं देखने को मिल गयी। इण्डस्ट्री मंत्री नहीं हैं, इनको भी शिमला जाने

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

की आवश्यकता नहीं पड़ी। इनके बगल में फतेहपुर है वहीं माइनस डिग्री चला गया। यह तो प्रकृति का कीर्तिमान था। वह तो किसी के हाथ में नहीं है। यह क्यों हो रहा था, यह मालूम नहीं। लेकिन अब सरकार की प्रवृत्ति देखिये। कल्याणकारी सरकार है, संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, गरीब के पक्ष की सरकार है। जयपुर के रैन बसेरों में गरीब व्यक्तियों को ठण्ड से ठिठुरन न हो, रैन बसेरे आपने बसाये। तथाकथित नेता और बाबू ने जाकर उनको कम्बल बांटे कि इनको ठण्ड न लगे। लेकिन जिसके नाम पर 1950 से लेकर आज तक आप और हम चुनाव के घोषणा पत्र में लिखते आये हैं, उस किसान को रात में 11.00 बजे रैन बसेरे से मायनस डिग्री में पानी में लाकर खड़े करने का कीर्तिमान भी आपने स्थापित किया। शहर के गरीब को तो ठण्ड लगती है लेकिन गांव के किसान को रात 12.00 बजे पानी में खड़ा कर दिया क्योंकि उसे तो ठण्ड ही नहीं लगती। वह तो कोई जीव ही नहीं है। वह निर्जीव है। 63 वर्ष से आपको और हमको वोट देता आ रहा है। आज तक पलटकर यह नहीं पूछा कि 12.00 बजे बिजली देने का कीर्तिमान स्थापित करके आपने इस व्यवस्था को क्यों अंजाम दिया?

एक और कीर्तिमान स्थापित हुआ, आपने बाबुओं से जन सुनवाई चालू की। बाबुओं ने जन सुनवाई चालू की। मैं प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा था, आदरणीय, आप पधारे, जन सुनवाई तो आपके बाबू 3 दिन पहले कर चुके थे। बाबू का मतलब कलक्टर साहब। अब मैं तो उस भाषा का उपयोग इसलिये कर रहा हूं कि आजकल यह भाषा ज्यादा समझ में आती है लोगों को। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बाबुओं के हाथों से आपने एक निर्देश निकलवाया था कि इतनी कड़ाके की ठण्ड में बच्चों के स्कूल के समय को परिवर्तित कर दिया जाए। यह है कि नहीं है? आपने स्कूल का समय परिवर्तित करके 9.30 और 10.00 बजे कर दिया। आपको मालूम है, एनर्जी मंत्रीजी के यहां से क्या था? अगर बिजली मिलनी है घर के लिये तो सुबह 5.00 बजे से 6.00 बजे मिलेगी। ठण्ड में बच्चा 10.00 बजे स्कूल इसलिये जा रहा है कि ठण्ड बहुत ज्यादा है लेकिन नहाने के लिये तो उसको 5.00 बजे उठकर एक फेज की बिजली से नहाना पड़ेगा। अब भी यह संवेदनशील सरकार है? पारदर्शी सरकार है? बच्चों की खुशहाली की सरकार है? गरीबों की सहायता करने वाली सरकार है? किसान के हित की सरकार है? यह सरकार वास्तव में चिर निद्रा में सो रही है और बाबू इसको चला रहे हैं। राज्यपाल को भी परवाह नहीं कि जिस सरकार को बाबू चलाएं उसको राज्यपाल की कहां आवश्यकता

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

है। आखिर विवश क्यों हैं हम सब? इस सदन में न तो कोई पक्ष है, न कोई विपक्ष। जब राजस्थान की जनता की बात आती है, आदरणीय, तो न तो यहां पक्ष है और न यहां विपक्ष है। हमारे लिये वही तो देवता है, वही जनार्दन है। वही हमें जन प्रतिनिधि बनाते हैं। इतना काम तो मत कराओ। बाबुओं से अगर आप जन सुनवाई कराओगे तो फिर जन प्रतिनिधियों को कहां बैठाओगे? कलम से कागज को रगड़-रगड़कर तो इन्होंने इस प्रजातन्त्र को रगड़ दिया, आप क्या चाहते हो इनसे? अब इनसे जन सुनवाई कराओगे? फिर इनके बाबुओं से जन सुनवाई कराओगे? अगर जन सुनवाई ये करेंगे तो जनता का जन प्रतिनिधि क्या करेगा? इनके बीच में चपरासी खड़ा रहकर कलम रगड़ेगा? शर्म आनी चाहिये, आपने यह सारी व्यवस्था करवायी।

मैं एक व्यवस्था का और उदाहरण देता हूं पर्यावरण मंत्रीजी अगर यहां विराज रहे हों तो। आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में एक पूरा का पूरा दस्तावेज तैयार कर रखा है, आपको यह भी मालूम है क्या? सभापति महोदय, सिर्फ दो-तीन चीजें इनको दूंगा। 2005 में क्योटो प्रोटोकाल पर्यावरण क्लाइमेंट चेंज कार्बन क्रेडिट्स के सम्बन्ध में आया, 2007 में सी ए जी ने एनर्जी मंत्रालय को पूछा, आपने विण्ड एनर्जी के प्लांट्स लगाये थे। लगाये भी थे। यह है इनका, 2.1.47 पर इन्होंने लिखा हुआ है। अब इनसे यह पूछें कि आपने इसको सी डी एम में पंजीकृत क्यों नहीं कराया? जो आपको सर्टिफाइड एमीशन रिड्यूसेज का सर्टिफिकेट मिलना चाहिये था, वह आपको नहीं मिला। ठीक उसी समय आर एस एम एम एल राजस्थान स्टेट मिनरल्स एण्ड मैटल ने अपना पंजीकरण कराया, उसको तकरीबन 1,60,000 कार्बन क्रेडिट्स मिले। उस वक्त एनर्जी मंत्रालय के सदस्य ने यह बात कह दी कि सी डी एम नया-नया प्रोजेक्ट था, हमें वह जानकारी थी नहीं इसलिये हम नहीं करा पाये। चलिये, छोड़ दीजिये, 2007 में नहीं करा पाये। अब आया 2010, 2010 के अन्दर पुनः सी ए जी आडिट हुई। आपके जितने प्लांट्स थे to save the earth from green house gases, a number of countries including India were signatories in 1997. It came into being in 2003 and it got effected in 2005. India is a part of the Board of Directors of the Clean Development Mechanism. These are all facts which can not be denied which are very correct to the best of my knowledge. The CAG has approved it. अब आपने क्या किया? आपने चाहे 330 मेगावाट गैस बेस प्लांट हो डी सी सी पी का, चाहे मिनिस्टरी आफ इण्डस्ट्री, एनर्जी एण्ड फारेस्ट में एक्रेडिशन की बात हो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को तो फुर्सत ही नहीं है। इन्होंने पुनः इस बात को हटाने दिया। इस पूरे के पूरे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मामले में 8 से 10 करोड़ रुपये की इनको घर बैठे आय होती और वह 8 से 10 करोड़ की आय भी फारेन करेन्सी में हो रही थी। आदरणीय, 40-40 करोड़ का कर्जा लेकर राजस्थान की जनता को ये कर्जदार बना रहे थे, इनको इतनी भी सुध नहीं कि अपने सी ए से आडिट करवा कर एक बार नहीं, दो-दो बार फारेन करेन्सी और कार्बन क्रेडिट्स जैसी चीज को इन्होंने हाथ से गंवा दिया।

एक और कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिनके कार्बन क्रेडिट्स आ गये, जब 12, 13, 15, 16 प्रति डालर प्रति टन की रेट थी, आपने उसको ट्रेड ही नहीं किया और एक डालर से नीचे चला गया तब ट्रेड किया। सीधा का सीधा 10 से 15 करोड़ का घाटा खा गये। आपके घर में जो राशि रखी हुई थी, आपके घर में धन था, उस धन का आप उपयोग नहीं कर सके। बाबुओं को यह काम करना नहीं आता, आप अपनी सरकार चलवाते हो इनसे। इस प्रजातंत्र को आपने ब्यूरोक्रेसी के अधीनस्थ रख दिया तो याद रखना, आने वाली पीढ़ी आपको और हमको ठोकरों में डालेगी। ये नमस्कार और अभिवादन तब तक करते हैं जब तक आपके पास सत्ता की कलम होती है। वरना विमुख होना और परिस्थितियों को बदलना इनको इतना आसान आता है कि प्रकृति भी दो बार सोचती है कि मैं भी ऐसा करूं या नहीं करूं।

पाला पड़ गया, शीतलहर आ गयी, किसानों को मुआवजा इसलिये नहीं मिलेगा क्योंकि सी आर एफ नार्म्स नहीं कहते। आपको मुख्यमंत्री बी पी एल आवास योजना में कर्ज दिलाना था, उसके लिये कर्ज ले लिया। इन बिजली के तन्त्रों को चलाने के लिये 40,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। आदरणीय, अगर चाहिये तो यह सदन सहमति प्रकट करता है कि जनता और यहां के किसानों के लिए एक लाख करोड़ का कर्जा लेना पड़े तो भी लीजिये, लेकिन एक-एक घर में कम से कम उसके लिये विश्वास का दीया जरूर जलवाइये। क्यों नहीं करते आप? एक-एक आडिट रिपोर्ट यह कहती है कि आप आफ बजट बारोइंग कर रहे हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है, जब गरीब की बात आती है, आफ बजट बारोइंग्स आप नहीं कर सकते क्योंकि नियम नहीं कहते। बगैर नियम के तो आपने राज्यपाल का अभिभाषण करवा दिया। बगैर नियम के आपने पैसे ले लिये। बगैर नियम से आपने अपनी सेवाएं उपलब्ध करा दीं। और जब किसान की बात आए, गरीब की बात आए तो सारे नियम आड़े आ जाते हैं।

मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं, सभापति महोदय। आपको भी मूक दर्शक नहीं रहना चाहिये, आप भी मनुष्य हो। आपके हाव-भाव से लगना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहिये कि यस, यह सदन यह चाहता है। मेरे हाव-भाव से तो नहीं लग सकता क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है कि जहां से मैं बोल रहा हूं, वहां से नकारात्मक बोलने की सूची में मैं आता हूं, लेकिन मैं जो निवेदन कर रहा हूं, आखिर इन मापदण्डों का कौन इस्तेमाल करेगा?

(18.00 बजे)

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा मंत्रीजी, आप विराजे हैं, शाहपुरा से लगाकर नीमकाथाना तक की आपने जो यात्रा की, उसमें मेरा भी कहीं न कहीं योगदान रहा होगा।

सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, यह मैं नहीं कहता, आपके दस्तावेज कहते हैं, आपको एमएमआर रेट 100 तक लानी थी 2012 तक। आपकी वर्तमान दर 335 है, आप कैसे करेंगे? यह बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुफ्त दवाइयां बांटकर गरीब और अमीर को, क्योंकि आज अगर सबसे ज्यादा कोई महंगी चीज है तो वह चिकित्सा है, आपने मुफ्त दवाइयां बांटकर आम आदमी को न्याय दिलाया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्रीजी भी यह बात बोल चुके कि पूरे देश में, और इस देश में राजस्थान भी आता है, कुपोषण की बहुत बड़ी शिकायत है। 121 करोड़ की जनसंख्या वाला यह देश, साढ़े 6 करोड़ की जनसंख्या वाला यह प्रदेश, फिर भी एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में, नेशनल गेम्स में हम क्यों पिछड़ते हैं? क्योंकि हमारे देश में संख्या तो है लेकिन जिस प्रकार की न्युट्रिएंट वैल्यू की ह्यूमन बाडी होनी चाहिए, वह नहीं है। आपने दवाइयां फ्री करवायी हैं लेकिन आपके और हमारे बच्चे एक दर्जन से ज्यादा वैक्सीन लगवाते हैं उनकी सुरक्षा के लिये। मैं कहना चाहता हूं कि सदन के नेता जहां मुफ्त दवाइयां दिलवाएं, यह तो प्रिवेंटिव नहीं है, यह तो क्योर की बात है, दवाइयां तो क्योर करती हैं, वैक्सीन प्रिवेंटिव मेजर है, Prevention is better than cure. जितने आपके और मेरे बच्चे के वैक्सीन लगे हैं उतने सारे वैक्सीन हर नवजात शिशु के इस प्रदेश में लग जाएं, यह बात आप करवा दीजिये तो जनता यह दुहाई देगी कि ऐसी सरकार तो आयी जिसने अगले चुनाव की परवाह नहीं करके अगली जनरेशन की परवाह की। पोलिटिशियन पर तो यह उंगली उठती है कि They only think from one election to other election. Let this Govt. think from this election to the next generation. एक दिन से लेकर 18 वर्ष तक की जनसंख्या 48 फीसदी है राजस्थान में और इस 48

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

फीसदी जनसंख्या में पहले 6 वर्ष का 12 प्रतिशत का हिस्सा है। यह जो 12 प्रतिशत का हिस्सा है उसमें वैक्सीन मुफ्त लगाकर, एक-एक वैक्सीन, हैपेटाइटिस-बी तो आप पहले जयपुर शहर में तो लगवा ही रहे थे, आपने पूरे प्रदेश में कर दिया, मैं कहता हूं कि जितने वैक्सीन मेरे बच्चे को लगे हैं, मुफ्त में वे सारे वैक्सीन उस गरीब के बच्चे को भी क्यों नहीं लगे? लगाएं उनको, that is the preventive measure. मैंने तो आपसे निवेदन भी किया था, आप आदरणीय जब पधारे थे। यह मौका था इसलिए मैंने इसको वापस दोहरा दिया है। समय की इजाजत है या मैं? आप फरमा देना मैं तो कर दूंगा वाइंड अप। As and when you say there is always a full stop in my vocabulary, so I can do that at any time you want.

(18.04 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत अच्छी खबर छपी थी इंडिया टुडे के अन्दर और यह उन अपराधियों के बारे में है जो हमारी जेलों में 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष के हैं। जिनकी हालत यह है कि वे खुद अपने पावों पर नहीं खड़े हो सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गवर्नर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, एक कोई खलील चिश्ती हैं जो पाकिस्तान के हैं और जिनको यहां जेल हो गयी। 79 वर्ष है इनकी उम्र, उन्होंने कहा है कि इनको आप पार्डन कर दें। आप कहें उनको, मुझे कोई एतराज नहीं है but you know that the entire community which comprises of so called inmates. वहां भी कोई जात-पात नहीं है। प्रजातंत्र में हमने जात-पात कभी स्वीकारी नहीं। इस जेल में भी कोई जात-पात नहीं है। जब जेल के अन्दर चला जाता है तो जेल इनमेट बन जाता है। उसका एक नंबर होता है, उसके आधार पर वह करता है। आपके डी.जी. भी यह बात कहते हैं I am happy to observe that the Director General of Prison, Bhardwaj has also said it on record. जो यह जेरेटिक्स जेल हैं, इनको कहीं न कहीं आप स्थापित करें इस जेल की कोठरी से बाहर निकालकर। समाज का दायित्व है, मानव का यह दायित्व है कि मानव सामाजिक बने और समाज मानवीय बने। इस आधार पर प्रजातंत्र चलता है। Do something about them. They have had their penalty. They faced their circumstances. Their children do not meet them. Their grand children do not meet them. Husbands have lost their wives and wives have lost their husbands. Children have lost their mothers. Do something about them. If you can do for one Chisti who comes from Pakistan, you do it for other Chisti

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

also who comes from Bharatpur or who comes from Shahpura or who comes from Manoharpur. What preventions are being done to them today. .

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें You have taken enough time.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): I am sorry, Sir, the time you approached the Chair I knew there was a Major in the Chair.

श्री सभापति: Thank you.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं ज्यादा कुछ न कहकर आपने मुझे समय दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक्यू वैरी मच।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री पेमाराम।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): रघुजी, सांप कैसे सूंघ गया? (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जहां तक महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का सवाल है, पक्ष का काम है अपनी वाहवाही करना और विपक्ष का धर्म है उनकी कमियां निकालना। लेकिन वास्तविकताएं कुछ दूसरी भी हैं। चाहे सवाल पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, जो वास्तविकताएं हैं उनको तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए क्योंकि पूरे राजस्थान की जनता ने चुनकर चाहे विपक्ष का सदस्य है, चाहे पक्ष का सदस्य है, तमाम लोगों को राजस्थान की विधान सभा में भेजा है, तो हमें आम जनता का ख्याल रखते हुए ये चीजें देखनी चाहिये।

सभापति महोदय, चाहे जननी, शिशु सुरक्षा का सवाल है, चाहे नि:शुल्क दवाइयों का सवाल है, वाकई में शानदार कदम है, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह कदम और आगे बढ़ाएं और जो दवाइयां चालू नहीं हैं, उन दवाइयों को भी अस्पताल तक पहुंचाने का काम करें जिससे वाकई में गरीब को रिलीफ मिल सके।

सभापति महोदय, लेकिन सरकार की कुछ कमजोरियां भी हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और आजाद भारत में यदि वह समस्या आज भी बरकरार है तो चाहे गहलोत साहब की सरकार हो या मेरे प्रतिपक्ष के भाई सरकार में रहे हो, हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। हमारे बीच में ऊर्जा मंत्रीजी नहीं हैं, मेरे से पूर्व वक्ता साथियों ने बताया भी, लेकिन दु:ख के साथ दुबारा इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब सरकार यहां चुनकर आयी थी

(श्री पेमाराम)

2008 में, घोषणा-पत्र लाये थे तो मैं यह कहूंगा कि इनका घोषणा-पत्र मुंगेरीलाल के हसीन सपने थे। उड़ान भर रहे थे। उस उड़ान का आज परिणाम आया है। सरकार ने कहा था कि किसानों को आठ घंटे बिजली देंगे। सरकार ने कहा था, गांव में, ढाणियों में कनेक्शन देंगे। लेकिन एक ही काम किया जो आजाद भारत में पहला मौका है। मुझे अनुभव है अजमेर डिस्काम का, हमारे सीकर शहर में, झुंझुनूं शहर में, नागौर शहर में यदि कोई घरेलू कनेक्शन लेगा तो उसका डिमांड नोटिस आएगा 3 हजार रूपये। गहलोत साहब की सरकार गांव की, गरीब की, किसान की रहनुमाई की बात करती है, ये सारे के सारे डिमांड नोटिस हर इलाके में आ रहे हैं। चाहे पक्ष वाले हैं, चाहे विपक्ष वाले हैं, इन्होंने कानून बना दिया कि गांव में आबादी से बाहर रहने वाला कोई भी किसान जिसके खेत में 25 साल पहले कुआ बन गया, 25 साल पहले पुख्ता मकान बन गया, घरेलू बिजली का कनेक्शन नहीं था, अब इस सरकार ने एक हुक्म निकाला है कि वह किसान ट्रांसफार्मर का चार्ज खुद देगा। एक-एक लाख रुपए के डिमाण्ड नोटिस। यदि पांच काश्तकार मिलकर लेंगे तो भी 25 हजार रुपए से नीचे घरेलू बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। मेरे पास आर्डर है, अजमेर डिस्काम का आर्डर, यह आया हुआ है कि यदि संयुक्त रूप से पांच किसान भी मिलकर लेते हैं तो उसका सम्पूर्ण खर्चा पांचों किसानों को भुगतना पड़ेगा और वह खर्चा आता है 25 हजार रुपए। इससे साबित होता है। बी पी एल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, तीन साल में गहलोत साहब की सरकार आने के बाद बी पी एल वालों के घर पर जहां चिमनी या लालटेन से उजाला किया जाता था, केरोसिन तेल तो इन्होंने बंद कर दिया लेकिन बी पी एल का एक भी सिंगल कनेक्शन जारी करने की सरकार ने जहमत नहीं उठाई है।

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे साथी बोल रहे थे, हमारे घर में बाजरा पैदा हुआ था, अथाह बाजरा पैदा हुआ। 980 रुपए का समर्थन मूल्य है, राजस्थान में जगह-जगह केन्द्र खोले, सरकार ने नाटक करने के लिए। पूरे राजस्थान में एक दाना भी बाजरे का सरकार यदि खरीदती तो मैं समझता हूं कि अकेले सीकर जिले में करोड़ों रुपए किसान के घर में जाते, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे घर में पैदा हुआ बाजरा 7 रुपए किलो बाजार में बिकेगा और नमक की थैली, लूण, वह 15 रुपए किलो के भाव

(श्री पेमाराम)

से मिलता है। हमारा गेहूं 1 हजार रुपए क्विंटल, 10 रुपए किलो में बिकेगा और नमक की थैली 15 रुपए किलो में बिकेगी।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं हुआ, हम 500 रुपए किलो में डी ए पी लाते थे, 1100 रुपए का हो गया। अभी हमारे खेती वाले मंत्री थे, कड़वी बात है राजस्थान की सरकार के लिए कि रकबों में बुवाई कम हो पाई है क्योंकि डी ए पी और यूरिया नहीं मिल पाया, कालाबाजारी होती गई। एक जगह भी राजस्थान की सरकार छापा डलवा कर डी ए पी और यूरिया किसान के खेत की तरफ करती तो मैं समझता हूं कि वाकई में राजस्थान के सारे गरीबों का भला होता। सरकार की इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक पशु धन का सवाल है, इस राजस्थान के 80 प्रतिशत लोग आज भी उस पर आधारित हैं। नौकरी की बात तो अभी आपने सुन ली, एक भी नौकरी नहीं जिला परिषद में। मैं तो आरोप लगाना चाहूंगा कि इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा। किसी जिले में कोई पेपर आएगा और किसी जिले में कोई पेपर आएगा। ठीक कह रहे थे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कि इसमें भर्ती नहीं हो पाएगी। यदि यही व्यवस्था रही तो मैं समझता हूं कि गहलोत साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है और जिला परिषद में, जिलों में बैठने वाले अपने चेलों को पालने के लिए यह आदेश निकाला है जिसकी वजह से न भर्ती हो पाएगी और न नौकरी मिल पाएगी और अव्यवस्था फैल जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक हमारे पशुओं का सवाल है, कभी तो छाती पर हाथ रख कर सोचो, मेरे घर से आज भी भैंस का 3 किलो दूध सवेरे जाता है, मेरे घर वाला दूध 10 रुपए किलो और बोतल में ढक्कन लगा हुआ पानी 12 रुपए किलो। माननीय सभापति महोदय, चाहे पक्ष के सदस्य हों चाहे प्रतिपक्ष के सदस्य हों ...(व्यवधान) मेरी बात सुन लो, आपको कुछ पता नहीं हो तो मुझ से पूछ लो। आलू हमने पैदा किया, 20 पैसे किलो। अभी हमारे इलाके में प्याज पैदा हो गया, हम प्याज लेकर आ गए मण्डी में, हमारा प्याज जा रहा है डेढ़ रुपए किलो और रेहड़ी से जो खाने के लिए खरीद कर लाते हैं उसे मिलता है 10 रुपए किलो। खाने के लिए खरीद कर लाने वाला भी मर गया और हम पैदा करने वाले भी मर गये। कौन करेगा यह व्यवस्था? आलू 20 पैसे किलो, हमने आलू पैदा करके क्या गुनाह कर दिया?(व्यवधान) माननीय सदस्य राधेश्यामजी, अब तो चालीस लाख भी भाव हो तो भी किसी

(श्री पेमाराम)

काश्तकार के घर 3 हजार रुपए से ऊपर मिल जाए तो मुझे बता दो। आप कहां किसानों की बात करते हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर मुखातिब हों।

श्री पेमाराम (धोद): मेरा निवेदन है कि हमारे जिले सीकर का नीमकाथाना इलाका निश्‍चित तौर एक सोने की नगरी के रूप में है। वहां पर प्रचुर प्राकृतिक खनिज संसाधन हैं। सरकार की कोई खनिज नीति न हो पाने की वजह से पहले हम सुनते थे भू-माफिया, दारू माफिया, अब खनिज माफिया हो गया और उसमें पूरा प्रशासन भी सम्मिलित। जनता सड़कों पर आती है, खनिजों के लिए विस्फोट करते हैं, लोगों के मकानों पर पत्थर पड़ते हैं, लोग और मवेशी मर जाते हैं और प्रशासन भी उनके लिए रास्ता बनाता है। अवैध रूप से खनन एक नहीं सैकड़ों जगह चल रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार में हिम्मत नहीं है कि अवैध रूप से चलने वाले खनिज माफिया पर कोई हाथ डाल ले। सरकार उनको संरक्षण दे रही है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर सरकार को इस ओर कदम उठाने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक कानून-व्यवस्था का सवाल है, वाह, साहब! मैं कानून-व्यवस्था के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि जहां तक कानून-व्यवस्था का सवाल है, संवेदनशील सारी चीजें हो गईं। खुद गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया। वह चरमरा गई है, भगवान भरोसे चल रही है। सरकार को चाहिए कि कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करे जिससे आम जनता को यकीन हो, विश्‍वास जगे। वरना राजस्थान में आम जनता भयभीत है, जनता में भय की स्थिति है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। जनता का कोई रुखाला नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) अव्यवस्था फैलाता कौन है? कामरेड ही तो फैलाते हैं और आप ही बोल रहे हो, कमाल है।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, जहां तक खेती का सवाल है, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, आपने लिखा है कि आप जयपुर का विकास कर रहे हैं, सोने की नगरी बनाओ जयपुर को, हमारा भी समर्थन है लेकिन गांव में रहने वाले ने क्या गुनाह किया है? गांव में रहने वाला यदि कोई भेड़ पालता है, या बकरी पालता है या भैंस पालता है या गाय पालता है और जब बिजली का बिल आ जाता है, फसल का कुछ नहीं मिल पाता है तो एक बकरे को बेच कर अपना बिजली का बिल चुकाता है।

(श्री पेमाराम)

पशुओं को बचाने के लिए गहलोत साहब की सरकार ने ढिंढोरा पीटा है कि हमने पशु शिविर लगाए हैं। माननीय सभापति महोदय, कोई भैंस पाळी में हो और उसको एक किलोमीटर भी कोई पकड़ कर ले जाए, घर से दो आदमी रस्सा डालकर, घर वाली पीछे से लट्ठ लेकर जाती है तीन आदमी होते हैं तब जाकर वह भैंस काबू में करते हैं। एक भी जगह पूरे राजस्थान में कहीं पशुओं के लिए चिकित्सालय खोलने एक भी डाक्टर लगाने की जहमत राजस्थान की गहलोत साहब की सरकार नहीं उठाई। मैं समझता हूं कि सरकार किसानों के नाम पर वाहवाही लूटती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अब आप।

श्री पेमाराम (धोद): मैं तो अभी खड़ा हुआ हूं फिर भी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके आदेश की अक्षरशः पालना करूंगा।

मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा यहां पढ़ाया है, वे सरकार के सपने हैं। यह सरकार कानून-व्यवस्था में फेल है, किसानों का कचूमर निकाल दिया, इस सरकार के आने के बाद उसने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। जहां तक किसानों को बिजली देने की बात है, सरकार उसके घर की बत्ती बुझाने का काम कर रही है इसलिए मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं। अब भी सरकार नहीं चेती तो आने वाले डेढ़ वर्ष के बाद चुनाव आएंगे और राजस्थान की जनता किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगी, यही कहते हुए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, राज्यपालजी के अभिभाषण की बहस में मुझे बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे से पहले पक्ष और विपक्ष और हमारे सीकर के पक्ष और विपक्ष के बीच में कामरेड साथी पेमारामजी ने भी अपनी बात रखी। इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्यपालजी का अभिभाषण सरकार के द्वारा किये गये कार्य और सरकार के विचार की रूपरेखा का पूर्ण रूप से एक प्रतिबिम्ब होता है जिसे राज्यपाल महोदय रखते हैं। जो कुछ कार्य सरकार द्वारा किये गये और जो सरकार की आगामी योजना है, उसकी एक विस्तृत रूपरेखा अभिभाषण में होती है। अभी विपक्ष के रूप में सम्माननीय सांगानेर से आने वाले और शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्यगण अपनी बात रख रहे थे। हमें लग

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

रहा था कि शाहपुरा से आने वाले सम्मानित सदस्य किस तरीके से अभिभाषण को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार जब अपना चुनाव लड़कर आती है तो अपने घोषणा पत्र में जो कुछ वह रखती है जनता के सामने, उसी के द्वारा उसको काम करना होता है। यह स्पष्ट है कि पूरे तीन साल में सरकार ने घोषणा पत्र के अनुसार काम किया या नहीं किया, जन हित की सरकार कहलाने के लिए काम किये या नहीं किये, जन कल्याणकारी सरकार अपने वादों पर पूरी उतर पाई या नहीं उतर पाई। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो कुछ एक घंटे के समय में पढ़ा, यह सब कुछ पूर्ण रूप से विस्तृत था। शाहपुरा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य किस तरीके से उस पूरी बात को घुमा रहे थे। कभी-कभी तो ऐसा लग रहा था जैसे महात्मा बुद्ध को कहीं बैठे हुए वट वृक्ष के नीचे ज्ञान का आभास हो गया। कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे लोकतंत्र की प्रक्रिया ही कलंकित हो गई या पूरे लोकतंत्र पर कहीं कलंक लग गया। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ दिया, उस भाषण के वे ऐसे कौन से अंश हैं जहां बार-बार लोकतंत्र की बातों पर लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया पर एक तरह से अपमानित होने का सा आभास उन्होंने कराया? मैं यह मानता हूं कि एक सरकार का किया गया कार्य अगर नेगेटिव है, जन हित के विपरीत है तो उसको अच्छे ढंग से परिभाषित करना चाहिए कि जनता चाहती क्या है। जनता का कमजोर तबका चाहता है कि उसको वे सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो आजादी के सपनों में लोगों ने शामिल की थीं कि आजाद होने के बाद हमको क्या-क्या मिलेगा, पीड़ित पक्ष को क्या मिलेगा, जो दलित वर्ग है, जो बहुत लम्बे समय से पिछड़ता चला गया था, उसको क्या मिलेगा। यह सब आजादी के वक्त एक स्वप्न की बात थी। परन्तु इसको किस तरीके से इन लोगों ने परिभाषित करने की कोशिश की। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, एक गरीब आदमी को जो कुछ आंकड़े बताये जा रहे थे, वे आंकड़े नेशनल लेवल के, वर्ल्ड लेवल के आंकड़े थे। किसी गरीब आदमी को अगर चौदहवीं का चांद दिखा दिया जाए तो उस चांद को देखकर तो वह यही कहेगा कि यह रोटी तो पूरी है, इस रोटी को किसी ने तोड़ा नहीं। उसके सामने तो उसकी गरीबी का बखान है। जिस दौर से वह गुजर रहा है, वह तो उसकी बात करेगा। मुख्य मंत्री महोदय जिन जिन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आए हैं, मैं माननीय विपक्ष से भी यह कहना चाहूंगा कि आप एक बार गहराई से देखिए। दो रुपये किलो अनाज बीपीएल को

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

उन्होंने दिया है, 35 किलो अनाज पर-मंथ। अगर 70 रुपये किसी गरीब के पास हैं तो दो या तीन के परिवार का पूरा महीना निकल जाएगा, उसको मुंह उठाकर नहीं देखना पड़ेगा और वह भूखा नहीं सोएगा किसी भी सूरत में। इसी तरीके से अगर किसी एपीएल के पास में भी वही व्यवस्था है तो 25 किलो अनाज की व्यवस्था उसको भी की जाएगी। यह एक सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। किसी भी जनहित की सरकार को, उसके मुखिया को या उसकी पूरी व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई मेरे राज में भूखा नहीं सोए। और इस भूखा न सोने की व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्री ने की है, हम उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा इस स्टेज के माध्यम से और इस सदन के माध्यम से करना चाहेंगे।

इसी तरीके से पिछली बार भी नम्बर आया था मेरा और जिनको हम गुरूदेव के रूप में मानते हैं, हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और कटारियाजी सामने बैठे हैं, मैंने एक बात बताई थी। नीमकाथाना में अगर कोई बीमार पड़ गया, किसी के परिवार का मुखिया बीमार पड़ गया, किसी की घरवाली बीमार पड़ गई, किसी का बेटा बीमार पड़ गया या किसी का पिता बीमार पड़ गया और रात के 12 बजे यह कह दे वहां का डाक्टर, रैफर टू जयपुर, तो रैफर टू जयपुर उसके इतना बड़ा धमाका होता है कि वह अपने आपको असहाय समझता है, पूरा परिवार अफरातफरी में लग जाता है। वह गरीब आदमी अपने परिवार वालों को टेलीफोन करता है, करवाता है कि किसी तरीके से 5-4 हजार रुपये की व्यवस्था हो जाए। 5-4 हजार रुपये की व्यवस्था अगर हो जाए तो मैं जयपुर पहुंच जाऊं, एसएमएस हास्पिटल में चला जाऊं और एसएमएस के हास्पिटल में चलकर मेरा इलाज करवाऊं। जब आता है गांव का कोई मुखिया या गांव का कोई निवासी या परिवार का कोई आदमी किसी तरीके से जयपुर, तो यहां आकर वह अपने आपको वीरान समझता है, कि उसका कोई मालिक नहीं यहां। वह चक्कर काटता है बार-बार एसएमएस में। न वह जानता है डाक्टर को, न वह जानता है इमरजेंसी वार्ड को और न वह जानता है दवाई बेचने वालों को। वह टेलीफोन करता है कि 5-4 हजार रुपये की व्यवस्था हो जाए, उसके परिवार के रिश्तेदार दौड़-दौड़ कर किसी तरीके से पैसा लेकर आते हैं, वे जयपुर पहुंचते हैं, दौड़-दौड़ कर...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यही तो सुशासन है।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): यह सुशासन है, गुरूदेव, इस सुशासन का ही मैं बखान कर रहा हूं, आप मेहरबानी करके सुन लें। मैंने तो उनको भी नहीं टोका था, शाहपुरा वालों को। मैं उस वक्त युवा मजदूर संगठन का अध्यक्ष था, उनके मुंह से यह निकला कि नकारात्मक मानी जाएगी मेरी बात। तब मैंने कहा था कि अगर कोई पोजीटिव लगता है तो कह दो सरकार की बात। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था उनको भी, उनको भी कहीं टोकने का सवाल ही नहीं। मैंने किसी सामने वाले को टोका भी नहीं। लेकिन, हुकुम मैं यह कहूंगा कि...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हम आपको टोक नहीं रहे हैं, हम तो आपके भाषण की तारीफ कर रहे हैं कि यही तो सुशासन है कि जो आपने कहा, परेशानी हो रही है।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं बता रहा हूं, आगे सुनें आप। वह जयपुर के एसएमएस में आकर किस दौर से गुजरता था और किस तरीके से गांव का आदमी अपने परिवार का इलाज कराता था। जब भी किसी परिवार के गरीब आदमी से आप बात करोगे तो वह एक बात करेगा, आप पूछ लीजिए। क्या हाल हैं, किस तरीके से परेशानी आ रही है? वह एक ही बात कहता था कि मेरी घरवाली बीमार है, मेरा बेटा बीमार है बहुत दिनों से, मेरे पिताजी बहुत दिनों से बीमार हैं, कर्जे के नीचे डूब गया हूं। मेरा अपना मानना है कि गांव और ढाणी के लोगों की पूरी कर्जदारी की लिस्ट बनाई जाए तो 75 परसेंट कर्जदार बीमारी की वजह से होता है। व्याधि की वजह से होता है और कोई कारण नहीं होता था। मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात को बड़ी गहराई से देखा और गहराई से देखने के बाद आप और हम सब के सामने जो योजना लेकर आये यह नि:शुल्क दवा वितरण की योजना, क्या यह ऐतिहासिक नहीं है? क्या यह दवा वितरण की योजना उस गरीब के लिए एक देवतुल्य वरदान के रूप में साबित नहीं हो रही है? जिसके पास पैसा इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं होती थी, वह आज फ्री में इलाज कराकर जा रहा है। मुख्य मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री बीपीएल योजना के तहत जो इलाज की व्यवस्थाएं की हैं, एक करोड़ 16 लाख लोग इलाज कराकर गये राजस्थान में इस तीन साल में। एक करोड़ 16 लाख की लिस्ट बहुत लम्बी होती है, वह भी इंसानों की लिस्ट, जिनमें बड़े आपरेशन हुए-हार्ट के आपरेशन हुए, कैंसर के इलाज हुए, बड़े-बड़े इलाज किये मुख्य मंत्री महोदय ने। मुख्य मंत्री महोदय की यह जो योजना थी, यह अपने आप में एक कारगर योजना थी।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

जननी सुरक्षा की बात करें, कानून बहुत बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत-से कानून हमने देखे, कानून दम तोड़ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास आते-आते। लेकिन जब किसी स्टेट गवर्नमेंट के मुखिया की, या पार्टी की रीति-नीतियां गरीबों के प्रति समर्पित होती हैं या मैं यह कहूं कि उस दलित के प्रति समर्पित होती हैं जिसके पास में व्यवस्थाएं लम्बे समय से नहीं पहुंचीं, तो वह अपने आपको यह मानकर चलता है कि यह योजना भगवान के वरदान के बराबर है। यही हुआ जननी सुरक्षा योजना में, आप देखिए, 16 लाख प्रसव हो गये इन चार-पांच महीने के पीरियड में और एक भी मां को उन पीड़ाओं से जूझना नहीं पड़ा जो इलाज के लिए हास्पिटल में आकर व्यवस्थाओं की तरफ मुंह ताकती रहती थीं। आज जननी सुरक्षा योजना जिस तरीके से मुख्य मंत्री महोदय ने दी है और जिस तरीके से निःशुल्क दवा योजना की जो व्यवस्था की है, यह कम नहीं है। फिर क्या चाहिए? चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। मकान के लिए बीपीएल योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने 3400 करोड़ रुपये का हुडको से कर्ज लिया। कर्ज अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया, गरीब लोगों के घरों में छत हो, आशियाना उनको मिले उसके लिए 3400 करोड़ का कर्ज लेकर मकान बनाने की घोषणा की है। लगभग 5 लाख मकान अतिरिक्त जोड़ने के रूप में बीपीएल को वे मकानात दिये हैं। जो कुछ मकानात बाकी रह गये थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा विपक्ष से भी और हमारी पार्टी के लोगों से भी, ये लोग कह रहे थे कि अब आपके चलने का समय आ गया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब को दो टाइम की रोटी मुहैया करा दे, दो रुपये किलो में आटा दे दे, जो रहने के लिए मकान की व्यवस्था करा दे और जो जननी सुरक्षा योजना के तहत एक मां को ले जाकर उसका इलाज हास्पिटल से कराकर वहीं वापस पहुंचाए, पूरा किराया देने की व्यवस्था कराए और गरीब के घर में कोई बीमारी से मरने न पाए, यह सब व्यवस्था सरकार करे, उसके जाने के दिन नहीं आते हैं। गरीबों की झोंपड़ी में पूछिए, उनके तो आने के दिन आ गये। ऐसी व्यवस्थाओं के तहत आये, हम चाहे स्वीकार न करें। आपका धर्म है, आपका विपक्ष में बैठे हुए यह राजधर्म बनता है कि आप उन व्यवस्थाओं के बारे में जो कमी रह गई सरकार के अन्दर वह बताएं। लेकिन मैं मेरी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें सौभाग्य से एक ऐसे मुख्य मंत्री का साथ मिला है जो हमारे मुख्य मंत्री के रूप में हैं, उन्होंने जो जन-कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, पता लगेगा जब समय सामने आएगा।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

पेयजल की व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एससी और एसटी की कोई भी आबादी आप ऐसी बता दीजिए। 50 परसेंट से ऊपर एससी-एसटी की आबादी में सिंगल पाइंट और ट्यूबवैल की व्यवस्था, टंकियों की व्यवस्था की गयी है। हम अक्सर देखते थे, एससी, एसटी की महिलाओं को एक किलोमीटर दूर जाकर श्मशान भूमि से पानी भरकर लाना पड़ता था। पिछले कार्यकाल में जो सिंगल पाइंट लगा दिये गये, जो टंकी लगा दी गयी, मैं मेरे नीमकाथाना की बात करता हूं, उन मालिकों के यहां लगा दी गयी जहां पानी भरने के लिए महिलाओं को दूर खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन धन्यवाद है मुख्य मंत्री महोदय को कि नीमकाथाना और सभी क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में एससी और एसटी के सिंगल पाइंट लगाये, पानी की व्यवस्था की। आप भी अपने क्षेत्र की बात कीजिए, लेकिन मैं मेरे नीमकाथाना क्षेत्र की बात करता हूं अक्सर यहां खड़ा होता था तो पानी की ही बात करता था, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि हमारी सरकार ने वह व्यवस्था कर दी, अगला नीमकाथाना का चुनाव पानी के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा, दूसरी व्यवस्थाओं के नाम पर लड़ा जाएगा। धन्यवाद देना चाहते हैं हम इस बात को लेकर।

ऊर्जा के मामले में जिस तरीके से बात बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, यह हमें भी महसूस हुआ। कि रात के 12 बजे जो किसान को बिजली मिलती है तो किसान किस तरीके से इसमें काम करता है। जीरो या माइनस एक या दो डिग्री टैम्परेचर चला गया, किसान परेशान था। हम लोगों ने यह मांग उठायी, यह मांग किसी वजह से पूरी नहीं हो पायी। ऊर्जा मंत्री महोदय नहीं बैठे हैं, हम ऊर्जा मंत्री महोदय से कहेंगे कि हम किसान के हित की बात करने वाले हैं, हमें किसान के हितों को देखना होगा, उसकी अनदेखी करके हम ज्यादा लम्बे समय तक नहीं चल पाएंगे। मैं ऊर्जा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, बिजली के मामले में पता नहीं ये आईएएस अफसर किस तरीके की व्यवस्था बना रहे हैं, ये एयरकंडीशन में बैठे हुए बाजरे के बीज को अंकुरित कर रहे हैं। एयरकंडीशन में बैठे हुए लोग यह क्या कानून पास कर रहे हैं कि टीएफसी और टीएसएस के पैसे से अगर कोई सिंगल पाइंट लगेगा, उसका पैसा चार साल का एडवांस भरना पड़ेगा। पंचायत के पास कहां व्यवस्था है? किस एमएलए के पास व्यवस्था है कि वह 4-4 साल के एडवांस बिल जमा कराएगा? मैं ऊर्जा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, उन आईएएस अधिकारियों को, गंगरार साहब हैं या कोई भी है, कि यह अंग्रेजों का काला कानून बनाना छोड़ दें, क्योंकि न तो मुख्य मंत्री महोदय की

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

नीयत में ऐसी कोई बात है और न हमारे पूरे मंत्रिमण्डल में ऐसी बात है। मेरा यही निवेदन है कि पांच साल का बिजली का बिल हमसे एडवांस ले लें, हमारे यहां पानी राकी बैल्ट में पाकेट के रूप में होता है, रात के 12 बजे पानी खतम हो जाए तो ये क्या पाँच साल के पानी की गारंटी भी हमें दे देंगे? मेरा यही निवेदन है कि यह जो काला कानून है इस काले कानून को हटाने की कोशिश करें। मैं जनहित और कल्याणकारी सरकार है, उसके जरिये ऊर्जा की बात करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सरकार ये चला रहे हैं, आप थोड़े ही चला रहे हो।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): हम आईएएस अफसरों की कह रहे हैं, अगर ब्यूरोक्रेसी कहीं गलती कर रही है तो आप और हम मिलकर उन व्यवस्थाओं को भी बदलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): 5 मिनट हमारे और बाकी हैं, आप इतनी जल्दी कैसे कह रहे हैं?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सरकार तो सोयी पड़ी है, सरकार है ही नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न करें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय सदस्य, दो मिनट रुकें, हमारा टाइम क्यों ले रहे हो? हमारे टाइम को होल्ड करो।

शिक्षा के मामले में बात कर रहे थे, मैं शिक्षा के ऊपर कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, अभी खाचरियावास जी बता रहे थे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख 42 हजार, 1 लाख 20 हजार के बाद और बढ़ चुकी, 1 लाख 42 हजार साइकिलें बांटकर इंस्पायर किया है हमारी बालिकाओं को कि वे पढ़ने के लिए आएं। हमारी बालिकाएं पढ़ी-लिखी हों, इसकी व्यवस्था की जाए। जोधपुर में आईआईटी की व्यवस्था की गयी है, उदयपुर में आईआईएम की व्यवस्था की गयी है और बीकानेर में हाइड्रोलोजी और वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। पूरे विश्व में दो या तीन ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्रीजी को कि एमप्लायमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन बच्चों को देंगे तो उस एजुकेशन से उनको नौकरी मिलेगी, उनके आगे बढ़ने की व्यवस्थाएं होंगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि जनहित और

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

जनकल्याणकारी सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं की कसौटी पर हमारी सरकार तीन साल में न केवल खरी उतरी है बल्कि हरदम यह कोशिश की है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए जिनसे आम लोगों को, समाज के आखिरी इंसान को भी लाभ मिल सके। मैं यही कहना चाहूंगा...(व्यवधान)

सभापति महोदय, दो मिनट और हैं, मेरा बहुत बाकी है। और कौन है? मेरे 5 मिनट और हैं।

हमारी योजनाओं को मुख्य मंत्री महोदय ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया और जिस तरीके से व्यवस्थाओं के साथ मजबूत किया, मैं तो यही कहना चाहूंगा, तीन साल का कार्यकाल न केवल जन-कल्याणकारी था, न केवल जनहित में था बल्कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए, माइनोरिटी के लिए था। माइनोरिटी के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्थाएं कीं। मदरसों की व्यवस्थाओं को टैक्निकल एजुकेशन में ट्रांसफर किया ताकि वे रोजगार उपयोगी हों, हमारे यहां के माइनोरिटी के बच्चे भी आगे बढ़ें। माइनोरिटी की बच्चियों के लिए होस्टलों की व्यवस्था की, मदरसों में टैक्निकल एजुकेशन के साथ-साथ बाकी योजनाएं दीं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने न केवल सभी समाजों को साथ लेकर चलने की कोशिश की बल्कि तीन साल का अपना कार्यकाल गरीबों के लिए समर्पित किया, जनकल्याण के प्रति समर्पित किया। एक नौजवान लापरवाह निकले और अपने मां-बाप की सेवा न करे, मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी गहराई से इस बात को समझा और इस बात को समझकर उन्होंने उन व्यवस्थाओं को किया कि अगर वह अपने मां-बाप की सेवा नहीं करता है तो उसको पछताना पड़ेगा। हमारे सामने विपक्षी बैठे हुए हैं, कई बार कहते हैं, यह सरकार जा रही है, यह सरकार जा रही है। क्या गरीबों के प्रति काम करे, वो सरकार जाएगी? क्या दो रुपये किलो अनाज दे, वह सरकार जाती है? क्या यह अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की जो योजना दे, वह सरकार जाती है? क्या वो सरकार आती है जो बैठे-बैठे विदेशों से यहां के बारे में हालचाल जाने? कभी 6 महीने में या साल में आकर राजस्थान का मुख्य मंत्री बनने की सोचे, क्या वो सरकार आएगी? यह आप और हम सबको सोचना पड़ेगा। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप और हम सबको मिलकर एक सकारात्मक सोच के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। मुख्य मंत्री महोदय ने गरीबों को राहत देने के लिए योजनाएं लागू की हैं। आप कह रहे थे कि

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

हमारे जाने और आपके आने का समय आ रहा है, इतिहास की ओर ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से बार-बार गोपालगढ़ की बात कर रहे थे, अगर कोई दो समाज आपस में लड़ पड़े तो इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं। मुख्यमंत्री महोदय ने तो गोलियां नहीं चलायीं। पिछला इतिहास उठाकर देखिए, अभी कामरेड भाई कह रहे थे, किस तरीके से पानी मांगा और गोली चली, किस तरीके से अधिकार मांगे और गोली चली और किस तरीके से गोलियों का सामना करते हुए न केवल किसान मरे बल्कि एक समाज विशेष के किस तरीके से मरे। लाशों पर राजनीति करते हुए, अट्टहास करते हुए ये लोग मौज-मस्ती मारते रहे। हमारी सरकार के कार्यकाल में पुलिस को शांति और शालीनता से चाहे बैक होना पड़ा, लेकिन कभी भी उनको गोली यूज करने का न तो अधिकार दिया और न मुख्य मंत्रीजी कभी देने की मंशा रखते हैं। पहले भी मैं एक बार कह चुका हूं, सभी धर्म और सभी समाज को जो लेकर चलेगा वह स्टेट उन्नति करेगा, वह घर उन्नति करेगा जो सब भाइयों को लेकर चलेगा, और वह गांव, वह डिस्ट्रिक्ट उन्नति करेगा जो सभी समाजों को समान मानकर साथ लेकर चलता है। यह कांग्रेस पार्टी है जिसने राइट टू एजुकेशन सहित हर चीज का अधिकार देने की भरपूर कोशिश की है। कोई कर्मचारी काम करे या नहीं करे, इसके लिए इन्होंने गारंटी का जो एक नियम बनाया क्या वह अपने आप में कम है? यह तो 126 साल पुरानी पार्टी का इतिहास है और हम लोग इसके नुमाइंदे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जिसमें सभी धर्म को समान लेकर चलते हैं। मैंने पहले भी एक दिन कहा था और आज भी कहूंगा,–यहां तो फजल के वक्त जब खुदा की इबादत होती है और मौलवी जब अपनी अजान के साथ यह कहता है ''या अल्ला लिल लिल्लाहे मोहम्मद औ रसूल इलाही'' तो भी हम इबादत से सर झुकाते हैं और थोड़ी देर बाद अगर कोई मंत्र होता है ''सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते'' तो भी हम सजदे से सर झुकाकर हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद गरीबों के हित और हितेश के लिए पराक्रम के साथ जब कभी पार्टी आदेश करती है तो गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हम किसी तरह भी ''कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'' से कम नहीं होते। अब गुरूजी आ गये हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): हम निर्दलीयों का एक घंटे का समय तय किया है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अब दो ही तो रह गये हैं, बाकी तो उधर मिल गये और डीजल-फ्री में रह गये और ये कल उपाध्यक्ष बन ही जाएंगे तो मैं अकेला रह गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये आप। कृपा रखिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सुनें, साहब, मेरी बात। हम आखिरी में रिजैक्ट माल हैं तो वो बताओ।

श्री सभापति: कृपया बैठिये। मौका मिलेगा। कृपया बैठिये। ठीक है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हमारे को समय दिया जाए। मनोबल टूट जाता है। दो ही तो निर्दलीय बचे हैं और दो में से ये उपाध्यक्ष बन ही जाएंगे।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): दो मिनट लूंगा। सिर्फ दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति: कृपया बैठिये, माननीय सदस्य। मैं नाम बोल चुका हूं, कृपया बैठिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आशा करते हैं कि मौका मिलेगा। किरण माहेश्वरी जी के बाद में थोड़ा-सा ध्यान रखें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मैं तो सिर्फ दो मिनट ही लूंगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: कृपया बैठिये, मैं नाम बोल चुका हूं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मैं किरण दीदी से बोलूंगा कि दो मिनट बाद बोल लें।

श्री सभापति: आप बैठिये न। मैं नाम बोल चुका हूं। सदन की गरिमा होती है, आप कृपा कर बैठिये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय, बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य पूरे दिन से इस व्यवस्था का गुणगान करते आ रहे हैं। मैं पूरे राजस्थान की बात पर न जाते हुए सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर की बात करूंगा। पिछली सरकार के समय में सांचोर नगर में दिन में दो बार पानी आता था, आज वहां की स्थिति यह है कि 20 दिन में एक बार पानी आता है। यह है इस सरकार का कारनामा। गांवों में पी.एच.ई.डी. के बोर पर अगर किसी कारण से मोटर जल गई तो इस सरकार ने लिखित में आदेश दे रखे हैं उस एक्स. ईएन., ए. ईएन. और जे. ईएन. को कि आप अपने स्तर पर वो मोटर रिपेयर नहीं कर सकते।

(श्री जीवाराम चौधरी)

सभापति महोदय, आप बताइये कि क्या वह मेरी जेब से करवाऊंगा या वो ए. ईएन., जे. ईएन. अपनी जेब से करवाएंगे? कंटिंजेंसी में माननीय वसुंधरा जी लाखों रुपये का बजट रखती थीं कि इमरजेंसी में कोई गांव, ढाणी में पानी की व्यवस्था नहीं हो तो जहां से भी फोन आये, विभाग वाले व्यवस्था करके वहां पानी का टैंकर भेजते थे। इस सरकार की यह व्यवस्था है कि आज वो टैंकर तीन साल से बंद पड़ा है। किसी एक स्कूल में कोई कार्यक्रम हो और वहां पानी नहीं है तो हमारे पास कोई व्यवस्था उस स्कूल में पानी पहुंचाने की नहीं है। वसुंधरा जी के टाइम में घर में बिजली कनेक्शन में 24 घंटे लाइट रहती थी, आज की तारीख में मुश्किल से 6-7 घंटे लोगों को सिंगल फेस की लाइट मिल रही है। ढाणियों के हजारों कनेक्शन पिछले पांच साल में हुए, आपकी सरकार आने के बाद में एक ढाणी में नया कनेक्शन नहीं हुआ, सरकार ने लिखित में आदेश देकर पाबंदी लगाई हुई है। यह है इस सरकार की व्यवस्था। नर्मदा का पानी, पिछली सरकार में वसुंधरा जी के कर-कमलों से लाखों किसानों को अरबों रुपये का फायदा आज भी हो रहा है। जालोर और बाड़मेर दोनों जिलों के 624 गांवों में नर्मदा का पीने का पानी देना था लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि सांचोर नगर को भी अभी तक नर्मदा का पानी नहीं दे पाये हैं जो कि डेढ़ किलोमीटर दूर नर्मदा चल रही है। इस सरकार को, लिख-लिखकर मैं परेशान हो गया। माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री को, जो वर्तमान में जोधपुर की जेल में हैं, मैंने कम से कम 50 बार लिखकर दे दिया कि इस नगर को नर्मदा का पानी पिलाओ। अभी तक सांचोर सिटी को नर्मदा का मीठा पानी उपलब्ध नहीं हुआ, सिर्फ डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर पानी जा रहा है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, दो मिनट। समय बढ़वाना है। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए, क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय, इस सरकार का इतना गुणगान सुन-सुनकर मेरे कान पक गये हैं। पिछले तीन साल में अगर विकास के नाम पर कोई काम हुआ है तो सिर्फ पंचायत समिति में राजीव गांधी सूचना केन्द्र का एक भवन बना है। सांचोर विधान सभा क्षेत्र में सांचोर पंचायत समिति में और एक पंचायत समिति चीतलवाड़ा में, पूरे तीन साल में सिर्फ दो भवन बने हैं, उसके अलावा एक ईंट सरकार की तरफ से नहीं आई। ये किस सरकार का और किस विकास का गुणगान कर रहे हैं, यह मुझे बड़ा दु:ख है।

पिछली सरकार में स्कूलों में समय से भोजन मिलता था बच्चों को और आज वहां धरातल पर जाकर देखें, यहां बैठकर गुणगान करने से कुछ नहीं होता। आज अस्पताल में जाकर देखें, 108 एम्बुलेंस आपने जगह-जगह भेज दीं लेकिन उनके पास ड्राइवर नहीं हैं। बिना ड्राइवर के एम्बुलेंस वहां पड़ी हैं और सामान्य जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। यह व्यवस्था है। पिछले पांच साल के कार्यकाल में वसुंधरा जी की सरकार में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 33/11 के.वी. के 19 जी.एस.एस. बनाये गये और आज तीन साल हो गये लेकिन एक जी.एस.एस. के लिए लिखकर देने के बाद भी मेरे वहां पर आज तक एक जी.एस.एस. नहीं बना है। यह है इस सरकार की व्यवस्था। मैं क्षमा चाहूंगा, जिस कुर्सी पर आप विराजमान हो उस कुर्सी का मैं प्रत्याशी हूं, कल चुनाव है, मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि आप मुझे वोट दें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय सभापति महोदय, उसके बाद मैं कल अगर उस कुर्सी पर बैठ गया तो मैं आपको खूब समय दूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय किरण माहेश्वरी। माननीय सदस्य, आप बैठें। मैं नाम बोल चुका हूं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं दस मिनट ही नहीं लूंगा।

श्री सभापति: आप बैठिये। मैं मौका दूंगा, आप बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, सदन में लगातार दूसरी बार अभिभाषण कार्यवाहक राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया...

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 28.04.2010 से अपने यहां राज्यपाल नहीं हैं और कार्यवाहक राज्यपाल राजस्थान की जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। जब कभी भी कोई बात अगर सरकार की पहुंचानी हो तो राज्यपाल वहां पर मिलते नहीं हैं, कहा जाता है कि देकर आ जाइये, राज्यपाल तक पहुंच जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को महत्व नहीं देने का यह एक उदाहरण है, क्योंकि हर बार यह कहा जाता था कि केन्द्र में हमारी सरकार नहीं है इसलिए हमें यहां सपोर्ट नहीं है। लेकिन अब तो केन्द्र में भी आपकी सरकार, यहां भी आपकी सरकार, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको राज्यपाल यहां पर स्थायी रूप से नहीं मिल पा रहा? अपने आप में यही कार्य-कुशलता को देख लीजिये कि कितने आप कार्य कुशल हैं और कितनी आपकी बात सुनी जा रही है और कितनी आप जनता की बात सुन रहे हैं।

खैर, अभिभाषण सरकारी नीतियों एवं भावी योजनाओं का दर्पण होता है। बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं वो तो मैं बाद में कहूंगी। इस पूरे अभिभाषण को देखा तो उसमें और सारी बातें तो आईं, विकास की आईं और दूसरी सब घोषणाएं जो कीं वो आईं, लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार के बारे में सरकार का क्या कहना है, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी उल्लेख नहीं किया। अभिभाषण को अपन लें तो यह अभिभाषण जब पढ़ा माननीय कार्यवाहक राज्यपाल जी ने तो एक पैराग्राफ से 9 पैराग्राफ तक तो उन्होंने भूमिका बनाई और बड़ी-बड़ी बातें कर लीं, जैसे कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान की समृद्धि और खुशहाली के कार्य को अपना लक्ष्य मानती है। मैं आपको जो कुछ भी यहां पर कह रही हूं वो सब इस अभिभाषण के एक-एक पैराग्राफ को पढ़कर कह रही हूं। अभी यहां पर बैठे हुए नीमकाथाना से आये हुए माननीय सदस्य अपनी बात कहकर चले गये, बड़ी ज्ञानवर्द्धक बातें कह रहे थे। वह कह रहे थे कि हमें बड़ा सकारात्मक होकर ही इसको देखना चाहिए। यह नहीं कि हम यहां विपक्ष में बैठे हैं इसलिए हमें कोई नकारात्मक भूमिका अपनानी है या हमें कोई इस अभिभाषण के बारे में कुछ अस्वीकार करना है, ऐसा नहीं। तो मैं उन्हें कहूंगी, जब वह कहते हैं तो यह अपने दिल से पूछें कि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जितनी घोषणाएं हुई हैं, आज आप यहां पर कितनी ही तारीफ कर लें लेकिन आपको भी अपने क्षेत्र में जाना है। क्षेत्र में जनता होती है और जनता बराबर हिसाब रखती है हर चीज का। जनता वोट देती है तो इसलिए नहीं कि आप बड़े अच्छे हैं। जनता वोट देती है आपके काम के आधार पर। जनता आपको वोट देती है कि आपने जनता को क्या दिया, आपने जनता से क्या वादे किये और उन वादों पर आप कितना खरा उतरे। यही जनता का मापदण्ड होता है।

पैरेग्राफ नम्बर-10 जो इस अभिभाषण का है, उसमें इन्होंने कहा कि ''ज्ञान संसाधन केन्द्रों के रूप में अब तक 245 पंचायत समितियों एवं 7,775 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया गया है।'' अब माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से इस अभिभाषण के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यह पूछती हूं मैं सरकार से कि जो यह नरेगा योजना है, उस नरेगा योजना का मूल भाव क्या था? 60 प्रतिशत लेबर और 40 प्रतिशत मैटीरियल कास्ट। लेकिन यह राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का जो निर्माण करवाया गया है गांवों में, उसका रिजल्ट यह रहा कि 80 प्रतिशत तो इन्होंने मैटीरियल के ऊपर लगाया और 20 प्रतिशत इन्होंने लेबर के लिए लगाया और अब उसका एडजेस्टमेंट चल रहा है कि कैसे 60:40 का रेशो किया जाए। उस एडजेस्टमेंट की वजह से दो साल से कोई पक्के काम नरेगा योजना के तहत नहीं हो रहे हैं, दो साल से सारे पक्के काम बंद पड़े हैं। यह हालत बनाई है आपकी इस राजीव गांधी सेवा केन्द्रों ने, क्योंकि आपको तो सेवा केन्द्र बनाकर उस पर आपके नाम का एक भाटा लगाना था। आपने यह नहीं देखा कि नरेगा की योजना के माध्यम से जो गांवों के अन्दर विकास करना था, जो छोटे-मोटे पक्के काम करके जनता को सुविधा देनी थी, वे सारे बंद कर दिये इस एक राजीव गांधी सेवा केन्द्र ने।

बड़ी-बड़ी यहां पर बातें की गईं। माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत बड़ा काम किया हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो निःशुल्क दवा योजना प्रारम्भ की। अब निःशुल्क दवा योजना के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो मेरे राजसमन्द क्षेत्र की बात करती हूं। राजसमन्द अस्पताल 150 बैडेड अस्पताल है, उस अस्पताल में लिस्ट के अनुसार 462 दवाइयां वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन आज वहां पर दवाइयां कितनी उपलब्ध हैं? 200 से भी कम, 50 प्रतिशत से भी कम दवाइयां उपलब्ध हैं। आज से नहीं, यह जब से चालू हुई है, तब हम गये थे, उसके बाद कल की यह रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूं कि 50 प्रतिशत से भी कम दवाइयां उपलब्ध हैं केन्द्रों के ऊपर। और आप बार-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बार इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि बहुत बड़ा सुख हो गया, हमने निःशुल्क दवा दे दी। निःशुल्क दवाओं के बारे में पी.एच.सी. की स्थिति भी मैं आपको बता दूं, पी.एच.सी. कुंआरिया है, वहां पर 150 दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में 21 दवाइयां उपलब्ध हैं। हमारे वहां केलवा में पी.एच.सी. है, वहां पर 124 दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में केवल 50 दवाइयां उपलब्ध हैं। मोही में पी.एच.सी. है, वहां पर 70 दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में मात्र 30 दवाइयां उपलब्ध हैं। अब आप बताइये, कहां से इतने गुणगान गा रहे हैं कि हमने निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करा दीं? निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने की आपने घोषणा की है, पर एक-एक का अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो यह योजना केवल अपने आपको सुख देने और अपने आपकी प्रशंसा कराने के लिए है। मुझे लगता है, रोजाना मुख्य मंत्रीजी सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज तो कोई घोषणा होनी चाहिए, कोई तो योजना मुझे बनानी चाहिए। वह योजना बनाकर एक बड़ा-सा विज्ञापन देते हैं कि आज मुख्य मंत्रीजी इस योजना को लांच करेंगे, इस जिले में जाएंगे, फलां-फलां प्रभारी मंत्री जाएंगे और वे योजना का शुभारम्भ करेंगे। लेकिन उन योजनाओं की क्या क्रियान्विति हो रही है? इस क्रियान्विति को आप अगर देखो तो समझ में आएगा कि यह योजना थोथी योजना है और केवल एक झूठ का पुलिंदा है। यह निःशुल्क दवा योजना का तो मैंने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं। वे डाक्टर्स जो जनता को राहत दे सकते हैं, उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। वे ही नहीं तो हम और आगे की निःशुल्क दवा योजना और यह सारी बात क्या करें। अस्पतालों की यह हालत है कि वहां पर स्पेसिफिक डाक्टर्स नहीं हैं। हमारे यहां अस्पताल के अन्दर तीन-तीन, चार-चार डाक्टर्स ही हैं, जहां 15 डाक्टर्स होने चाहिए वहां तीन और चार डाक्टर्स। पी.एच.सी. के अन्दर कम्पाउण्डर होने चाहिए, वहां कम्पाउण्डर नहीं। जहां डाक्टर्स होने चाहिए, वहां डाक्टर्स नहीं। जहां नर्स होनी चाहिए, वहां नर्स नहीं उपलब्ध होती है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों की ऐसी हालत है कि कितने ही उप स्वास्थ्य केन्द्र खाली पड़े हुए हैं।

हम आगे चलते हैं ''मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना'', पैरेग्राफ नम्बर-13, आपने बहुत बड़ी प्रशंसा की। अभी यहां पर सिविल लाइन्स से आये हुएमाननीय सदस्य ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं और कहा कि मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के माध्यम से हमने गरीबों को कितना सुख दिया है। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि गरीबों को क्या सुख दिया गया है। जिन गरीबों

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

को, जिन बीपीएल परिवारों को माननीया वसुन्धराजी के शासन में 35 किलो गेहूं मिलता था प्रति परिवार, उन बीपीएल परिवारों को अब मात्र 25 किलो गेहूं मिल रहा है और उसमें भी 15 किलो गेहूं और 10 किलो आटा। और उसकी भी क्या स्थिति है? आप ही के कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर विराजमान हैं, वे गये थे डी.एस.ओ. के यहां, राशन की शाप में। वहां राशन की दुकान पर उन्होंने स्वयं गेहूं देखे, पेपर में बड़ी-सी न्यूज भी छपी थी। वह इससे नकार नहीं सकते थे कि ऐसे सड़े हुए गेहूं हैं। अगर मैं जाकर कहती तो आप कहते कि किरणजी राजनीति कर रही हैं, लेकिन मैं तो बता रही हूं, आप ही के माननीय सदस्य ने जाकर राशन की दुकान पर गेहूं को देखा। सीले हुए गेहूं जो शायद हम पशुओं के आगे भी नहीं डाल सकते, ऐसे गेहूं राशन की दुकान पर मिल रहे हैं। और आटा की क्या स्थिति है? आप कह रहे हैं कि 10 किलो आटा हमने दिया-15 किलो गेहूं और 10 किलो आटा। उस आटे की बोरी पर लिखा है, एक महीने से पहले इस आटे को यूज में ले लिया जाए। आटा ऐसा मोटा कि मैं कहूंगी हमारे खाद्य मंत्रीजी को, एक दिन ऐसा करो कि हमारे सारे माननीय सदस्यों को उस आटे की रोटी बनाकर खिलाओ, पता चल जाएगा आपको भी कि कैसा आटा मिल रहा है। आप उस आटे का वितरण करके यहां पर वाहवाही ले रहे हैं लेकिन आटा कैसा है कि अगर उस आटे की रोटी बना ली जाए तो वह रोटी शायद आप और हम तो क्या, कोई गरीब आदमी जो भूखा है, वह भी नहीं खा सकेगा, ऐसी हालत है उस आटे की। इतना मोटा आटा और ऐसा आटा जिसको कोई उठा नहीं रहा है, कोई ले नहीं रहा है राशन की दुकान से, पूरी बोरी की बोरियां पड़ी हुई हैं। आप 10 किलो की बात करते हैं, उसका वज़न भी करो तो उसमें आठ और साढ़े आठ किलो आटा निकलता है। उसमें भी भ्रष्टाचार, पिसाई में भी भ्रष्टाचार। दो रुपये किलो गेहूं और 3.60 रुपये किलो आटा, यानी 1.60 रुपया तो पिसाई का ले रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम एपीएल को दे रहे हैं। एपीएल को आप 10 किलो जो आटा दे रहे हैं, उसको आप 8.60 रुपया किलो दे रहे हैं। वह 8.60 रुपया किलो का आपका आटा लेने से अच्छा होगा कि वह बाजार में जाकर नौ और साढ़े नौ रुपये किलो का गेहूं ले ले। वह ज्यादा अच्छा है, राशन की दुकान में लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं होगी।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने तो चाय पत्ती भी शुरू कर दी। चाय पत्ती 140 रुपये किलो मिल रही है राशन की दुकान पर और 140 रुपये

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

किलो में भी सड़ी हुई चाय पत्ती। जाकर बाजार में ले लें 150 रुपये किलो में अच्छी चाय की पत्ती मिल जाएगी।

शक्कर हमारे यहां चार महीने से नहीं मिल रही है। चावल का तो डेढ़-दो साल से कोई नामो-निशान नहीं है। यह हालत है बीपीएल की और यह हालत है आपकी मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना की। बात कर रहे हैं, हम अन्न सुरक्षा योजना चला रहे हैं और राशन की दुकान पर कैसा आटा, कैसा गेहूं, क्या चाय की पत्ती मिल रही है और कौनसा नमक मिल रहा है और कौनसी शक्कर मिल रही है, जरा जाकर पता लगा लो। मेरे भाई, मैं आप सबसे निवेदन करती हूं, यहां बैठकर अच्छा भाषण दे दो लेकिन अपने क्षेत्र की जनता के सामने जाकर किस मुंह से उनको कहोगे कि राशन की दुकान के लिए मैंने बहुत अच्छा भाषण दे दिया, उसी से तुम अपना पेट भर लो। क्या उसी से वे अपना पेट भर लेंगे? बीपीएल के पास में खाने को नहीं है और यहां बैठकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अन्न सुरक्षा योजना करके बहुत बड़ा काम कर लिया।

(19.00 बजे)

हम आगे चलते हैं, पैरेग्राफ नम्बर 18 पर, जहां पर राज्य सरकार कह रही है कि राज्य सरकार प्राथमिकता से विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कृत संकल्प है। और भी कहते हैं कि विद्युत उत्पादन क्षमता में 3380 मेगावाट की वृद्धि की गई। अब यह बात मैं नहीं कह रही हूं, यह राज्यपाल के अभिभाषण में पैरेग्राफ नम्बर 18 में कहा गया है कि हमने 3380 मेगावाट की वृद्धि की है। आज की स्थिति यह है कि गांव के अन्दर तीन-साढ़े तीन घंटा बिजली मिल रही है और वह तीन-साढ़े तीन घंटा बिजली भी आधी रात को, रात को बारह बजे से तीन बजे तक मिलेगी, तीन बजे से रात को सुबह छह बजे तक बिजली मिलेगी। जब पूछा जाता है अधिकारियों से, क्या कारण है कि रात को बिजली मिल रही है, दिन में बिजली क्यों नहीं दे सकते? तो जवाब आता है, रात को इसलिए कि हमें बिजली खरीदनी पड़ रही है, हम बिजली खरीद रहे हैं, दिन में बिजली खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, रात को बिजली खरीदेंगे तो सस्ते भाव में बिजली मिलेगी। उनको यह चिंता नहीं है कि किसान आधी रात को ठंड के समय में कैसे अपने खेत में पानी पिलाने जाएगा, लेकिन उनको इस बात की चिंता है कि रात को बिजली सस्ती मिल रही है इसलिए रात को खरीदो। यह जनता

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की सरकार नहीं, यह किसान की सरकार नहीं, यह संवेदनहीन सरकार चल रही है जिसमें जरा भी संवेदनशीलता बाकी नहीं रही। केवल झूठी बातें करना कि हम इतना उत्पादन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप बिजली खरीद रहे हैं और तीसरी तरफ किसानों को आधी रात को भेज रहे हैं खेतों में। और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। सरकार कहती है कि हमने 14 नये संयंत्रों की स्वीकृति की घोषणा की। इसमें अधिकांश स्वीकृति तो पूर्ववर्ती जो सरकार थी माननीय वसुंधरा राजेजी की, उस सरकार के अन्दर जो हमारे बिजली के संयंत्र थे, वे संयंत्र हैं जो आज यहां पर बन रही है। केवल अपने उसमें बढ़ाने के लिए आपने कह दिया कि हम तो 14 नये संयंत्र लगा रहे हैं।

अभिभाषण का पैराग्राफ नम्बर 21 है, उसमें बांसवाड़ा जिले में रतलाम-डूंगरपुर रेल लाइन के लिए अंशदान देने का उल्लेख किया है। बिजली संयंत्र के लिए कोयला परिवहन की विवशता के कारण यह किया गया है। आज मैं आपको बता दूं कि बड़ी सादड़ी, मावली और मारवाड़ जंक्शन तक राज्य की सबसे पुरानी मीटर गेज ट्रेन चल रही है। एक तरफ आप वाहवाही ले रहे हैं कि पचास परसेंट हम लोग दे रहे हैं रेल विभाग को, लेकिन दूसरी तरफ यही सरकार वह जो रेलवे स्टेशंस हैं मावली से लेकर मारवाड़ जंक्शन तक के, उनको सब को फ्लैग स्टेशन बना रही है, वहां के रेलवे स्टेशंस खतम कर रही है सब को फ्लैग स्टेशन बनाकर और अपना कह रही है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यानि जहां सुविधा थी वह सुविधा और बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिये, ब्राड गेज बनाने की बात तो छोड़ दीजिये, मीटर गेज को भी बंद करने की स्थिति में आ रही है यह सरकार, इस तरीके की बात हो रही है।

पैरेग्राफ नम्बर 25 पर आपने कहा कि पेयजल समस्या के स्थायी निराकरण हेतु राज्य सरकार ने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार अधिक से अधिक सतही जल पर आधारित परियोजनाएं स्वीकृत कीं, भूजल पर आधारित पेयजल स्रोत को टिकाऊ बनाने की नीति अपनाई। मैं आपको फैक्ट बताऊं तो आपने राजसमंद जिले को, पूरे जिले को डार्क जोन घोषित कर दिया। कितनी जगह जल उपलब्ध है, कोई सर्वे तो किया होता। जल संसाधन मंत्रीजी, आप यहां विराजमान हैं, कुछ तो सर्वे किया होता राजसमंद जिले का कि कहां पर डार्क जोन है, कहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, उसको आप डार्क जोन बनाते। आपने पूरे जिले को डार्क जोन घोषित कर दिया। अभी आपके यहां पर जब मैं आ रही थी इस भवन के अन्दर, तो यहां पर ही मुझे एक कर्मचारी कहता है,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

किरणजी, मैं आपके विधान सभा क्षेत्र से हूं, क्या आप एक हैण्ड पम्प लगा सकती हैं मेरे यहां पर। मुझे वह बड़ी आशा के साथ कह रहा था कि एक हैण्ड पम्प मेरे गांव में लगा दीजिये। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि मैं वहां से चुनी हुई जन प्रतिनिधि तो हूं लेकिन वहां पर एक हैण्ड पम्प नहीं लगा सकती, एक ट्यूबवैल नहीं कर सकती, एक कुआ नहीं खुदवा सकती, अपने एमएलए लैड से भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपने उसको डार्क जोन बना दिया। जो ट्यूबवैल आलरेडी खुदा हुआ है उसके ऊपर मोटर भी नहीं लगा सकती, इस तरीके का आदेश आपके यहां से विभाग से निकलता है। आप सोचिए कि कौन-सी जल सुविधाएं आप दे रहे हैं, कौन से जल वितरण के काम आप कर रहे हैं। जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद करके। न हैण्ड पम्प खुद सकता है, न ट्यूबवैल खुद सकता है। ठीक कहा मेरे भाई ने कि यहां पर जो कंटिंजेंसी का फंड था, वह कंटिंजेंसी का फंड भी अब सरकार में नहीं है। किसी तरीके का कोई कंटिंजेंसी फंड नहीं। एक हैण्ड पम्प भी खुदवाना है तो एमएलए लैड से। अब मैं तो राजसमंद की हूं और राजसमंद डार्क जोन में हो गया इसलिए हम तो एक हैण्ड पम्प भी नहीं दे सकते, जबकि पर्याप्त पानी है वहां पर। सर्वे फिर से कराइये, माननीय मंत्रीजी और देखिए कि जो डार्क जोन में आ सकता है उसे डार्क जोन में डालिये, पूरे जिले को डार्क जोन में मत डालिये।

आपने कहा कि हम लोग निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम कर रहे हैं, बड़ी बातें कीं आपने यहां पर सिंगल विंडो सिस्टम की। वह सिंगल विंडो सिस्टम कैसा? वहां पर दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। राजसमंद नगरपालिका क्षेत्र की और राजसमंद जिले की बात अगर करूं तो हमारे यहां पर जो मार्बल उद्योग है, उस मार्बल उद्योग के साथ में खिलवाड़ चल रहा है, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट रोते फिर रहे हैं वहां के लोग, वहां पर सैंक्शन नहीं हो रही है। कभी पर्यावरण विभाग कुछ एनओसी की मांग करता है तो कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है इसमें नहीं होगा। तो कौन-सा सिंगल विंडो सिस्टम इस राजस्थान में चल रहा है, यह समझ नहीं आ रहा है। राज्य सरकार की इतनी अव्यावहारिक नीतियां और विभिन्न विभागों में एकरूपता का अभाव सामने दिख रहा है कि किस तरीके से यह काम हो रहा है।

आप जो सारे ऋण की बातें कर रहे हैं कि महिला उद्यमियों को ऋण दिया, हमने युवाओं को ऋण दिया मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अन्दर,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ऋण की यह स्थिति है कि सैंक्शन तो हो जाता है लेकिन उसका डिस्बर्समेंट नहीं होता है। ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है लेकिन जितना हम लोगों को मिलना चाहिए, वितरण होना चाहिए, वह वितरण नहीं हो पाता।

32 नम्बर का जो पैरेग्राफ है, इसमें इन्होंने बहुत बड़ी बातें कहीं कि 15 अगस्त, 2009 तक बसे हुए परिवारों का सर्वे करवाया जा रहा है और उसमें हम तीन सौ वर्ग गज तक के भूखण्ड का नियमितीकरण कर देंगे। कर दिया है, यह लिखा है इन्होंने। योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किये जा रहे हैं राजीव आवास योजना के रूप में। अब इसकी अगर रियलिटी में देखेंगे तो स्थिति यह है कि आज तक एक भी भूखण्ड, पूरे राजस्थान की बात कर रही हूं, राजसमंद की नहीं, पूरे राजस्थान में एक भी भूखण्ड इन्होंने कहीं भी नियमित नहीं किया है पिछले तीन साल में और यहां पर बड़ी बात कह रहे हैं कि राजीव आवास योजना बना रहे हैं। कौन-सी राजीव आवास योजना? जहां पर भूखण्ड का अलाटमेंट नहीं हुआ? वह परमानेंट नहीं किया? कच्ची बस्तियों का जो नियमितीकरण करना था, वह नहीं किया। केवल सर्वे ही हो रहा है और वह सर्वे भी पता नहीं, कब तक चलता रहेगा, यही बात चलती रहेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल, मैं टू द पाइण्ट कह रही हूं, मैं कोई भी बात इधर-उधर नहीं कर रही हूं।

श्री सभापति: You are right but the time is there.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): I want only 5 minutes.

इसके बाद पैरेग्राफ नम्बर 38 है जिसमें इन्होंने कहा कि पशुधन विकास नीति तैयार की गई। ये सब आपकी नीतियां, योजनाएं लोगों को गुमराह करने के लिए आप लोग बनाते हैं। आप कहते हैं कि हम पशु चिकित्सा की संस्था जहां नहीं है, वहां प्रत्येक माह पशु चिकित्सा शिविर लगाएंगे। जरा यहां से फोन करके पूछ लीजिये, माननीय मंत्रीजी, राजसमंद जिले के अन्दर वर्ष में एक बार यह पशु चिकित्सा शिविर लगता है। आप तो कहते हैं, महीने में एक बार। साल में एक बार पशु चिकित्सा...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप दिल्ली रहती हैं इसलिए पता नहीं है। लगता है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अच्छा। आप यहां से कुछ भी कमेंट कर दीजिये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कुछ है वह तथ्य है और वह तथ्य आप पता कर सकते हैं।

भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से जिला राजसमंद में रेलमगरा के अन्दर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की, हमारे सांगानेर से आये हुए वरिष्ठ सदस्य आदरणीय घनश्यामजी ने कहा, और सब तो कहीं उपलब्धि नहीं दिख रही, एक उपलब्धि दिख रही है कि आपने राजसमंद में एक मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की, लेकिन मैं उनको भी यह कहना चाहूंगी कि यह केवल थोथी घोषणा है। वहां शिलान्यास हुआ है, पट्टा लगा है, पत्थर लगा है, उसके ऊपर बड़े-बड़े मंत्रियों के नाम डाले हैं लेकिन हालत यह है कि वहां एक भी फावड़ा नहीं चला है, छह महीने हो गये। सितम्बर के अन्दर इसका शिलान्यास हुआ और अभी फरवरी चल रही है, आज तक वहां कुछ भी नहीं हुआ है। यह केवल यहां अच्छा लगता है, वहां फील्ड में जाओ तो कुछ नहीं दिखता है, यह स्थिति है वहां पर। और दूसरा, आनलाइन की बातें कर रहे हैं, आनलाइन की यह स्थिति है कि खुद अभिभाषण की कापी कल चार घंटे तक आनलाइन पर डाली नहीं गई थी आपके द्वारा।

यहां सब कह रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण मेडिकल मोबाइल सर्विस योजना, अब इस योजना को देखो। राजीव गांधी ग्रामीण मेडिकल मोबाइल सर्विस योजना, इसकी यह स्थिति है कि राजसमंद जिले में दो वैन आई, देवगढ़ और भीम में, लेकिन वे वैन कहीं यूज में नहीं आ सकतीं क्योंकि कोई स्टाफ नहीं है, ड्राइवर नहीं है, डाक्टर नहीं है उसके अन्दर। वह केवल कहने के लिए योजना है, वैन तो भेज दिये लेकिन वह कहीं यूज में नहीं आ रहा है।

आपने कहा, अनिवार्य शिक्षा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान के अन्दर हम लोग शिक्षा दे रहे हैं सभी बच्चों को। हालत यह है राजसमंद जिले के, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कि राजसमंद जिले के 74 ऐसे स्कूल्स हैं, प्राइमरी और मीडिल स्कूल्स, जहां पर एक भी टीचर पढ़ाने वाला नहीं है। 114 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर मात्र एक टीचर है पढ़ाने वाला। और तो और, सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी के स्कूल्स हैं वहां पर कहीं पर भी सब्जैक्ट टीचर्स नहीं हैं। ये सारी स्थितियां हैं और हम कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। कौनसी शिक्षा दे रहे हैं? जहां पर स्कूल्स में पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है? अभी बड़ा उत्साहवर्द्धन नीमकाथाना से आए हुए हमारे माननीय सदस्य कर रहे थे कि इतनी सारी साइकिल वितरण की हैं। (व्यवधान) आपका तो धर्म है न, आपको तो वही बताना है लेकिन फर्ज भी थोड़ा निभा लो।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें आप। माननीय सदस्य, प्लीज समअप नाऊ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल, आई विल सम-अप।

यह जो बात कह रहे हैं कि इतनी सारी साइकिल वितरण करने से हम इंस्पायर कर रहे हैं। अरे, इंस्पायर तो आप वहां पर टीचर्स लगाओ तो अपने आप बच्चे इंस्पायर होंगे पढ़ने के लिए। आप साइकिल देकर यह सोच लोगे कि हमने बच्चों को पढ़ा लिया तो वह ठीक नहीं होगा। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजीव गांधी क्लब योजना-राजीव गांधी विज्ञान क्लब योजना में जाएंगे तो गहराई में पता चलेगा कि आज तक कहीं पर भी ये विज्ञान क्लब चालू नहीं हुए। किसी विद्यालय में चालू नहीं हुए, यह केवल कागज में दिखता है कि राजीव गांधी विज्ञान क्लब योजना है। राजीव गांधीजी को आप क्यों बदनाम कर रहे हो? आपके बड़े नेता रहे हैं, उनके नाम से इतनी सारी योजनाएं आपने बना दीं लेकिन एक भी योजना कहीं फील्ड में नहीं है, एक भी योजना कहीं क्रियान्वित नहीं हो रही है। ऐसी जो हालत बनाई है इस पूरे राजस्थान की...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब प्लीज सम-अप करें आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल। अब लास्ट में, इन्होंने कहा कि हम लोग यहां पर न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार ला रहे हैं। उदयपुर में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने के लिए पचास सालों से आंदोलन चल रहा है। वह उन्हें नहीं दिख रहा है कि वहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन कुछ-न-कुछ अपने स्वार्थ के कारण जोधपुर के कुछ विधि व्यवसायियों के व्यवसाय हितों की रक्षा के लिए सरकार इस न्यायोचित मांग को अनदेखा कर रही है। इस सारी चीज के अन्दर जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र रूपी राज के दो पहिये पक्ष और विपक्ष हैं तो यह मत सोचिए कि हम लोग अगर विपक्ष में बैठे हैं तो हम केवल आपकी कमियां निकालने के लिए बैठे हैं। मैंने जो कुछ इस अभिभाषण के लिए कहा, एक-एक पाइन्टवाइज आपको बताया है कि जितनी योजनाओं की आपने इसमें घोषणा की है उन योजनाओं को फील्ड में हम कहीं नहीं देख रहे हैं। इसलिए हण्ड्रेड में से जीरो मार्क्स इस अभिभाषण को मिलते हैं और इसलिए मैं कहती हूं पूरे सदन को कि पूरा सदन इस अभिभाषण को अस्वीकार करे। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रणवीर पहलवान।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, 35 वर्ष पहले मैं तो सिपाही था और आप मेरे कंपनी कमाण्डर थे, मेरे को इतने समय तक टाइम नहीं दिया तो आप मुझे तो वही सिपाही मान रहे होंगे। मेरी बात को दोनों पक्ष ध्यानपूर्वक और प्रेमपूर्वक सुनेंगे। मैं पक्ष-विपक्ष तो हूं नहीं। पन्द्रह-बीस निर्दलीय हुआ करते थे, डीजल-डीजल में उधर चले गये और एक बचा है, यह भी कल उपाध्यक्ष बन ही जाएगा। अकेला बचूंगा, एक घंटा तो मेरा ही बचना चाहिए। सभापति महोदय, मैं कल तक भी बोल सकता हूं लेकिन मिनट दस ही लूंगा और काम की बात करुंगा। मैं आशा करता हूं आपके माध्यम से कि बहुत सीनियर बैठे हैं, वे सुनेंगे।

हमने यह करवाया, हमने वह करवाया, अपने घर से पैसा लाकर राज्यकोष में जमा करवाये थे क्या ये? ये पैसे जनता के हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने यह करवाया है। राज्य सरकार का काम है उस पैसे का सदुपयोग करना और जनहित में लगाना। वह पैसा यह नहीं कि मैं मेरे फूफाजी के, दादाजी के नाम और फलाना के नाम उनका बोर्ड लगाता रहूं और जनता का पैसा खर्च होता रहे। चुनाव से पहले कहा कि 60 हजार करोड़ किसानों के माफ किए जाएंगे। भारत में एक रुपया माफ हुआ है तो बता दें। एक लाख नौजवान प्रति वर्ष भर्ती किए जाएंगे। वे कहां कौन से राज्य से किए हैं, यह बता दें।

मैं आपके माध्यम से मेरे प्रश्न के उत्तर की तरफ ध्यान करवाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया-बढ़िया प्लानिंग चलाई, देखने में लगता है कि राज्य पूरा खुशहाल और निहाल हो गया। हरित राजस्थान एक योजना चलाई थी, माननीय सभापति महोदय, उसमें मेरे अतारांकित प्रश्न 4778 का उत्तर आया कि टौंक जिले के अन्दर एक लाख छियासी हजार पौधे लगाये गये और एक पौधे की कीमत 314 रुपए आयी, जबकि राज्य के अन्य ज़िलों के अन्दर 34 रुपए से ज्यादा नहीं है। यह छह करोड़ का शुद्ध घोटाला हुआ है। इसका जोड़ लीजिए आप, प्रश्न संख्या 4778 है, इसमें कोई चूक नहीं है। इसमें उत्तर आया कि एक लाख छियासी हजार सत्रह पौधे लगाए गए हैं। टौंक जिले की जितनी जमीन है उसका टोटल का गुणा इन पेड़ों से किया जाए तो दो मीटर के अन्दर एक पौधा आता है। पहाड़ और तालाब इसमें से निकाल दें तो दो मीटर पर वह एक पौधा आता है। वह कहां लगा, यह बताएं और आप भी इस पर विचार कर लें।

दूसरा बताया गया कि बीपीएल में गेहूं फ्री दिया जाता है, दो रुपए किलो दिया जाता है, आटा दिया जाता है। सभापति महोदय, कांग्रेस की

(श्री रणवीर पहलवान)

सरकार खेतीबाड़ी तो करती नहीं है, ये गेहूं कहीं-न-कहीं से तो खरीदे जाते होंगे। ये गेहूं अगर समर्थन मूल्य से कम भाव में खरीदे जाते हैं तो मैं खुश हूं और उससे ज्यादा भाव में खरीदे जाते हैं तो शुद्ध भ्रष्टाचार है। राज्य के अन्दर किसान का गेहूं खरीदने के लिए समर्थन मूल्य की दुकान होनी चाहिए जिससे उस किसान का भला होता। और वही उस किसान को बांट दिया जाता तो यह एक ठीक सिस्टम हो जाता। यह अनाज समर्थन मूल्य से दो गुणा राशि में खरीदा जा रहा है और दो रुपए किलो में बांटकर जनता के पैसे का दुरुपयोग और घालमेल इसमें की जा रही है। इसकी जांच करवा ली जाए। दुकान खुलवा दीजिए न समर्थन मूल्य की। तीन बरस हो गए, एक ग्राम अनाज कहीं किसान का खरीदा हो। और आप बांटने पर लगे हुए हो दो रुपए किलो, एक रुपए किलो में। घर से ला-लाकर जमा करवाया तो क्या यह अनाज? यह अनाज तो कहीं से खरीदते होंगे और यह अनाज समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदा जाता है तो सरकार की नीयत यह है कि किसान का अनाज नहीं खरीद कर बाहर से खरीदेंगे। मनमर्जी की पेमेंट दे देंगे और बिल लगा देंगे। वह तो काम समझते ही होंगे। राज्य सरकार ने राज्य में से क्यों नहीं खरीदा? उत्तर प्रदेश से क्यों खरीदा और बिहार से क्यों खरीदा? (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, मैं आपका समर्थन करता हूं, यह तो साफ हो जाएगा। हमारे राज्य में कहां दुकान खुली है समर्थन मूल्य की और किस जिले से खरीदा गया है, यह बता दें?

एक माननीय सदस्य: कृषि उपज मण्डी में है, हर कृषि उपज मण्डी में खरीदा गया है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हमने ठेकेदारी ली है क्या उत्तर प्रदेश, बिहार से अनाज खरीद कर लाने की? हमारे राज्य में 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, किस विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दुकान खोली?

एक माननीय सदस्य: कृषि उपज मण्डी में अनाज केन्द्र खुला था और वहां जमकर खरीद हुई है जुलाई तक। आप असत्य बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, हर गरीब किसान का माल सेठ खरीदता है और सेठ उसको सप्लाई करता है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): यह गेहूं कहां से खरीदा गया? यह शुद्ध चोरी नहीं तो और क्या है? बाहर से खरीदने का मतलब तब है जब राजस्थान में अनाज नहीं हो रहा। हम चिल्ला-चिल्लाकर मर गये कि समर्थन

(श्री रणवीर पहलवान)

मूल्य की दुकान खोल दें ताकि किसान अनाज बेच दें। बाजरा 400 रुपए क्विंटल बिका था और उसको चक्की में ऊपर से डालकर नीचे निकालने में छह रुपए किलो पिसाई लगती है। वह तो एक मिनट में डल के छह रुपए किलो हो गया और चार महीने जिस किसान ने खेती की है वह तो केवल चार ही रुपए किलो ले रहा है उस पर। राज्य में किससे खरीदा? हम मानते हैं, अगर राज्य सरकार की नीयत साफ होती तो राज्य सरकार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र या सब जगह पर अनाज क्रय केन्द्र खोलती। राज्य के किसान का अनाज समर्थन मूल्य पर बिकता और फिर उसको आप डेढ़ रुपए किलो में बांटते, फ्री में बांटते, वह मर्जी आपकी। पचास हजार रुपए बीपीएल के मकान बनाने की ठेकेदारी कर ली। अब यह ऐसी नौबत है कि पचास हजार में एक जंगला और दो गेट नहीं आ सकते। उस बीपीएल वाले के पास कमीज है नहीं, उसकी कुहनी के गुड़ लगा दिया, वह न तो खा सकता और न बेचारा मर सकता, उस गुड़ को यहीं लगाये रखेगा वह। या तो उसका एक कमरा या दो कमरा जो भी पैसे का बनता है, उसका एस्टीमेट बनवा दे। 18 हजार रुपए उसके बाथरूम के लिए दिए जा रहे हैं, मकान उसका कच्चा पड़ा है और बाथरूम पक्का। अरे, निपट तो बाहर भी आएगा। किसी दिन बारिश में उसका कच्चा मकान गिरेगा। उसके मकान के एक-दो कमरे पक्के बन जाएं, यह होना चाहिए। आपका कोई पैसा नहीं है, यह पैसा जनता का है, उसका सदुपयोग करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है।

राजीव गांधी भवन। राजीव गांधी भवन प्रत्येक जगह दस-दस लाख के बनाये गये। ऐसा है कि नरेगा का पैसा है यह और नरेगा के पैसे का एक नियम है कि 40:60 के रेशो से ही पैसा लगाया जाएगा। वह 40 परसेंट का सिस्टम देखे बगैर एक आदेश दिया गया कि प्रत्येक पंचायत के हैडक्वार्टर पर एक राजीव गांधी भवन होगा और पंचायत के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। पक्का काम इतना ज्यादा हो गया कि वे दस वर्ष पक्का काम करें तो उनकी भरपाई होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर रामनारायण जी यहां बैठे हैं, 360 करोड़ रुपए टोंक जिले को एक साल में नरेगा के अन्दर मिलते हैं और 80 करोड़ के ऊपर कभी खर्च नहीं कर पाये हैं। वही अगले साल फिर कह देते हैं। तो यह ढिंढोरा पीटने से अच्छा है, 100 दिन के रोजगार में 100 रुपए के हिसाब से एक परिवार को दस हजार मिलते हैं, दस-दस हजार रुपए आप उनको डायरेक्ट ही दे दो तो वे जी तो जाएंगे। ढंग से आकर शहर में मजदूरी

(श्री रणवीर पहलवान)

कर लेंगे, यहां तीन सौ रुपये एक मजदूर को मिलते हैं, वहां काट-पीट कर बीस रुपये देते हैं। बीस रुपये में वो परिवार बैठा रहता है, यह विचार करने योग्य बिन्दु है 10 लाख रुपये का। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई कि इसमें एक सौर बिजली का पैनल लगाना था, जिसको सबसे पहले बताया गया कि डेढ़ लाख रुपये में यह लगेगा और बाद में उसकी कीमत बढ़ा कर साढ़े तीन लाख रुपये कर दी। दो लाख रुपये के हिसाब से साढ़े नौ हजार पंचायतें राजस्थान में हैं, ये रुपये कहां से आये और क्यों बढ़ाये गये, जबकि वो पैनल मैं दिलवा देता हूं, डेढ़ लाख रुपये का है ही नहीं वो। उसका साढ़े तीन लाख रुपये का भुगतान। यानी साढ़े तेरह लाख रुपये का राजीव गांधी भवन पड़ गया। मंत्री जी और मैं उसका उद्‌घाटन करने गये तो उसके अन्दर गधे और गधियां बैठे हुए थे। वो निकाले बीडीओ और उन्होंने। कोई काम नहीं आएंगे राज्य की जनता के ये, गांव से बाहर हैं। ज्यादा से ज्यादा कुकर्म हो सकते हैं और बड़ी-बड़ी चीजें होंगी। हमारी प्रार्थना थी कि गांव से स्कूल तक एक पक्का रोड चला जाए तो उसमें गांव वालों को सुविधा होगी, पैसे का सदुपयोग हो जाएगा। गांव के छत्तीस कौम के बहन-भाई स्कूल जाते हैं, और भी काम आता है। लेकिन वो नहीं किया। उस पर हमें आपत्ति नहीं थी। राजीव गांधी भवन की तरह वो रोड बनवा कर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का पत्थर लगवा देते, हमें कहां आपत्ति है? लेकिन वो रोड सारे गांव के काम आ जाता। ये गांव से एक किलोमीटर बाहर है कहीं, कहीं और है, इसमें क्या काम आएगा, यह हमारे को समझ नहीं आया आज तक। समझ आ जाए तो आप जरूर बताएंगे।

देखो, साहब, एक इससे भी बड़ा जुल्म है और सबके सामने है। सांगानेर से भीलवाड़ा जाने का एक रोड का आज से तीन वर्ष पहले टेण्डर किया गया। अपने मुख्य सचेतक जी भी यहां बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। यह मालपुरा-केकड़ी होता हुए भीलवाड़ा जाना था। ढाई वर्ष पहले इसका टेण्डर कर दिया। एक कंपनी ने ले लिया। दूसरा रोड वर्तमान में किशनगढ़-नसीराबाद होकर भीलवाड़ा जाता है। अगर केकड़ी वाला रोड बनता है तो करीब पचास किलोमीटर यह रूट कम हो जाता है। सभापति महोदय, मेरी तरफ देखते रहो चाहे करवाना कुछ भी मत, प्रार्थना है मेरी। मैं ये तो सोचूंगा कि मेरी बात आप तो सुन रहे हो कम से कम। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि आपकी समझ में एक मिनट में आएगा। जयपुर से कोई वाहन किशनगढ़-नसीराबाद होकर भीलवाड़ा जाता है तो पचास से साठ किलोमीटर ज्यादा पड़ता है और यह रोड बन जाता है तो सत्तर प्रतिशत ट्रैफिक यहां से जाना शुरू हो जाएगा। जो कंपनी

(श्री रणवीर पहलवान)

टोल ले रही है उसे एक महीने में पच्चीस करोड़ रुपये का घाटा होता है। वो ठेकेदार और सरकार मिलकर उससे पांच करोड़ महीने का लेकर ढाई साल उसको लेट कर दिया। आज तक राज्य में ढाई साल तक कोई टेण्डर रह गया हो तो वो बता दो। अगर वो कंपनी खराब है तो उसको हटाओ। उस पर पाँच लाख पैनल्टी लगाई जाती है और उसके टेण्डर की कीमत और बढ़ा दी जाती है और वहां उस टोल वाली कंपनी से मिल कर उस पैसे की बंदरबांट बदस्तूर सरेआम हो रही है। उस रोड के ऊपर तीन-चार कांग्रेस के मंत्री हैं-यहां से फागी तक तो माननीय बाबूलाल जी हैं, आगे नमोनारायणजी मीणा हैं, आगे पूरे भारत के रोड मंत्री सी.पी. जी जोशी हैं, रघु जी शर्मा हैं। रोड पर ढाई-ढाई फीट गहरे सड्डे हैं, वो रघु जी मना करें तो मैं दिखा लाऊंगा। ढाई वर्ष से अगर उस रोड पर कोई काम चल गया हो थोड़ा-सा भी। सरकार कहती है कि इस पर हमने टेण्डर छोड़ दिये इसलिए काम नहीं कर सकते। ठेकेदार कहता है कि मुझे लेट करने दो, एक करोड़ मैं रखता हूं और चार करोड़ आप जीमते रहो और इसको लेट होने दो। मेरी गारंटी है, अगर यह काम नहीं हो तो। कौनसा ठेकेदार सरकार का दामाद लगता है, हटाओ उसको, दूसरे को दे देते। बहुत बड़ी चोरी की जा रही है।

इतना बड़ा किसानों का भला केवल राजस्थान में ही नहीं समस्त भारत में किया है अबकी बार। कोई परमाणु बम नहीं गिरा था, कोई महामारी नहीं आयी थी, कोई किसी देश से हमारी लड़ाई नहीं हुई थी, खाद का कट्टा साढ़े पांच सौ रुपये का ग्यारह सौ रुपये उस समय किया जब समस्त भारत का किसान फसल बीजने के लिए तैयार था। पिछले साल पूरे भारतवर्ष में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये खाद बिकी थी वो 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपये की कर दी। यह किसलिए किया गया? ऐसा देश पर कौन-सा संकट आ गया था जो खाद को साढ़े पांच सौ रुपये से ग्यारह सौ रुपये कर दिया? इसमें बड़ी भारी गड़बड़ और भी हुई है।

सरकार के पास एक बहुत बड़ी बंदूक है सीबीआई नाम की, जी चाहे जिसको तो जीवनदान दे देती है और जी चाहे जिसकी गर्दन पकड़ कर सीधे अन्दर। आपने सुना होगा, इतनी बड़ी ख्याति पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र की भ्रष्टाचार में। सूड़ान-फूडान से भी ऊपर आ गये हैं भगवान की दया से। जो सारे गिरे से गिरे देश थे, उनसे भी प्रथम आ चुका है भारत। 1 लाख 76 हजार करोड़ का एक घोटाला हुआ, साठ हजार करोड़ का एक हुआ कामनवैल्थ घोटाला। ये दो लाख छत्तीस हजार करोड़ रुपये हुए।

(श्री रणवीर पहलवान)

सभापति महोदय, जब भी चोर को पुलिस पकड़ती है तो सबसे पहले चोरी का माल बरामद करती है और यह चोरी का माल कोई सौ-दो सौ रुपये, पांच सौ-हजार, दस-बीस हजार रुपये नहीं थे कि वो चोर खा गया होगा। ये दो लाख छत्तीस हजार करोड़ रुपये थे। खाने की स्पीड पैट्रोल से भी ज्यादा है तो एक सौ करोड़ खा गये होंगे, दो सौ करोड़ खा गये होंगे, एक हजार करोड़ खा गये होंगे। 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपये हैं तो क्या सीबीआई इस देश की नाकाम रही उनको बरामद करने में? वो पैसे वहां-वहां से निकलते तो यह सरकार नहीं रहती कभी भी और यह पार्टी नहीं आ सकती थी। मेरी गारंटी है, उन घरों से वो पैसे निकल कर आते। सीबीआई को दबा दिया गया और दो आदमियों की गर्दन पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उनके कौन बयान लेगा, उनकी कौन सुनेगा? उनको पूर्ण रूप से चोर बना दिया। सिपाही एस.पी. की तफ्तीश करता मैंने तो इसी राष्ट्र में देखा है। प्रधानमंत्री के रोल की सीबीआई जांच करेगी। पैसे का इतना बड़ा घोटाला, चीख-चीख कर पूरे सबूत कह रहे हैं। हाई कोर्ट इस सरकार के बारे में कह रहा है, मैं गन्दा कह दूंगा, बीजेपी के भाई कह देंगे तो आप कहोगे प्रतिपक्ष है। हाई कोर्ट तक ने कहा है कि इतिहास की सबसे गन्दी निकृष्ट सरकार है। मैं तो नहीं कह रहा, यह तो बात असत्य नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश हैं, सीबीआई इस राष्ट्र में वो तांडव रच रही है घोटाले के अन्दर। मायावती पर आरोप लगे, मायावती पर मुकदमे दर्ज हुए। उसके एम.पी. ज्यादा जीत कर आ गये। समर्थन लेना था सेन्टर में उसका तो सारे मुकदमे वापस ले लिये गये।

सभापति महोदय, बड़ी विचार करने योग्य बात है कि एक स्त्री को मार दिया गया और उसे इतनी बेरहमी से गड्ढे में डाल कर जलाया गया कि उसकी हड्डियां तक जल गईं, पर उसकी घड़ी चालू मिल गयी। यह क्या सीबीआई है? मेरे को पता नहीं, यह सीबीआई की कौनसी जांच है। चालू घड़ी। उसका हाथ भी तो बचा होगा, फिर वो हाथ दिखा दो हमारे को। कभी इस राज्य को महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल और कितनों के नाम गिनवाऊं पन्नाधाय, मीराबाई, हीरे-मोती, रत्न, विद्वानों के नाम से जाना जाता था, पर आज भारत के किसी भी राज्य में चले जाओ, भंवरी देवी के नाम से तो इस राज्य को जानने लग गये। भंवरी देवी के अलावा दूसरा नाम नहीं रह गया। कहां से आये हो? राजस्थान से। तो पूछते हैं कि तुम्हारे यहां भंवरी कौन है? तो कहते हैं कि क्या बताएं? दुर्भाग्य है, देश का कि किसका, भगवान जाने। ये

(श्री रणवीर पहलवान)

चीजें मेरी जरूर अंकित की होंगी। और यह जांच करवाने योग्य चीज है। भाषण की बात हो तो, सभापति महोदय, सबके पास है, ये सारे के सारे भाई बोलना जानते हैं और बोलकर ही एमएलए बनकर आये हैं। इतने घोटालों के ये कागज हैं कि इसमें एक भी चीज बिना घोटाले के बची हुई नहीं है। मेरे खयाल से दीवान बैठे हैं, यह चीज ये नोट कर रहे हैं। इन सबकी जांच करवायी जाए तो ये सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

अभी उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तीन सौ वर्ष पुरानी है। तो आज तो नेता कांग्रेस के अलावा पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले इस पार्टी से जब हाथ मिलाओ तब नेता बनेगा। नेता रोज पैदा होते हैं और रोज मरते हैं। पार्टी कितनी ही पुरानी हो, वो पार्टी आज बची ही नहीं। उस पार्टी में ए.राजा था क्या? सुरेश कलमाड़ी था क्या? भंवरी के खसम थे क्या उसमें? वो गांधी की पार्टी थी, भारत में दो भारत बन चुके हैं। एक गरीब जो भारत है और एक सेठ-साहूकार जो इंडिया है। इंडिया और भारत की लड़ाई है यह। यह इंडिया की पार्टी है, भारत की पार्टी नहीं है। नहीं तो किसान पूरे भारत का जब बीज बो रहा था तो पांच सौ का कट्टा ग्यारह सौ का नहीं होता। 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये की खाद ठीक दुगनी कीमत में किसान को नहीं खरीदनी पड़ती। डकैती सेन्टर में मार रहे हैं। मंत्री और किसानों की जेब से पैसे वसूल करके भर रहे हैं। यह डकैती प्रत्येक मजदूर और किसान की जेब पर लगी है। दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये और ये पैसे कहां-कहां गये हैं? इस देश की सीबीआई एक दांत खोज रही है, पूंछ खोज रही है, घड़ी खोज रही है लेकिन 2 लाख 76 हजार करोड़ रुपये जैसी रकम वो खोजने में कामयाब नहीं रही है, तो सीबीआई ने तो कमाल ही कर दिया। क्या है वो सीबीआई? सीबीआई एक ऐसी चीज हो गयी कि हम पर आरोप नहीं लगे और उस बन्दूक के माध्यम से...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): टाइम ज्यादा नहीं है लेकिन बात सही है मेरी। सभापति महोदय, मैं अड़ूंगा नहीं। काम की बात तो इतनी-सी थी, वो मेरे खयाल से समझ में आ गयी होगी। अब मैं कोई कृष्ण लीला, राम लीला करने तो आया नहीं।

मैं आशा करता हूं कि केकड़ी का रोड चालू करवाया जाए, खाद का रेट घटाया जाए, राजीव गांधी भवन की जगह गांव में एक-एक पक्की सड़क बनवा

(श्री रणवीर पहलवान)

दी जाए तो जनता प्रेम से चल लेगी। खाद का तो घटाओगे नहीं, पर बाहर से गेहूं मंगवा कर दो रुपये किलो दे रहे हो तो दुकान खुलवाकर यहां के किसानों का अनाज खरीद लो, आपकी इज्जत बढ़ेगी। किसान भी जिन्दा रह जाएगा और उस गरीब को भी अनाज मिल जाएगा। ये सारी चीजें यहीं से लेकर यहीं देनी हैं, फिर अपन बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? मंत्रीजी कह रहे थे कि हम समर्थन मूल्य पर ही खरीद रहे हैं, तो इस राज्य में तो किस विधान सभा क्षेत्र से खरीदा गया? दो सौ बैठे हैं यहां। कोई रात को ट्रक भरवा लाये हों तो पता नहीं। उसकी दुकान तो हमने देखी नहीं है कि समर्थन मूल्य की दुकान यह है। आज सरसों बड़ी भारी है, वह खरीदी जा सकती है। आपके पास तिलम संघ है, उसमें तेल निकलवा कर जनता को सस्ता तेल दिया जा सकता है। आज 90 रुपये किलो तेल हो गया, 400 रुपये किलो मूंग बिके हैं, 80 रुपये किलो मूंग की दाल बिक रही है। दाल मिल लगाई जा सकती है। किसान से मूंग खरीद कर उसकी दाल बनाकर किसान को लौटाई जा सकती है। सरकार के पास सारे संघ हैं-तिलम संघ है, फलाना संघ है, किसान अपने अनाज के लिये दाल मिल नहीं लगा सकता, तेल मिल नहीं लगा सकता। सभापति महोदय, ये चीजें करके उसी को वापस दे दिया जाए।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 9-9 रुपये किलो तो आटा पिसाई है। आटा देने के बजाय गेहूं दे दिया जाए तो थोडी बहुत बहन-बेटियों की कसरत भी हो जाएगी। हैण्ड मेड चक्की तो गांवों में हैं, वे अपने आप आटा पीस लेंगी। इतनी मेहरबानी मत करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, मेरी बात तो सही है न? कोई गलत तो नहीं कही न मैंने? इसी देश के आप भी हो और इसी देश के हम भी हैं, हम एक-एक को विचार करना चाहिये इस बात पर। मेरा यह आरोप नहीं है कि आपकी सरकार गंदी है, आपकी पार्टी का नाम गंदा है। आप सब इस पार्टी से दूर राजस्थान के और भारत के नागरिक हो, देश को संभालना हम सबका कर्तव्य है। कल एक राजनेता का बेटा बोला कि पिताजी आपकी पार्टी में से कोई राजनेता दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसको क्या कहते हो? बेटा, उसको गद्दार कहते हैं। और दूसरी पार्टी का राजनेता आपकी पार्टी में आ जाए, उसको? बेटा, उसको तो हृदय परिवर्तन कहते हैं। आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा थोडे दिन में। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाएं। श्री ज्ञानचन्द पारख, आप शुरू करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, कल सदन में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और वह हम सबने सुना । जिस समय महामहिम राज्यपाल अभिभाषण का वाचन कर रहे थे, उस समय मेरी नजरें लगातार आपके पीछे जो वक्तव्य लिखा है उसको पढ़ रही थीं और मैं जो तीन साल में इस सरकार ने काम किये उनका चिंतन करते हुए अभिभाषण और उस वक्तव्य के बीच की जो दूरी है, वह माप रहा था। जनता के वोट से चुन कर हम यहां आते हैं, सरकार बनाते हैं, हमारा धर्म बनता है कि हमने जो भी कार्य किये, ईमानदारी के साथ उसके सामने रखें। हमने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं, विकास के जो कार्य हमने किये और जो हम आगे करने वाले हैं, उसकी सही-सही जानकारी जनता को देना हमारा फर्ज और हमारा कर्तव्य दोनों है। सभापति महोदय, कल मुझे इस बात में सच्चाई नजर नहीं आई। प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, आम आदमी निराशा से त्रस्त पड़ा हुआ है। वह उम्मीद छोड़ चुका है कि आने वाले दो साल में भी यह सरकार कुछ कर सकती है। जहां भी जाते हैं, जो पुराने कांग्रेसी थे और यहां तक कि जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं वे भी यह बात करते हैं कि कब माननीय वसुंधरा जी की सरकार वापस आएगी और यह जो विकास की गति रुकी हुई है, हमारी जो अलग-अलग परेशानियां हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलेगा। यह आम आदमी के मन की आवाज है।

सभापति महोदय, अभिभाषण की शुरूआत देख लो पैरा नम्बर 2 में लिखा है, 'हमारे लिये गर्व का विषय है कि जयपुर में सात से नौ जनवरी तक दसवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन-2012 का ऐतिहासिक सफल आयोजन किया गया, जिसमें करीब साठ देशों के लगभग दो हजार प्रवासी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ सम्मिलित हुए।' सम्मिलित तो उत्साह और उमंग के साथ हुए लेकिन जब गये तो सरकार की किरकिरी करके गये वे। जैसी हमारी व्यवस्था थी और जैसा हमने उनके साथ व्यवहार किया, उससे इस प्रदेश की सरकार की छवि निश्चित रूप से गिरी है। सभापति महोदय, हां, इस प्रदेश की सरकार की छवि गिरी है।

सभापति महोदय, अभिभाषण ऐसा जैसे इन्होंने राजस्थान की जनता के लिये सारे बड़े-बड़े काम जो करने थे, वे कर दिये। प्रदेश में राम राज्य है, प्रदेश में सारे लोग खुशहाल हैं, ऐसा अभिभाषण में है। अगर आपने बहुत सारे काम किये तो इस सरकार को बीच में 6 मंत्रियों को हटाने की नौबत क्यों आ

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गई? हटाने का कारण अख़बार में स्पष्ट छपा था। इसका मतलब यह बिलकुल तय है कि सरकार ने काम नहीं किये और उसके कारण पहले दौर में जिनके लिए वाकई में इनको लगा कि इनके कारण सरकार की बदनामी हो रही है, उनको हटाया। तो लगता है कि कुछ मंत्री हो सकते हैं, उन्होंने कम काम किये होंगे इसलिए उनको राहत मिल गई। लेकिन आज हर मंत्री भी अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है लोकतंत्र को कमजोर करने का, ऐसा प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। जन प्रतिनिधि इस सरकार के कार्यकाल में कमजोर हुआ, इस सच्चाई से सारे सदस्य वाकिफ होंगे। मंत्रियों की पीड़ा आती है कि हमारी कोई सुनता नहीं, अफसर भी हमारी बात मानते नहीं। जन प्रतिनिधि तो यह बात बार-बार कहते हैं। अफसरशाही जितनी हावी इस सरकार के कार्यकाल में हुई है, यह लोकतंत्र के लिये भी घातक है और जन प्रतिनिधि के लिये भी बहुत ज्यादा अपमानजनक है। क्योंकि जनता जो उम्मीद करती है वह जन प्रतिनिधि से करती है कि यह हमारी जो भी मांगें हैं, हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करवाएगा। जब जन प्रतिनिधि कमजोर हो जाए तो फिर जनता को हमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, यह हकीकत बन गया। सभापति महोदय, विकास की जो बात यह सरकार कर रही है, प्रदेश के गांवों में घूमकर सडकों की हालत देख लो। जब हमारी पार्टी की सरकार थी, जिन सडकों पर मेरे जाने का काम पड़ता था, 60 किलोमीटर की दूरी मैं कार से 40 मिनट में तय कर देता था। और इन तीन सालों में उन सडकों की हालत यह हो गई कि उस 60 किलोमीटर की दूरी को नापने के लिये मुझे 2 घंटे का वक्त चाहिये, इतनी क्षतिग्रस्त सडकें हैं। इस साल जरूर कुछ काम किया, इस साल हमको भी कुछ दिया उन्होंने लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं दिया। दो साल तक कुछ नहीं, तीसरे साल कुछ दिया, कुछ राहत मिली। लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में यह क्रम लगातार चलता था। जो नई सडकें भी बनी उसके बारे में किसी और ने टिप्पणी की हो या की हो, माननीय मंत्री महोदय ने खुद इस बारे में टिप्पणी की कि मैं पाप की सड़क का फीता नहीं काटूंगा। घटिया किस्म की सडकें इस सरकार के कार्यकाल में बन रही है, इसकी पुष्टि खुद मंत्री महोदय ने कर दी।

सभापति महोदय, जिस रोजगार की बात की कि हमने रोजगार गारंटी अधिनियम दे दिया और गांव में जो भी व्यक्ति काम करना चाहेगा उसे 100 दिन का रोजगार मिलेगा, इसमें इस सरकार का एक पैसा भी नहीं है। नरेगा का क्या हश्र हुआ इस सरकार के कार्यकाल में? मेरे पाली जिले को प्रति वर्ष

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

400 करोड़ से भी अधिक की राशि मिलती है नरेगा के कामकाज को करवाने के लिये, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के कार्यकाल में हम 250 करोड़ से ज्यादा खर्च करते थे और आज हालत यह बन गई कि 100 करोड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं हो रहा है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी श्रमिक को ले आओ जिसे 100 दिन का पूरा रोजगार मिला हो। ऐसा एक भी श्रमिक नहीं मिलेगा। केन्द्र का पैसा है, आपका पैसा भी नहीं, पर आपका सिस्टम सही नहीं है और उसकी वजह से जो भुगतना पड़ रहा है, वह गरीब ग्रामवासी को भुगतना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं इस बात के लिये तो धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने गरीबों के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका सिस्टम इतना कमजोर है, सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि उसका लाभ गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक साल हो गया, एक साल से भी ज्यादा का समय, माननीय मंत्री महोदय, मैंने भी कई बार आपसे निवेदन किया, पाली जिला अस्पताल है बांगड़ अस्पताल, साढ़े तीन सौ शैयाओं वाला अस्पताल है, एक साल में मुश्किल से मात्र 30 या 40 आपरेशन हुए होंगे। जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा शिविर लगाये गये उनको निकाल दो आप। जबकि पहले एक साल में लगभग तीन हजार से ज्यादा आपरेशन होते थे, एपेंडिक्स के, हर्निया के, हिस्ट्रेक्टमी के, चाहे किसी के फ्रैक्चर हो गया, चाहे सिजेरियन करना पड़ा। एक एनेस्थिसिया के डाक्टर की वजह से सात तो सर्जन बेकार, वे काम कर नहीं सकते, 8 थियेटर स्टाफ बेकार, जो नर्सिंग कर्मचारी लगे थे थियेटर में। 7 सहायक कर्मचारियों का जो स्टाफ है, वह भी बेकार, उन्होंने भी बेकार की तनख्वाह ली। और जो पोस्ट आपरेटिव में 9 कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्होंने भी एक साल तक एक डाक्टर की वजह से फोकट की तनख्वाह ली है। सरकार का प्रति माह लाखों रुपया, एक और दो डाक्टरों ने मिलकर बिलकुल बर्बाद कर दिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह बात मानी, एक को ए.पी.ओ. कर दिया, दूसरे ने ए.पी.ओ. करने के बाद भी काम नहीं किया, उसको भी ए.पी.ओ. कर दिया। परन्तु जिन डाक्टरों ने जानबूझकर एक साल तक आपरेशन कराने में असहयोग किया और जिनकी वजह से लगभाग 30 से 40 चिकित्साकर्मियों ने फोकट में तनख्वाह उठाई, मात्र ए.पी.ओ. करना सज़ा नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आग्रह रहेगा कि ऐसे डाक्टरों को, जिन्होंने जानबूझकर काम आते हुए भी काम नहीं किया, उनको कठोर सज़ा के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

प्रावधान भी नियमों में हैं, उनका भी थोड़ा आप उपयोग करिये। यह मेरा व्यक्तिगत निवेदन है आपसे। यह मेरी पीड़ा है क्योंकि हजारों मरीजों को अपने आपरेशन कराने के लिये या तो निजी चिकित्सालयों का सहारा लेना पड़ा, या उनका भारी पैसा खर्च हुआ या फिर जोधपुर जाकर अपना इलाज कराना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, जननी शिशु सुरक्षा योजना जिसके बड़े-बड़े बखान हमारी सरकार करती है, इन दो डाक्टरों की वजह से बिलकुल बरबाद हो गयी। इसकी धज्जियां इन दो डाक्टरों ने उड़ा कर रख दीं। एक भी सिजेरियन पिछले एक वर्ष में, माननीय मंत्री महोदय, आप रिकार्ड मंगवा लें, मैं सदन में यह बात कह रहा हूं, एक भी सिजेरियन पिछले एक वर्ष में पाली के बांगड़ चिकित्सालय में नहीं हुआ। जबकि पहले रोज के 5-6 होते थे। सारी प्रसूताओं को जोधपुर जाकर सिजेरियन कराना पड़ा या निजी नर्सिंग होम में जहां 20 हजार खर्चा आता है। आपने 200-300 की दवाई निःशुल्क दी, उसके लिये मैंने आपको धन्यवाद दिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन की कार्यवाही आधा घण्टा और बढ़ाने के लिये आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये बढ़ाई जाए, अनुमति है आपकी?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई, सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये बढ़ाई गई।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, उस जननी शिशु सुरक्षा योजना की धज्जियां...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं एक मिनट, मैं थोड़ा आपको...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं 10 मिनट में अपनी पूरी बात खतम कर दूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, ज्ञानचन्दजी धीमी गति के समाचार हैं, बोलते रहेंगे। आज 15 मिनट में बोल लेंगे, और क्या करेंगे?

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 10 मिनट में, 10 मिनट और दे दें आप। आप तेज गति के समाचार हैं, आप बोल देना, विराजो आप मेहरबानी करके। सभापति महोदय बैठे हैं, मुझे टोक देंगे।

माननीय सभापति महोदय, जननी शिशु सुरक्षा योजना की भी दुर्दशा इसी वजह से हो गई। जो आपने यह निःशुल्क दवाई दी है, उसकी वजह से सरकारी औषधालयों में मरीजों का आना बहुत बढ़ गया, उसके लिये जो अतिरिक्त चिकित्सक लगाने हैं, जो बैड की सुविधा करनी है, उसमें भी आप थोड़ा ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय, आप एस.एम.एस. की हालत देख लें, न्यूरोसर्जरी वार्ड में वार्ड के बैड के नीचे तो पेशेण्ट हैं ही, गैलेरी में भी पेशेण्ट और जो मरीजों के ऊपर जाने के लिये रैम्प बनी हुई है, उसमें भी 20 से ज्यादा पेशेण्ट पड़े हैं। तो आप जब तक अपने सिस्टम को और ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, आप इन योजनाओं का लाभ दे नहीं पाएंगे। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आप अपने सिस्टम को ठीक करें।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की जो ऐसी की तैसी इस सरकार के कार्यकाल में हुई है, जो बंटाढार हुआ है, वह शायद कभी नहीं हुआ होगा। बातें बड़ी-बड़ी। मेरे अकेले के विधान सभा क्षेत्र में 30 स्कूलों पर तो ताला लोग जड़ चुके हैं, मात्र इसलिये कि शिक्षक नहीं हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल में जो 56 शिक्षकों की भर्ती की गई, जो कार्यवाही चली थी, इस सरकार की बेरुखी के कारण 3 साल बीत जाने पर भी एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। सरकार बड़े-बड़े वादे करे, बड़े-बड़े दावे करे और जनता को कहे कि हमने बहुत कुछ कर दिया, इससे बड़ा असत्य कोई नहीं हो सकता है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा, बस।

माननीय सभापति महोदय, सरकार का दावा कि हमने पिछले तीन वर्षों में 3380 मेगावाट बिजली का नया उत्पादन किया-यह सरकार का दावा आपके घोषणा-पत्र में है, यह बिजली गई कहां? गांव में हालत क्या है, पता है आपको? सिंगल फेस मिलती है मुश्किल से 8 या 10 घण्टे, सारे गांव रो रहे हैं और 3-फेस बिजली मुश्किल से 4 घण्टे, सारे काश्तकार भी रो रहे हैं। शायद

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

शहर में इतनी लम्बी कटौती इतने समय तक कभी नहीं बनी होगी, किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं बनी होगी। पिछले एक साल से लगातार 4 घण्टे शहरी क्षेत्रों में बिजली की कटौती, इतना बड़ा रिकार्ड किसी सरकार ने कायम नहीं किया होगा। हमारी सरकार के कार्यकाल में 24 घण्टे सिंगल फेस बिजली गांव को मिलती थी और काश्तकार को हमने 8 घण्टे बिजली दी है। माननीय सभापति महोदय, इसलिये सरकार कुछ भी दावे करे इसमें, यह ठीक नहीं।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी हश्र आप देखो। यह जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलती है विधवा-पुत्री विवाह में सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, डेढ़ साल से ऊपर हो गया आवेदन किये हुए, एक नहीं, सैकड़ों आवेदन, पर राशि का पता नहीं है। बातें बड़ी-बड़ी, राशि का पता नहीं। इसी प्रकार बी.पी.एल. परिवार की पुत्री को जो सहायता राशि मिलती है, उसमें भी सैकड़ों आवेदन लम्बित, पर राशि कहीं भी नहीं। पालनहार योजना में भी 6-6 महीने तक विधवा को राशि नहीं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, कृपया विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में पढ़ा, मैं उसका विरोध करता हूं। यह मात्र जनता को भ्रमित करने वाला एक प्रतिवेदन है। आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं कहना चाहूंगा कि आपके 10 सदस्य बोलने के लिये बाकी हैं। आधे घण्टे का वक्त आपकी अनुमति से बढ़ाया गया है तो मैं समझता हूं कि हमें वक्त की सीमा तय कर देनी चाहिए जिससे सब लोग बोल सकें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सबको आधे-आधे घण्टे का समय दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, आपके यहां से 45 मिनट तो राव राजेन्द्रसिंहजी ले गये। तब बाकी लोगों को तो कम टाइम देना ही पड़ेगा न।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर आप ऐसे दो-दो मिनट में बुलवा रहे हैं तो इससे नहीं बोलना ही अच्छा है। यहां पर औपचारिकता क्यों की जा रही है? आपसे हमारा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा कहना यह है कि आपके ध्यान में बात लाई गई है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मुख्य सचेतक बैठे हैं, आप दो-तीन घण्टे का समय बढ़ाओ। यह बात नहीं है।

श्री सभापति: यह सदन तय करेगा। यह सदन तय करे, मैंने तो आपको बताया है। दोनों मुख्य सचेतक यहां बैठे हुए हैं, तय कर लें आप। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ऐसी कौनसी समय की पाबन्दी है? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): एक घण्टा बढ़ेगा तो और बढ़ जाएगा। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि दो घण्टे लगें चाहे 3 घण्टे लगें, कोई सदस्य को पाबन्द मत करो कि 5 मिनट में खतम करो। अपनी क्या समस्या है, बता देंगे वह। आपसे निवेदन है, दो घण्टा समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के पैरा नम्बर-8 पर टिप्पणी करना चाहता हूं। 'हमारी सरकार ने गांव, गरीब और किसान की समृद्धि और खुशहाली के कार्य को अपना लक्ष्य माना हैं, इसमें मैं संशोधन दे रहा हूं, इसके स्थान पर, 'गांव, गरीब और किसान की दुर्गति और बदहाली को लक्ष्य बनाया है।' इसको मैं आपके माध्यम से प्रमाणित करूंगा। आज गांव में लाइट गायब है, गांव में अध्यापक गायब हैं, गांव में नर्सें गायब हैं, गांव में रोजगार गायब है, गांव में डामर गायब है, गांव में पटवारी गायब हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहले प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयीजी, उन्होंने जो ग्राम सड़क योजना चालू की, उसमें पिछले तीन वर्षों में कितना पैसा राजस्थान को मिला, यह एक विषय है, जिसको इसमें छिपाया गया है। गांव के बारे में हम विचार करते हैं तो गांव के व्यक्ति को रोजगार की बात है, वसुन्धराजी जब मुख्य मंत्री थीं, 6700 करोड़ से ज्यादा नरेगा पर खर्च हुआ। जब गहलोत साहब आ गये तो वह घटकर 4500 करोड़ हो गया। अगले साल 3300 करोड़ हो गया और इस साल 1900 करोड़ रुपये हो गया। तो ये कौन से गरीब की बात करते हैं, कौन से किसान की बात करते हैं और कौन से गांव की बात करते हैं, यह निवेदन मैं आपको कर रहा हूं।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

आप बताइये कि गांव में नई सड़कें नहीं बन रही हैं तो गांव की खुशहाली कैसे आएगी? गांव में लाइट नहीं है तो कैसे आएगी? गांव की जो दुर्गति है उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि किस प्रकार की स्थिति होगी। मेरे पास एक डाकुमेंट है जो एक क्वेश्चन के माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी ने मुझे दिया है। राजस्थान में वसुन्धराजी के टाइम में 39 हजार स्कूलें खुलीं, क्रमोन्नत हुईं और आपने 1910 स्कूलें खोली हैं, वे भी केवल सैकण्डरी स्कूल। कितने परसेंट? 5 परसेंट से भी नीचे है। 5 परसेंट है और गांवों का विकास करना चाहते हैं। 16935 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 250 से ज्यादा है और जिनमें केवल प्राइमरी एजुकेशन है। हम ड्राप आउट के लिए आन्दोलन चला रहे हैं, केवल एक वर्ष का मैं निवेदन कर रहा हूं, 2010-11 में ड्राप आउट की संख्या एक लाख 33 हजार। एक लाख 33 हजार में भी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वह 26628 है, जहां से चार-चार मुख्य मंत्री राजस्थान को मिले, जोधपुर जिले की स्थिति है। बीकानेर की स्थिति यह है... (व्यवधान) जहां से थोड़े दिन पहले महामहिम मुख्य मंत्री थे, उसके पहले कल्ला साहब मंत्री होते थे, वहां की यह दुर्गति है। यह मैं बता रहा हूं कि 16935 गांव ऐसे हैं जहां पर मिडल स्कूल नहीं है, तो वे ड्राप आउट बच्चे कहां पर जाएंगे? दस साल की उम्र तक तो बच्चे ने प्राइमरी स्कूल पढ़ लिया, उसके बाद कौन व्यक्ति है, जब थाने में सिपाही, महिला सिपाही सुरक्षित नहीं है तो कौन अपनी लड़की को पगडंडी से दूसरे गांव में भेजेगा? यह सोचनीय विषय है। आपने शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया और गांव की बात करते हैं। गांव में शिक्षा नहीं है, गांव में अध्यापक नहीं है। अब 40 हजार की वेकेंसी निकाली है। अगर प्रत्येक गांव में आपने मिडिल स्कूल खोला होता, जिसका 70 परसेंट पैसा केन्द्र ने दिया है तो आपके सभी गांवों में यह ड्राप आउट जो एक साल का एक लाख 33 हजार था, वह समाप्त हो गया होता। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, केन्द्र का पैसा 70 परसेंट है, और आप 30 परसेंट नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं? केवल +++ केवल पुलिस पर आक्रमण करने वालों को, अवैध शराब के माध्यम से मरने वालों को मुआवजा दोगे और किसान मरता रहेगा उसको मुआवजा नहीं दोगे। यह गांव के बारे में सोचते हैं आप लोग। गांव के बारे में क्या करना चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, सात हजार गांव ऐसे हैं...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कृपया माननीय सदस्य, धीरे बोलें। हार्ट अटैक हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य धीरे बोलें, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ठीक है, अब धीरे बोल रहा हूं। आप टाइम नोट करें। (व्यवधान) आप धीमी गति की बात कर रहे हैं इसलिए मैं तेज बोल रहा हूं आपको सुनाने के लिए। श्रवण कुमारजी, सात हजार गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 500 से ज्यादा है। जो हमारे शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य राव साहब कह रहे थे, 48 परसेंट युवा हैं और सात हजार गांव हैं 500 की आबादी के, इसका 48 परसेंट लें तो वहां पर 250 बच्चे पढ़ने योग्य हैं, 250 बच्चे। वहां पर प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल नहीं है। केन्द्र सरकार पैसा दे रही है। शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह खैरात हमको केन्द्र से मिलती है, कर क्या रहे हैं? मर्जर। मर्जर तो बैंकों का होता था। मर्जर तो कम्पनियों का होता था। स्कूलों का मर्जर कर रहा है हमारा शिक्षा मंत्री। क्या करना चाहते हो? इस हिन्दुस्तान को कहां पर ले जाना चाहते हो? कहां शिक्षा को ले जाना चाहते हो? भट्ठा बैठा दिया शिक्षा का। मर्जर कर रहे हो। पहले आपने घोषणा की कि प्रत्येक एक किलोमीटर पर स्कूल होगा और आपने मर्जर किया संस्कृत के स्कूलों का, दो किलोमीटर पर एक स्कूल कर दी। दो मिलाकर एक स्कूल कर दी-मर्जर। यह मानव पढ़ाने की पाठशाला है, यह फैक्ट्री चलाने की पाठशाला नहीं है। शिक्षा का यह भट्ठा बैठ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं। ये गांव के प्रति संवेदन की बात करते हैं तो पूरी झूठी बात है। पूरी तरह से झूठी बात है यह। जो जोधपुर की स्थिति है, यह जो बीकानेर की स्थिति है, यह शिक्षा की स्थिति चिंतनीय है। अभी तक 1145 गांव हैं, दोनों जिलों में जहां पर मिडिल स्कूल नहीं हैं।

श्री सभापति: समाप्त। माननीय सदस्य, समाप्त।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): समाप्त इतना जल्दी कैसे कर सकता हूं? माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी बात कहूंगा।

अभी मैं केवल गांव पर बोला हूं, अब गरीब पर बोलूंगा। ये गरीब की बात करते हैं, गरीब के लिए क्या-क्या किया? गरीब की रोटी गायब महंगाई के कारण से। गरीब के बच्चों की पढ़ाई गायब, क्योंकि सरकारी स्कूल तो है नहीं और वह प्राइवेट में जा नहीं सकता। राशन की चीनी गायब। मैं आपको चीनी का उदाहरण दूं, आपने अप्रैल में 4 परसेंट चीनी उठाई, मई में 5 परसेंट उठाई और जून-जुलाई में जीरो परसेंट चीनी उठाई और बाद में नवम्बर में 64 परसेंट

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

एक साथ उठाकर आपने डीलर्स को कहा कि खा जाओ और हमें खिला दो। यह काम करते हो। गरीब की आटे की बात करते हो, प्रत्येक जिले में 30 पैसे का मार्जिन है और जयपुर जोन में 48 पैसे का मार्जिन है, यह पैसा कहां जा रहा है? गरीब का अनाज 681 रुपये पर आप देना चाहते हो, उसके स्थान पर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, समाप्त नहीं कर सकता, माननीय सभापति महोदय, मैं बोलूंगा। मेरे सुझाव और हैं अभी तो। अच्छे सुझाव दूंगा अब मैं आपको। आप किसान की बात पर आइये, मैं किसान की बात करता हूं। आपने अधिग्रहण की बात की, किसान के साथ अधिग्रहण पर अन्याय हो रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। माननीय सभापति महोदय, मैं बोलूंगा किसान के अधिग्रहण पर। क्या कर रहे हैं अधिग्रहण पर? किसान जब जमीन बेचता है तो उसको कहते हैं (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपका ज्ञानवर्द्धन हम लेना चाहते हैं। आप बहुत महान व्यक्ति हो, धीरे बोलो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आप इनको कहो कि मेरा टाइम काटें नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अधिग्रहण पर आता हूं। सब लोग सुन लो कि काश्तकारों के साथ कैसा अन्याय होता है। जब किसान रजिस्ट्री करवाता है आर. ए. के पास में, तो उसको कहा जाता है कि व्यावसायिक की रजिस्ट्री होगी, आबादी की रजिस्ट्री होगी। अब जब वह कोई मुआवजा चाह रहा है तो कह रहे हैं कि केवल खेती की जो डी.एल.सी. रेट है, उसका मुआवजा मिलेगा। और भी हास्यास्पद स्थिति देखिए, किसान की जब रजिस्ट्री हुई तब तो उसको डी.एल.सी. लगी आबादी की, व्यावसायिक की और उसको मुआवजा दिया जा रहा है एग्रीकल्चर का। इतना ही नहीं, यदि उसने दुकान बना ली खेत में, मकान बना लिया, तो उसका मुआवजा कह रहे हैं कि पत्थर का मुआवजा तो आपको मिलेगा लेकिन जमीन का मुआवजा मालिक को मिलेगा या नगरपालिका को मिलेगा या पंचायत को मिलेगा या उस पुराने मालिक को मिलेगा क्योंकि आपने खाता नहीं खुलवाया। खाता 1998 के पहले डिवीजन नहीं होता था। एक अकेला किसान मरने से, छोटा टुकड़ा लेते थे, रजिस्ट्री नहीं होती थी और नामांतरण नहीं खुलता था। उसका मुआवजा उसको मिलेगा, यह कितना बड़ा अन्याय है? यह राजस्थान में ही अन्याय हो रहा है किसान के

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

साथ। अधिग्रहण के नाम पर हो रहा है। इतना ही नहीं, किसान ने जब आवेदन किया आबादी के लिए तो उसको क्या कहा गया? रोड बाउण्ड्री वहां तक है, 80 मीटर तक रोड बाउण्ड्री है, बीच की रजिस्ट्री नहीं होगी। मालिक कौन? आप ही मालिक लेकिन रजिस्ट्री नहीं होगी। आबादी का पैसा देने के लिए तैयार था, उससे पैसा नहीं लिया गया। अब जब उसको अधिग्रहण किया गया है, तो कहता है कि आपको आखिरी की दो मीटर चौड़ाई है, उसका मुआवजा तो व्यावसायिक मिलेगा, बीच की जो कीमती जमीन है उसका मुआवजा एग्रीकल्चर का मिलेगा। क्यों भाई, एग्रीकल्चर का क्यों मिलेगा? बीच की जमीन कीमती है। आपने बीच की जमीन के नाम पर पैराफेरी के नाम पर उससे चाहे जितना वसूल किया। व्यावसायिक वसूल किया, आबादी वसूल किया। इतना ही नहीं, किसान के प्रति और अन्याय देखें। उसकी ढाणी के लिए राजस्व डिपार्टमेंट, सैटलमेंट डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि खसरा नम्बर 54 में आबादी भूमि है और बिजली बोर्ड कह रहा है कि यह है नहीं, नहीं बनती यहां। बिजली बोर्ड क्या कह रहा है? आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा आबादी का।

श्री सभापति: कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आबादी भूमि का अगर यह करने का राजस्व एक्ट में प्रावधान है तो वह आबादी भूमि की परिभाषा होगी या बिजली बोर्ड का जो गंगवार कहेगा, वह होगी? वह आई.ए.एस. ऐसी बात करता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। (व्यवधान) हां, तेज-तेज नहीं बोलूंगा मैं। माननीय सभापति महोदय, 1.1.2006 को यहां का प्रत्येक जो शासन सचिव है, उसका वेतन था 80 हजार रुपये, आज उसका वेतन है दो लाख रुपये। दो लाख रुपये और वे पर्ची भेजकर मिसगाइड करते हैं। जब हमारा मंत्री खड़ा होता है न्यूनतम मजदूरी के लिए, वहां से पर्ची आती है। उसका वेतन 80 हजार से केवल पांच साल में दो लाख रुपये हो गया और हमारा 100 रुपये से 119 रुपया, उसमें भी उनको तकलीफ हो रही है। वह भी सौ दिन का नहीं देना चाहते हैं। यह कितना बड़ा अन्याय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त। समाप्त।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): गरीब और गांव की बात करते हैं, गरीब की हितैषी है क्या यह सरकार?

श्री सभापति: समाप्त। मैं अगले माननीय सदस्य का नाम बोल रहा हूं, बैठिये आप। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इस सरकार पर गरीब विश्वास नहीं कर सकता। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं सुझाव दूंगा अब।

एक तो सुझाव यह है कि बिजली के बारे में स्पष्ट नीति हो, किसान को हम 18 घंटे बिजली देंगे। तीन हजार या दो हजार की आबादी वालों को जैसा वसुन्धराजी देती थीं, सबको 18 घंटे बिजली देंगे, थ्री फेस की लाइट आठ घंटे देंगे। इंडस्ट्री को हम 24 घंटे देंगे। आप देखिये कि क्या स्थिति है? इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिल रही है। इंडस्ट्री पांच रुपये यूनिट देता है, उसको बिजली नहीं मिलती। किसान को बिजली नहीं मिलती। तो फिर किसको बिजली मिलती है? कटौती सुबह छह से दस बजे होती है, लगातार होती है। और शहरों में क्या होता है, बड़े शहरों में? जो यह एक भेदभाव की स्थिति है, उसका मैं निवेदन कर रहा हूं। दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूं मैं धन्यवाद दूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री ओम जोशी। श्री ओम जोशी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आज मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को कि उन्होंने सच्ची बात कही। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपने कह दिया। अब अंकित नहीं होगा। श्री ओम जोशी। कृपया विराजिये, माननीय सदस्य। आप सदन की गरिमा बनाये रखें। आसन की गरिमा रखिए प्लीज। विराजिये आप। अब आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: कृपया विराजिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: कृपया विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

(20.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया गरिमा बनाये रखें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री शिवराज वी. पाटील महोदय द्वारा तेरहवीं विधान सभा का अष्टम सत्र प्रारम्भ होने पर अपना बहुमुखी दृष्टिकोण रखने वाला अभिभाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह अभिभाषण राजस्थान प्रदेश में हमारी सरकार द्वारा किये गये विकास और सेवा कार्यों के सत्य को परिलक्षित करता हुआ दिखाई दिया। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत इस अभिभाषण के पक्ष में समर्थन करते हुए निम्न तथ्यों के साथ मैं मेरी बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। न मैं छिद्र ढूंढने का प्रयास करूंगा, न मैं आलोचना में विश्वास रखता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने प्रथम पैरा में सदस्यों को चिन्तन के साथ राजस्थान के गरीब और गांव के लोगों की खुशहाली के लिये विचार करने के लिए यह जो बहुमूल्य समय है, इसका उपयोग करने का सुझाव दिया था। उस सुझाव को मानते हुए इस बार सदन में विस्तृत चर्चा हो रही है। पूर्व में कई बार ऐसे मौके आये जब सदस्य बोलना चाहते थे, परन्तु निरन्तर व्यवधान की वजह से सदस्य अपनी बात को नहीं रख पाये।

यह जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, उसमें एक-एक शब्द अपने आप में विकास की कहानी कह रहा था। सांगानेर से पधारने वाले वरिष्ठ और विद्वान माननीय सदस्य महोदय द्वारा चूंकि उस अभिभाषण में ऐसा कुछ महसूस नहीं किया गया जिसकी कि आलोचना की जा सके, जिसके विपरीत कुछ बोला जा सके, तो उन्होंने विषयान्तर लेते हुए एकदम घुमावदार अपना लचीला और प्रभावित करने वाला उदबोधन, मैं कह सकता हूं प्रवचन, हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि तीन वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने आम आदमी के लिये जो कल्याण के कार्य किये हैं, उनकी राजस्थान की पूरी जनता भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही है।

(श्री ओम जोशी)

विभिन्न विषयों पर पूर्व में हमारे माननीय सदस्यों ने विस्तार से उल्लेख किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के उत्पादन के मामले में माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की सदैव एक सोच रही है, उसमें उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। वे धरातल से जुड़े हुए नेता हैं और ग्रामीण क्षेत्र में निरन्तर उनका सम्पर्क रहा है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में बड़ी मात्रा में खाली जमीन उपलब्ध थी और गर्मी वहां पर ज्यादा पड़ती थी, उस उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जब जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन हमारे सामने आया तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस मिशन में दिये गये प्रावधानों का लाभ लेते हुए पश्चिमी राजस्थान जिसमें मेरा क्षेत्र फलौदी भी शामिल है, उसके बाप क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन के नये आयाम स्थापित किये। जब बिजली उत्पादन की बात यहां पर की जा रही थी तो हमारे माननीय सदस्य गुलाबचन्द जी कटारिया सिर हिला रहे थे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसी छोटी-सी जगह में अगर एक साथ 20 मेगावाट की बिजली का सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन प्रारम्भ हो जाए और आने वाले समय में कम से कम 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन की तैयारी हो जाए तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में सरकार के प्रयत्न सराहनीय रहे हैं। सौर ऊर्जा की कम्पनियों के आने के बाद उत्पादन के साथ ही उस क्षेत्र के लोगों को मजदूरी मिली है, लोगों के हालात सुधरे हैं। मैं यह उपलब्धि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। यह आशा करता हूं कि जो लक्ष्य बिजली के उत्पादन में रखे हैं, और जो सर्वाधिक आलोचना आज बिजली की आपूर्ति को लेकर की जा रही है, आने वाले समय में ये लक्ष्य उस आलोचना को समाप्त करेंगे। रावला गांव में दो संयंत्रों का उद्‌घाटन हुआ था और हमारे केन्द्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब पधारे थे। उन्होंने यह घोषणा की, यह जाहिर किया कि सूर्य के माध्यम से इस तपती धरती पर जो सोना उगला जा रहा है, आने वाले समय में एक साल, दो साल, दस साल में पश्चिमी राजस्थान का यह क्षेत्र पूरे देश में बिजली में अग्रणी होगा। यह उनका विश्वास था। मैं उनके विश्वास पर, उनकी बात पर अक्षरशः सहमति व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, गरीबी उन्मूलन के संबंध में हमारे क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना 'एम पावर' के नाम पर चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो पूरी तौर से आगे आकर काम करने में असफल रहती थीं,

(श्री ओम जोशी)

महिला समूह बनाकर इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। इस एम पावर योजना के माध्यम से ऋण लेकर और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर उद्यम लगाने में उनको पूरी सहायता मिली है।

माननीय सभापति महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय का मेरे क्षेत्र में बाहुल्य है, इस वर्तमान सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पिछले एक साल में बहुत बड़ा काम किया। राजस्थान में पहले पांच आई टी आई स्थापित की थीं, उसके बाद पांच कीं, उसमें बाप क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिये भी आई टी आई स्थापित की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं। लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत ऐसा उल्लेख किया जा रहा था कि हम लोकतंत्र से गणतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से बात की जा रही थी, मैं यह मानकर चलता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं को पांच विभागों के अधिकार देकर लोकतंत्र को मजबूत करने की बहुत बड़ी प्रक्रिया माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार द्वारा की गयी है। उसी के तहत हम अगर आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं तो जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चालू की गयी है उसमें सरलता लाने के दृष्टिकोण से जिला शिक्षाधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हम भुगत रहे हैं, हमारे क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है। हम आशा करते हैं, आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए कि आने वाले समय में शिक्षकों की नियुक्ति होगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षा से लाभान्वित होंगे।

नगरीय विकास के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गयी हैं। मास्टर प्लान के साथ ही आई एच एस डी पी योजना के तहत कच्ची बस्तियों के विकास और उनके उन्नयन हेतु बड़ी योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से हमारे क्षेत्र में चल रही है। 15 अगस्त, 2009 से 300 वर्ग गज का भूखण्ड देने की बात राज्य सरकार का संकल्प है, वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकल्प है और इस संकल्प के द्वारा हजारों गरीब लोग, हजारों कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे और कच्ची बस्तियों का विकास होगा।

पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की जो छूट प्रदान की गयी है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खींचन गांव को पर्यटन केन्द्र घोषित करके राज्य सरकार ने हमारे क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित किया है। प्रशासनिक नियन्त्रण के लिये मैं यह सकता हूं, अभी शाहपुरा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य इस बात की चिन्ता व्यक्त कर

(श्री ओम जोशी)

रहे थे कि बाबुओं का राज हो गया है, उस राज से सरकार में नियन्त्रण की जो कमी है अथवा उस राज की वजह से हम ऐसा महसूस करते हैं कि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो 14 नवम्बर, 2011 को प्रदेश में जो सेवा गारन्टी का नियम लागू किया गया है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण नियम है और इस नियम के माध्यम से निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को समयबद्ध तरीके से अपने हकों को प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर एक कमी जो पूरे राजस्थान में नियमों की कमी की वजह से नजर आयी है, उसका उल्लेख करना चाहता हूं कि अग्नि पीड़ित परिवार को तत्काल सम्पूर्ण सहायता नहीं मिलती है। पाले की फसल के नुकसान के साथ-साथ मेरा आपसे यह निवेदन है और मेरी अपेक्षा है कि अग्नि से पीड़ित होने पर परिवार को निश्चित समय पर पूरी सहायता मिलनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उसका पूरा झोंपा जल जाता है, पूरा मकान जल जाता है, पैसे भी जल जाते हैं। लेकिन उनको तत्काल जो सहायता दी जाती है, वह नाम मात्र की दी जाती है। मैं तो यहां तक का प्रस्ताव रखता हूं कि विधायक कोष से भी ऐसे अग्नि पीड़ित परिवार को मकान बनाने के लिए प्रावधान हमें करना चाहिए।

वर्तमान में यह बात की जा रही है कि जिस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, वे प्रभावी नहीं हैं और हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि गांव, गरीब, किसान और आम आदमी के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिल में जो पीड़ा है, उस पीड़ा के हरण के लिए उनके द्वारा जिस तरीके से एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की गयी हैं, वे मात्र घोषणाएं नहीं हैं, हम धरातल पर जाकर जब देखते हैं तो उनका लाभ आम आदमी पूरे तरीके से ले रहा है।

कल रात को ही मैं सवाई मानसिंह चिकित्सालय गया था, मैं बताना चाहता हूं कि एक सलामुद्दीन नाम का व्यक्ति जो बी पी एल परिवार से है, गरीब परिवार से है, उसको गम्भीर बीमारी लगी, उसको एकदम से तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये तक की दवाइयां हाथों-हाथ उपलब्ध करवायी जा रही थीं और उसका इलाज किया जा रहा था। यह तो उदाहरण है, हजारों लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। अभी संख्या बतायी जा रही थी, एक करोड़ तीन लाख लोगों को निःशुल्क दवा योजना के तहत लाभ मिला है। यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हां, यह सोचा जा सकता है, आप कमी निकाल

(श्री ओम जोशी)

सकते हैं, कह सकते हैं कि चार सौ दवाइयां आनी चाहिए थीं, मौके पर दो सौ पहुंची हैं। गिलास खाली है। उसको जब भरते हैं तो निश्चित रूप से आधा भरते हैं तो उसको आधा भरा हुआ बताते हैं। यह सकारात्मक सोच है। यह दृष्टिकोण है, यह आगे बढ़ने का दृष्टिकोण है। गिलास भरे हुए को भी आधा कहेंगे, तो यह प्रवृत्ति है उस पर हमको विचार करना चाहिए। मात्र आलोचना के लिए आलोचना करके इस अभिभाषण पर विचार रखें तो मैं समझता हूं कि सही नहीं है।

मैं इतना ही कह सकता हूं कि विपक्ष के द्वारा जो बात रखी गयी है, वह तथ्यात्मक है। उसको कहीं कमीबेशी करके नहीं रखा गया है। बल्कि पीछे जाकर अथवा विषय को मोड़कर इस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि अखबारों के माध्यम से जनता को भ्रमित किया जाए। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जिस तरीके की योजनाएं लागू की गयी हैं चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हो, चाहे ग्रामीण बी पी एल आवास योजना हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, ये महती योजनाएं हैं जिनको आज राजस्थान में लागू किया गया है।

सभापति महोदय, अभी जिलाधीशों के द्वारा की गयी जन सुनवाई की आलोचना हो रही थी, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रशासन गांवों के संग गया था, उसमें लाखों लोगों को जो लाभ मिला था, वह हमारी सरकार की देन थी। माननीय अशोक गहलोतजी जो सफेद कपड़ों में रहते हैं, मैं उनको संत कहकर उदघोषित करता हूं। उनकी ही देन थी जिसकी वजह से राजस्थान की जनता को लाभ मिला है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में निरन्तर इस तरीके की योजनाएं हमारे प्रदेश में लागू होती रहेंगी और सकारात्मक सोच के साथ माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत राजस्थान की सेवा में इसी तरीके से संलग्न रहेंगे। जो व्यक्ति दिन भर में अठारह घंटे तक जनता की सेवा में लगा रहे और अपने पूरे जीवन को इसके लिए समर्पित कर दे, मैं समझता हूं कि वे साधुवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण जो सरकार की वाहवाही का पुलिन्दा है, उस पर मेरा वक्तव्य देना चाहता हूं। जिस प्रकार से

(श्री शंकर सिंह)

वाहवाही लूटने के लिए सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, उस पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि असत्य वाहवाही करने से कुछ नहीं होता है, अपने दिल में झांक कर देखो, अपने आप पता लगता है।

अगर सरकार गरीबों की सेवा करना चाहती है और सरकार किसानों की सही मायने में हितैषी है, तो राजस्थान में पानी की भारी कमी है, मेरी मांग है सरकार से, नरेगा के अन्दर जिस प्रकार से पैसे को लुटाया जा रहा है, इस मिट्टी को इधर डालो तालाब में और तालाब की मिट्टी को वापस उधर डालो, टाइम पास करके किसानों की गाढ़ी कमाई के पैसे को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, नरेगा के राजस्थान के सारे पैसों को लगाकर गंगा और यमुना का पानी लाना चाहिए। राजस्थान में यदि किसी चीज की कमी है तो पानी की कमी है। ये काश्तकार निहाल हो जाएंगे। (व्यवधान) मौका मिला तो सबको पिलाएंगे धीरे-धीरे।

अभी जिस प्रकार वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन दी जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें मेरा एक सुझाव है कि जो आदमी वृद्ध हो जाता है, उसके जवान बेटे होने के बाद उसकी पेंशन बन्द कर दी जाती है। लेकिन हर आदमी पेंशन भी नहीं लेना चाहता, सभापति महोदय। पेंशन जिसको मिलनी चाहिए, उसको नियमों के अन्दर मिल नहीं पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी के लिए पेंशन चालू करवा दो तो ठीक रहेगा क्योंकि ऐसे हर कोई नहीं लेगा। जो सम्पन्न परिवार हैं, उसको आवश्यकता नहीं है और जिसको अवश्यकता है उनको नियमों की अड़चनों के कारण नहीं हो पाती है। विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन के नियमों से जवान बेटों का हवाला हटाना चाहिए तभी जाकर वास्तविक को पेंशन मिल पाएगी, इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

बी पी एल परिवार की आपने पेंशन योजना लागू की थी। गत वर्ष में प्रश्न लगाया उसके बाद पेंशन चालू हुई। लेकिन अभी एक महीने पहले सरकार का जो आदेश निकला है उसके अनुसार स्टेट बी पी एल धारक की पेंशन बन्द कर दी गयी है। किसी प्रकार दुर्घटना होने पर वह मर भी जाता है तो उसको मुआवजा नहीं मिलता है। उसमें भी संशोधन होना चाहिए। बी पी एल परिवार का आदमी मरा या स्टेट बी पी एल परिवार का आदमी मरा, तो मुखिया को ही बी पी एल माना जाता है जबकि उसके परिवार के अन्दर यदि उसकी पत्नी मर गयी तो उसको बी पी एल का फायदा नहीं मिलेगा। लड़का कोई मर गया

(श्री शंकर सिंह)

तो उसको बी पी एल का फायदा नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन यह है कि बी पी एल के पूरे परिवार को बी पी एल माना जाना चाहिए।

आरक्षण के नाम पर धोखाधडी हो रही है, जो सर्वे करवाया गया था, वह सर्वे बहुत गलत है। आज पत्थर पीसने की फैक्ट्री के अन्दर वही मजदूर जाएगा जिसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी कहीं नहीं मिलती होगी। मौत को गले लगाने के लिए। उसे मालूम है कि फैक्ट्री में नौकरी करने से उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन उस मौत को वह गले लगा लेता क्योंकि पेट में खाने के लिए रोटी चाहिए। ऐसे गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। सीमेंट पीसने की फैक्ट्रियां ब्यावर में सबसे ज्यादा हैं। उन पत्थर पीसने की फैक्ट्रियों में आज 99 परसेंट रावत और मेरात जाति के लोग हैं, क्या उनकी तरफ सरकार ने देखा? असली आरक्षण के हकदार वही हैं इसलिए मेरी मांग है कि अति पिछड़ा वर्ग या एस टी के अन्दर उन जातियों को जोडें, ताकि उन गरीबों को सही तरीके से फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, ब्यावर एक ऐसा केन्द्र है, जोधपुर कोई नेता जाएगा तो ब्यावर होकर ही जाएगा। हमारे संसदीय सचिव वगैरह भी वहीं से गुजरते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रभान जी भी अभी आये थे, उन्होंने मीडिया वालों को बुलाकर स्टेटमेंट दिया था। संसदीय सचिव गुजरते हैं तो वो भी स्टेटमेंट देकर जाते हैं, दिलीप जी भी, चार-चार बार दे दिये होंगे कि ब्यावर निश्चित जिला बनेगा, ब्यावर निश्चित जिला बनना चाहिए। सभी लोग यह कह रहे हैं तो मेरी भी मांग है। कई बार मैं मांग कर चुका हूं, अगर सरकार के अन्दर इतने दिल-गुर्दे मजबूत हैं तो आप घोषणा क्यों नहीं कर देते हो? इस जनता को गुमराह करने की कहां आवश्यकता है? मीडिया को आप गलत स्टेटमेंट देकर लोगों को भड़काते हो। मैं तो कहता हूं कि थोड़ी हिम्मत रखो देश आजाद होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के राज में भैरोंसिंह जी शेखावत ने और माननीय वसुन्धरा जी ने जिले बनाये हैं, आप भी कहीं न कहीं नाम कर दो एक-आध, नाम हो जाएगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, 94 में जब ब्यावर में पानी काण्ड हुआ था, सैकड़ों आदमी घायल हुए थे और घायलों को संभालने के लिए आप ब्यावर आये थे, आप सांसद के रूप में आये थे, उस समय आपने मीडिया को स्टेटमेंट दिया था कि आज हमारी सरकार नहीं है, नहीं तो सैकड़ों निर्दोष घायलों को जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं वापस लिखा देता। ब्यावर की बहुत लम्बे समय से जो मांग है

(श्री शंकर सिंह)

कि ब्यावर जिला बनना चाहिए, राजस्थान के अन्दर बीस कस्बे ऐसे हैं जो जिले बने हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वहां वादा किया था स्टेटमेंट देकर कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित ब्यावर को जिला बनायेंगे। आज वो कहां गये? आपकी सरकार दूसरी बार हो गयी है। गांव की भाषा में कहते हैं कि थूक कर चाट जाना, ऐसा काम, हमारे सदन के नेता के नाम पर ऐसा कलंक तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपनी वाणी को पूरा करना चाहिए और निश्चित तौर पर ...(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। जिस प्रकार मौसम टूट जाता है चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ने के समय में, मौसम टूटने पर वो बराबर स्पीड नहीं पकड़ पाती है।

आपने वचन किया है उस जनता को तो निश्चित पूरा करें और ब्यावर को जिला बनाएं। हमारे संसदीय सचिव भी कह कर आते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जाकर कहा है, उनकी बात सार्थक बने, इस प्रकार की बात हो।

बीसलपुर बांध का निर्माण मात्र अजमेर जिले की पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए हुआ था और आज अजमेर जिला ही प्यासा बैठा है। माननीय मुख्य सचेतक महोदय बैठे हैं, लेकिन निश्चित मन में तो वो बात मान रहे हैं कि बात सही कह रहे हैं लेकिन वो समर्थन में नहीं कर सकते, मजबूरी है, मैं मान रहा हूं। और हमारे सारे संसदीय सचिव जी भी हंस रहे हैं। अजमेर जिले के लिए पेयजल समस्याओं का समाधान करने के लिए बीसलपुर बांध का निर्माण हुआ था, सभापति महोदय, बहुत दुःख की बात है कि 2008 तक जो पानी जयपुर को दिया जा रहा था उस पानी को बढ़ाकर पांच गुणा कर दिया गया है। 11 करोड़ के नये पम्प लगा कर भी आपकी सरकार ने बीसलपुर के बांध के पानी को झोंकने का काम किया है।

मेरा निवेदन है कि अजमेर जिले के लोग कहां से पानी पीएंगे और कहां जाएंगे? जवाजा पंचायत समिति के गांवों के अन्दर फ्लोराइडयुक्त पानी है, सर्वे करवाकर उन गांवों के अन्दर 2007 में माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धराजी के समय 149 करोड़ रुपये की योजना पास की हुई है। हमारे जलदाय मंत्रीजी, जो पूर्व में थे, जवाजा आये थे एक बार तो हमने उनका स्वागत किया था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उनको कहा, माननीय मंत्रीजी, दोबारा आओगे तो यहां पर पानी की घोषणा करके जाओगे, अगर पानी की घोषणा नहीं करोगे तो हम आपका घेराव करेंगे, आपको काला झण्डा दिखाएंगे। माननीय सभापति महोदय, काले झण्डे दिखाने वाले जेब में डाल कर लाते हैं और चुपचाप दिखा कर पतली गली से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि पुलिस वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने सौ-सौ झण्डे लगाये थे, एक नहीं। 24 घंटे पहले अल्टीमेटम देकर मीडिया को बताकर कि कल आपका मंत्री आएगा, हम झण्डे बताएंगे, सौ-सौ झण्डे मंत्रीजी ने आने के बाद में कहा कि, विधायक जी, इन झण्डों को नीचे करवा दो। मैंने कहा, ये आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, आप पानी की घोषणा कर दो। आप पापी आदमी कैसे, यहां की जनता का श्राप लगेगा आपको। मेरी काली जबान है, आप इस प्रकार का पाप मत करो, मेरे मुंह से अगर कहीं निकल गया तो जाएगा तो आपका +++ जाएगा। माननीय सभापति महोदय, वो उनकी आखिरी मीटिंग थी, उस मीटिंग के अन्दर जवाजा की जनता का श्राप लगा और निश्चित तौर पर, पता नहीं कौन से भंवर में पड़े हैं, अभी तक भी कहीं अता-पता नहीं है, वो डुबकियां ले रहे हैं कहीं पर। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो वर्तमान जलदाय मंत्री हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि यह काली जबान का कभी श्राप मत लेना, जवाजा पंचायत समिति के गांवों को पीने के पानी के लिए आप इसी बजट के अन्दर करें, 149 करोड़ रुपये सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इतने बड़े अथाह समुद्र में से कोई चिड़िया चोंच मार कर ले जाती है तो उसका जल कम नहीं हो जाता। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आज विधायकों को खुश करने के लिए आपने एक करोड़ रुपया बजट दिया हुआ है, यह एक करोड़ रुपये का बजट पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार सांसदों को पाँच करोड़ रुपये का बजट है, तो विधायकों को भी पांच करोड़ के बजट की मेरी सरकार से मांग कि पांच करोड़ का बजट होना चाहिए। आप भी तो बजा दो, आपको भी बराबर मिलेगा, बजा दो। पांच करोड़ का बजट होना चाहिए।

मेरी दूसरी मांग यह है, आज बी.पी.एल. परिवार के लोगों को देखते हैं तो अच्छे भले को तरस आता है। यहां पूर्व विधायक हैं कई लोग, इस सदन में मैं देखता हूं तो यह कहते हैं कि ये भी पूर्व विधायक जी थे, तो उनकी हालत देख कर मुझे ऐसा लगता है कि बी.पी.एल. के परिवार से भी वो गये बीते

(श्री शंकर सिंह)

लगते हैं। उनको भी अगर मानदेय का है, या तो उनका मानदेय बंद कर दिया जाए और अगर देना है तो उसको सम्मानपूर्वक मानदेय दिया जाए। अगर कहीं सरकार में पैसे की कमी है तो हमारे मानदेय बंद कर दिये जाएं लेकिन पूर्व विधायकों को मानदेय सम्मानजनक रूप में दिया जाए, ऐसी मेरी मांग है। वर्तमान जो सदस्य हैं उनका मानदेय कम कर दिया जाए और चाहे बंद कर दिया जाए लेकिन पूर्व विधायकों की दुर्दशा देखते हुए उनका बढ़ाया जाए।

समाज कल्याण का पैसा एक वर्ष से नहीं मिल पा रहा है, आज अस्पताल के अन्दर ऐसी दुर्दशा हो रही है कि 20-20 पोस्टें खाली हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हैं लेकिन गप्पे लगा रहे हैं, हमारा भी थोड़ा ध्यान कर लो, ब्यावर में आप पधारे थे, वहां की जनता कितनी दु:खी हो रही है, आप उनका आशीर्वाद लें, उनका श्राप नहीं लें, 20-20 पोस्टें खाली हैं, उनको आप भरने की कोशिश करें।

स्कूलों के अन्दर कहीं भी टीचर नजर नहीं आता है। आठवीं क्लास के बच्चे और दो-दो टीचर। आठवीं क्लास के अन्दर 200-200 बच्चे हैं एक से आठ तक के और उसके अन्दर दो-दो टीचर। अगर भेड़-बकरी चराने वाला भी जाएगा तो उस भेड़ पालन वाले के पास भी सौ बकरी नहीं होंगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि नये टीचर्स की भर्ती करें और स्कूलों के अन्दर पर्याप्त संख्या में टीचर लगाएं।

आज सरकार ने कह दिया, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सब को पढ़ाओ। आठवीं कक्षा को बिना पढ़े ही पास कराओ और सरकार चलाओ।

श्री सभापति: बोलिये, बोलिये, एक मिनट और बोलिये आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इस प्रकार के काम को बंद करना चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप काम को करें।

दूसरा, एक हल्की-सी बात मैं कहना चाहता हूं, आज भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ लोग बोल चुके हैं, भ्रष्टाचार के लिए सभापति जी बार-बार घंटी बजा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वास्तविकता पर आना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज लूट-खसोट, छोटे से लगाकर बड़े नेता, दिल्ली तक भी लूट-खसोट, 176 करोड़ के जो घोटाले पहले बता दिये हैं ...

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं तो आपके दो मिनट लूंगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरे ब्यावर की बात बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की बैठक बुधवार दिनांक 29 फरवरी, 2012 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.30 बजे, दिनांक 29 फरवरी, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के अग्निकाण्ड प्रभावित परिवारों को बी.पी.एल. श्रेणी में आवास आवंटन में वरीयता

6. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर-जैसलमेर में अधिकांश लोग ढाणियों में निवास करते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इन ढाणियों में आगजनी के कारण कई ढाणियां पूर्णतया नष्ट भी हो जाती हैं?

(3) क्या सरकार आगजनी से बेघर हुये परिवारों को बीपीएल की श्रेणी में मानते हुये वरियता प्रदान कर तत्काल प्रभाव से मकान उपलब्ध करवाने हेतु प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में कई ढाणियों में अग्नि की घटनाओं के कारण नुकसान होता है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्य में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के व्याख्याताओं एवं प्राचार्यों का पदस्थापन

7. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2011 में शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अनुदानित व्याख्याताओं एवं प्राचार्यो को राजस्थान स्वैच्छाया ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के तहत किस-किस पद पर कहां-कहां पर पदस्थापित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त अनुदानित व्याख्याताओं एवं प्राचार्यो को पूर्व में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में जिस पद पर पदस्थापित थे, उन्हीं पद पर सभी को पदस्थापित किया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) क्या सरकार ने उक्त व्याख्याताओं एवं प्राचार्यों को पदस्थापित करने में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण सेवा नियम-2010 का पूर्णतया पालन किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम के अन्तर्गत अनुदानित बी.एड. महाविद्यालयों के शिक्षकों का समायोजन किस स्तर के विद्यालयों व महाविद्यालयों में किया गया तथा कितने शिक्षकों व अशैक्षणिक कर्मचारियों को शिक्षा विभाग ने अन्यत्र समायोजित किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को अनुदान बंद किये जाने के पश्चात् शिक्षण संस्थाओं को किफायती दर पर आबंटित भूमि व यू.जी.सी. तथा राज्य सरकार के उन भवनों का स्वामित्व जिनमें अनुदानित शिक्षण संस्थाएं संचालित थीं, किसके अधीन रहेगा?

(6) राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम के अन्तर्गत समायोजित शिक्षक व अशैक्षणिक कर्मचारियों के समायोजन के पश्चात् सरकार को कितनी परिवेदनाएं प्राप्त हुई तथा प्राप्त परिवेदनाओं में से कितनी का निस्तारण कर दिया गया एवं कितनी परिवेदनाएं शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अधीन अनुदानित व्याख्याताओं एवं प्राचार्यों के पदस्थापन आदेश की प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर अवलोकनार्थ संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अनुदानित महाविद्यालयों में पदस्थापन स्थिति के आधार पर 746 व्याख्याताओं तथा चार प्राचार्यों की संवीक्षा की गयी थी। सेवानिवृति अथवा अन्य कारणों से सेवा परित्याग करने के कारण 688 को व्याख्याताओं के पद पर तथा 4 को प्राचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया है।

(3) जी हां।

(4) बी.एड/एम.एड. महाविद्यालयों के शिक्षको व अशैक्षणिक कर्मचारियों का समायोजन अभी प्रक्रियाधीन है।

(5) शिक्षण संस्थानों को आबंटित भूमि का उपयोग गैर शैक्षणिक

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

उद्देश्य के लिये किये जाने अथवा शैक्षणिक संस्थान बंद किये जाने की स्थिति में राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958, राजस्थान गैर शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 15(4) के प्रावधानों तथा उक्त भूमि की आबंटन शर्तों की अनुपालना नहीं करने की स्थिति में शैक्षणिक संस्था की संपति राज्य सरकार के स्वामित्तव में ली जा सकेगी।

(6) राज्य सरकार को 158 परिवेदनायें प्राप्त हुई। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन के पटल पर रख दी गयी है। उक्त परिवेदनाओं पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बी.एड महाविद्यालयों के व्याख्यातागण की ओर से उच्च शिक्षा विभाग में समायोजन बाबत परिवेदना भी प्राप्त हुई थी। राजस्थान कार्य विधि नियम 1967 में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके तहत बी.एड/एम.एड शिक्षा विषय को स्कूल शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षा को स्थानान्तरित किया जा रहा है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती हेतु प्रक्रिया

8. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हैं और इनमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों के एवं परिचर्या कर्मियों के कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) आयुर्वेदिक चिकित्सकों एवं परिचर्या कर्मियों के कितने पदों पर नियमित चिकित्सक एवं परिचर्याकर्मी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं?

(3) आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कितने चिकित्सक एवं परिचर्याकर्मी संविदा के आधार पर कार्यरत हैं एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों और परिचर्याकर्मियों की नियमित भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर नियमित भर्ती कब तक कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत 118 शैयायुक्त आयुर्वेद चिकित्सालय हैं। इसके अतिरिक्त विभाग में 3577 आयुर्वेद औषधालय एवं 7 मोबाईल यूनिट संचालित हैं। जिनमें स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है-

(आयुर्वेद मंत्री)

चिकित्साधिकारी	3879
नर्सिंग अधीक्षक	17
वरिष्ठ नर्स कम्पाउण्डर/कनिष्ठ नर्स कम्पाउण्डर	4385
चतुर्थ श्रेणी/परिचायक	3394

(2) आयुर्वेद चिकित्सकों एवं परिचर्या कर्मियों के पदों पर कार्यरत चिकित्सक एवं परिचर्याकर्मियों की संख्या एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

पद	**कार्यरत**	**रिक्त**
चिकित्साधिकारी	2751	1128
नर्सिंग अधीक्षक	4	13
वरिष्ठ नर्स कम्पाउण्डर/कनिष्ठ नर्स कम्पाउण्डर	3443	942
चतुर्थ श्रेणी/परिचारक	3183	211

(3) आयुर्वेद चिकित्सालयों में 13 आयुर्वेद चिकित्सक एवं 5 नर्स/कम्पाउण्डर माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश से संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त आयुर्वेद विभाग में संविदा पर कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है। 319 आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की भर्ती हेतु की गई कार्यवाही के संदर्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग से 289 चयनित आशार्थियों की सूची प्राप्त हुई है । जिन पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं 250 ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती की हेतु साक्षात्कार राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर लिये जाकर परिणाम घोषित किया जा चुका है चयनित आशार्थियों की सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही कर दी जावेगी। कनिष्ठ नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों की आगामी वित्त वर्ष में भरने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रवासी भारतीय सम्मेलन हेतु होटल खासाकोठी पर व्यय राशि

9. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) व **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कुल कितना समग्र व्यय विभिन्न मदों में कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मेहमानों को ठहराने के लिये होटल खासा कोठी में विभिन्न मदों में करोडों रुपये व्यय किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस मद में? होटल खासा कोठी में किये गये कार्यों के लिये कब-कब कितनी-कितनी निविदायें आमंत्रित की गई हैं? निविदा में भाग लेने वाली फर्मो व कम्पनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पर्यटन विभाग ने वर्ष 2010-11 व 2011-12 के लिये टेण्ट व स्टेज लगाने के लिये निविदायें आमंत्रित की थीं? यदि हां, तो दोनों वर्षो की निविदाओं में कितना-कितना अन्तर रहा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित कितने होटल/मोटल गत तीन वर्षो से लगातार घाटे में चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन पर व्यय मुख्यतः भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस वर्ष राजस्थान इस सम्मेलन का पार्टनर स्टेट था। उक्त आयोजन के पेटे किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मेहमानों को ठहराने के लिए होटल खासाकोठी में विभिन्न मदों में कराये गये कार्यों पर दिनांक 17.02.2012 तक राशि रु. 68.84 लाख का व्यय हुआ है। होटल खासाकोठी में विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त की गयी निविदा एवं भाग लेने वाली फर्मो/कम्पनियों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) पर्यटन विभाग में वर्ष 2009-11 के लिए किराये पर अस्थाई टैन्ट व्यवस्था हेतु व वर्ष 2011-13 के लिए किराये पर अस्थाई टैन्ट व्यवस्था तथा किराये पर अस्थाई स्टेज निर्माण एवं फेब्रिकेशन संबंधी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। वर्ष 2009-11 व 2011-13 में स्वीकृत निविदाओं की दरों का अन्तर परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित घाटे में चल रहे होटल/मोटल का विवरण निम्नानुसार है :-

(पर्यटन मंत्री)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	होटल/मोटल की संख्या
1	2008-09	34
2	2009-10	33
3	2010-11	32
4	2011-12 (माह जनवरी 2012 तक)	33

घाटे में चल रही इकाइयों की सूची अनुलग्नक 'द' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजनाएं

10. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में सरकार द्वारा लघु सिंचाई के लिए एनिकटों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कितने एनिकटों की स्वीकृतियां जारी की गईं और नहीं, तो क्यों? जिलेवार जारी स्वीकृति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 2011-12 में बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं के लिए कितना-कितना बजट का प्रावधान और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करवाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन के और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में सिंचाई परियोजना हेतु बजट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। एनिकटों का निर्माण भूगर्भीय पानी के पुर्नभरण एवं भू-संरक्षण हेतु किया जाता है। गत दो वर्षों में सरकार द्वारा 125 एनिकटों का निर्माण करवाने हेतु स्वीकृतियां जारी की हैं। जिनकी जिलेवार सूची प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) जी हां। जल संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2011-12 में 49 लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु 9073.53 लाख का बजट प्रावधान लिया गया है। परियोजनाओं की सूची मय बजट प्रावधान सहित प्रपत्र-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में स्थित सभी नदी-नालों पर पूर्व में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण होने के कारण किसी भी नई परियोजना के लिए आधिक्य जल उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण की गुंजाइश नहीं है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में दो लघु सिंचाई परियोजनाएं धारेडा सागर एवं सहोदरा के जीर्णोद्धार हेतु राशि रुपये 110 लाख का वर्ष 2011-12 में बजट प्रावधान किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभ

11. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी नगरपालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद् आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निकायों में कार्यरत सेवा निवृत्ति के पश्चात् देय एक मुश्त पेंशन लाभ एवं अन्य परिलाभ आर्थिक तंगी के कारण बकाया है? जिलेवार बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर निगम, परिषदें व पालिकाओं की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नही हैं परन्तु आर्थिक तंगी से जूझने वाली नगरपालिकाएं कुल 34 हैं।

(2) जी हां। बकाया राशि का जिलेवार विवरण संलग्न है।

<u>**संलग्नक**</u>

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय एक मुश्त पेंशन लाभ एवं अन्य परिलाभ का जिलेवार बकाया राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	बकाया राशि का विवरण (राशि लाखों में)
1.	नागौर	82.45
2.	टोंक	37.97
3.	अलवर	39.56
4.	भरतपुर	70.11
5.	धौलपुर	114.37
6.	जयपुर	52.59
7.	झुन्झुनूं	165.35
8.	सीकर	18
9.	श्रीगंगानगर	25
10.	बून्दी	15.38
11.	हनुमानगढ़	51.06
12.	चुरू	171.54
13.	जोधपुर	51.02
14.	कोटा	25.51
15.	करौली	110.14
	योग	**1030.05**

कोटा जिले में बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु स्वीकृत/व्यय राशि

12. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता योजना लागू है? यदि हां, ता कब से एवं इसकी परिधि में कौन-कौन से श्रमिक एवं बच्चे आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम बिरला)

(2) गत तीन वर्षों में इस योजनान्तर्गत कितनी बजट राशि उपलब्ध कराई गई एवं कितने बच्चों को शिक्षा हेतु कुल कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गयी तथा उसमें से कितनी राशि वास्तविक रूप में मुहैया कराई गई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में गत तीन वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान हेतु सर्वे अथवा अन्य कार्य किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब व क्या-क्या? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) यह भी सही है कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? यदि हां, तो कोटा जिले में गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण एवं गत तीन सालों में उसके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 28 अप्रेल, 2011 से लागू की गई। इसकी परिधि में भवन एवं निर्माण कार्यों में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे (छात्र/छात्राएं) आते हैं। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना 28 अप्रैल, 2011 से लागू की गई है। गत एक वर्ष में जिलेवार आबंटित बजट एवं लाभान्वित छात्र/छात्राओं की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इस अवधि में 21 फरवरी, 2012 तक कुल 787 बच्चों (छात्र/छात्राओं) को रु. 7,69,000/- की राशि स्वीकृत/भुगतान की गई।

(3) राज्य के 27 जिलों में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त अनुदान से राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाऐं संचालित की जा रही हैं। इन 27 जिलों में सर्वे कराये जाने की नवीनतम स्थिति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। अन्य कार्यों के अन्तर्गत बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत सभी 33 जिलों में निरीक्षण कार्य किया जाता है।

(4) जी हां। जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन आदेश क्रमांक-सं.श्र.आ./टास्कफोर्स/09/2190-2208 दिनांक 17.9.09 के द्वारा किया गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट-4 संलग्न है। जिसमें टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण वर्णित है। टास्क फोर्स के गठन के बाद बाल श्रम पर दिनांक 23.4.11, 19.5.11, 23.6.11, 12.8.11, 15.9.11, 19.10.11, 17.11.11 एवं 11.1.2012 को टास्क फोर्स की बैठकें हुई जिनमें प्रतिबंधित व्यवसाय प्रक्रियाओं से संबंधित

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

कारखानों की सूची बनवाई गई। बाल श्रम हेतु बाल श्रम सर्वे में चिन्हित बालकों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत संचालित विशेष विद्यालयों से जोड़ा गया। जिले में चल रही बाल सर्वे में सक्रिय भागीदारी लिये जाने एवं जनजागृति हेतु पोस्टर प्रदर्शित करवाये गये।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पोकरण एवं फलौदी लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र

13. **श्री ओम जोशी** (फलौदी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र फलौदी में पोकरण लिफ्ट (जयनारायण व्यास लिफ्ट) एवं फलौदी लिफ्ट (गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट) नहरों से कृषि भूमि सिंचित करने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) फलौदी एवं पोकरण लिफ्ट नहरों के निर्माण का मूल प्रस्ताव कहां से कहां तक का था एवं निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है?

(3) क्या वर्तमान में सिंचाई अथवा पेयजल हेतु इन नहरों से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र का कितना रकबा लाभान्वित हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? क्या उक्त नहरों पर करोड़ों रुपये की संपत्ति के रख-रखाव आदि की समुचित व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पोकरण (जयनारायण व्यास) लिफ्ट नहर के सिंचित क्षेत्र 26327 हैक्टेयर में से फलौदी विधान सभा क्षेत्र का 21000 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का प्रावधान रखा गया है।

फलौदी लिफ्ट (गुरू जम्भेश्वर लिफ्ट) नहर के सिंचित क्षेत्र 35604 हैक्टेयर में से 33500 हैक्टेयर रकबा विधान सभा क्षेत्र फलौदी में सिंचित करने का प्रावधान रखा गया है।

(2) **फलौदी लिफ्ट :-**

इन्दिरा गांधी नहर की बुर्जी 1121 से निकलने वाली फलौदी लिफ्ट की

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री)

कुल लम्बाई 31 कि.मी. (अंतिम छोर-गांव कानासर), वितरण प्रणाली की लम्बाई 297 कि.मी. एवं सिंचित क्षेत्र 62650 हैक्टेयर मूल योजना में प्रस्तावित था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कुल सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हैक्टेयर के स्थान पर 16.17 लाख हैक्टेयर तक सीमित करने से फलौदी लिफ्ट नहर का सिंचित क्षेत्र 35604 हैक्टेयर तक सीमित किया गया। फलौदी लिफ्ट (शाखा) 31 कि.मी. तथा वितरण प्रणाली की 189 कि.मी. लम्बी नहरों का समस्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

पोकरण लिफ्ट :-

इन्दिरा गांधी नहर की बुर्जी 1201.5 से निकलने वाली पोकरण (जयनारायण व्यास) लिफ्ट की लम्बाई 25.800 कि.मी. (अंतिम छोर-गांव टोटा), वितरण प्रणाली की लम्बाई 189 कि.मी. एवं सिंचित क्षेत्र 32120 हैक्टेयर मूल योजना में प्रस्तावित था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कुल सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हैक्टेयर के स्थान पर 16.17 लाख हैक्टेयर तक सीमित करने से पोकरण लिफ्ट नहर का सिंचित क्षेत्र 26327 हैक्टेयर तक सीमित किया गया। इसकी शाखा नहर का निर्माण कार्य 25.8 कि.मी. तथा वितरण प्रणाली का समस्त निर्माण कार्य 82 कि.मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां । नहरों व वितरिकाओं के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब फव्वारा पद्धति से सिंचित क्षेत्र विकास कार्य कराने हेतु सर्वे का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व काश्तकारों के सहयोग अनुसार इस कार्य को पूर्ण कराने की कार्यवाही की जावेगी।

इन दोनों नहरों पर सम्पत्ति के रख-रखाव हेतु समुचित व्यवस्था की गई है। इन नहरों पर 2 खण्ड एवं 3 उपखण्ड कार्यरत हैं।

शेखावाटी, भरतपुर तथा अलवर में विश्वविद्यालयों की स्थापना

14. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार शेखावाटी विश्वविद्यालय शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री अमराराम)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शेखावाटी, भरतपुर तथा अलवर में विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी तथा इस हेतु कार्डीनेटर भी लगाए गए थे? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय खोला जा सकेगा ।

(2) जी हां। इस हेतु विशेषाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अध्यादेश का प्रारूप तैयार किया गया। परन्तु वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

चिकित्सा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु

15. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज जयपुर में वर्तमान में आचार्य, सहआचार्य एवं सहायक आचार्य के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई राज्यों में चिकित्सा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है?

(3) क्या सरकार चिकित्सा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु सीमा में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है?यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज जयपुर में वर्तमान में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अन्य राज्यों से चिकित्सा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में सूचना संकलित की जा रही है। प्राप्त होने पर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा।

(3) प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

परिशिष्ट "1"

Sr. No.	Name of Department	Prof.	Assoc.	Assistant	Sr. Demo.
		Vac.	Vac.	Vac.	Vac.
1	2	3	4	5	6
1.	Anatomy	-	01	01	03
2.	Physiology	01	-	-	04
3.	Biochemistry	01	-	-	01
4.	Pharmacology	01	-	-	01+01 (Vet. Off.)
5.	Pathology	01	-	01	03
6.	Microbiology	-	-	-	02
7.	P.S.M.	-	01	-	03
8.	For. Medicine	01	01	-	06
9.	Medicine	-	03	06	-
10.	Gastroenterology	-	-	03	-
11.	Cardiology	-	02	-	-
12.	Neurology	-	-	03	-
13.	Nephrology	-	-	02	-
14.	Oncology	-	-	-	-
15.	Endirocrinology	-	01	01	-
16.	Skin & V.D.	-	-	-	-
17.	Chest & T.B.	-	-	01	-
18.	Psychiatry	01	01	-	-
19.	Pead. Medicine	03	03	04+05	-
20.	Radio Diagnosis	02	01	10	-

1	2	3	4	5	6
21.	Radiotherapy+Radiation Physics	-	-	-	-
22.	Surgery	-	07	04	-
23.	Urology	-	-	-	-
24.	C.T. Surgery	01	01	04	-
25.	Plastic Surgery	-	-	01	-
26.	Pead. Surgery	-	04	-	-
27.	Neurosurgery	-	-	02	-
28.	Orthopedics	-	-	03	-
29.	Phy. Med. Reh.	01	01*	-	-
30.	E.N.T.	02	-	-	-
31.	Anesthesia	-	04	10	-
32.	Obst. & Gynae	-	08	-	-
33.	Ophthalmology	-	-	-	-
34.	Surgical Gastroentrology	-	-	01	-
35.	Surgical Oncology	-	-	02	-
	Total	**15**	**38**	**64**	**23+01**

*Note :- Working Against

सीकर जिले के पर्यटन स्थलों पर व्यय राशि

16. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में कौन-कौन से पर्यटन क्षेत्र घोषित हैं तथा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10, 2011-12 में किस पर्यटन क्षेत्र पर कितना खर्चा किस मद पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(3) क्या सरकार लक्ष्मणगढ़ शहर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है?यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में पर्यटन की नवीन संभावनाओं के परिपेक्ष्य में जन प्रतिनिधियों/जिला कलक्टरों/क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रशासनिक स्तर पर चिन्हिकरण की कार्यवाही की जाती है। तदोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन विकास कार्य करवाये जाते हैं।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है अपितु पर्यटकों की आवाजाही के आधार पर ही स्थल विशेष पर्यटन स्थल बन जाता है।

सीकर जिले में स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटन विकास हेतु किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है अपितु पर्यटकों की आवाजाही के आधार पर स्थल स्वतः पर्यटन स्थल बन जाता है।

परिशिष्ट 'अ'

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत शेखावाटी पर्यटन सर्किट के अन्तर्गत सीकर जिले के पर्यटन स्थलों पर किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य	व्यय राशि (लाख में)
1.	खाटू श्यामजी में पार्किंग शेड का निर्माण	143.21
2.	खाटू श्यामजी में यात्री शेड का निर्माण	9.75
3.	जीणमाता जी की सीढियों का नवीनीकरण व मरम्मत कार्य	5.15
	कुल योग	**158.11**

इसके अतिरिक्त राज्य योजनान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2011-12 में धार्मिक पर्यटन स्थल खाटू श्यामजी, सीकर में विकास कार्य करवाये जाने हेतु राशि रु. 23.59 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में राशि रु. 11.70 लाख कार्यकारी एजेंसी राजस्थान विकास निगम को हस्तान्तरित किये गये है। कार्य प्रगति पर है।

एस.डी.एम. पहाड़ी (भरतपुर) के समक्ष लम्बित पोखर प्रकरण

17. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गोपालगढ़ विवाद का कोई प्रकरण एस.डी.एम. पहाड़ी (भरतपुर) के पास लम्बित था? यदि हां, तो क्या व कब से?

(2) क्या एस.डी.एम. पहाड़ी ने उक्त पोखर विवाद पर धारा 91 के नोटिस जारी किये थे? यदि हां, तो किस-किस को व क्यों? उक्त नोटिस में जमीन की क्या किस्म मानी गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम गोपालगढ़ के खसरा नम्बर 642, 745, 622 का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रकरण दिनांक 1.9.11 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी में विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

नगरपालिका खण्डेला (सीकर) के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही

18. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय जयपुर द्वारा वर्ष 2009 में नगरपालिका खण्डेला, जिला सीकर के तत्कालीन अध्यक्ष मौलवी अब्दुल हई, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी जगदीश प्रसाद, कनिष्ठ अभियंता, मामराज जाखड़ व सहायक कर्मचारी महेन्द्र चौधरी के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को लिखा गया था? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण के आरोपियों को सहायक कलक्टर, खण्डेला एवं जिला कलक्टर, सीकर ने भी अपनी जांच में दोषी माना है? यदि हां, तो दोषी मानने के बावजूद अब तक इनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दोषियों के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की गई :-

1. अध्यक्ष के विरुद्ध न्यायिक जांच करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. श्री जगदीश प्रसाद तत्कालीन तहसीलदार एवं कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, खण्डेला के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव पत्र संख्या एफ.2(घ)( )जांच/आरएमएस/डीएलबी/ 09/2189 दिनांक 09.07.10 के द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर को प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है।

3. श्री महेन्द्र सिंह चौधरी के विरूद्ध सीसीए नियम-17 की कार्यवाही हेतु दिनांक 09.07.10 के द्वारा नगर पालिका खण्डेला को लिखा गया था जिस पर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खण्डेला ने दिनांक 3.3.11 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। श्री चौधरी द्वारा दिनांक 28.3.11 को जवाब प्रस्तुत करने पर दिनांक 29.11.11 के द्वारा अलिखित चेतावनी देते हुए उक्त आरोप पत्र को समाप्त कर दिया गया है।

श्री मामराज जाखड़ के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर श्री जाखड की नियुक्ति के संबंध में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका खण्डेला से जानकारी करने पर बताया गया कि उक्त कनिष्ठ अभियंता दैनिक वेतन पर नगरपालिका में कार्यरत है तथा श्री जाखड़ ने माननीय सिविल न्यायाधीश (व.खण्ड) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 श्री माधोपुर द्वारा दिनांक 4.11.09 में यह आदेश पारित कर रखा है कि प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी को अपने वर्तमान पद पर मूल वाद के निर्णय होने तक यथावत बनाये रखें एवं कार्य व वेतन बाबत् तब तक यथास्थिति रखें। इस कारण तत्समय इनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी थी। वर्तमान में श्री मामराज जाखड़ दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ अभियंता को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियमित किया जा चुका है। अतः श्री जाखड़ के विरूद्ध सीसीऐ नियम-17 में अब विभागीय जांच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। जिसके अनुसार इन्हें ज्ञापन क्रमांक 971 दिनांक 23.2.12 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। उक्त प्रकरण में सहायक कलक्टर खण्डेला एवं जिला कलक्टर सीकर से कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अजमेर शहर के असंगठित श्रमिकों हेतु चिकित्सा सुविधा

19. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् राज्य-सरकार द्वारा सभी संभागीय मुख्यालयों पर असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने का निर्णय दिनांक 09 मार्च, 2011 को लिया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना में लाभान्वित श्रमिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों को उक्त योजना में सम्मिलित करने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में अब तक कितने श्रमिकों को इस योजना से जोड़ा जा सका है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के समुचित उपचार हेतु अजमेर शहर के किन निजी चिकित्सालयों से अनुबन्ध किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सभी सात संभागीय मुख्यालयों पर असंगठित क्षेत्र के निर्माण, बीड़ी, स्ट्रीट वेंडर्स तथा मनरेगा श्रमिकों पर लागू करने की बजट घोषणा दिनांक 9.3.2011 को की गई थी। इस योजना की क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है।

(2) योजनान्तर्गत श्रमिकों को सम्मिलित करने के संबंध में निम्न प्रयास किए गए :-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को बी.पी.एल. श्रमिकों से भिन्न स्ट्रीट वेंडर्स, बीड़ी श्रमिक, निर्माण श्रमिक तथा मनरेगा श्रमिक पर लागू किए जाने के संबंध में श्रम मंत्रालय भारत सरकार से दिनांक 13.6.2011 को सहमति प्राप्त हुई।

2. योजना के क्रियान्वयन हेतु भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल को नोडल एजेन्सी बनाया गया।

3. संभागीय जिलों के निर्माण, बीड़ी, स्ट्रीट वेंडर्स तथा मनरेगा श्रमिकों के परिवारों का डेटा क्रमश: राज. भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) भारत सरकार अजमेर, स्थानीय निकाय विभाग

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

तथा ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त करने हेतु समय-समय पर बैठकें आयोजित की गईं।

4. ग्रामीण विकास विभाग से पात्र मनरेगा श्रमिक परिवारों तथा कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) भारत सरकार, अजमेर से पात्र बीड़ी श्रमिक परिवारों का डेटा प्राप्त किया।

5. मनरेगा तथा बीड़ी श्रमिकों के परिवारों का डेटा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया।

6. टेंडर प्रक्रिया के उपरान्त योजना के क्रियान्वयन हेतु नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी को बीमा एजेंसी चयनित किया।

7. राज्य स्तरीय कार्यशाला में राज्य और केन्द्र सरकार के मध्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए तथा नोडल एजेंसी एवं बीमा कम्पनी के मध्य एग्रीमेंट सम्पन्न हुआ।

8. योजना को जिले में संचालित करने के उद्देश्य से संबंधित जिलों के अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) को डिस्ट्रिक्ट की मैनेजर नियुक्त किया गया।

9. संभागीय जिलों में योजना को क्रियान्वित करने के क्रम में कार्यशालाओं का आयोजन अजमेर, कोटा में किया जा चुका है व अन्य जिलों में आयोजन किया जा रहा है।

(3) अब तक किसी श्रमिक को योजना से नहीं जोड़ा जा सका है।

(4) श्रमिकों के समुचित उपचार हेतु अभी अजमेर में निजी चिकित्सालय से अनुबंध नहीं हुआ है।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धौलपुर के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

20. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में लगभग 20 लाख की लागत से निर्माण, मरम्मत, सौन्दर्यीकरण एवं रंगाई पुताई के कार्य चल रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किये जाने की शिकायत पर ठेकेदार ने कार्य बन्द कर दिया है?

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि कालेज विकास समिति ने 20 लाख रु. एवं कालेज शिक्षा निदेशक कार्यालय ने मेचिंग ग्रान्ट से मुहैया कराई थी?

(4) क्या सरकार उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है।

(3) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2010-11 की अनुपालना में मैचिंग शेयर में राशि का आबंटन विभाग द्वारा किया गया है।

(4) उक्त कार्य विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है एवं गुणवत्ता संबंधी जांच हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को अनुरोध किया जा चुका है।

संलग्नक

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 12 (17) आयो/निकाशि/91/ दिनांक : 2011

मुख्य अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय :— सार्वजनिक निर्माण विभाग, धौलपुर द्वारा भवन मरम्मत कार्य अधूरे एवं गुणवत्ता का अभाव

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक 31 दिनांक 6.7.2011 के द्वारा माननीय सांसद महोदय करौली को सार्वजनिक निर्माण विभाग, धौलपुर द्वारा भवन मरम्मत कार्य अधूरे एवं गुणवत्ता का अभाव के संबंध में अवगत कराया गया था उक्त पत्र की एक प्रति निदेशालय को भी पृष्ठांकित उक्त प्रकरण की स्थिति निम्नानुसार है :—

1. दिनांक 23.11.2010 को महाविद्यालय द्वारा भवन मरम्मत एवं पुनरूद्धार हेतु अधिशासी अभियंता, धौलपुर को लिखा गया।
2. उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार के द्वारा आवंटित राशि 10.00 लाख रु. एवं महाविद्यालय विकास समिति कोष से राशि 10.00 लाख कुल राशि 20.00 लाख रु. दिनांक 18.12.2010 को सार्वजनिक निर्माण विभाग में जमा करा दी गयी थी।
3. कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने की स्थिति में पुन: दो माह की अवधि बढ़ायी गयी।
4. उपरोक्त निर्माण कार्य संवेदक ने गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा इस हेतु कई बार महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता रहा।
5. पुताई का कार्य वर्षा से पहले ही धुल गया तथा उचित बजरी एवं डस्ट का मानदण्ड के अनुसार कार्य नहीं हुआ तथा कोटा स्टोन की क्वालिटी भी घटिया स्तर की ही है।

नवीन अकादमी सत्र 1.7.2011 से प्रारम्भ हो गया है कक्षा-कक्ष में अधूरा कार्य होने के कारण महाविद्यालय में अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है।

अत: उक्त प्रकरण में आपसे अनुरोध है कि महाविद्यालय के मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार के समस्त कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने का श्रम करावें तथा शेष कार्य की गुणवत्ता के आधार लम्बित कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराने हेतु गति प्रदान करावें।

भवदीय

ह./-

संयुक्त निदेशक

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर नगरपालिका में व्याप्त अनियमितताएं

1. **श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र नागौर में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 91 के तहत गत सवा वर्ष की अवधि में नियमों के विरुद्ध सरकारी व आमजन उपयोग की भूमि के पट्टे सस्ती दरों पर जारी किये हैं? क्या इससे भूमाफियाओं को लाभ पहुंचा है और राज्य सरकार को नुकसान हुआ है? क्या उक्त जानकारी जिला स्तरीय अधिकारियों को होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका क्षेत्र नागौर के विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया में सरकारी प्रावधान व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा है? क्या नागौर शहर के कई वार्डों में गत एक वर्ष की अवधि में बिना निविदा आमंत्रीत काम हो रहे हैं और निविदा प्रक्रिया बाद में अमल में लाई जा रही है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। नगरपालिका नागौर द्वारा राजस्थान नगरपालिका (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम 1974 के अन्तर्गत नियमानुसार टैण्डर जारी कर कार्य करवाये गये हैं।

सिरोही नगरपालिका में नियम विरुद्ध मृतक आश्रित को नियुक्ति

2. **श्रीमती गंगा बेन गरासिया** (पिण्डवाड़ा-आबू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कर्मचारियों के मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 10 के अन्तर्गत मृतक कर्मचारी की मृत्यु के 45 दिन के भीतर मृतक आश्रित को नियुक्ति के लिये प्रार्थना पत्र देना होता है? उक्त नियम में शिथिलता किस स्तर से प्रदान की जा सकती है? आदेश एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका सिरोही के सब नाकेदार

(श्रीमती गंगा बेन गरासिया)

नरपतसिंह देवल की मृत्यु के पश्चात् 1 वर्ष तक आवेदन नहीं करने के कारण उनका नियुक्ति अधिकार समाप्त हो चुका था और प्रकरण कार्यालय पत्रांक 4471 दिनांक 19 नवम्बर, 1999 को समाप्त कर दिया गया था? उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी श्री ललित देथा ने बगैर पालिकाध्यक्ष श्रीमती जयश्री राठौड़ की जानकारी में लाये कार्यालय पत्रांक 100-102 दिनांक 31 मई, 2011 व 1115 दिनांक 8 जून, 2011 को पत्र प्रेषित कर श्री भवानी सिंह देवल को नियुक्ति दिलाई है? उक्त नियुक्ति को रद्द करने एवं मुख्य मंत्री के अधिकार का अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रयोग करने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? उक्त कर्मचारी को नियम विरुद्ध कहां नियुक्ति दी गई है?

(4) क्या यह भी सही है कि नगरपालिकाध्यक्ष श्रीमती जय श्री राठौड़ ने इस संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री को दिनांक 20 जनवरी, 2012 को पत्र लिखा है? उक्त पत्र पर क्या कार्रवाही की गई? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु राजकीय कर्मचारियों के मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 10(3) के अन्तर्गत मृतक कर्मचारी की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है। आवेदक के द्वारा 90 दिवस के पश्चात विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर राज्य कर्मचारियों के मामलों में उक्त नियम में शिथिलता हेतु कार्मिक विभाग सक्षम है।

राज्य की नगरीय निकायों के कर्मचारियों के मामलों में उक्त शिथिलता हेतु विभागीय कार्य व्यवस्था संबंधी आदेश संख्या एफ19(29) डीएलबी/93/1955-2126 दिनांक 4.10.04 के तहत राज्य सरकार स्वायत्त शासन विभाग सक्षम है। नियम व आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। परन्तु अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सिरोही से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार श्री नरपतसिंह देवल का दिनांक 17.5.98 को सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनकी आश्रिता पत्नि श्रीमति उषा देवी द्वारा दिनांक 3.6.1998 को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया जिस पर दिनांक

(स्वायत्त शासन मंत्री)

4.10.1999 तक पालिका द्वारा कोई नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। तत्पश्चात श्रीमति उषादेवी ने दिनांक 5.10.1999 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना विकल्प बदलते हुए अपने जेयष्ठ पुत्र भवानी सिंह के बालिग होने पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति करने का उल्लेख किया जिस पर पालिका के पत्र दिनांक 19.11.1999 द्वारा विकल्प परिवर्तन का आवेदन 1 वर्ष 4 माह के पश्चात प्रस्तुत किये जाने के कारण नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त मानते हुए दफ्तर दाखिल कर दिया गया। पत्र की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां। श्री भवानी सिंह देवल को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि में सक्षम स्तर से शिथिलन प्राप्त कर कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर नगरपालिका आबूरोड मे नियुक्ति प्रदान की गई है। अध्यक्षा को बिना ध्यान लाये पत्राचार के संबंध में विभागीय पत्रांक 736 दिनांक 21.2.12 द्वारा उप निदेशक (क्षे.) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर को प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। शेष उत्तर भाग संख्या 3 के उत्तर में निहित है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले में निजी शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर भू-आवंटन

3. श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 20 वर्षो में जिला नागौर में सरकार द्वारा किन-किन निजी शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर कितनी-कितनी भूमि किस-किस दर पर उपलब्ध करवायी गई? शिक्षण संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा किन-किन शर्तो एवं मानदण्डों के आधार पर भूमि उपलब्ध करवायी गई? शर्तों एवं मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निजी शिक्षण संस्थाओं में से कौन-कौनसी शिक्षण संस्थाओं ने आबंटन की शर्तों को पूरा नहीं किया तथा आबंटन शर्तें पूरी नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

(4) अब तक सरकार द्वारा आबंटन की शर्तें पूरी नहीं करने वाली उक्त शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले की नगरीय निकायों द्वारा गत् 20 वर्षों में निजी शिक्षण संस्थानों को रियायती दर पर भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 व 2 के उत्तर में निहित है।

(4) भाग संख्या 1 व 2 के उत्तर के पश्चात् प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

कल्याणपुरा सांगानेर, जयपुर की रेलवे फाटक पर प्रस्तावित अण्डरपास

4. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार कल्याणपुरा सांगानेर, जयपुर की रेलवे फाटक पर अण्डरपास बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अण्डरपास बनाने हेतु कोई निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब एवं अब तक उक्त अण्डरपास नहीं बनाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में सरकार कल्याणपुरा, सांगानेर, जयपुर के रेलवे फाटक पर अण्डरपास बनाने का विचार नहीं रखती। एल सी-78 पर रेलवे के समानान्तर बीसलपुर पानी की दो लाइनें कम गहराई पर होने के कारण वर्तमान में इस स्थान पर अण्डरपास बनाने के प्रस्ताव का रेलवे ने तकनीकी रूप से उचित नहीं माना है।

(2) जी हां। इस अण्डरपास को बनाने हेतु निर्णय दिनांक 03.12.2010 को लिया गया था। शेष बिन्दु का उत्तर बिन्दु संख्या-1 में वर्णित उत्तर के अनुसार।

रणजीत नगर (अलवर) के रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण हेतु भू-अवाप्ति

5. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में कला महाविद्यालय के सामने से होकर रणजीत नगर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि का प्रावधान उक्त रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु किया गया? स्वीकृति दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु निविदा जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य की कार्यकारी एजेंसी कौन है व निविदा किस फर्म/ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि उपलब्ध है अथवा अवाप्त की जानी है? क्या उक्त ओवरब्रिज हेतु भूमि अवाप्त की जानी है यदि हां, तो कहां-कहां व किस-किस व्यक्ति/विभाग की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की जावेगी/की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा व कुल कितनी अवधि में पूर्ण कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि अलवर में कला महाविद्यालय के सामने से होकर रणजीत नगर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु न्यास की बैठक दिनांक 16.05.2011 के प्रस्ताव संख्या-3 के अनुसार 1800.98 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त ओवरब्रिज हेतु राज्य सरकार एवं RIDCOR के मध्य एम.ओ.यू. दिनांक 23.11.2011 को किया गया है तथा नगर सुधार न्यास, अलवर एवं रिडकोर के मध्य एग्रीमेन्ट दिनांक 05.12.2011 को सम्पादित हुआ है।

(2) रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु राज्य सरकार के द्वारा RUIFDCO को नोडल एजेन्सी बनाया गया है एवं RUIFDCO द्वारा इस ओवरब्रिज हेतु RID-COR को कार्यकारी एजेन्सी निर्धारित किया गया है। उक्त रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु अभी तक निविदा जारी नहीं की गई है।

(3) प्रस्तावित आर.ओ.बी. की अधिकतर भूमि अवाप्तशुदा है शेष भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसकी धारा 6 सपठित धारा-17 की अधिसूचना दिनांक 25.08.2011 को जारी की जा चुकी है। विवरण निम्नानुसार है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्र.सं.	खसरा हाल नं.	भूमि का कुल क्षेत्रफल (व.मी. में)	अवाप्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमि का विवरण	खातेदार का नाम
1.	1750	300	290.01	गै.मु. चाह	चौथमल पुत्र खैरातीलाल छीपी साकिन प्रतापबास अलवर खातेदार।
2.	1749	2900	46.49	बारानी उत्तम	कजोड़राम, प्यारेलाल पुत्र श्री दुलीचंद चावर
3.	1751	7800	2480.65	बारानी उत्तम	बद्रीप्रसाद पुत्र श्री भौरेलाल वर्मा नि. प्रतापबास, अलवर 440 वर्गगज गैर मुमकिन आबादी 2072 वर्गगज बारानी उत्तम दर 0.21 हैक्टेयर, भरतकुमार पुत्र श्री गिर्राजप्रसाद छीपी 1/2 जिन्दो देवी स्त्री चौथमल जाति छीपी हि. 1/2 दर 0.18 हैक्टेयर कुल हिस्सा 1/2, चौथमल पुत्र खैरातीलाल कौम छीपी, सडक नम्बर 2, अलवर दानग्रहिता 16/17 हि. अनिल कुमार जैन पुत्र स्व. दीपचंद जैन जाति मुंशी बाजार अलवर 1/17 हि. दर 1/2 हि. खातेदार

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) उक्त कार्य भूमि अवाप्ति के बाद भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 18 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

मालवीय नगर सांस्थानिक क्षेत्र जयपुर में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को आवंटित भू-खण्ड

6. **श्री विजय बंसल** (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मालवीय नगर सांस्थानिक क्षेत्र में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को कितनी भूमि कब आबंटित की गई एवं आबंटन पश्चात् उक्त आबंटी को आबंटन कम डिमाण्ड नोटिस कब और कितनी भूमि का जारी किया गया? उक्त संस्था को आबंटित भूमि का कब्जा पत्र/पट्टा व आबंटित भू-खण्ड का साइट प्लान कब दिया गया ? विवरण मय प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण की एलपीसी की बैठकों में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में भू-खण्ड आबंटित किये जाने संबंधी एजेंडे पर कब-कब विचार किया गया? उक्त समस्त एलपीसी बैठकों में लिये गये निर्णयों से संबंधित बैठकों के संक्षिप्त कार्यवाही विवरणों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 22-12-2004 को समिति की ओर से तत्कालीन आयुक्त एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों ने उक्त संस्था को 7000 वर्गगज भूमि आबंटित किये जाने की सहमति दी थी एवं तत्पश्चात् दिनांक 6 व 7 जून, 2005 को एलपीसी की बैठक में भूमि की उपलब्धता के कारण 6400 वर्गगज भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो संस्था को 6400 वर्गगज भूमि के स्थान पर 6474.53 वर्गगज भूमि का आबंटन कम डिमाण्ड नोटिस किस आधार पर जारी किया जाकर आबंटी संस्था से राशि जमा करवाई गई? बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था को संशोधित आबंटन पत्र 6400 वर्गगज का जारी किया गया है? यदि हां, तो संस्था द्वारा इससे पूर्व 6474.53 वर्ग गज भूमि की डिमाण्ड राशि क्यों जमा करवाई गई?

(5) उक्त संस्थानिक क्षेत्र में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को भूमि

(श्री विजय बंसल)

आबंटन किये जाने से पूर्व, मौका रिपोर्ट, नक्शा रिपोर्ट व भूमि की उपलब्धता किस दिनांक को जारी हुई? क्या एलपीसी बैठक में निर्णय से पूर्व भूमि की नाप व नक्शा नहीं बनवाया गया था? यदि नहीं, तो जयपुर विकास प्राधिकरण मौके पर उपलब्ध 6400 वर्ग गज से अधिक भूमि, भू पट्टी (Strip of Land) को नियमानुसार विजय नर्सरी शिक्षा समिति को ही दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि विजय नर्सरी शिक्षा समिति को भू-खण्ड आबंटन के ढाई वर्ष पश्चात् प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र/पट्टा एवं साइट प्लान जारी किया गया है? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसमें कौन दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) संस्था द्वारा आबंटित भूमि में निर्माण हेतु नक्शे अनुमोदन के लिए प्रार्थना पत्र कब प्रस्तुत किये गये? क्या बीपीसी-एलपीसी की बैठक में संस्थान द्वारा प्रस्तुत नक्शे अनुमोदित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त संस्था को भू-खण्ड आबंटन के ढाई वर्ष पश्चात् भूमि का कब्जा पत्र/पट्टा दिये जाने के पश्चात् संस्था से पुनर्ग्रहण राशि आबंटन तिथि से ली जा रही है? यदि हां, तो किस नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण के संबंधित जोन द्वारा उक्त संस्था को उसकी आबंटित भूमि के संबंध में भू एवं स्वामित्व रिपोर्ट भेजी जा चुकी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? उक्त रिपोर्ट नहीं भेजने अथवा अनावश्यक विलम्ब करने में कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(10) क्या उक्त संस्था को आबंटित भूखण्ड में भू-पट्टी (Strip of Land) है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण ऐसी भू-पट्टी (Strip of Land) को किसे और किस दर पर दिये जाने का विचार रखती है?क्या जयपुर विकास प्राधिकरण भू-पट्टी (Strip of Land) को नीलामी के माध्यम से किसी अन्य को देने का विचार रखता है?

(11) जयपुर विकास प्राधिकरण उक्त संस्था द्वारा प्रस्तुत नक्शों को कब तक अनुमोदित करने का विचार रखता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को 7224.74 व.मी. का प्रोविजनल आबंटन पत्र दिनांक 05.10.1995 को आबंटित की गई एवं आबंटन पश्चात् उक्त आबंटी को आबंटन कम डिमाण्ड नोटिस दिनांक 29.05.07 को 6400 व.ग. अर्थात 5351 व.मी. जारी किया गया। उक्त संस्था को आबंटन भूमि का कब्जा दिनांक 31.12.09 को पट्टा व आबंटित भूखण्ड का साइट प्लान दिनांक 19.11.2010 को दिया गया।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण की एलपीसी की बैठकों में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड आबंटित किये जाने संबंधी एजेंडे पर जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति की विभिन्न दिनांक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। बैठक दिनांक का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विजय नर्सरी शिक्षा समिति के मंत्री द्वारा सिटीजन केयर सेन्टर में उपस्थित होकर सुनवाई में समिति को 7000 वर्गगज भूमि आबंटन पर सहमति जताई थी, लेकिन प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ एलपीसी की बैठक दिनांक 06 व 07.06.2005 में रखने पर लगभग 6400 व.ग. भूमि आबंटन बहाल किये जाने का निर्णय एलपीसी की बैठक में लिया गया। निर्णयानुसार भूखण्ड की भौतिक स्थिति एवं वास्तविक क्षेत्रफल हेतु मौका निरीक्षण करवाया गया, जिस पर पाया गया कि मौके पर कुल 6549.57 व.ग. (5476.28 व.मी.) भूमि उपलब्ध है। एलपीसी द्वारा 5413.49 व.मी. (6474.53 व.ग.) क्षेत्रफल की राशि व ब्याज प्राधिकरण कोष में जमा कराई गई। उक्त राशि एलपीसी एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुक्रम में प्रोविजनल आबंटन पत्र दिनांक 05.10.1995 को प्रचलित आरक्षित दर के हिसाब से जमा कराई गई। निर्णयों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि संस्था से 6474.53 व.ग. भूमि की डिमाण्ड राशि जमा करवाई गई। उक्त संस्था को संशोधित आबंटन पत्र 6400 व.ग. का जारी किया गया। शेष बढ़े हुए क्षेत्रफल का आबंटन नहीं किया गया था तथा 74.53 वर्गगज भूमि की राशि स्ट्रीप आफ लैण्ड का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण नहीं लौटाई गई।

(5) विजय नर्सरी शिक्षा समिति को भूमि आबंटित किये जाने से पूर्व मौका रिपोर्ट, नक्शा व भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

संस्था को मालवीय नगर योजना जो प्राधिकरण द्वारा सृजित की हुई योजना है, इसी योजना में से ही संस्था को भूमि आबंटित की गई है। जी हां, एलपीसी बैठक में निर्णय से पूर्व भूमि की नाप व नक्शा नहीं बनवाया गया था। इसी कारण मौके पर आबंटित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल मौके पर उपलब्ध हुआ संस्था द्वारा बढ़ा हुआ क्षेत्रफल (Strip of Land) नियमानुसार देय राशि पर सहमति नहीं देने के फलस्वरूप आबंटित क्षेत्रफल का ही कब्जा पत्र, साइट प्लान व पट्टा जारी किया गया। संस्था द्वारा दी गई सहमति पत्र परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(6) यह सही है कि विजय नर्सरी शिक्षा समिति को भूखण्ड आबंटन के ढाई वर्ष (19.11.2010 को) पश्चात् प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने पर कब्जा पत्र/पट्टा एवं साइट प्लान जारी किया गया। विलम्ब होने का कारण रिकार्ड अनुसार यह स्पष्ट हुआ कि प्रार्थी को आबंटित क्षेत्रफल से अधिक भूमि जो कि संस्था को आबंटित भूमि से लगती हुई भूमि है का निस्तारण नहीं होने से पट्टा जारी करने में विलम्ब हुआ।

(7) संस्था द्वारा आबंटित भूमि में निर्माण हेतु नक्शे अनुमोदन के लिए दिनांक 12.10.11 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। जी नहीं, बीपीसी एलपीसी की बैठक में संस्थान द्वारा प्रस्तुत नक्शे अनुमोदित नहीं किये गये हैं, क्योंकि संस्था से पुर्नग्रहण राशि एवं शहरी जमाबन्दी की राशि बकाया है।

(8) जी हां। पुर्नग्रहण राशि आबंटन तिथि से ली जाती है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(9) प्राधिकरण के जोन द्वारा संस्था को आबंटित भूमि के सम्बन्ध में भू एवं स्वामित्व रिपोर्ट दिनांक 22.02.12 को भेजी जा चुकी है। पुर्नग्रहण राशि देय होने का परीक्षण प्रक्रियाधीन होने के कारण विलम्ब हुआ है। अतः विलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं है।

(10) जी हां। उक्त संस्था को आवंटित भूखण्ड से लगती हुई भू-पट्टी (Strip of Land) है। वर्तमान में उक्त भू-पट्टी किसको देनी है तथा किस दर पर देनी है, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। वर्तमान में उक्त भू-पट्टी के निस्तारण हेतु शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

(11) संस्था को शहरी जमाबन्दी एवं पुर्नग्रहण शुल्क जमा करवाने हेतु डिमांड नोटिस राशि रुपये 66,30,990 (छियासठ लाख तीस हजार नौ सौ नब्बे

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रुपये) का प्रेषित किया गया है, संस्था द्वारा उक्त राशि जमा करवाने के पश्चात नियमानुसार नक्शे अनुमोदित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर नगर निगम द्वारा मिशन अनुपम योजनान्तर्गत निजी संस्थाओं को आवंटित ऐतिहासिक स्थल

7. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर निगम द्वारा मिशन अनुपम के अन्तर्गत कौन-कौन से ऐतिहासिक स्थलों को किन-किन निजी संस्थाओं को दिया गया है? नाम एवं तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उक्त समस्त स्थलों का संधारण संबंधित संस्था द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन का एवं नहीं, तो ऐसे कितने स्थल हैं, जिनका संबंधित संस्था द्वारा संधारण नहीं किया जा रहा है? स्थलवार व संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन संस्थाओं द्वारा उक्त स्थलों का समुचित संधारण नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम अजमेर द्वारा मिशन अनुपम के अन्तर्गत निम्न ऐतिहासिक स्थलों को दिया गया है:-

1. मदार गेट स्थित घण्टाघर, भारतीय जीवन बीमा निगम, अजमेर को अनुबंध अवधि दिनांक 13.3.06 के अनुसार 2 वर्ष हेतु दिया गया एवं वर्ष 2008-09 तक समयावधि वृद्धि की गई।
2. शहीद स्मारक रेलवे स्टेशन के सामने प्रधानाचार्य, संस्कृति स्कूल, अजमेर को अनुबंध अवधि अनुबंध दिनांक 30.04.08 द्वारा 3 वर्ष हेतु दिया गया।
3. गांधी भवन पार्क, मित्तल हास्पीटल अजमेर को अनुबंध अवधि अनुबंध दिनांक 09.06.07 को 5 वर्ष हेतु दिया गया।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी नहीं। निम्नलिखित स्थलों को संबंधित संस्था द्वारा संधारण नहीं किया जा रहा है:-

1. मदार गेट स्थित घण्टाघर

2. शहीद स्मारक, रेलवे स्टेशन के सामने

3. गांधी भवन पार्क

(3) 1. मदार गेट स्थित घण्टाघर का भारतीय जीवन बीमा निगम, अजमेर की अनुबंध/इकरार अवधि समाप्त होने के कारण कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2. शहीद स्मारक रेलवे स्टेशन के सामने प्रधानाचार्य संस्कृति स्कूल अजमेर की अनुबंध/इकरार अवधि पूर्ण होने के कारण कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

3. गांधी भवन पार्क, मित्तल हास्पीटल अजमेर द्वारा वर्ष 2012 में पार्क स्थल का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं करने के कारण नगर निगम, अजमेर द्वारा माह फरवरी 2012 में इकरार निरस्त किया गया।

नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा आवासीय योजनाओं का निस्तारण

8. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर शहर में नगर सुधार न्यास द्वारा नियोजित रूप से बसाई गई आवासीय कालोनियां अथवा योजनाएं कौन-कौन सी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कालोनियों में भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया प्रथम बार कब हुई? प्रत्येक आवासीय कालोनी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं हेतु निजी खातेदार की कितनी भूमि अवाप्त की गई? योजनानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी योजनाओं में लैण्ड फारलेण्ड के मामले न्यास की नेगोसिएशन कमेटी में निस्तारित होने के बाद अनुमोदन के लिये नगरीय विकास विभाग के स्तर पर लम्बित है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा नियोजित रूप से बसाई गई योजनाएं निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	योजना का नाम	क्र. सं.	योजना का नाम
1.	ट्रांसपोर्ट नगर	15.	छतरी योजना
2.	गणेश गुवाडी	16.	शास्त्री नगर
3.	चन्द्रबरदाई नगर	17.	शास्त्री नगर विस्तार
4.	कोटडा	18.	अजय नगर
5.	हरिभाउ उपाध्याय मुख्य	19.	अजय नगर विस्तार
6.	ज्वाला प्रसाद नगर	20.	नाका मदार
7.	बाल कृष्ण कौल नगर	21.	एम. डी. कालोनी
8.	अर्जुनलाल सेठी नगर	22.	अशोक मार्ग
9.	बकरा मण्डी	23.	धोलाभाटा
10.	महाराणा प्रताप नगर	24.	फरीदाबाग
11.	पृथ्वीराज नगर	25.	शिवकुंड योजना
12.	हरिभाउ उपाध्याय विस्तार	26.	पहाड़गंज
13.	वैशाली नगर	27.	आनासागर सरक्यूलर रोड
14.	पंचशील नगर		

(2) उपरोक्त योजनाओं में प्रथम आबंटन निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रथम आबंटन वर्ष	क्र. सं.	योजना का नाम	प्रथम आबंटन वर्ष
1	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**
1.	ट्रांसपोर्ट नगर	2000	3.	चन्द्रबरदाई नगर	1996
2.	गणेश गुवाडी	1995	4.	कोटडा	1997

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1	2	3	1	2	3
5.	हरिभाऊ उपाध्याय मुख्य	1998	16.	शास्त्री नगर	1983
6.	ज्वाला प्रसाद नगर	1999	17.	शास्त्री नगर विस्तार	1983
7.	बाल कृष्ण कौल नगर	1998	18.	अजय नगर	1981
8.	अर्जुनलाल सेठी नगर	1989	19.	अजय नगर विस्तार	1981
9.	बकरा मण्डी	1998	20.	नाका मदार	1981
10.	महाराणा प्रताप नगर	2002	21.	एम. डी. कॉलोनी	1982
11.	पृथ्वीराज नगर	2007	22.	अशोक मार्ग	1971
12.	हरिभाऊ उपाध्याय विस्तार	1989	23.	धोलाभाटा	1981
			24.	फरीदाबाग	1983
13.	वैशाली नगर	1989	25.	शिवकुंड योजना	1972
14.	पंचशील नगर	1989	26.	आनासागर सरक्यूलर रोड	1969
15.	छतरी योजना	1989	27.	पहाड़गंज	1972

(3) भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निम्न योजनाओं की अवाप्ति की कार्यवाही की गई है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	अवार्ड दिनांक	खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल (बीघा में)
1	2	3	4
1.	पृथ्वीराज नगर आवासीय	12.07.05	379-02-08
2.	चन्द्रबरदाई नगर	19.02.94	604-09-12
3.	हरिभाऊ उपाध्याय नगर आवासीय मुख्य	19.11.96	567-03-00
4.	हरिभाऊ उपाध्याय नगर आवासीय	16.03.98	41-21-10

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1	2	3	4
5.	कोटडा आवासीय	29.03.2000	78-14-10
6.	बी.के. कौल नगर आवासीय	11.09.96	293-11-10
7.	अर्जुनलाल सेठी नगर विस्तार	18.01.05	13-14-00
8.	वैशाली नगर आवासीय	25.01.93	143-05-13
9.	आनासागर सरक्यूलर रोड योजना	—	148-05-00
10.	छतरी योजना	—	09-02-05
11.	जे.पी. नगर आवासीय योजना	03.08.93	136-18-10
12.	अजय नगर	16.12.69	61-15-10
13.	नाका मदार एवं एम.डी. कालोनी	15.11.65	25-10-10
14.	धोलाभाटा योजना	—	44-10-14

(4) यह सही नहीं कि उक्त सभी योजनाओं में लेण्ड फोर लेण्ड के मामले राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित हैं वरन् निम्न योजनाओं में ही निम्नानुसार प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर अनुमोदन हेतु लम्बित है।

क्र. सं.	योजना का नाम	लम्बित प्रकरणों की संख्या	क्र. सं.	योजना का नाम	लम्बित प्रकरणों की संख्या
1.	पृथ्वीराज नगर	62	5.	कोटडा आवासीय	01
2.	चन्द्रबरदाई नगर	03	6.	बी.के. कौल नगर आवासीय	15
3.	हरिभाउ उपाध्याय नगर आवासीय विस्तार	07	7.	पंचशील नगर	17
4.	हरिभाउ उपाध्याय नगर मुख्य आवासीय	13	8.	अर्जुनलाल सेठी नगर	12

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित प्रकरण नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के लिए गठित मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड समिति के समक्ष जारी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत किए जाते हैं। जिसका पुर्नगठन दिनांक 23.12.2011 को किया गया है। इन प्रकरणों को एम्पावर्ड समिति की आगामी बैठक के समक्ष रखने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के नवीन मास्टर प्लान में सम्मिलित राजस्व ग्राम

9. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण का वर्तमान मास्टर प्लान तत्समय की जोधपुर नगर विकास न्यास की सीमाओं (73 राजस्व ग्रामों) के लिये ही तैयार किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जोधपुर विकास प्राधिकरण की अधिसूचित सीमाओं में अवस्थित 235 राजस्व ग्रामों के लिये कोई नया मास्टर प्लान बनाने की योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक इसे अधिसूचित किया जायेगा? नया मास्टर प्लान बनाने की कार्य प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की वर्तमान सीमाओं के लिये किसी भी मास्टर प्लान के अभाव में प्राधिकरण द्वारा भू उपयोग परिवर्तन कर अनेक स्थानों पर नई कालोनियों को विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कालोनियों में सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि को संबंधित विभागों को आबंटित करने के बारे में राज्य सरकार और जोधपुर विकास प्राधिकरण की क्या योजना है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जोधपुर नगरीय क्षेत्र के 72 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2003-2023 के लिये जोधपुर मास्टर प्लान अधिसूचित किया गया था। तत्समय न्यास क्षेत्र की सीमाऐं 72 गांवों तक ही थी। वर्ष 2008 में जोधपुर विकास प्राधिकरण का गठन होने के पश्चात् 235 राजस्व ग्रामों को अधिसूचित कर "जोधपुर रीजन" में सम्मिलित किया गया।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। आदेश दिनांक 27.09.2011 के क्रम में जोधपुर नगरीय क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान 2023 को रिव्यू कर नये सम्मिलित गांव के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिये गये थे। निर्देशों की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवास विकास लिमिटेड एवं राज्य सरकार से अनुमोदित Dedicated Consultants से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त अनुमोदित कन्सलटेंट को ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश दिये जायेंगे। मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में सर्वे कार्य पूर्ण होने ड्राफ्ट प्लान पर आपत्तियां प्राप्त करने के उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदिन होने के उपरान्त मास्टर प्लान को अधिसूचित किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी हां। जोधपुर विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात् "जोधपुर रीजन" में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये गये हैं, जिसकी सूची संलग्न की जा रही है।

(4) टाऊनशिप पालिसी 2010 के प्रावधान एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों/नियमों के अनुसार उक्त योजनाओं में सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि का आबंटन किया जा सकता है।

संलग्नक

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Details of Change in Land Use allowed (From 21 Jan., 2009 onwards)

S/ No.	Applicent Name	Location		Area	Land Use as per Master Plan	Propose Use	Level of the Meeting
		Village	Khasra No/ Scheme				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री बी. देवराज पुत्र श्री आसनदास	चौखा	658	3888.88 वर्ग गज	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
2.	श्रीमती उन्नति जैन पत्नि श्री आलोक जैन	तनावडा	149, 150, 151, 152/1/1 इत्यादि	116-08 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
3.	श्री जैराराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम	चौखा	683, 684	16-17 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
4.	श्री दुर्गाराम पुत्र श्री टीमाराम	चौखा	679, 680, 681	19-03 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
5.	श्रीमती मूली देवी बन्नाराम	चौखा	682	14-06 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	श्री राजेन्द्र मेहता द्वारा लेरिया आर्ट एक्सपोर्ट	चौखा	857/658	3-01 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
7.	जाट समाज विकास संस्थान	माणकलाव	416	5-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
8.	होटल लेहरिया	चौखा	634, 635	44-10 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
9.	श्री भूरे खां	चौखा	60	20-05 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
10.	सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर	चौखा	66 से 72	1059-19 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
11.	श्री अचलाराम पुत्र भोमाराम वगैरा	सिरयादे गांव	93	99 बीघा 17 बिस्वा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
12.	श्रीमती कोयली देवी एवं श्रीमती चम्पा देवी	झालामण्ड	741 मीन व 741/1	20 बीघा	अन्य सामुदायिक सुविधायें	आवासीय	राज्य स्तर
13.	श्री रूघाराम, श्री मांगीलाल, श्रीमती गोमती एवं अन्य आदि	भाकरासनी	83/1, 84, 85/1, 85/2	58 बीघा 3 बिस्वा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	श्री रतनाराम पुत्र श्री सांकलाराम, श्री रतनाराम पुत्र श्री जीवाराम पुत्र श्री भीकाराम व श्री रमेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल	भाकरासनी	183, 183, 183/2, 186/1, 186/3	38 बीघा 13 बिस्वा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
15.	श्री झूमरराम पुत्र श्री लूणाराम, श्री रामचन्द पुत्र श्री गोरख राम व अन्य	विनायकपुरा	717/622 एवं 718/618	120 बीघा	मास्टर प्लान के क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।	आवासीय	राज्य स्तर
16.	श्रीमती मांगी देवी, श्री बद्रीराम, श्री धन्नाराम	चौखा	58	21 बीघा 4 बिस्वा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर
17.	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण	सांगरिया व कुडी भगतासनी	सांगरिया के खसरा संख्या 261 पार्ट, 266 पार्ट, 267, 268, 269, 270, 278 पार्ट, 276 पार्ट, 273 पार्ट, 216 पार्ट, 217, 218, 218/1, 219, 220, 222, 223, 224 पार्ट, 225 पार्ट, 226 पार्ट, 228 पार्ट,	1500 बीघा	गोदाम, पर्यटन सुविधा, पार्क/खुला क्षेत्र डिस्ट्रीक्ट सेंटर, खुला क्षेत्र, व्यावायिक, ओसीएफ व ट्रांसपोर्ट नगर	आवासीय	राज्य स्तर

1	2	3	4	5	6	7	8
			327, 328, 329, 330 331 पार्ट, 332 पार्ट, 333 पार्ट, 225 पार्ट, 226 पार्ट, 227 पार्ट, 228 पार्ट, 214, 272, 271 एवं ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या147, 156, 157, 159, 160, 161, 162 पार्ट, 165 पार्ट, 166, 167, 168, 170, 282 पार्ट, 283 पार्ट, 163, 165 पार्ट, 211, 212, 213, 214, 215, 216 पार्ट, 217 पार्ट, 218, 219, 220, 221, 148 पार्ट, 151 पार्ट, 158 पार्ट, 169, 155, 164				
18.	अ- श्री ओगडराम, नाथूराम वगैरह श्री ब–नेमाराम पुत्रश्री शंकरलाल	ग्राम नान्दडा खुर्द	अ- खसरा संख्या 135/1 ब- 139	अ- 9 बीघा, बिस्वा 10 बिस्वांशी ब- 9 बीघा 6 बिस्वा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय	राज्य स्तर

राज्य क्रीड़ा परिषद में प्रशिक्षकों की नियमित नियुक्ति

10. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य क्रीड़ा परिषद ने अनुबंध पर नियुक्त 13 प्रशिक्षकों को नियमित बताकर उनके नाम से सहायतार्थ अनुदान राशि प्राप्त की है? यदि हां, तो कितनी राशि कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य क्रीड़ा परिषद में प्रशिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उक्त में से कितने-कितने पदों पर संविदाकर्मी तथा नियमित प्रशिक्षक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों को पद से हटाने एवं प्रशिक्षकों के पदों पर नियमित नियुक्तियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 149 प्रशिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों पर 69 नियमित प्रशिक्षक कार्यरत हैं। 78 प्रशिक्षकों की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। दो पद रिक्त हैं।

वर्ष 1998 में 13 प्रशिक्षकों को संविदा के रूप में नियुक्त किये गये थे, जिनमें से एक संविदा प्रशिक्षक द्वारा त्याग पत्र देने के बाद 12 संविदा प्रशिक्षक कार्यरत हैं।

(3) अप्रासंगिक है।

प्रशिक्षकों के 78 पदों पर नियमित नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त कर लिये गये हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

जिला क्रीड़ा परिषद जयपुर में व्याप्त अनियमितताएं

11. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर सहकारी संस्था के रूप में कब पंजीकृत हुई? इसके संविधान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(2) उक्त संस्था के बैंक खाते में जनवरी, 2000 में कितनी राशि बचत खाते एवं सावधि खातों में जमा थी?

(3) चौगान स्टेडियम के दक्षिणी मैदान व कमरों से तिब्बती मार्केट, सर्कस, स्कूटर, साइकिल स्टेण्ड व अन्य से जनवरी, 2000 से जनवरी, 2012 तक कितनी-कितनी आय हुई एवं गत पांच वर्षों में किस-किस पर कितना-कितना व्यय हुआ? माहवार, मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्टेडियम के बाहर की ओर बनी दुकानें/गोदामों से जनवरी, 2000 से जनवरी, 2012 तक प्रति दुकान/गोदामवार कितना-कितना किराया परिषद को प्राप्त हुआ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त स्टेडियम के क्रिकेट मैदानों से विगत पांच वर्षों में कितनी राशि किराये के रूप में परिषद को प्राप्त हुई एवं उसके लिए प्रतिमाह कितनी-कितनी रसीदें काटी गयीं और क्रिकेट मैदान के लिए कितना-कितना किराया निर्धारित है? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त संस्था के पूर्व सचिव की प्रतिमाह पेंशन, चिकित्सा पुनर्भरण पर जनवरी, 2005 से जनवरी, 2012 तक कितना-कितना व्यय हुआ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त स्टेडियम के तरणताल पर जनवरी, 2000 से जनवरी, 2012 तक प्रतिवर्ष कितना-कितना व्यय किस-किस कार्य पर किया गया एवं प्रतिवर्ष किस-किस माह में तरणताल को उपयोग में लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) जिला क्रीड़ा परिषद जयपुर को जिले में कहां-कहां खेल के मैदानों हेतु भूमि आबंटित है?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर सहकारी संस्था के रूप में दिनांक 20/08/1991 को पंजीकृत हुई। संविधान की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जिला क्रीडा परिषद के बचत बैंक खाते में जनवरी, 2000 में राशि रुपये 80,489.95 थी तथा सावधी खाते में राशि 25,44,562/- रुपये जमा थी।

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

(3) जनवरी, 2000 से जनवरी, 2012 तक प्राप्त आय विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है तथा गत 5 वर्षों में हुये व्यय का माहवार, मदवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) स्टेडियम के बाहर की ओर बनी दुकानों/गोदाम से जनवरी, 2000 से जनवरी, 2012 तक दुकानों एवं गोदाम द्वारा प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) स्टेडियम को विगत 5 वर्षों में क्रिकेट मैदान से किराये के रूप में राशि 5,59,000/- रूपये प्राप्त हुए है तथा इसके लिए 604 रसीदें काटी गई। क्रिकेट मैदान के लिए वर्तमान में ऊपर वाले मैदान के लिए राशि 2,500/- तथा नीचे वाले मैदान के लिए 1,400/- रुपये किराया निर्धारित है। माहवार सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(6) पूर्व सचिव की प्रतिमाह पेंशन चिकित्सा पुनर्भरण पर जनवरी, 2005 से जनवरी 2012 तक हुये व्यय का माहवार विवरण परिशिष्ट "6" अ व "6" ब पर संलग्न है।

(7) स्टेडियम के तरणताल पर जनवरी, 2000 से जनवरी, 2012 तक किये गये व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है तथा तरण ताल का उपयोग प्रतिवर्ष अप्रैल से अगस्त माह में किया जाता है। (औसतन 5 माह)

(8) जिला क्रीड़ा परिषद जयपुर को जिले में खेल के मैदान हेतु गोविन्दगढ़, शाहपुरा एवं चौगान स्टेडियम में भूमि आबंटित है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में जन सुनवाई के दौरान प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही

12. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2010 तक गांवों के दौरे व जनसुनवाई के दौरान दिनांक 25-11-2010 को विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के 6 ए.पी.डी. व श्रीविजयनगर में राजस्व अभियान के दौरान प्राप्त हुए ज्ञापन तथा जनसमस्याएं और निरीक्षण की रिपोर्ट व निरीक्षण के दौरान बताई गई समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला श्रीगंगानगर में राजस्व अभियान दिनांक 10-11-2010 से 31-12-2010 तक चलाया गया था। उक्त राजस्व अभियान में दिनांक 25-11-2010 को ग्राम 6 एपीडी में तत्कालीन जिला कलक्टर उपस्थित नहीं हुए। ग्राम ए.पी.डी. में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ। प्राप्त ज्ञापन में सूरतगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड श्री विजयनगर के कार्यालय को जल संसाधन वृत, श्रीविजयनगर के अधीन रखने का आग्रह किया गया था।

इंदिरा गांधी नहर मण्डल के आदेश क्रमांक पं. 10(3) इंगानम/2009 दिनांक 17-1-2011 द्वारा सूरतगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड, श्रीविजयनगर को जल संसाधन वृत, श्रीविजयनगर मुख्यालय विजयनगर कर दिया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

इन्दिरा गांधी नहर मण्डल

क्रमांक :- प.10 (3) इगानम/2009 जयपुर, दिनांक 17.01.2011

कार्यालय आदेश

कार्यादेश आदेक क्रमांक प. 10 (3) इगानम/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2010, जिससे साहवा लिफ्ट वृत, इगांनप का मुख्यालय बीकानेर से हनुमानगढ़ को किया गया था को निरस्त करते हुये इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निम्नांकित कार्यालयों के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्तमान में कार्यरत खण्डीय कार्यालय	संशोधित अधीनस्थ खण्डीय कार्यालय
1	2	3	4
	जल संसाधन वृत्त श्रीविजयनगर, मुख्यालय श्रीविजयनगर	1. अनूपगढ़ शाखा, जल संसाधन खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर	1. अनूपगढ़ शाखा, जल संसाधन खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
		2. अनूपगढ़ शाखा, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, घड़साना जिला श्रीगंगानगर	2. अनूपगढ़ शाखा, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, घड़साना जिला श्रीगंगानगर
		3. जल संसाधन खण्ड, खाजूवाला, जिला बीकानेर	3. सूरतगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड, श्रीविजयनगर

1	2	3	4
	जल संसाधन वृत्त श्रीविजयनगर, मुख्यालय श्रीविजयनगर	4. जल संसाधन खण्ड, श्रीविजयनगर	
		5. सूरतगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड, श्रीविजयनगर	
2.	साहवा लिफ्ट वृत्त (इगांनप) मुख्यालय बीकानेर	1. कंवरसेन लिफ्ट खण्ड, इगांनप, लूणकरनसर, जिला बीकानेर	1. कंवरसेन लिफ्ट खण्ड, इगांनप, लूणकरनसर, जिला बीकानेर
		2. सर्वे एवं अन्वेषण खण्ड, इगांनप, रावतसर, जिला हनुमानगढ	2. जल संसाधन खण्ड, छतरगढ़, जिला बीकानेर
		3. 10वां खण्ड, इगांनप तारानगर, जिला चूरू	3. 10वां खण्ड, इगांनप तारानगर, जिला चूरू
			4. जल संसाधन खण्ड, खाजूवाला, जिला बीकानेर
3.	सूरतगढ़ जल संसाधन, वृत्त हनुमानगढ़	1. जल संसाधन खण्ड, रावतसर, जिला हनुमानगढ़	1. जल संसाधन खण्ड, रावतसर, जिला हनुमानगढ़
		2. जल संसाधन खण्ड, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर	2. जल संसाधन खण्ड, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर
			3. सर्वे एवं अन्वेषण खण्ड, इगांनप, रावतसर, जिला हनुमानगढ़

उपरोक्त कार्यालयों का वित्तीय प्रबन्धन एवं उक्त कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों (नियमित एवं कार्यप्रभारी) की वरिष्ठता यथावत लागू रहेगी। साहवा लिफ्ट वृत इगांनप बीकानेर, मुख्य अभियन्ता, इगांनप, बीकानेर के प्रशासनिक नियन्त्रण में यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,
उप शासन सचिव,
इन्दिरा गांधी नहर विभाग,
जयपुर।

श्रीडूंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक का रिक्त पद

13. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक का पद कब से रिक्त है?

(2) क्या यह सही है कि महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण महिला प्रसव के दौरान बहुत परेशानी होती है, जिससे प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है?

(3) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृति अनुसार महिला चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीडूंगरगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का एक पद स्वीकृत है जिस पर डा. संतोष ढाका, चिकित्सा अधिकारी (पीजी स्त्री रोग) को दिनांक 4.11.2010 को पद विरूद्ध लगाया गया। उक्त चिकित्सा अधिकारी ने दिनांक 9.5.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीडूंगरगढ़ में कार्यग्रहण किया। उक्त चिकित्सक इसके बाद से लगातार अवकाश पर चल रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीडूंगरगढ़ में महिला चिकित्सक का अलग से पद स्वीकृत नहीं है।

(2) जी हां। महिला चिकित्सक के अवकाश पर होने के कारण प्रसव के दौरान परेशानी होती है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीडूंगरगढ़ में प्रसव के दौरान कोई मृत्यु नहीं हुई है एवं जटिल प्रसव होने की स्थिति में प्रसूता को उच्च संस्थान के लिये रेफर कर दिया जाता है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्रीरोग का पद पदोन्नति से भरा जाना है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पदस्थापन यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर करने के प्रयास किये जायेंगे।

राज्य के चिकित्सालयों में पोस्टमार्टम कक्षों का रख-रखाव

14. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ओम बिरला)

(1) क्या यह सही है कि गत दिनों प्रदेश के चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों एवं पोस्टमार्टम कक्ष में रखे शवों के अंगों को जानवरों द्वारा कुतरने की घटनाएं उजागर हुई हैं? यदि हां, तो वर्ष 2009-10 से जनवरी, 2012 तक किस-किस अस्पताल में कब-कब? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गम्भीर घटनाओं की जांच की गई है? यदि हां, तो किस प्रकरण में कब जांच रिपोर्ट आई एवं उनमें किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दर्दनाक हादसों को रोकने हेतु अस्पताल अधीक्षकों को पाबन्द कर उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के चिकित्सालयों में वर्ष 2009 से जनवरी 2012 तक भर्ती मरीजों एवं पोस्टमार्टम कक्ष में रखे शवों के अंगों को जानवरों द्वारा कुतरने की घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) में दिनांक 24.9.2011 को प्रसूता श्रीमती रेशमा देवी पत्नि श्री नजीर मोहम्मद के मृतजन्म बच्चे को लेबर रूम के पास स्थित वार्मररूम से कुत्ते द्वारा उठाकर ले जाने की घटना घटित हुई है।

2. राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर (अजमेर) में दिनांक 11.1.2012 को पोस्टमार्टम कक्ष में एक महिला का शव रखे जाने के बाद आंख व कान चूहे द्वारा कुतरे जाने की घटना है।

3. राजकीय पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर में पोस्टमार्टम कक्ष मे रखे एक महिला के शव को मार्च 2010 में चूहों द्वारा कुतरने की घटना उजागर हुई।

4. राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में पोस्टमार्टम कक्ष में रखे शव के अंगों को कुतरने की खबर राष्ट्रदूत समाचार पत्र में दिनांक 12.2.2010 को प्रकाशित हुई थी।

5. राजकीय एमबीएस चिकित्सालय कोटा में भर्ती मरीजों एवं पोस्टमार्टम कक्ष में रखे शवों के अंगो को जानवरों द्वारा कुतरने की घटना दिनांक 02.04.2009 एवं 11.12.2009 को घटित हुई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) में प्रसूता श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री नजीर मो. के मृतजन्म बच्चे को लेबर रूम के पास स्थित वार्मर रूम से कुत्ते द्वारा उठाकर ले जाने की घटना की जांच रिपोर्ट दिनांक 29.10.2011 को आई जिसमें किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है।

2. राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर (अजमेर) में पोस्टमार्टम कक्ष में एक महिला का शव रखे जाने के बाद आंख व कान चूहे द्वारा कुतरे जाने के संबंध में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. राजकीय पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर में पोस्टमार्टम कक्ष में चूहों की रोकथाम के संबंध में एक कमेटी गठित की गई जिनके द्वारा पोस्टमार्टम कक्ष का निरीक्षण किया एवं पोस्टमार्टम कक्ष में चूहों द्वारा सम्भावित प्रवेश स्थानों को चिन्हित कर लिया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन चिन्हित स्थानों की मरम्मत करवाई गई।

4. राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर के अधीक्षक द्वारा आदेश क्रमांक : 191 दिनांक 18.2.2010 के द्वारा 3 चिकित्सकों की जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी द्वारा अवगत कराया गया कि शव के परीक्षण में जानवरों द्वारा काटने बाबत कोई लक्षण नहीं पाया गया, जांच समिति की राय में शव पर पायी गई चोट नाले मे गिरने से आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

5. राजकीय एमबीएस चिकित्सालय कोटा में गठित घटना के संबंध में जिला कलक्टर कोटा के द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा किसी अधिकारी/ कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया। डीपफ्रीजर के रख-रखाव वाली फर्म मैं. राजेन्द्र चावला तलवण्डी कोटा को दोषी पाया गया। जिला कलक्टर कोटा की अनुशंषा पर फर्म को 5 वर्ष की अवधि के लिए संस्थान में कार्य करने पर रोक लगाई गई एवं फर्म का बकाया पारिश्रमिक भुगतान जब्त किया गया। इस क्रम में माननीय विधायक महोदय श्री ओम बिरला कोटा दक्षिण द्वारा 4 बाडी का मोर्चरी चेम्बर विधायक कोष से विभाग में स्थापित करवा दिया गया है जो वर्तमान में चालू है।

(3) प्रदेश के चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों एवं पोस्टमार्टम कक्ष में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

रखे शवों के अंगों को जानवरों द्वारा कुतरने की घटनाओं को रोकने के लिये आवश्यक निर्देश निम्न प्रकार दिये गये हैं :-

1. शव को डीप फ्रीज अथवा जालीदार केबिनेट में रखा जावे।

2. मोर्चरी की सभी नालियों पर लोहे की जाली होनी आवश्यक है तथा नाली के पास दीवार एवं दरवाजे में कोई छेद आदि है तो तुरन्त रिपेयर करवायी जावें।

3. प्रतिदिन सफाई होनी अति आवश्यक है।

4. पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर भी सफाई रहे, झाड़ियां आदि नहीं रहे।

5. स्प्रिंग डोअर लगाने की व्यवस्था की जावे।

6. पेस्ट कन्ट्रोल की व्यवस्था की जावे।

7. काउकेचर लगाने की व्यवस्था की जावे।

फलौदी विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु आवंटित राशि

15. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कहां-कहां उप स्वास्थ्य केन्द्र, एड पोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में भवनों की क्या स्थिति है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में उप स्वास्थ्य केन्द्र मोहरा, जैमला, लटियालपुरा के भवन निर्माण हेतु दस-दस लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि भूमि उपलब्ध होते हुये भी अधिकारियों की उदासीनता व लापरवाही से तीनों भवनों का निर्माण कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो अब उक्त निर्माण कब तक करवाये जायेंगे?

(5) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य नहीं करवाने के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्तर्गत स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ठ-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्तर्गत स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां।

(4) उप स्वास्थ्य केन्द्र मोहरा एवं जैमला पंचायत समिति बाप हेतु जमीन उपलब्ध थी, परन्तु संवेदक द्वारा मोहरा में कार्य प्रारम्भ कर रोक दिया गया एवं जैमला का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया। इस पर संवेदक को एग्रीमेन्ट के तहत नोटिस दिये गये एवं एग्रीमेन्ट की धारा 2 व 3 सी के तहत कार्य रिसाइन्ड किया गया। कार्य की पुनः निविदायें आमंत्रित कर ली गई हैं। निविदायें प्राप्त होने के बाद कार्य शीध्र प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

उप स्वास्थ्य केन्द्र लटियालपुरा पंचायत समिति फलौदी के कार्य हेतु संवेदक को कार्यादेश जारी किया गया था। परन्तु जमीन उपलब्ध नहीं होने एवं संवेदक की समयावधि दिनांक 01.04.2011 को पूर्ण हो जाने से संवेदक द्वारा कार्य करने से मना कर दिया गया था। तत्पश्चात अधीक्षण अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जोधपुर के पत्रांक 940 दिनांक 20.5.2011 को एग्रीमेन्ट की धारा 32 के तहत कार्य विड्रो कर दिया गया।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये एनआरएचएम की स्वीकृत पी.आई.पी. में प्रगतिरत कार्यो को पूरा करने के लिए ही बजट दिया गया था। पूर्व में स्वीकृत जो कार्य मई 2011 तक प्रारम्भ नहीं किये जा सके थे, उन्हें प्रारम्भ न करने हेतु पाबंद किया गया था। अतः उपरोक्त कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। उक्त भवन का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(5) जी नहीं। कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्तर्गत स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम एवं उनके भवन की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	भवन वर्तमान में उपलब्ध अथवा नहीं
1	2
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फलौदी	हां
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाप	हां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोर्डिया	हां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खारा	हां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सावंरीज	हां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोजासर	हां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारू	हां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानसिंह की सिड	हां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाम्बा	हां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केलनसर	हां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाम्पासर	हां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानासर	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र मोखेरी	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट खिचन	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र रायडा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र कलरा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र बिठडी	हां

1	2
उप स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डल	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र बैंगटी कला	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र बैंगटी खुर्द	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र ढढ्ढु	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र उग्रास	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट बामणु	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र उदाणियों की ढाणी	नहीं
उप स्वास्थ्य केन्द्र भिंयासर	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र बरजासर	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र रनीसर	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र पडियार	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र हापरडी	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट मलार	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र मलारिण	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र लटियालपुरा	नहीं
उप स्वास्थ्य केन्द्र बावडी कला	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र घटोर	नहीं
उप स्वास्थ्य केन्द्र सांवरा गांव	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र हिंडालगोल	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र मोहरा	नहीं

1	2
उप स्वास्थ्य केन्द्र टेकरा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र टेपू	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र देदासरी	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र मोडकिया	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र सिहडा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र धोलिया	नहीं
उप स्वास्थ्य केन्द्र खिदरथ	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र सुरपुरा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र सोढादडा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र मालमसिंह की सिड	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र बड़ी सिड	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र कलरा बेरा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र उदट	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र जोधसिंह की सिड	नहीं
उप स्वास्थ्य केन्द्र ननेठ	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र मोटाई	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र चाकु	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र चारणाई	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र सेखासर	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र अजेरी	नहीं

1	2
उप स्वास्थ्य केन्द्र राणेरी	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र जम्बा की ढाणी	नहीं
उप स्वास्थ्य केन्द्र नोखडा चारणा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र रोहिणा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र बुगडी	नहीं
उप स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट मानेवडा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र अजासर	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र नोखडा भाटिया	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र ढाढरवाला	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र चिमाणा	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र घटियाली	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट जैसला	हां
उप स्वास्थ्य केन्द्र नेवा	नहीं
उप स्वास्थ्य केन्द्र जेमला	नहीं

बांगड़ अस्पताल पाली में संचालित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की आय

16. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांगड़ अस्पताल पाली में दिसम्बर 2008 से पूर्व बाह्य रोगी पर्ची, भर्ती टिकट एवं सभी प्रकार की जांचों की क्या-क्या दर निर्धारित थी एवं इनकी क्या-क्या दरें हैं?

(2) उक्त अस्पताल को 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से किस-किस मद में कितनी-कितनी आय हुई एवं किस-किस मद में इस आय की कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

(3) वर्तमान में रिलीफ सोसायटी के पास कितनी-कितनी राशि शेष है?

उत्तर

(1) राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली में दिसम्बर 2008 से पूर्व एवं दिनांक 17.2.2012 को बाहय रोगी पर्ची, भर्ती टिकट एवं सभी प्रकार की जांचों की निर्धारित दरों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली की मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक विभिन्न मदों से हुई आय एवं व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली की मेडिकल रिलीफ सोसायटी के पास दिनांक 17.2.2012 को सावधी जमा स्कीम में 26 लाख 85 हजार 552 रुपये (मूल राशि रुपये 25 लाख 26 हजार 859 एवं ब्याज की राशि रुपये 1 लाख 58 हजार 693) एवं बैंक शेष 39956 रुपये शेष है।

परिशिष्ट-अ

राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली में दिसम्बर 2008 से पूर्व एवं दिनांक 17.2.2012 को बाह्य रोगी पर्ची, भर्ती टिकट एवं सभी प्रकार की जांचों की निर्धारित दरों का विवरण निम्न प्रकार है

(राशि रुपयों में)

S. No.	NAME OF TEST	RATE BEFORE DEC., 2008	RATE ON DATE 17.02.2012
1	2	3	4
1.	HEAMOGLOBIN [Sahli*s]	5.00	10.00
2.	HEAMOGLOBIN [DIGITAL METER]	——	20.00
3.	TOTAL LEUCOCYLE COUNT	5.00	10.00
4.	DIFFERNCE LEUCOCYLE COUNT	5.00	10.00
5.	BLOOD ROUTINE	20.00	40.00
6.	HBsAg	50.00	70.00
7.	HUMAN IMMUNO VIRUS	100.00	100.00
8.	HEPATATIS C VIRUS	100.00	150.00
9.	MALERIA PARASITE By Slide	10.00	20.00
10.	MALERIA PARASITE BY CARD	100.00	100.00
11.	URINE ALBUMIN SUGAR	10.00 EACH	10.00
12.	URINE KITONE BODY	10.00	20.00
13.	URINE COMPLETE	20.00	30.00
14.	URINE BILE SALT/BILE SALT PIGMENET	10.00 EACH	15.00 EACH
15.	STOOL COMPLETE	10.00	20.00

1	2	3	4
16.	BLEEDING TIME/ CLOATING TIME	15.00 EACH	20.00 EACH
17.	CLOTT RETRACTION TIME	10.00	20.00
18.	THYROID STIMULATING HARMONE	120.00	120.00
19.	THYROID-3, THYROID-4 TSH	280.00	280.00
20.	CREATININE PIRUVIC KINASE	175.00	200.00
21.	VENEREAL DISEASE RESARCH	30.00	40.00
22.	WIDAL TEST	30.00	40.00
23.	BLOOD SUGAR	15.00	15.00
24.	BLOOD UREA	25.00	30.00
25.	SUGER CHOLESTROL	25.00	30.00
26.	SUGER CREATININE	30.00	40.00
27.	SUGER BILL [T] & [D]	25.00 EACH	30.00 EACH
28.	SERUM GLUTANIC OXALOACETODE TRANSMINASE	35.00	40.00
29.	SERUM GLUTANIC PIRUVIC TRANSMINASE	35.00	40.00
30.	LIPID PROFILE	190.00	190.00
31.	LOW– DENSITY LIPOPROTEIN	60.00	60.00
32.	HIGH– DENSITY LIPOPROTEIN	55.00	55.00
33.	TRIGLYCERIDE	75.00	75.00
34.	COMPLET BLOOD COUNT	60.00	100.00
35.	URIC ACID	30.00	40.00

1	2	3	4
36.	ALK. PHOS.	60.00	70.00
37.	BLOOD GROUP & R.H.	15.00	20.00
38.	URINE PREGNANCY	30.00	30.00
39.	SEMEN EXAM.	——	20.00
40.	DENGU CARD	———	350.00
41.	Blood Transfusion S.C [Govt.]	250.00	300.00
42.	Blood Transfusion S. [PRIVATE]	500.00	850.00
	COMPUTED TOMOYGRAPHY SCAN		
43.	Head	1000.00	1250.00
44.	Chest	1500.00	1750.00
45.	Lumber & cervical spine	1500.00 each	1750.00
46.	Upper/Lower abdomen	1500.00 each	1750.00
47.	Whole abdomen	2500.00	2750.00
	Digital X ray		
48.	Per plate (Single)	100.00	100.00
49	Double exp. with one plate	120.00	120.00
50.	Big plate 14’ X 17’	150.00	150.00
	Sonography		
51.	with Film	130.00	150.00
52.	without film	60.00	75.00
	X ray		
53.	Dental	20.00	20.00
54.	6.1/2 X 8.1/2 INCH	30.00	40.00

1	2	3	4
55.	8X10 INCH	30.00	40.00
56.	10X12 INCH	40.00	50.00
57.	12X15 INCH	40.00	50.00
58.	14X17 INCH	40.00	60.00
59.	Blood sugar (Glucometer)	30.00 per strip	30.00 per strip
	I.C.C.U. Charge		
60.	Cubical without Air Conditioner	200.00	200.00
61.	Cubical with Air Conditioner	250.00	250.00
62.	Intermediate without Air Conditioner	150.00	150.00
63.	Intermediate with Air Conditioner	180.00	180.00
64.	Audiometery	50.00	50.00
65.	Electro.E.G.	300.00	300.00
66.	C.Arm	250.00	250.00
67.	Post Operative Ward charge	70.00 After 72 hrs	70.00 After 72 hrs
	Cottage ward rent per day		
68.	Cottage [Cooler charges extra]	40.00	50.00
69.	Big Cottage [Cooler charges extra]	60.00	75.00
70.	DELUXE COTTAGE	0	400.00
71.	DIAILYSIS INVESTIGATION	0	200.00
72.	SPIROMETER INVESTIGATION	0	150.00
73.	Out Door Patient SLIP	2.00	5.00

1	2	3	4
74.	INDOOR TICKET	10.00	20.00
75	C-ARM INVESTIGATION	250.00	250.00

परिशिष्ट-ब

राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली की मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक विभिन्न मदों से हुई आय एवं व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है

(राशि रुपयों में)

S. No.	Head wise	Income	Expenditure
1	2	3	4
1.	OPENING BALANCE	484022	0
2.	LAB AND BLOOD BANK	2032848	1850953
3.	DIGITAL X RAY	722120	114000
4.	X RAY	155988	163078
5.	COMPUTED TOMOVGRAPHY SCAN	614500	174662
6.	SONOGRAPHY	286455	6353
7.	ELECTRIC CARDO GRAPHIC	35210	8395
8.	OUT DOOR PATIENT & INDOOR TICKET	529038	155271
9.	C ARM	19520	0
10.	POST OPERATIVE WARD CHARG	12950	0
11.	COTAGE	93924	0
12.	ICCU INCOME	230720	48211
13.	TENDER FORM FEES	7600	0
14.	CYCLE STAND INCOME	148806	0

1	2	3	4
15.	DIALYSIS UNIT	18400	233251
16.	SECURITY DEPOSITS	28600	120400
17.	SARAS PARLOUR	7200	0
18.	AMBULANCE/jsy	900	86653
19.	WASHING CLOTH	0	328602
20.	INTERCOM/EQUIP/ELECTRIC	0	63275
21.	CONTRACT	93924	651882
22.	OFFICE EXPENSES	0	106880
23.	MEDCINES/BPL/other exp-	0	532347
24.	ELECTRIC (AC/COOLER/FAN EQUP. REP.)	0	285865
25.	OTHER EXPENSES (Painting work/ CCTV Cemara/Eqit.Raip./Sant.)	0	723807
26.	INTEREST	181484	0
TOTAL		**5704209**	**5653885**
FUNDS AVAILABLE FDR (PRINCIPAL AMOUNT 2526859+INTEREST 158693)		2685552	
BANK BAL.		**50324**	

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में नियुक्त कार्मिक

17. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2009 से 2011 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार ने कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्ध कराई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(3) उक्त मिशन के तहत अब तक कितने चिकित्सकों (एलोपैथी, आयुष, डेंटिस्ट, नर्स इत्यादि) की नियुक्तियां की गईं? जिलेवार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किये गये कर्मचारी/अधिकारियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 2010-2011 तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का वित्तीय वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	कुल प्राप्त राशि
2008-09	785.41	110.62	896.03
2009-10	737.27	110.00	847.27
2010-11	838.96	147.21	986.17

(2) उक्त राशि में से किये गये व्यय का मदवार एवं वित्तीय वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष		
		2008-09	**2009-10**	**2010-11**
1.	आरसीएच फ्लैक्सीपूल	288.01	279.94	284.73
2.	एनआरएचएम फ्लैक्सीपूल	324.79	370.64	519.66
3.	रूटीन इम्यूनाईजेशन एवं पल्स पोलियो	25.49	27.58	25.05
4.	नेशनल डीजिज कंट्रोल प्रोग्राम	28.92	22.34	27.04
5.	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटिनेंस)	233.90	287.23	298.11
	योग	**901.11**	**987.73**	**1154.59**

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

योजना में पूर्व वित्तीय वर्षों की बकाया राशि का अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जा सकता है, अतः उपर्युक्त वर्षों में किया गया आधिक्य व्यय पूर्व वित्तीय वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 की बकाया राशि में से किया गया है।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत दिनांक 23.02.2012 तक 1218 आयुष चिकित्सक, 187 एलोपैथी चिकित्सक एवं 12129 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर्स/जीएनएम/एएनएम की नियुक्तियां संविदा/अनुबंध के आधार पर की गई है। नियुक्त किये गये उक्त चिकित्सकों एवं नर्सों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत दूधवा, जिला बाड़मेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना

18. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के क्या नियम हैं? नियमों/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम पंचायत मुख्यालय दूधवा पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चालू/आगामी वित्तीय वर्षो में ग्राम दूधवा पंचायत समिति बालोतरा जिला बाड़मेर में नियमानुसार/गुणावगुण/आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर क्षेत्र के कारखाना बायलर्स का अवधि पार निरीक्षण

19. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारतीय बायलर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में किन-किन कारखानों में लगे बायलरों का नियमानुसार अवधि पार निरीक्षण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में निर्धारित अवधि के बाद किये गये निरीक्षण के लिए किसको उत्तरदायी बनाया गया? उप निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, उदयपुर के क्षेत्र में कारखाना बायलर्स की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बायलर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में एवं वर्ष 2010-11 में कारखानों में लगे बायलरों का नियमानुसार अवधि पार निरीक्षण नहीं किया गया।

(2) प्रश्न का प्रथम भाग बिन्दु संख्या-1 के अनुसार लागू नहीं होता।

उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, उदयपुर के क्षेत्र में कारखाना बायलर्स की जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" संलग्न।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर के व्यक्तियों की नाम परिवर्तन की सूचना का प्रकाशन

20. श्री गंगासहाय शर्मा (आमेर) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

01 अप्रैल, 1968 से 31 मई, 1970 के मध्य जयपुर शहर के किन-किन व्यक्तियों द्वारा नाम परिवर्तन की सूचना राजस्थान राजपत्र के किस-किस अंक में प्रकाशित करवाई गई? राजपत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में वर्ष 01 अप्रैल, 1968 से 31 मई, 1970 के मध्य विभाग द्वारा 12 व्यक्तियों के नाम परिवर्तन किये गये। जिनकी सूची एवं राजपत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर संभाग में पर्यटन विकास निगम की भूमि पर अतिक्रमण

21. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया और इसके गठन का उद्देश्य क्या था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किये एवं कितनी राशि व्यय की है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निगम के राज्य में कितने होटल कहां-कहां पर स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) गत पांच वर्षों में पर्यटन विकास निगम में कितनी-कितनी लाभ-हानि हुई व कितनी राशि किस मद में व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) भरतपुर संभाग में पर्यटन विकास निगम की कितनी जमीन पर कहां पर किन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और अब तक उक्त अतिक्रमण हटाने के क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत दिनांक 24.11.1978 को किया गया था तथा दिनांक 01.04.1979 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया था।

इसके गठन का उद्देश्य राजस्थान सरकार से राज्य के अन्दर एवं बाहर स्थित सम्पत्तियों यथा ट्यूरिस्ट बंगलो, मोटल आदि को अधिग्रहण करना एवं संचालन करना था ताकि देशी/विदेशी पर्यटकों को इस सुविधा का लाभ मिल सके।

निगम के गठन के मुख्य उद्देश्यों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में पर्यटन को बढावा देने के लिए पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय/स्वदेशी मार्ट/रोड शो में सहभागिता तौर पर प्रचार-प्रसार किया जाता है। जिसमें निगम की होटलों तथा पैकेज ट्यूर शाही रेलगाड़ियों के व्यापार में वृद्धि होती है। गत पांच वर्षों का वर्षवार व्यय विवरण अनुलग्नक 'ब' पर संलग्न है।

(पर्यटन मंत्री)

(3) राज्य में निगम द्वारा संचालित कुल 72 इकाइयां है। सूची अनुलग्नक 'स' पर संलग्न है।

(4) गत पांच वर्षों में पर्यटन विकास निगम में हुई लाभ-हानि व व्यय का वर्षवार विवरण अनुलग्नक 'द' पर संलग्न है।

(5) भरतपुर संभाग में पर्यटन विकास निगम की इकाइयों में से इकाई प्रभारी, होटल सारस, भरतपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से मिडवे डीग के कुछ भाग पर अस्थाई अतिक्रमण की जानकारी फरवरी, 2012 में प्राप्त हुई है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूर्ण की गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार वितरण में अनियमितताओं की जांच

22. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग गोगुन्दा के अधीनस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार में भारी अनियमितताओं की शिकायत सरकार को मिली एवं उसकी जांच चल रही है?

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र पर वितरण हेतु पोषाहार बनाने के क्या दिशा-निर्देश हैं तथा उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने की क्या व्यवस्था है?

(3) क्या यह सही है कि पोषाहार स्वयं सहायता समूहों से ही बनवाये जाने के निर्देश हैं? यदि हां, तो गोगुन्दा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितनों पर वर्ष 2007-08 से अभी तक राज्य निर्देशिका के निर्देशों की पोषाहार बनवाने में अवहेलना की गई?

(4) उक्त संदर्भ में हुई जांच की निष्पक्षता क्या है? अब तक सरकार द्वारा उक्त अनियमितता के प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां। बाल विकास परियोजना, गोगुन्दा के अधीनस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार में अनियमितता संबंधी शिकायत निदेशालय को प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच लेखाधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर द्वारा की जा रही है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना, गोगुन्दा में आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाये जाने की योजनान्तर्गत लाभान्वितों को निम्नानुसार पूरक पोषाहार वितरण के निर्देश जारी किये गये हैं-

क्रम संख्या	लाभान्वित की श्रेणी	लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का प्रकार एवं मात्रा
1.	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम बेबीमिक्स
2.	6 माह से 3 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चे	200 ग्राम बेबीमिक्स
3.	3 से 6 वर्ष के बच्चे	नाश्ता गरम पूरक पोषाहार खिचड़ी/मीठा दलिया (80 ग्राम)
4.	3 से 6 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चे	नाश्ता 75 ग्राम (अति. पोषाहार) गरम पूरक पोषाहार खिचड़ी/ मीठा दलिया (80 ग्राम)
5.	गर्भवती/धात्री महिलाएं	155 ग्राम

लाभान्वितों को विभागीय मापदण्डों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। लाभान्वितों को वितरित किये जाने वाले पोषाहार का नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण संबंधित महिला पर्यवेक्षक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस के अतिरिक्त पूरक पोषाहार की गुणवत्ता की जांच/गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु संबंधित जिले के उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पोषाहार गुणवत्ता नियंत्रण समिति, पोषाहार के प्रबन्धों की देखरेख/समीक्षा हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार प्रबन्धन समिति तथा पूरक पोषाहार की गुणवत्ता की जांच/गुणवत्ता नियंत्रण आदि हेतु व नीति निर्धारण एवं समीक्षा हेतु अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) मुख्यालय की

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

अध्यक्षता में विभागीय स्तर पर समितियां गठित की हुई हैं। इनके माध्यम से दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई जाती है ।

(3) जी नहीं। पूरक पोषाहार के निर्माण के संबंध में दो प्रकार के निर्देश हैं। 3 से 6 वर्ष तक बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर ही गरम पूरक पोषाहार (खिचड़ी/दलिया) उपलब्ध कराया जाता है। उक्त गरम पूरक पोषाहार का निर्माण मातृ समिति/महिला सहकारी समिति/स्यवं सहायता समूह के माध्यम से कराये जाने के निर्देश है। परियोजना गोगुन्दा में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने वाला रेडी टु ईट (आर.टी.ई) टेक हाम राशन, में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। जी नहीं, परियोजना गोगुन्दा के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रेडी टु ईट टेक हॉम राशन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है । अतः निर्देशों की कोई अवहेलना नहीं हुई है ।

(4) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

जिला हनुमानगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु आवंटित सामग्री

23. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं?विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने केन्द्र स्वयं के भवनों में, किराये के भवनों में, सरकारी विद्यालयों में तथा अन्य सरकारी भवनों में संचालित किये जा रहें हैं? विधान सभा क्षेत्रवार प्रत्येक केन्द्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितनी कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगनी की नियुक्ति की गई है? प्रत्येक केन्द्र पर कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगनी के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि व अन्य सामग्री आबंटित की गई? विधान सभा क्षेत्रवार प्रत्येक केन्द्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में 1136 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 68 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे है। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है -

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र	आंगनबाड़ी केन्द्र		मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	
			स्वीकृत	संचालित	स्वीकृत	संचालित
1.	भादरा	भादरा	227	226	15	14
2.	नोहर	भादरा	26	26	3	3
	नोहर	नोहर	186	185	2	2
3.	रावतसर	नोहर	52	52	4	2
	रावतसर	पीलीबंगा	94	94	15	15
4.	पीलीबंगा	पीलीबंगा	148	147	14	10
5.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	218	218	17	15
6.	संगरिया	संगरिया	82	82	0	0
7.	टिब्बी	संगरिया	107	16	12	7
		योग	**1140**	**1136**	**82**	**68**

विधान सभा क्षेत्रवार प्रत्येक केन्द्र का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण विधान सभा क्षेत्रवार निम्नानुसार है -

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र	संचालन का स्थान (भवन)					
			विभागीय (स्वयं के)	किराये के भवन	सरकारी विद्यालय	अन्य राजकीय	सामुदायिक/ नि:शुल्क	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	भादरा	भादरा	24	16	145	20	35	240
2.	नोहर	भादरा	2	0	15	3	9	29
	नोहर	नोहर	19	19	126	8	15	187
3.	रावतसर	नोहर	21	3	27	0	3	54
	रावतसर	पीलीबंगा	12	16	70	1	10	109
4.	पीलीबंगा	पीलीबंगा	33	14	81	2	27	157
5.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	18	83	78	9	45	233
6.	संगरिया	संगरिया	5	19	32	11	15	82
7.	टिब्बी	संगरिया	16	2	58	12	25	113
		कुल	**150**	**172**	**632**	**66**	**184**	**1204**

विधान सभा क्षेत्रवार प्रत्येक केन्द्र का विवरण परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(3) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में 1122 कार्यकर्ता, 1112 सहायिका एवं 1061 सहयोगनी चयनित हैं। इनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(4) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में विगत तीन वर्षो में आवंटित राशि एवं अन्य सामग्री का विधान सभा क्षेत्रवार एवं केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 में नियुक्त प्राध्यापकों का पदस्थापन

24. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 (कालेज एजुकेशन) में नियुक्त किये गये प्राध्यापकों को पदस्थापित करने के लिये ग्रामीण शब्द को शिथिल करने की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो उक्त संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण मय कार्यालय टिप्पण एवं पत्राचार के सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में प्रत्येक विषय के कुल कितने पद रिक्त हैं? विषयवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सी.डी. एवं ई. श्रेणी की नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित सरकारी महाविद्यालयों में किस-किस विषय में कितने-कितने पद रिक्त हैं? विषयवार रिक्त पदों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2010 के नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किये गये प्राध्यापकों को पदस्थापित करने के लिये 2010 के नियमों के अन्तर्गत कोई नये पद अलग से सृजित किये गये हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों का विवरण व नहीं, तो क्या उन्हें राजस्थान शिक्षा सेवा (कालेज शिक्षा ब्रान्च नियम) 1986 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के विद्यमान रिक्त पदों से भरा जा रहा है?

(5) राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 (कालेज एज्युकेशन) के अन्तर्गत नियुक्त किये गये प्राध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन भत्ते एवं अन्य परिलाभ देने के लिये पृथक् से कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा वर्तमान में ऐसे प्राध्यापकों को कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है अथवा भविष्य में भुगतान किया जाना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) राज्य में वर्तमान में कुल कितने कालेज व्याख्याता अनुदानित कालेजों में अनुदानित पदों पर कार्यरत हैं तथा प्रतिमाह व प्रतिवर्ष रखे जाने वाले ऐसे अनुदानित शिक्षकों को कितनी राशि अनुदान के रूप में देय होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वांछित सूचना परिशिष्ट "Y" पर संलग्न है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "Z" पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) राजकीय महाविद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी है।

(3) II, III व IVth श्रेणी की नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी है।

(4) जी हां। इन प्राध्यापकों को पदस्थापन करने हेतु अतिरिक्त 70 पद सृजित किये गये। शेष पद आर.वी.ई.आर.एस. नियम 2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित पदों (मृत संवर्ग) पर नियुक्तियां दी गईं।

(5) राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम के अन्तर्गत समायोजित व्याख्याताओं के लिये अलग से कोई बजट मद संधारित नहीं किया है। वित्त विभाग द्वारा निदेशालय कालेज शिक्षा के अधीन आने वाले समस्त व्याख्याताओं एवं अन्य कार्मिकों को वित्त वर्ष 2011-12 में प्रावधानित राशि में रु. 460 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

उक्त प्राध्यापकों को बजट शीर्ष 2202-03-103-(02)-[00]-01 में भुगतान किया है। भविष्य में इनका छटे वेतनमान (UGC) वेतन नियतन होने के उपरान्त राशि का आकलन किया जावेगा।

(6) राज्य में 48 व्याख्याताओं को विभिन्न अनुदानित कालेजों से समायोजित नहीं हुए हैं। उक्त व्याख्याताओं पर अनुदानित 1 करोड़ वार्षिक व्यय भार होगा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.02.2012 से अनुदान बन्द किये जाने हेतु नोटिस जारी कर दिए गये हैं।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बस्सी तहसील में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय

25. **श्रीमती अंजु खन्गवाल** (बस्सी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों में कार्यरत चिकित्सकों का नामवार एवं पदस्थापन तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बस्सी जिला आयुर्वेद अधिकारी ब क्षेत्र में कुल 17 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं विवरण परिशिष्ट क में संलग्न है।

(2) उक्त औषधालयों में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्साधिकारी की नामवार एवं पदस्थापन तिथि सहित विवरण परिशिष्ट क में संलग्न है।

परिशिष्ट-क

क्र. सं.	तहसील/जिला	नाम औषधालय	नाम चिकित्सक	कार्यग्रहण तिथि
1.	बस्सी-जयपुर	बस्सी	श्री राममनोहर शर्मा	22.10.2009
2.	बस्सी-जयपुर	कानोता	श्री परात्पर श्यामसुन्दर	08.01.2011
3.	बस्सी-जयपुर	दुधली	श्री गोरीशंकर शर्मा	05.07.2004
4.	बस्सी-जयपुर	झर	श्री शम्भूप्रसाद शर्मा	23.10.2009
5.	बस्सी-जयपुर	सामरिया	श्री रमेश कुमार शर्मा	02.02.2007
6.	बस्सी-जयपुर	देवगांव	श्री रूपलाल मीणा	22.10.2009
7.	बस्सी-जयपुर	दनाऊकला	श्री कैलाश चन्द्र रेगर	06.06.2009
8.	बस्सी-जयपुर	काशीपुरा	श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा	14.02.2007
9.	बस्सी-जयपुर	रूपाहेड़ी	श्रीमती अनिता सन्त	01.11.2009
10.	बस्सी-जयपुर	महादेवपुरा	श्रीमती शुभ्रा पारीक	10.01.2011
11.	बस्सी-जयपुर	तुंगा	श्री भगवान सहाय	25.01.2007
12.	बस्सी-जयपुर	ग्वालिनी	श्री अनिता	05.06.2009
13.	बस्सी-जयपुर	रोजवाडी	श्रीमती पुष्पा शर्मा	14.02.2003
14.	बस्सी-जयपुर	भटेरी	श्रीमती रेखा शर्मा	05.06.2009
15.	बस्सी-जयपुर	बासखोह	श्री बाबूलाल शर्मा	14.11.2005
16.	बस्सी-जयपुर	जटवाड़ा	श्रीमती ममता रानी	05.06.2009
17.	बस्सी-जयपुर	कालियावास	श्री दिलीप कुमार शर्मा	22.10.2009

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-4 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

भरतपुर शहर में दूसरे चरण में चल रहे कार्यों का मदवार विवरण एवं पिछले तीन वर्षों में व्यय हुई राशि

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्यादेश राशि	जनवरी 2012 तक व्यय
1.	ड्रेनेज कार्य	8.57 करोड़	5.65 करोड़
2.	पेयजल कार्य प्रथम पैकेज	20.94 करोड़	10.35 करोड़
3.	पेयजल कार्य द्वितीय पैकेज	20.00 करोड़	6.42 करोड़
4.	सीवरेज कार्य	46.31 करोड़	3.13 करोड़
5.	अग्निशमन कार्य	1.25 करोड़	0.26 करोड़
6.	ठोस कचरा प्रबंधन उपकरण	1.51 करोड़	0.30 करोड़
7.	अग्निशमन उपकरण	1.30 करोड़	0.32 करोड़
	कुल योग	**99.88 करोड़**	**26.43 करोड़**

परिशिष्ट "ब"

राज्य सरकार के स्तर पर आरयूआईडीपी द्वितीय चरण के कार्यों की मानिटरिंग की प्रगति रिपोर्ट

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	शहर का नाम	सेक्टर का नाम	कार्यादेश राशि	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अप्रेल 2011 तक का व्यय	मई 2011 से जनवरी 2012 तक वित्तीय प्रगति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भरतपुर	ड्रेनेज	8.57	19.11.2009	3.06	2.58	
2.	भरतपुर	पेयजल	20.94	25.03.2010	4.13	6.23	
3.	भरतपुर	पेयजल	20.00	09.04.2011	0.00	6.42	
4.	भरतपुर	सीवरेज	46.31	24.02.2011	0.00	3.13	
5.	भरतपुर	अग्निशमन केन्द्र	1.25	01.04.2011	0.00	0.26	
6.	भरतपुर	ठोस कचरा प्रबंधन उपकरण	1.51	28.12.2010	0.00	0.30	
7.	भरतपुर	अग्निशमन उपकरण	1.30	09.03.2011	0.00	0.32	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	अलवर	सीवरेज	19.03	10.07.2009	9.27	5.38	
9.	अलवर	सीवरेज	9.92	21.08.2009	1.75	4.65	
10.	करौली	पेयजल	28.64	17.07.2009	15.54	4.76	
11.	झालावाड़	पेयजल	29.01	02.09.2008	21.38	1.31	
12.	सवाईमाधोपुर	सीवरेज	31.75	04.11.2009	13.44	4.63	
13.	सवाईमाधोपुर	आरओबी	18.68	20.08.2009	9.03	5.48	
14.	बारां	आरओबी	24.21	20.08.2009	10.26	4.46	
15.	चूरू	आरओबी	22.63	22.08.2009	8.15	7.03	
16.	जैसलमेर	सीवरेज	25.08	11.08.2008	6.81	1.36	
17.	जैसलमेर	पेयजल	13.59	09.09.2008	5.35	2.14	
18.	बाड़मेर	सीवरेज	23.11	03.09.2009	0.77	0.72	अनुबंध निरस्त, नई निविदा जारी
19.	नागौर	सीवरेज	24.73	02.02.2010	0.00	2.77	अनुबंध निरस्त, नई निविदा जारी
20.	सीकर	सीवरेज	37.98	16.07.2009	5.15	0.00	अनुबंध निरस्त, नई निविदा जारी

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	बाड़मेर	पेयजल	24.72	28.06.2010	5.23	6.24	
22.	नागौर	पेयजल	29.18	20.08.2010	12.49	3.08	
23.	बूंदी	पेयजल	26.98	03.11.2009	11.98	3.15	
24.	सीकर	ड्रेनेज	3.79	08.07.2009	3.93	0.42	
			492.91		147.72	76.82	

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-5 का विवरण)

परिशिष्ट-1

पाली बाल श्रमिक परियोजना संस्था, पाली

S. No.	Name of Institute	Staff Honorarium 01/08 TO 6/09 (18)	Stipend 08/07 TO 06/09 (23)	Nurtition 01/08 TO 06/09 (18)	Rent & Water, Electricity 01/08 TO 06/09 (18)	Educational & Vocational Material 01/08 TO 06/09 (18)	Contigencies 01/08 TO 06/09 (18)	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NEW PUBLIC MOR-DEN SIKSHAN SAMITI,PALI SCHOOL-SANSI BASTI NAYA GAV	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
2	LUCKY BAL SIKSHAN SANSTHAN, JETARAN SCHOOL-HUNAWAS, JETARAN	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	JIVAN LOK NIRMAN SANSTHAN, DIG, BHARATPUR SCHOOL MOD BHATTA, SOJAT CITY	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
4	SIDHARAT BAL NIKETAN SAMITI, PALI SCHOOL-SANSI BASTI, NAYAGAV, PALI	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
5	CENTRE FOR INTIGRATED RUREL DEVELOPMENT, UDI-PUR SCHOOL-KHARCHI	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
		01/08 TO 02/09	08/07 TO	01/08 TO	01/08 TO 02/09	01/08 TO 02/09	01/08 TO	
6	SANSKAR SIKSHAN SANSTHAN, PALI SCHOOL-JADAN	93800	95000	91000	14000	11662	4662	310124

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	SHRI DAYANAND SISHU SADAN SIKSHAN SANSTHA, PALI							
	(1) SCHOOL-VISHNU NAGAR, PALI	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
	(2) SCHOOL-JAGDAMBA COLONY	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
8.	MONTENSARY SCHOOLSANSKAR KENDRA, PALI							
	(1) SCHOOL-BHIL BASTI WARD 29	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
	SCHOOL-BHATWADA WARD	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
9.	VEER BHUMI VIKAS SAMITI, JODHPUR							
	(1) SCHOOL-	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
	(2) SCHOOL-PIPLIYA KALA	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	MADHYAM SANSTHA, JODHPUR	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
	(1) SCHOOL-CHITAD, RAYPUR	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
	(2) SCHOOL-DIPAWAS, RAYPUR							
11	MARUDHAR KESARI SIKSHAN SANSTHA, SEWADI							
	(1) SCHOOL-KHOD	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
	(2) SCHOOL REBARIYO KA JHUPA,	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
12	NAVEEN BAL SIKSHAN SANSTHAN, PIPAD SAHAR							
	(1) SCHOOL-JETARAN	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
	(2) SCHOOL-PIPALIYA	120600	115000	117000	18000	14994	5994	391588
	TOTAL	**2144000**	**2050000**	**2080000**	**320000**	**266560**	**106560**	**6967120**

For PALI Child Labour Project Society

Sd./
Project Director
परियोजना निदेशक
पाली बाल श्रमिक परियोजना संस्था
पाली (राज.)